डाक पंजीयन क्र. MP/Bhopal/186/2021/2023
लाइसेंस क्र. WPP/Tech/23-04/08/2021-2023
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 38506/84

रोज़गार और निर्माण

टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

प्रति सोमवार को प्रकाशित, भोपाल 24.07.2023 से 30.07.2023 वर्ष-40 अंक 30 मूल्य ₹ 10.00

एमपी बोर्ड के साथ-साथ सीबीएसई के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी मिलेंगे लैपटॉप

राज्य सरकार विद्यार्थियों के सपनों को कभी मरने नहीं देगी। विद्यार्थी तेजी से आगे बढ़ें, उनका भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अगले साल से सभी टॉपर बच्चों को स्कूटी दी जाएगी। लैपटॉप देने की योजना एमपी बोर्ड के साथ-साथ सीबीएसई बोर्ड में भी लागू होगी। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाल परेड ग्राउंड पर विद्यार्थियों से संवाद में कहीं। मुख्यमंत्री ने कक्षा 12वीं में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपये सिंगल क्लिक से अंतरित किए।

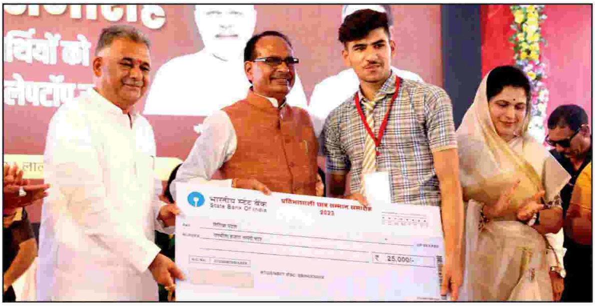

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत मेधावी छात्रों को चेक वितरित करते हुये

भोपाल, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन ने शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर करने के लिए ग्राम स्तर तक प्रयास किए हैं। हमारा प्रयास है कि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के लिए उत्कृष्ट शाला भवन, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, गणवेश, साइकिल आदि के साथ-साथ निरंतर विद्युत आपूर्ति, स्कूल आने-जाने के लिए अच्छी सड़कें और स्तरीय अधोसंरचना उपलब्ध हो, जिससे वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केन्द्रित कर अपना भविष्य बेहतर बना सकें और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश और स्वर्णिम राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दे सकें। विद्यार्थी राज्य की संपदा हैं, वे प्रगति करेंगे तो राज्य प्रगति करेगा, इसलिए राज्य शासन द्वारा विद्यार्थियों को हरसंभव सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों की फीस की व्यवस्था भी की गई है। विद्यार्थियों को मजबूरी में पढ़ाई बीच में छोड़ने नहीं देंगे। इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य विशेष अध्ययन के क्षेत्रों में जाने के इच्छुक विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी करें, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना तथा अन्य कार्यक्रमों और योजनाओं से उन्हें हरसंभव सहयोग दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री के उद्बोधन के प्रमुख बिंदु

- **शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर से बेहतर करना मेरा टारगेट।**
- **9.50 करोड़ का विराट परिवार है अपना मध्यप्रदेश।**
- **माता-पिता की तरह मुझे भी है विद्यार्थियों के कॅरियर की चिंता।**
- **मन लगाकर पढ़ाई करो, मामा हर आवश्यक सुविधा देगा।**
- **विद्यार्थी मध्यप्रदेश की पूंजी, उनसे ही प्रदेश का भविष्य।**
- **विद्यार्थी स्वयं को आत्मविश्वास से भर लें, वे सब कुछ कर सकते हैं।**
- **युवाओं के लिए नौकरियां, स्व-रोज़गार और प्रशिक्षण के साथ कमाई का अवसर।**
- **विद्यार्थियों के सुझाव आमंत्रित करने के लिए बनाएंगे पोर्टल।**

श्री चौहान ने विद्यार्थियों को एकाग्रचित होकर पढ़ाई करने का सुझाव दिया। उन्होंने उत्साह और सकारात्मकता के साथ अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश से स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख किया।

स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा आरंभ की गई विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान योजना के परिणामस्वरूप विद्यार्थी प्रतियोगी भाव से अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2009 में शुरू इस योजना से कक्षा 12 के बाद लैपटॉप प्राप्त होने से विद्यार्थियों को उच्चतर अध्ययन में सहायता मिली है।

संभाग के टॉपर विद्यार्थी हुए सम्मानित

मुख्यमंत्री ने कक्षा 12वीं में संभाग स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत संभाग के टॉपर विद्यार्थियों में उज्जैन संभाग में प्रथम स्थान पर आए शाजापुर मक्सी की खेम गुरुकुल अकादमी के श्री रितिक पटेल, जबलपुर संभाग से छिंदवाड़ा जिले के ज्ञानदीप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरवाड़ा की मौली नेमा, नर्मदापुरम संभाग से सेंट गुरू प्रसाद अग्रवाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नारायण शर्मा, भोपाल संभाग के लिए शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की सोनाली परमार, शहडोल संभाग से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमलाई के अमन कुमार पनिका, ग्वालियर संभाग से भिंड जिले के शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की श्रुति श्रीवास्तव, रीवा संभाग से ड्रीमवैली पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल उचेहरा सतना की निकिता अग्रवाल, सागर संभाग से शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छतरपुर के हेमंत पटेल और इंदौर संभाग से शासकीय मल्टी मल्हार आश्रम हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर के आकाश पांडे को प्रतीकस्वरूप चेक तथा प्रशस्ति-पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया।

विकास पर्व

मध्यप्रदेश में विकास का वातावरण

भोपाल, विकास पर्व प्रदेश में विकास का वातावरण निर्मित कर रहा है। सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए अनेक निर्माण कार्य किए गए हैं। साथ ही जन-कल्याण की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। विकास का यह संदेश आमजन तक पहुंचना चाहिए। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर विकास पर्व में अनेक कार्यों के लिए भूमि-पूजन हो रहे हैं, सम्पन्न कार्यों के लोकार्पण हो रहे हैं। जन-प्रतिनिधि और प्रशासनिक अमले की अधिकतम भागीदारी विकास पर्व में होना चाहिए। शीघ्र ही प्रदेश में हुए विकास कार्यों का रिपोर्ट-कार्ड आम जन के सामने रखा जाएगा। मैं दिन-रात जनसेवा में व्यस्त हूं। इस नाते प्रशासकीय अमले से भी कठोर परिश्रम की आशा है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में विकास पर्व के संबंध में कलेक्टर्स और जन-प्रतिनिधियों से कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करते हुए कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास पर्व की गतिविधियों में सभी को हिस्सा लेना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता को यह जानकारी मिलना चाहिए कि मध्यप्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर कार्य हुए हैं। कई कार्यों में तो मध्यप्रदेश ने रिकार्ड तोड़े हैं। सड़क, पानी, बिजली, विद्यालय-भवनों के निर्माण और योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य लगातार चल रहा है। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि विकास पर्व की गतिविधियों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टों के वितरण का कार्य भी किया जाये। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग-अलग कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाए। मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना में पट्टों का वितरण, अवैध कॉलोनियों को वैध करना, स्वीकृत सड़कों का शिलान्यास आदि कार्यक्रम निर्धारित कर आमजन की उपस्थिति में किए जाएं। नागरिकों को जानकारी मिलना चाहिए कि वर्ष 2003 के पूर्व मध्यप्रदेश कैसा था और अब कैसा है।

पाठकों और एजेंटों के लिये जरूरी सूचना

रोज़गार और निर्माण का यह अंक दो हिस्सों में प्रकाशित किया जा रहा है। पाठकों और एजेंटों से अनुरोध है रोज़गार और निर्माण अखबार प्राप्त करते वक्त इसके दोनों हिस्से प्राप्त करें। रोज़गार और निर्माण का पहला हिस्सा 40 पृष्ठों का और दूसरा हिस्सा 32 पृष्ठ का है।

प्रबंधक
प्रसार और विज्ञापन

- **पिछला सप्ताह** - देश-विदेश की साप्ताहिक खबरों का संक्षिप्त विवरण
- **चर्चा में** - प्रमुख चर्चित व्यक्तियों और ध्यान आकर्षित करने वाली खबरों की चर्चा
- **खेल चर्चा** - प्रमुख खेल गतिविधियों का विवरण
- **सामयिकी** - देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं

इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी-कंडक्टर सेक्टर में अपार संभावनाएं

भोपाल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी-कंडक्टर सेक्टर में शोध, डिजाइनिंग, निर्माण, टेस्टिंग आदि की वैश्विक स्तर पर मांग के अनुरूप प्रदेश में सुविधाएं तथा व्यवस्था उपलब्ध कराना प्रदेश की औद्योगिक प्रगति के लिए आवश्यक है। आर्थिक विकास, तकनीकी नवाचार और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने तथा युवाओं को इस सेक्टर में अवसर उपलब्ध कराने के लिए निश्चित रोडमैप बनाकर समय-सीमा में गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमी-कंडक्टर टास्क फोर्स की बैठक को संबोधित करते हुए कहीं।

इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की डिजाइनिंग के लिए प्रदेश में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना, निजी औद्योगिक घरानों का निवेश आकर्षित करने, प्रदेश में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निश्चित क्रय की व्यवस्था स्थापित करने, शिक्षण संस्थाओं में शोध संस्कृति के विकास और राज्य शासन तथा उद्योगों के बीच बेहतर समन्वय के बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया। इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) पर मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी की अध्यक्षता में सितंबर 2022 में टास्क फोर्स गठित की गई थी। टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए समग्र नीति बनाई जाएगी जिससे लगभग दस बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित करने की योजना है। रिपोर्ट के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की जटिलताओं को समाप्त किया जायेगा।

लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिये प्राण-प्रण से प्रयासरत हूं - मुख्यमंत्री

नरसिंहपुर, मैं प्रदेश में हर व्यक्ति की जिंदगी बेहतर बनाने के लिये प्राण-प्रण से प्रयास कर रहा हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारत के लिये भगवान का वरदान हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाई है। चारों ओर विकास और जन-कल्याण के कार्य हो रहे हैं। एक परिवार की तरह सरकार चल रही है, जिसमें हर सदस्य का पूरा ध्यान रखा जाता है। समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिये कार्य किये जा रहे हैं। हर शासकीय कर्मचारी की बेहतरी का ध्यान रखा जा रहा है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में आयोजित एक कार्यक्रम में कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं, सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। आज प्रदेश में गुणवत्तायुक्त सड़कें, निरंतर बिजली आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल और बड़े क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं हैं। हर घर नल से जल और हर खेत को सिंचाई का पानी दिये जाने के लिये निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। नरसिंहपुर क्षेत्र में ही 10 हजार करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है।

श्री चौहान ने कहा कि गाडरवारा में दाल एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाया जाएगा। गाडरवारा की दाल प्रसिद्ध है, यहाँ दाल एक्सपोर्ट क्लस्टर बनने से किसान बंधु और व्यापारी दोनों ही लाभान्वित होंगे। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। मुख्यमंत्री ने सालेचौका में महाविद्यालय प्रारंभ करने, गाडरवारा में 300 बिस्तर के अस्पताल के निर्माण और चीचली, मढ़ेसुर और देवगढ़ में सड़क निर्माण की घोषणा की।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

15 जुलाई

अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर

● अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय और अबू धाबी शिक्षा एवं ज्ञान विभाग तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। वर्तमान में जारी संयुक्त अरब अमीरात-भारत व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को पूर्णता प्रदान करते हुए यह एमओयू शैक्षिक उत्कृष्टता, नवाचार, ज्ञान के आदान-प्रदान और मानव पूंजी में निवेश को प्राथमिकता देने को भावी समृद्धि और दीर्घकालिक आर्थिक विकास तथा सतत विकास के सक्षमकर्ताओं के आधार के रूप में दोनों देशों के साझा विजन को प्रतिबिंबित करता है।

● केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, एआई फॉर इंडिया 2.0 का शुभारंभ किया। यह स्किल इंडिया और जीयूवीआई की एक संयुक्त पहल, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास से मान्यता प्राप्त ऑनलाइन कार्यक्रम युवाओं को अग्रणी कौशल से सुसज्जित करेगा। श्री प्रधान ने इस अवसर पर कहा कि प्रौद्योगिकी को भाषा का बंधुआ नहीं होना चाहिए। उन्होंने और अधिक भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों का आहवान किया।

16 जुलाई

अमेरिका के अलास्का में आया भूकंप

● अमेरिका के अलास्का में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दो हफ्ते पहले भी अलास्का में भूकंप के झटके आए थे। ईगल नदी के करीब दो मील दक्षिण में भूकंप महसूस किया गया था। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि भूकंप का केंद्र सैंड प्वाइंट, अलास्का से 106 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था। भूकंप की तीव्रता 7.2 बताई गई। अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा ने सुनामी की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि भूकंप का केंद्र 21 किलोमीटर की गहराई में स्थित था।

● इंडोनेशिया की वित्त मंत्री सुश्री मुल्यानी इंद्रावती और भारतीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने "भारत- इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता" को लॉन्च करने की घोषणा की। जी-20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक के दौरान पेश किया गया मंच, दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत

करने और वैश्विक मुद्दों पर साझी समझ को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन ने कहा कि 1991 में भारत की 'लुक ईस्ट पॉलिसी' और उसके बाद 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के विकास ने हमारे द्विपक्षीय संबंधों विशेष रूप से वाणिज्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में तेजी से विकास को सुविधाजनक बनाया है।" "इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। हमारे व्यापार में वर्ष 2005 के बाद से आठ गुना बढ़ोत्तरी देखी गई है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में उल्लेखनीय रूप से 38 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।"

17 जुलाई

अमेरिका और यूरोप में हीटवेव की चेतावनी

● अमेरिका के फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन में गर्मी को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने लोगों से कहा है कि वो अपनी सेहत के साथ कोई रिस्क न लें। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि कैलिफोर्निया की डेथ वैली में अगले हफ्ते पारा 54 डिग्री तक पहुंच जाएगा। डेथ वैली दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक है। वहीं यूरोप की स्पेस एजेंसी ने इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड में गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है। इटली ने रोम और फ्लोरेंस समेत 16 शहरों के लिए हीटवेव की चेतावनी जारी की है।

● क्रेडिट कार्ड से खर्च मई 2023 में मासिक आधार पर 5 फीसदी बढ़कर 1.40 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। इस दौरान इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड की संख्या जनवरी 2023 की तुलना में 50 लाख से अधिक बढ़कर 8.74 करोड़ पहुंच गई। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक नए कार्ड की बात करें तो 20 लाख का इस्तेमाल चालू वित्त वर्ष के पहले दो माह में ही हुआ है। जनवरी में देश में 8.24 करोड़ सक्रिय क्रेडिट कार्ड थे। फरवरी में यह संख्या 8.33 करोड़, मार्च में 8.53 करोड़ और अप्रैल में 8.65 करोड़ पहुंच गई। आंकड़ों के मुताबिक क्रेडिट कार्ड से खर्च 2022-23 में पूरे साल के दौरान 1.1-1.2 लाख करोड़ रुपये रहा।

18 जुलाई

खाली सीटों पर दाखिले के लिए खुलेगी आवेदन विंडो

● एनआईटी, आईआईआईएसटी, आईआईआईटी समेत 96 शीर्ष तकनीकी कॉलेजों में खाली सीटों पर दाखिले के लिए एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन विंडो खुलने जा रही है। जिन छात्रों ने अभी तक एक बार भी आवेदन पत्र नहीं भरा है, उनके लिये सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड (सीएसएबी) तीन अगस्त से दो स्पेशल राउंड काउंसलिंग आयोजित करने जा रहा है। इसके लिए छात्रों को सीएसएबी की वेबसाइट पर जाकर स्पेशल राउंड काउंसलिंग के लिए पंजीकरण, च्वाइस फिलिंग भरने के साथ फीस जमा करनी होगी। खाली सीटों की जानकारी तीन अगस्त को सार्वजनिक की जाएंगी।

● भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 16-18 जुलाई तक राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, पूसा, नई दिल्ली में अपना 95वां स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस मनाया। इस अवसर पर शानदार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में आईसीएआर द्वारा विकसित की गई नई प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के बारे में जानकारी प्रदर्शित की गई। इस बारे में डॉ. हिमांशु पाठक, सचिव (डेयर) और महानिदेशक (आईसीएआर) ने बताया कि आईसीएआर कई प्रौद्योगिकियों के निर्माण में सफल रहा है, जिन्हें बड़े पैमाने पर अपनाने और व्यवसायीकरण के लिए प्रसारित करने की आवश्यकता है।

19 जुलाई

हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने यूएन को दिए 10 लाख डॉलर

● भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि सुश्री रुचिरा कंबोज ने यूएन में हिंदी भाषा के उपयोग के विस्तार के लिए संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग की अवर महासचिव मेलिसा फ्लेमिंग को एक चेक सौंपा। बता दें, संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग के सहयोग से हिंदी@यूएन परियोजना 2018 में शुरू की गई थी।

● मध्य कोलंबिया में भूस्खलन से करीब 14 लोगों की मौत हो गई। इसके चलते राजधानी बोगोटा को देश के पूर्वी मैदानी इलाकों से जोड़ने वाले प्रमुख हाईवे पर आवागमन बाधित हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि बोगोटा के दक्षिण-पूर्व में स्थित क्वेटेम शहर में ऊंचाई वाले क्षेत्र से कीचड़ और मलबे का ढेर आने से कई घर तबाह हो गए। भारी बारिश के कारण यह हादसा हुआ, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस ने कहा कि कुछ लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है, जिनकी तलाश की जा रही है।

20 जुलाई

भारतीय अर्थव्यवस्था को घरेलू खपत से मिल रहा सहारा

● भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी में डूबी वैश्विक अर्थव्यवस्था को उबारने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही है। यह बात विश्व बैंक अध्यक्ष के अजय बंगा ने कही। भारत दौरे पर आए अजय बंगा ने कहा कि वैश्विक सुस्ती के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को उसकी घरेलू खपत से स्वाभाविक सहारा मिल रहा है, इसका प्रमुख कारण यह है कि देश की जीडीपी का बड़ा हिस्सा घरेलू मांग पर आधारित है। बंगा ने विश्व अर्थव्यवस्था के परिदृश्य पर कहा कि अगले साल की शुरुआत में सुस्ती को लेकर अधिक जोखिम दिख रहा है।

● केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष ब्रेंडन ओ' कॉनर से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग एवं इन संबंधों को और कैसे विस्तारित व गहरा किया जा सकता है, इस पर चर्चा की। श्री प्रधान ने इस वर्ष सितंबर में गांधीनगर में ऑस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा और कौशल परिषद की 7वीं बैठक के लिए मंत्री ओ' कॉनर को भी आमंत्रित किया है। मंत्री ओ' कॉनर ने दोनों देशों के बीच सहयोग को गहरा करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाजाही की बहाली उनके देश के लिए प्राथमिकता है।

21 जुलाई

गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर लगी रोक

● सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है। देश में चावल की कीमत में तेजी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ चावल के निर्यात को अनुमति दी जाएगी। अगर नोटिफिकेशन से पहले जहाजों में चावल की लोडिंग शुरू हो गई है तो उसके निर्यात की अनुमति होगी। साथ ही उन मामलों में भी चावल के निर्यात की अनुमति होगी जहां सरकार ने दूसरे देशों को इसकी इजाजत दे रखी है। सरकार ने इन देशों के फूड सिक्योरिटी की जरूरतों को देखते हुए इस तरह की अनुमति दी है।

● अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने छात्राओं के विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लेने पर बैन लगा दिया है। अफगानिस्तान की परीक्षा नियामक संस्था नेक्सा ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्रालय ने आदेश दिया है कि सिर्फ पुरुषों को ही विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में शामिल किया जाए, क्योंकि पुरुषों को ही नौकरियों में नियुक्त किया जाएगा।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित
फोटो : गूगल से साभार)

PEOPLE'S UNIVERSITY
(Established by M.P. Act No. 18 of 2011 & approved u/s 2 (f) of UGC act 1956)
ADMISSION OPEN
PARAMEDICAL LIMITED SEATS

MPT	Masters of Physiotherapy - (Ortho'/ Neuro'/ Cardio' & Sports) 2 yrs PG Degree Program, Eligibility : BPT	
BPT	Bachelor of Physiotherapy*	4½ yrs Degree Course
BMLT	Bachelor of Medical Lab Technology*	3 yrs Degree Course
B.Sc	Human Nutrition*	3 yrs Degree Course
DMLT	Diploma in Medical Lab Technology*	2 yrs Diploma Course
DDT	Diploma in Dialysis Technology*	2 yrs Diploma Course

Diploma in
• Anesthesia Technician • Optometric Refraction
• X-Ray Radiographer • Cath lab Technician
*Eligibility : 12th with Physics, Chemistry & Biology
0755 - 400 5203, 5295, 5281
People's Campus, Bhanpur, Bhopal (M.P.)
R-48827/2023

साप्ताहिक
रोज़गार और निर्माण
में विज्ञापन के लिए दरें
टैरिफ

क्रमांक	ब्लैक एंड व्हाइट रेट प्रति वर्ग सेमी (sq Per cm)	रंगीन रेट प्रति वर्ग सेमी (sq Per cm)
1. डीएवीपी (DAVP) रेट	13.36	18.70
2. कॉन्ट्रैक्ट रेट	70.00	98.00
3. कमर्शियल रेट	80.00	112.00

फुल पेज का आकार

चौड़ाई	-	25 सेंटीमीटर
लंबाई	-	37 सेंटीमीटर
कुल वर्ग सेंटीमीटर	-	925 वर्ग सेंटीमीटर

संपर्क करें :
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नंबर : 0755-2551330, 0755-2760006
ई मेल : madhyam.rojgar@gmail.com Website : www.mpmadhyam.in
नोट : 1. 5% जीएसटी (GST) शुल्क अलग से देय होगा।
2. 4.5x5 सेमी (cm) से कम का विज्ञापन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

वर्ष 40, अंक 30 24.07.2023 से 30.07.2023
रोज़गार और निर्माण
www rojgaraurnirman.in

● प्रबंध संचालक - मनीष सिंह
● सम्पादक - राजीव तिवारी
● प्रबंधक - वंदना चतुर्वेदी (विज्ञापन एवं प्रसार)
● प्रबंधक - सुभाष चन्द्र जोशी (मुद्रण)
● आकल्पन - अरविन्द टोप्पो
● वेबसाइट - आत्माराम शर्मा

वार्षिक सदस्य बनने के लिये रुपये 500/- (पाँच सौ) का डी.डी., मनीऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर रोज़गार और निर्माण, भोपाल के नाम बनवाकर नीचे लिखे पते पर भेजें :-
रोज़गार और निर्माण, मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462011
फोन- 2760006, 2551330, 4281330, फैक्स - 4228409, e-mail : madhyam.rojgar@gmail.com
रोज़गार और निर्माण कार्यालय में नगद राशि जमा कर भी इसकी वार्षिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। रोज़गार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। इनसे सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा। रोज़गार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में किए गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका समाचार पत्र के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है।

सम्पादकीय

स्कूल चलें हम अभियान

शिक्षा के बिना जीवन सूना

शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, इसलिये स्कूल चलें हम। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 वर्ष पहले इस अभियान की शुरुआत की थी। तब से यह अभियान निरंतर जारी है। शिक्षा के दरवाजे से दुनिया के सारे राज खुलते हैं। हम पढ़ें, आगे बढ़ें और सूरज सा चमकें। एकाग्रचित होकर पढ़ोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अर्जुन श्रेष्ठ विद्यार्थी था, उसे हमेशा चिड़िया की आँख दिखाई देती थी। आप भी अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त हों। उपरोक्त बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहीं। मुख्यमंत्री शाजापुर के गुलाना में स्कूल चलें हम अभियान-2023 के शुभारंभ पर विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश में 9 हजार सर्व-सुविधायुक्त सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं, जिनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। स्मार्ट क्लास में दिल्ली और मुंबई के शिक्षक भी बच्चों को पढ़ा सकेंगे। 'अटल टिंकरिंग लैब' बच्चों में नवाचार और रचना कौशल बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश में सीएम राइज स्कूल इसी उद्देश्य के साथ खोले गये हैं। सीएम राइज विद्यालय, स्मार्ट क्लास, आधुनिक लैब, लाइब्रेरी, खेल-मैदान और अन्य सुविधाओं से युक्त होंगे। प्रदेश के हर बच्चे की अच्छी शिक्षा के लिये सरकार हर आवश्यक सुविधा दे रही है। शिक्षण-शुल्क, गणवेश, मध्यान्ह भोजन, साइकिल, स्कूटी, लैपटॉप आदि प्रदाय किये जा रहे हैं। कक्षा 12वीं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिये 25 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। कक्षा 5 से 6 में तथा कक्षा 8 से 9 में प्रवेश पर दूसरे गांव के स्कूल में जाने के लिये बच्चों के खाते में 4 हजार 500 रुपये की साइकिल की राशि डाली जाएगी। सरकार मेधावी विद्यार्थियों की मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईआईटी और आईआईएम आदि पाठ्यक्रमों की फीस भी भरवा रही है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि क्षमता और बुद्धि के मामले में कोई पीछे नहीं होता, सिर्फ प्रयास करने की आवश्यकता होती है। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव हो। मनुष्य सिर्फ हाड़ मांस का पुतला नहीं, बल्कि ईश्वर का अंश है। मनुष्य में विद्यमान क्षमताएं असीमित हैं। दृढ़ संकल्प से इनका उपयोग किया जाना चाहिए। परिश्रम से अध्ययन कर बेहतर भविष्य के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को तत्पर होना है। इसके लिए जरूरी है कि हम सभी लोग मिलकर स्कूल चलें हम अभियान को सफल बनाएं। यदि हमारे आसपास का कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो उसे स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना है। शिक्षा के बिना जिन्दगी अधूरी है। व्यक्तित्व के निर्माण के लिए पढ़ाई जरूरी है। आज प्रदेश भर में जन-प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, खिलाड़ी, कलाकार और उद्योगपति आदि विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और विशेष कक्षाओं के माध्यम से उन्हें जीवन के अनुभवों से अवगत करवा रहे हैं। प्रदेश में साक्षरता क्षेत्र में नए अभियान की पहल भी की गई है। स्कूल चलें हम अभियान को जन-आंदोलन का रूप दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। मध्यप्रदेश में नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों को भारत की ज्ञान परंपरा के अनुरूप संस्कारयुक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिये निरंतर कार्य किया जा रहा है।

गर्म इलाकों के व्यक्तियों की कमजोर हो रही हैं नजरें

मनुष्य शरीर में आंख एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके उचित देखभाल के अभाव में इसके कमजोर होने का खतरा विद्यमान रहता है। आज के दौर में हमारे चारों तरफ अनेक तरह का प्रदूषण मौजूद है। विशेष तौर पर ऐसा प्रदूषण जिससे हमारी आंखें प्रभावित हेती हैं। जलवायु परिवर्तन से केवल मौसम ही असंतुलित नहीं हो रहा है, बल्कि इसका प्रभाव व्यक्ति की आंखों पर भी देखने को मिलता है, एक अध्ययन में दावा किया गया है कि गर्म क्षेत्रों में बढ़ते तापमान की वजह से लोगों की नजरें कमजोर हो रही हैं। गर्म स्थानों पर रहने वाले लोगों के देखने की क्षमता ठंडे स्थानों के लोगों की तुलना में कम हो जाती है। पराबैंगनी किरणें आंखों के कॉर्निया, लेंस और रेटिना को ज्यादा प्रभावित करती है, साथ ही आंखों में खुजली, संक्रमण जैसी परेशानियां भी होती हैं। इस क्षेत्र में किए गए अध्ययन के दौरान लोगों की आंखों का लेंस धुंधला मिला और इसे ग्लूकोमा की बड़ी वजह माना गया। साथ ही कंजेक्टिवाटिस या जलन की वजह से आंख की परत में सूजन की शिकायत भी सामने आयी। अध्ययन में यह भी बताया गया कि पराबैंगनी किरणों की वजह से भी आंखों को नुकसान पहुंचता है। जलवायु परिवर्तन के साथ ही तापमान बढ़ने से खासकर बुजुर्गों को आंखों की परेशानी होने की आशंका भी बढ़ रही है। इस अध्ययन में यह भी बताया गया कि चश्मा पहनने के बाद भी उन्हें आंखों में कुछ परेशानी हो रही है।

- देवेश तिवारी

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर लिखते हैं)

विश्व हेपेटाइटिस दिवस | 28 जुलाई

सतर्कता में छिपी है हेपेटाइटिस से सुरक्षा

जिंदगी में आप सब कुछ देकर भी जिसे हासिल नहीं कर सकते हैं, तो वह है सेहत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा है कि व्यक्ति के लिए सच्चा धन उसका स्वास्थ्य ही है। इसलिए हमें अपनी सेहत के प्रति सावधान रहना चाहिए और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका नियमित स्वस्थ जीवनशैली को अपनाना है। बारिश के मौसम में वायरस के बढ़ने और दूषित खानपान की वजह से हेपेटाइटिस के मामले अधिक बढ़ जाते हैं। हेपेटाइटिस के 60 प्रतिशत मामले मानसून के मौसम में ही दर्ज किए जाते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस ए और ई पानी के संक्रमण के कारण होने वाली बीमारियां हैं। ऐसे में जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, उन्हें इस बीमारी के होने का खतरा अधिक होता है। 28 जुलाई को हर वर्ष इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हेपेटाइटिस डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हेपेटाइटिस एक तरह के वायरस का संक्रमण है, इसकी वजह से व्यक्ति के लिवर में सूजन आ जाती है, लेकिन अधिकतर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, कि यह एक जानलेवा रोग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार, इस समय पूरी दुनिया में करीब 29 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो हेपेटाइटिस से ग्रसित तो हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। दुनिया में लोगों की मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक हेपेटाइटिस है, मलेरिया और एड्स की कुल मौतों से अधिक मौतें अकेले हेपेटाइटिस से हर साल होती हैं।

विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 की थीम

'विश्व हेपेटाइटिस दिवस' हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वर्ष 2030 तक (वर्ष 2015 आधाररेखा की तुलना के साथ नए संक्रमण में नब्बे प्रतिशत और मृत्यु दर में पैंसठ प्रतिशत तक कमी करके) वैश्विक उन्मूलन के लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए व्यक्तियों, भागीदारों और जनता द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। दिनांक 28 जुलाई की तारीख का चयन इसलिए किया गया क्योंकि इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉ. बारूक का जन्मदिन है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस (एचबीवी) की खोज की तथा वायरस के लिए जरूरी परीक्षण तथा टीका विकसित किया। वर्ष 2030 तक वैश्विक उन्मूलन लक्ष्य प्राप्ति के क्रम में उपचार और परीक्षण के विस्तारण में कमी के कारण होने वाले अंतर को चिन्हित किया गया है। हर वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2023 में इसकी थीम 'We are not waiting' को चुना है। इस थीम के माध्यम से 'हम इंतजार नहीं कर रहे हैं' WHD 2023 के लिए कार्रवाई का आह्वान है। यह अब वायरल हेपेटाइटिस के उन्मूलन प्रयासों में तेजी लाने और वास्तविक लोगों के लिए परीक्षण और उपचार की तत्काल आवश्यकता के लिए प्रेरित करता है। दुनिया भर में व्यक्ति और समुदाय अपने जीवन और अपने आस-पास की दुनिया में बदलाव ला रहे हैं। इन्हीं प्रयासों को और बेहतर करने और कामयाबी हासिल करने के लिए यह थीम रखी गई है।

ब्लसबर्ग खोजा था हेपेटाइटिस वायरस का उपचार

एक वक्त ऐसा था जब हेपेटाइटिस से पूरी दुनिया अनजान थी, लेकिन 28

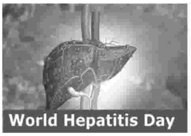

जुलाई 1925 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में जन्मे फिजीशियन डॉ. बारूक ब्लमबर्ग ने न केवल इस वायरस की खोज की, बल्कि टीके का भी निर्माण किया। बारूक कभी मैथमेटिक्स की पढ़ाई करने की इच्छा रखते थे, लेकिन अपने पिता के कहने पर उन्होंने मेडिकल की राह को चुना। उनका यह फैसला न केवल उनके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए लाभदायक रहा। डॉ. ब्लमबर्ग और उनके साथी ने हेपेटाइटिस-बी वायरस की खोज 1967 में कर ली थी, और इसे पहचानने के लिए किए जाने वाले टेस्ट और इसका पहला वैक्सीन उन्होंने 1969 में विकसित कर लिया। उनकी इस खोज से न केवल लिवर कैंसर की एक बड़ी वजह का पता चला बल्कि उनकी यह वैक्सीन कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाने वाला पहला वैक्सीन बनी। डॉ. ब्लमबर्ग को अपने इस महान योगदान के लिए 1976 में नोबल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। डॉ. ब्लमबर्ग ने अपने विज्ञान के कॅरियर को पूरी तरह हेपेटाइटिस बी से जुड़ी समस्याओं के समाधान और हेपेटाइटिस-बी फाउंडेशन के निर्माण में लगा दिया। वे नासा में सीनियर एडवाइजर के पद पर भी रहे। उन्होंने ताउम्र सक्रिय रहकर अपने जीवन को जिया। 5 अप्रैल 2011 को उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी।

अधिकांश मामलों में नहीं नज़र आते कोई लक्षण

हेपेटाइटिस को दो भागों में बांटा गया है। ब्लड के संक्रमण के कारण होने वाला हेपेटाइटिस बी, सी और डी है तथा पानी के संक्रमण की वजह से हेपेटाइटिस ए और ई होता है। अधिकतर मामलों में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। हेपेटाइटिस का संक्रमण किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन ले सकते हैं और अगर इससे पीड़ित हो गए हैं तो अधिकतर मामलों में इसका उपचार भी संभव है।

पीलिया को लेकर आज भी है समाज में अंधविश्वास

पीलिया को लेकर समाज में कई तरह के अंधविश्वास फैले हुए हैं। पीलिया का इलाज कराने वाले लोगों में तीन तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं, जो झाड़-फूंक भी करवाते हैं और डॉक्टर की दवाइयां भी लेते हैं। एक तरह के वे लोग होते हैं जो सिर्फ डॉक्टर के बताए अनुसार दवाइयों पर भरोसा करते हैं और झाड़-फूंक व टोने-टोटके में बिल्कुल विश्वास नहीं करते है और तीसरी तरह के लोग वे होते हैं, जो सिर्फ झाड़-फूंक में ही भरोसा करते हैं यह दो कारणों में हो सकता है या तो आर्थिक कमजोरी की वजह से या फिर अंधविश्वास या अज्ञानता की वजह से। तीसरी श्रेणी के लोग मुख्यत: खतरे की स्थिति में पहुंच जाते हैं और वो डॉक्टर के पास तब पहुंचते हैं जब मरीज की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होने लगती है और मरीज को बेहोशी और दौरे पड़ने लगते है। पीलिया के बारे में समाज में अज्ञानता को दूर करने व इसके बारे में वर्षों से चली आ रही भ्रांतियों को दूर करने की सख्त आवश्यकता है।

हेपेटाइटिस एक प्रकार का संक्रामक वायरस है जिसके कारण लिवर में सूजन आ जाती है। इससे पीलिया होने की आशंका बनी रहती है तथा धीरे-धीरे उम्र के अनुसार लिवर में फाइब्रोसिस और फिर सिरोसिस हो जाता है, इससे अंत में लिवर काम करना बंद कर देता है। हेपेटाइटिस की बीमारी पांच प्रकार की होती है ये हैं हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। हर प्रकार के हेपेटाइटिस लिए बचाव और उपचार अलग-अलग होते हैं।

हेपेटाइटिस ए का कारण

इस हेपेटाइटिस से व्यक्ति तब पीड़ित होते हैं, जब हेपेटाइटिस ए वायरस से संक्रमित पानी पीते या भोजन करते हैं। यह संक्रामक रोग है, इसलिए अगर ऐसे व्यक्ति के शारीरिक संपर्क में हैं जिसे हेपेटाइटिस ए है तो भी इस बीमारी के शिकार हो सकते हैं।

बचाव के लिए

हेपेटाइटिस ए से बचने के लिए इसका वैक्सीन लगवाएं। बच्चों को पहले जन्मदिन के कुछ दिन बाद ही यह वैक्सीन लगवा देना चाहिए। अगर ऐसे स्थान पर जा रहे हैं, जहां इसके संक्रमण का खतरा अधिक है, तो अपने खाने-पीने को लेकर अधिक सावधानी रखिए। प्रदूषित पानी, बर्फ, सब्जियां, फल और अधपका खाना खाने से यह बीमारी हो सकती है।

हेपेटाइटिस बी

यह रक्त जनित होता है तथा रक्त और रक्त उत्पादों के साथ संपर्क के माध्यम से फैलता है। रक्त, सीमेन, वजाइनल स्त्राव और शरीर का कोई भी स्त्राव जिसमें रक्त मिश्रित हो उससे हेपेटाइटिस-बी का संक्रमण हो सकता है। यह संक्रमित गर्भवती मां से उसके बच्चे के जन्म के समय में नवजात शिशु को हो सकता है। विश्व भर में 3 से 4 प्रतिशत व्यक्ति हेपेटाइटिस-बी से संक्रमित हैं तथा 1 से 2 मिलियन व्यक्तियों की हेपेटाइटिस-बी की वजह से हर वर्ष मृत्यु हो जाती है। हेपेटाइटिस-बी संक्रमित व्यक्ति के खून से दूसरे व्यक्ति में, यौन संबंध के समय एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में तथा एक मां से गर्भस्थ शिशु को हो सकता है।

कैसे करें बचाव

डॉ. नटवर परवाल, पीडियाट्रिशियन गेस्टोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट के अनुसार हेपेटाइटिस ए एवं ई से बचाव के लिए साफ सफाई पर ध्यान देना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। डॉक्टर के अनुसार शुद्ध खाना और साफ पानी इस बीमारी से बचाव के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। वहीं अगर हेपेटाइटिस बी एवं सी की बात करें तो संक्रमित व्यक्ति के साथ खाने-पीने अथवा बैठने उठने से यह बीमारियां नहीं फैलती हैं, बल्कि यह बीमारी किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर अथवा उसकी इस्तेमाल की हुई सिरिंज, टूथब्रश आदि चीजों के इस्तेमाल करने से फैलती है। इन बीमारियों से बचने के लिए यही सबसे जरूरी है कि रोगी के साथ कोई भेदभाव ना करते हुए शारीरिक दूरी बनाकर रखें एवं उसकी इस्तेमाल की हुई चीजों का इस्तेमाल ना करें।

सर्जना चतुर्वेदी

(लेखिका : समसामयिक विषय पर लेखन कार्य करती हैं)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

आयुष विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु व्याख्याता अमराजे निसवां (Lecturer Amraze Niswan) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक	ऑनलाइन आवेदन करने की	आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र
28/2023/13/07/2023	अंतिम तिथि 11.10.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)	जमा करने की अंतिम तिथि 20.10.2023

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता अमराजे निसवां (Lecturer Amraze Niswan) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र **दिनांक 12.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 11.10.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. व्याख्याता अमराजे निसवां (Lecturer Amraze Niswan) के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अत: अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट-IV का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य **दिनांक 15.09.2023 से 13.10.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)** तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹ 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अत: वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

E. पात्रता :-

1. शैक्षणिक अर्हता -

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यूनानी में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में यूनानी में स्नातकोत्तर अर्हता।
3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम - BUMS एवं MD (इलाज बित तदाबीर)

सह विषय :– मोअल्लाजात, तहफ्फुजी व समाजी तिब्ब

2. रोज़गार पंजीयन -

(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।

3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे संबंधित विभाग को अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोज़गार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

G. अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अत: समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अत: अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ एवं परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण** समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

परिशिष्ट-I

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1.	व्याख्याता अमराजे निसवां (Lecturer Amraze Niswan)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0
मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग के पत्र क्रमांक 1-18/2019/1-59 दिनांक 25.04.2023 के अनुसार व्याख्याता अमराजे निसवां (Lecturer Amraze Niswan) का पुनरीक्षित पद विवरण निम्नानुसार रखा गया है -																
मुख्य भाग (87%)		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0
प्रावधिक भाग (13%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

दो पद का विवरण

01	पद का नाम	:	व्याख्याता अमराजे निसवां (Lecturer Amraze Niswan)
	विभाग का नाम	:	आयुष विभाग
	श्रेणी	:	राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	56100-177500
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	अध्यापन कार्य एवं चिकित्सालयीन कार्य।

तीन शैक्षणिक अर्हता : अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यूनानी में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में यूनानी में स्नातकोत्तर अर्हता।
3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम : BUMS एवं MD (इलाज बित तदाबीर)

सह विषय : मोअल्लाजात, तहफ्फुजी व समाजी तिब्ब

विशेष :

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 11.10.2023 तक** अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

(4) जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं है वे अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

चार मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निर्रहित नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: (क) आयु सीमा : 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

(ख) आयु सीमा में छूट : मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अत: सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात आयु संगणना तिथि 01.01.2024

आठ अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष

नौ चयन प्रक्रिया :- चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु निम्नानुसार संख्या में तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों -

वर्ग/प्रवर्गवार पदों की संख्या अनारक्षित, अनु. जनजाति, अनु. जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्ल्यू.एस. एवं महिलाओं/दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु पृथक-पृथक विज्ञापित पद संख्या	साक्षात्कार के लिए अर्हकारी परीक्षाओं की मेरिट सूची अनुसार बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
एक पद के लिए	12 उम्मीदवारों तक
2 और 3 पदों के लिए	24 उम्मीदवारों तक
4 से 6 पदों के लिए	36 उम्मीदवारों तक
7 से 9 पदों के लिए	48 उम्मीदवारों तक
10 तथा उससे अधिक पदों के लिए	5 गुना उम्मीदवारों तक

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप :-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट IV** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण** समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट-II**

(ii) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश **परिशिष्ट-III**

(iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-IV**

सचिव

परिशिष्ट-II

आयु सीमा में छूट

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

तथा

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

1. भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।
2. भूतपूर्व सैनिकों हेतु देय आयु-सीमा की छूट तथा आरक्षण केवल उन अभ्यर्थियों को देय होगा जो आवेदन करने की तिथि को अथवा उसके पूर्व सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अभ्यर्थी को प्रमाणीकरण हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह

प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :

(1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों मे से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट : (01) उपरोक्त परिशिष्ट – ''एक'' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अ.पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट-।।।

अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. किसी भी पद हेतु विज्ञापित विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य हैं, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख साक्षात्कार पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होंगे। यदि अभिलेखों की जांच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अर्हता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीदवारी स्वत: निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा।
2. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों के पास ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
4. अत: आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जांच करने के उपरांत ही ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियां पूर्ण न हों तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।
5. म.प्र. के मूल निवासी ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों को ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि के वित्तीय वर्ष का ही मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, उसके पूर्व एवं पश्चात के वित्तीय वर्ष के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसी स्थिति में आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी और इस संबंध में आवेदक द्वारा यदि ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र के अभाव में, अनारक्षित श्रेणी में मान्य किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें मान्य नहीं किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाएगा।
6. यदि आवेदक म.प्र. शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस तक की तिथि में निरन्तर सेवा में है तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को, शासकीय सेवक के आयु-सीमा का लाभ प्रदाय किया जाएगा।
7. यदि आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है किन्तु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को शासकीय सेवक को देय आयु सीमा की छूट का लाभ देय नहीं होगा। अधिक आयु होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
8. यदि म.प्र. के मूल निवासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है किन्तु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं या होने वाले हों ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्रदाय नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे।
9. **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :** दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में आवेदक की दिव्यांगता श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है।
10. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरुष/महिला, दिव्यांगजन की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
11. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अत: आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।
12. मध्यप्रदेश के मूलनिवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वांछित दस्तावेज आदि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साक्षात्कार दिवस को किसी कारणवश आवेदक यदि मध्यप्रदेश रोज़गार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में आवेदक का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अर्हता से संबंधित अभिलेखों की मान्यता तिथि के संदर्भ में आवश्यक निर्देश

क्र.	अभिलेख	निर्देश
1.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास स्नातकोत्तर उपाधि होना आवश्यक है।
2.	चिकित्सा परिषद् में स्थाई पंजीयन	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् में स्थाई पंजीयन होना आवश्यक है। अन्य प्रदेशों के पंजीकृत अभ्यर्थियों को चयन होने पर मध्यप्रदेश के चिकित्सा परिषद् में पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
3.	रोज़गार पंजीयन	(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
4.	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास/स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
5.	जाति प्रमाण-पत्र	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र में उनके क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणीकरण भी अनिवार्य है।
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। उक्त तिथि के बाद जारी अथवा अथवा पूर्व के वित्तीय वर्ष/वर्षों हेतु जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।
7.	भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो एवं उसके पास विहित प्राधिकारी द्वारा जारी डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
8.	शासकीय सेवक होने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र/विभाग को सूचना अभिलेख	जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।
9.	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल-निवासी दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारित करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

टीप -

1. अभ्यर्थी की पात्रता श्रेणी के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् ऑनलाइन फार्म की छायाप्रति के साथ उपरोक्तानुसार उल्लेखित अभिलेखों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 20.10.2023 (शाम 6:00 बजे) तक** आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगी। डाक विभाग या अन्य किसी प्रायवेट एजेंसी के माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए अभिलेख आयोग द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20.10.2023 (शाम 6:00 बजे) के पश्चात् प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी, उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाकर निरस्त किया जाएगा।
2. साक्षात्कार दिवस पर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को भेजे गए शैक्षणिक दस्तावेजों की छायाप्रति का आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेखों से मिलान का कार्य किया जाएगा, अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन बिना विचार किए निरस्त किया जाएगा।

परिशिष्ट-IV

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. **ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-**

(क) उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे

1. www.mponline.gov.in

2. mppsc.mp.gov.in

(ख) अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(ग) अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिंचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टत: दिख रही हों।
4. टोपी, हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सिर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिंचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

(घ) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

(ङ) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुन: अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

(च) आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

(छ) **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 15.09.2023 से 13.10.2023 (दोपहर 12:00 बजे)** तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।** अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

(ज) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2. **परीक्षा हेतु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
₹ 250/-	₹ 500/-

टीप : आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3. **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि**

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 11.10.2023** है। अंतिम तिथि को **दोपहर 12:00 बजे** के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :- दूरभाष :- हेल्पलाइन – 0755-6720220 तथा 0755-6720221

4. **अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-**

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षो/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ....आयोग के **मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग** हेतु व्याख्याता अमराजे निसवां (Lecturer Amraze Niswan) क्रमांक 28/2023 दिनांक 14/07/2023 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ

1. मैं..पुत्र/पुत्री श्री..............................निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/.............................जिला.............................मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ....जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

दिनांक :-........................ हस्ताक्षर........................

नाम........................

रोल नंबर........................

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत है, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश :-**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

(क) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

(ख) प्रतिरूपण किया हो; या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

(घ) कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

(ङ) ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या

(शेष अगले पृष्ठ पर)

कार्यालय संचालक पिछड़ा वर्ग, राज्य स्तरीय रोज़गार एवं प्रशिक्षण केन्द्र
पुलिस रेडियो मुख्यालय के सामने भदभदा रोड, भोपाल

प्रदेश के पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए नि:शुल्क कोचिंग हेतु विज्ञापन

म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित आगामी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले प्रदेश के पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवारों से राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 का परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप रोज़गार एवं निर्माण समाचार पत्र के 24 जुलाई 2023 के अंक एवं विभाग की वेबसाइट **www.bcwelfare.mp.nic.in** पर उपलब्ध हैं।

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 का नि:शुल्क प्रशिक्षण 21 अगस्त 2023 से प्रारंभ होकर आगामी 02 माह 15 दिवस की अवधि अथवा परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि जो भी प्रथम पूर्ण हो तक रहेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण 50 प्रशिक्षणार्थियों को प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर स्थान रिक्त रहने तक प्रवेश दिया जावेगा।

भोपाल से बाहर के पंजीकृत प्रशिक्षणार्थियों को पंजीयन उपरांत प्रशिक्षण अवधि के लिए नि:शुल्क छात्रावास सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में चयनित प्रशिक्षणार्थी का सतत उपस्थित होना अनिवार्य है।

प्रशिक्षण हेतु प्रवेश की शर्तें :–

1. आवेदक म.प्र. का मूल निवासी हो व म.प्र. शासन द्वारा घोषित पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य हो।
2. आवेदक के अभिभावक/पालक एवं स्वयं की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय क्रीमीलेयर की सीमा (रुपये 8.00 लाख) से अधिक न हो।
3. आवेदक म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 में सफल हो एवं उसे आगामी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।
4. पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र केवल अधिकृत राजस्व अधिकारी के ही मान्य किये जावेंगे।
5. अल्पसंख्यक वर्ग हेतु अल्पसंख्यक वर्ग में सम्मिलित होने संबंधी स्वयं का घोषणा पत्र मान्य होगा।
6. महिला आवेदकों नियमानुसार महिला आरक्षण की पात्रता होगी।
7. आवेदक को निर्धारित प्रारूप में राजस्व अधिकारी द्वारा जारी मान्य आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. पंजीयन के समय कॉशनमनी रुपये 500/- जमा करना अनिवार्य होगा जो प्रशिक्षण समाप्ति पर रसीद जमा करने पर वापिस कर दी जावेगी।
9. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ अपने बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. अपूर्ण एवं अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
11. आवेदकों को प्रशिक्षण केन्द्र तक आने-जाने का किराया एवं अन्य व्यय स्वयं वहन करने होंगे।

आवेदन पत्र कार्यालय संचालक, पिछड़ा वर्ग, राज्यस्तरीय रोज़गार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पुलिस रेडियो मुख्यालय के सामने, भदभदा रोड, भोपाल-462003 के पते पर अथवा कार्यालय की **ई-मेल आई.डी. - dir.setc@gmail.com** पर भी भेज सकते हैं। पात्र आवेदकों का अभिलेखों के सत्यापन उपरांत प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत पंजीकरण किया जावेगा, पंजीकरण उपरांत बाहरी अभ्यर्थियों को नि:शुल्क छात्रावास सुविधा उपलब्ध करा दी जावेगी।

संचालक
राज्यस्तरीय रोज. एवं प्रशि. केन्द्र
(पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.क.), भोपाल, दूरभाष - (0755) 2763284

कार्यालय संचालक, राज्यस्तरीय रोज़गार एवं प्रशिक्षण केंद्र
(पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण)
पुलिस रेडियो मुख्यालय के सामने, भदभदा रोड, भोपाल
प्रशिक्षण सत्र 2023-24
आवेदन पत्र का प्रारूप
प्रशिक्षण का नाम :– राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. निवास का वर्तमान पता ....
4. स्थाई पता (पिन कोड सहित) ....
5. दूरभाष/मोबाइल क्र. ....
6. जन्मतिथि ....
7. मूल निवास स्थान ....
8. पिछड़ा वर्ग जाति/उपजाति अथवा अल्पसंख्यक वर्गजाति/उपजाति ....
9. पारिवारिक वार्षिक आय (समस्त स्रोतों से) ....
10. आवेदक के बैंक खाते का विवरण ....
11. प्रारंभिक परीक्षा का अनुक्रमांक ....
12. **शैक्षणिक योग्यताएं -**

क्र.	शैक्षणिक स्तर	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/वि.वि.	श्रेणी	प्रतिशत	विशेष
1.	हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी (जन्मतिथि हेतु)					
2.	स्नातक					

नोट - क्रमांक 06 से 12 के समर्थन में अभिलेखों की स्वप्रमाणित सत्यप्रतियां संलग्न करें।

स्थान :– **आवेदक के हस्ताक्षर**
दिनांक :– **पूरा नाम** ....

घोषणा-पत्र

मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि :–
1. मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी तथ्यों पर आधारित एवं सत्य है।
2. मेरे पर न्यायालय में किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण नहीं चल रहा है।
3. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करने पर मेरा प्रवेश तत्काल निरस्त किया जा सकेगा।

स्थान :– **आवेदक के हस्ताक्षर**
दिनांक :– **पूरा नाम** ....

जी-16819/48823/2023

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इंदौर संभाग
माधवराव सप्रे मुख्य मार्ग 03, भोपाल मध्यप्रदेश

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 03/इं.सं./2023-24/243 **भोपाल, दिनांक : 07.07.2023**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश की ओर से निम्लिखित कार्य संपादित करने के लिये निविदा पोर्टल ऑनलाइन (निविदा ई-टेण्डरिंग के माध्यम) **(http://mptender.gov.in)** Department Directorate of Health Services से स.क्र. 01 पर 03 लिफाफा पद्धति से प्रोजेक्ट डारेक्टर पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग भोपाल द्वारा भवन एवं विद्युतीकरण एस.ओ.आर. 15.09.2022 से जारी होने तक किये गये संशोधनों सहित (भारत शासन द्वारा प्रावधानित जी.एस.टी. की शर्तें लागू होंगी) प्रपत्र ''अ'' फार्म में परसेंटेज बेसिस पर उपयुक्त श्रेणी में पंजीबद्ध ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

निविदा आमंत्रण सूचना 03/2023-24 दिनांक 06.07.2023

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. जिला खण्डवा विकासखण्ड पंधाना एवं छेगांवमाखन में (पंधाना एवं छेगांवमाखन) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों एवं विकासखण्ड खण्डवा में जावर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण/उन्नयन कार्य।

टेण्डर नं.	ठेके की अनु. राशि रुपये (लाख में)	अमानत राशि रुपये	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाऋतु सहित)	ठेकेदार की श्रेणी
2023_DHS_289643	146.51	146510/-	12500/-	12 माह	लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार

1. कार्य से संबंधित एन.आई.टी. वेबसाइट **(http://mptenders.gov.in)** पर देखी जा सकती है।
2. निविदा प्रपत्र ऑनलाइन दिनांक 10.07.2023 प्रातः 10.30 बजे से **दिनांक 24.07.2023 सायं 17.30 बजे तक** क्रय किये जा सकते हैं।
3. एन.आई.टी. में कोई भी संशोधन होने की स्थिति में वेबसाइट **(http://mptenders.gov.in)** पर प्रकाशित किया जावेगा एवं समाचार पत्रों में नहीं।
4. जो निविदाकार लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत नहीं है, ऐसे निविदाकार लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हो वे भी निविदा में भाग लेने की पात्रता रखते हैं लेकिन अनुबंध निष्पादन के पूर्व लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

कार्यपालन यंत्री
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इंदौर संभाग
जी-16666/48819/2023 **माधवराव सप्रे मुख्य मार्ग 03, भोपाल**

(पिछले पृष्ठ का शेष)

(च) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
(छ) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
(ज) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या
(झ) उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
(ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा
और/ या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।
(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं :-** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश (परीक्षा आयोजन की स्थिति में) :-**

(क) परीक्षा का परिणाम केवल **"रोज़गार और निर्माण"** समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।
(ख) परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।
(ग) साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।
(ख) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।
(ग) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-
1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो।
(घ) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**
(ङ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।
(च) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

जी-16635/48813/2023

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

आयुष विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु व्याख्याता संहिता सिद्धांत (LECTURER SAMHITA SIDDHANT) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक	ऑनलाइन आवेदन करने की	आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र
25/2023/10/07/2023	अंतिम तिथि 17.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)	जमा करने की अंतिम तिथि 26.09.2023

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता संहिता सिद्धांत (LECTURER SAMHITA SIDDHANT) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र **दिनांक 18.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 17.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. व्याख्याता संहिता सिद्धांत (LECTURER SAMHITA SIDDHANT) के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अत: अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट-IV का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य **दिनांक 28.08.2023 से 19.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)** तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹ 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अत: वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

E. पात्रता :-

1. शैक्षणिक अर्हता -

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता अथवा एम.एससी. आयुर जीवविज्ञान।
3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम - BAMS एवं MD (संहिता/आयुर्वेद संहिता/आयुर्वेद सिद्धांत) अथवा BAMS एवं MSc AyurBiology

2. रोज़गार पंजीयन -

(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।

3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे संबंधित विभाग को अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोज़गार पंजीयन, आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

G. अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अत: समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अत: अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं एवं परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण** समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

परिशिष्ट-I

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1.	व्याख्याता संहिता सिद्धांत (LECTURER SAMHITA SIDDHANT)	2	2	4	1	0	9	1	1	1	0	0	1	0	0	0
मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग के पत्र क्रमांक 1-18/2019/1-59 दिनांक 25.04.2023 के अनुसार व्याख्याता संहिता सिद्धांत (LECTURER SAMHITA SIDDHANT) का पुनरीक्षित पद विवरण निम्नानुसार रखा गया है -																
	मुख्य भाग (87%)	2	2	4	1	0	9	1	1	1	0	0	1	0	0	0
	प्राविधिक भाग (13%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

दो **पद का विवरण**

01	**पद का नाम**	:	व्याख्याता संहिता सिद्धांत (LECTURER SAMHITA SIDDHANT)
	विभाग का नाम	:	आयुष विभाग
	श्रेणी	:	राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	56100-177500
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	अध्यापन कार्य एवं चिकित्सालयीन कार्य।

तीन **शैक्षणिक अर्हता :** **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता अथवा एम.एससी. आयुर जीवविज्ञान।
3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम : BAMS एवं MD (संहिता सिद्धांत/आयुर्वेद संहिता/आयुर्वेद सिद्धांत) अथवा BAMS एवं MSc AyurBiology

विशेष :

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 17.09.2023 तक** अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

(4) जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं वे अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

चार **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: **(क) आयु सीमा :** 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

(ख) आयु सीमा में छूट : मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अत: सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात **आयु संगणना तिथि** 01.01.2024

आठ **अधिवार्षिकी आयु :-** 62 वर्ष

नौ **चयन प्रक्रिया :-** चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु निम्नानुसार संख्या में तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों -

वर्ग/प्रवर्गवार पदों की संख्या अनारक्षित, अनु. जनजाति, अनु. जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्ल्यू.एस. एवं महिलाओं/दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु पृथक-पृथक विज्ञापित पद संख्या	साक्षात्कार के लिए अर्हकारी परीक्षाओं की मेरिट सूची अनुसार बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
एक पद के लिए	12 उम्मीदवारों तक
2 और 3 पदों के लिए	24 उम्मीदवारों तक
4 से 6 पदों के लिए	36 उम्मीदवारों तक
7 से 9 पदों के लिए	48 उम्मीदवारों तक
10 तथा उससे अधिक पदों के लिए	5 गुना उम्मीदवारों तक

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप :-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट IV** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण** समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट-II**

(ii) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश **परिशिष्ट-III**

(iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-IV**

सचिव

परिशिष्ट-II

आयु सीमा में छूट

(एक) **उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

तथा

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

1. भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।
2. भूतपूर्व सैनिकों हेतु देय आयु-सीमा की छूट तथा आरक्षण केवल उन अभ्यर्थियों को देय होगा जो आवेदन करने की तिथि को अथवा उसके पूर्व सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अभ्यर्थी को प्रमाणीकरण हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(दो) **प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट**

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह

प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :

(1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट : (01) उपरोक्त परिशिष्ट – ''एक'' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अ.पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट-III

अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. किसी भी पद हेतु विज्ञापित विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख साक्षात्कार पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होंगे। यदि अभिलेखों की जांच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अर्हता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा।
2. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों के पास ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
4. अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जांच करने के उपरांत ही ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियां पूर्ण न हों तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।
5. म.प्र. के मूल निवासी ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों को ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि के वित्तीय वर्ष का ही मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं, उसके पूर्व एवं पश्चात के वित्तीय वर्ष के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसी स्थिति में आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी और इस संबंध में आवेदक द्वारा यदि ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र के अभाव में, अनारक्षित श्रेणी में मान्य किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें मान्य नहीं किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाएगा।
6. यदि आवेदक म.प्र. शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस तक की तिथि में निरन्तर सेवा में है तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को, शासकीय सेवक के आयु-सीमा का लाभ प्रदाय किया जाएगा।
7. यदि आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है किन्तु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को शासकीय सेवक को देय आयु सीमा की छूट का लाभ देय नहीं होगा। अधिक आयु होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
8. यदि म.प्र. के मूल निवासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है किन्तु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं या होने वाले हों ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्रदाय नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे।
9. **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :** दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में आवेदक की दिव्यांगता श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है।
10. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरुष/महिला, दिव्यांगजन की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
11. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटिसुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।
12. मध्यप्रदेश के मूलनिवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वांछित दस्तावेज आदि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साक्षात्कार दिवस को किसी कारणवश आवेदक यदि मध्यप्रदेश रोज़गार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में आवेदक का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

अर्हता से संबंधित अभिलेखों की मान्यता तिथि के संदर्भ में आवश्यक निर्देश

क्र.	अभिलेख	निर्देश
1.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास स्नातकोत्तर उपाधि होना आवश्यक है।
2.	चिकित्सा परिषद् में स्थाई पंजीयन	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् में स्थाई पंजीयन होना आवश्यक है। अन्य प्रदेशों के पंजीकृत अभ्यर्थियों को चयन होने पर मध्यप्रदेश की चिकित्सा परिषद् में पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
3.	रोज़गार पंजीयन	(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
4.	मध्यप्रदेश के मूल निवास/ स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास/स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
5.	जाति प्रमाण-पत्र	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र में उनके क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणीकरण भी अनिवार्य है।
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। उक्त तिथि के बाद जारी अथवा अथवा पूर्व के वित्तीय वर्ष/वर्षों हेतु जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।
7.	भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो एवं उसके पास विहित प्राधिकारी द्वारा जारी डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
8.	शासकीय सेवक होने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र/ विभाग को सूचना अभिलेख	जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।
9.	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल-निवासी दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारित करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

टीप -

1. अभ्यर्थी की पात्रता श्रेणी के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् ऑनलाइन फार्म की छायाप्रति के साथ उपरोक्तानुसार उल्लेखित अभिलेखों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 26.09.2023 (शाम 6:00 बजे) तक** आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगी। डाक विभाग या अन्य किसी प्रायवेट एजेंसी के माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए अभिलेख आयोग द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26.09.2023 (शाम 6:00 बजे) के पश्चात् प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी, उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाकर निरस्त किया जाएगा।
2. साक्षात्कार दिवस पर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को भेजे गए शैक्षणिक दस्तावेजों की छायाप्रति का आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेखों से मिलान का कार्य किया जाएगा, अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन बिना विचार किए निरस्त किया जाएगा।

परिशिष्ट-IV

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. **ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-**

(क) उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे

1. www.mponline.gov.in

2. mppsc.mp.gov.in

(ख) अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(ग) अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिंचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टत: दिख रही हों।
4. टोपी, हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सिर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिंचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

(घ) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

(ङ) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुन: अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

(च) आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

(छ) **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 20.08.2023 से 19.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे)** तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।** अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

(ज) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2. **परीक्षा हेतु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
₹ 250/-	₹ 500/-

टीप : आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3. **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि**

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 17.09.2023** है। अंतिम तिथि को **दोपहर 12:00 बजे** के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :- दूरभाष :- हेल्पलाइन – 0755-6720220 तथा 0755-6720221

4. **अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-**

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ....आयोग के **मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग** हेतु व्याख्याता संहिता सिद्धांत (LECTURER SAMHITA SIDDHANT) क्रमांक 25/2023 दिनांक 10/07/2023 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ

1. मैं...पुत्र/पुत्री श्री..........................निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/....................जिला..........................मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ....जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

दिनांक :-......................

हस्ताक्षर.........................

नाम.............................

रोल नंबर.........................

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता

(शेष अगले पृष्ठ पर)

कार्यालय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास, इंदौर संभाग, इंदौर
29/3 ओल्ड पलासिया इंदौर (मध्यप्रदेश)

क्रमांक/1020/मबावि/आईसीडीएस/2023 **इंदौर, दिनांक : 13.07.2023**

विज्ञप्ति

मानदेय आधारित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी सहायिकाओं/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

इंदौर संभाग के जिलों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पूर्णतः अस्थाई (मानसेवी) एवं मानदेय आधारित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पात्र महिलाओं के जिलेवार वर्तमान में रिक्त एवं आगामी 6 माह में रिक्त होने वाले निम्नानुसार पदों के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

स. क्र.	जिला	वर्तमान में रिक्त पद			आगामी 6 माह में रिक्त होने वाले पद			जिला कार्यालय का सम्पर्क नंबर
		कार्यकर्ताओं के रिक्त पद	सहायिकाओं के रिक्त पद	मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पद	कार्यकर्ताओं के रिक्त पद	सहायिकाओं के रिक्त पद	मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पद	
1.	इंदौर	04	19	0	06	05	0	0731-2366058
2.	धार	16	39	0	14	29	01	07292-235066
3.	झाबुआ	08	09	03	02	05	03	07392-244397
4.	अलीराजपुर	15	22	07	03	07	0	07394-233131
5.	खरगोन	12	43	01	08	09	0	07282-232596
6.	खण्डवा	07	13	0	03	17	0	0733-2223794
7.	बड़वानी	12	15	0	05	02	0	07290-224445
8.	बुरहानपुर	07	12	01	01	0	0	07325-241495
	योग	81	172	12	42	74	4	

- महिला आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व ग्राम, शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिये जिस कैलेण्डर वर्ष में चयन किया जाना है उस कैलेण्डर वर्ष में 1 जनवरी को आवेदिका की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं/11वीं बोर्ड एवं आदिवासी क्षेत्रों में 10वीं/12वीं योग्यता होना आवश्यक है। शेष शासन निर्देशानुसार योग्यता रहेगी।
- आंगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शेष शासन निर्देशानुसार योग्यता रहेगी।
- संबंधित महिला आवेदक अपने पूर्णतः भरे आवेदन-पत्र मय आवश्यक सहपत्रों (जैसे - मार्कशीट, जाति, मूल-निवासी, विधवा/परित्यक्ता/बीपीएल कार्ड आदि) सहित जिले की संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय में **दिनांक 14.08.2023 तक** कार्यालयीन समय में निर्धारित प्रारूप में जमा कर प्राप्ति अभिस्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं।
- जिलेवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिका तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक नियम/निर्देश आदि की जानकारी विभागीय वेबसाइट/ऑनलाइन पोर्टल जिला कार्यालय एवं संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में उपलब्ध है।
- आंगनवाड़ी केन्द्रवार, ग्राम/वार्ड में वास्तविक रिक्त पद की जानकारी एवं नियम निर्देश, शर्तें, आवेदन का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- रिक्त पदों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय के दूरभाष नम्बर (जो विज्ञप्ति में प्रकाशित है) पर सम्पर्क किया जा सकता है।
- जिलेवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि होना संभव है। परियोजना अंतर्गत अंतिम रूप से वास्तविक रिक्त पदों की संख्या एवं स्थान की जानकारी संबंधित परियोजना कार्यालय द्वारा ही सूचित की जायेगी।

जी-16673/48820/2023 **संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास**

(पिछले पृष्ठ का शेष)

को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश :-**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

(क) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

(ख) प्रतिरूपण किया हो; या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

(घ) कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

(ङ) ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या

(च) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या

(छ) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या

(ज) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या

(झ) उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या

(ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा
और/या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं :-** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश (परीक्षा आयोजन की स्थिति में) :-**

(क) परीक्षा का परिणाम केवल **"रोज़गार और निर्माण"** समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

(ख) परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबंधित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

(ग) साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ख) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(ग) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो।

(घ) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(ङ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(च) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

जी-16644/48814/2023

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

आयुष विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु व्याख्याता मुआलेजात (Lecturer Moalejat) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 29/2023/13/07/2023

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11.10.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)

आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20.10.2023

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता मुआलेजात (Lecturer Moalejat) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र **दिनांक 12.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 11.10.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. व्याख्याता मुआलेजात (Lecturer Moalejat) के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अत: अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट-IV का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य **दिनांक 15.09.2023 से 13.10.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)** तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹ 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अत: वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।

E. पात्रता :-

1. शैक्षणिक अर्हता -

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यूनानी में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में यूनानी में स्नातकोत्तर अर्हता।
3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम - BUMS एवं MD (मुआलेजात)

2. रोज़गार पंजीयन -

(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।

3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे संबंधित विभाग को अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोज़गार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

G. अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अत: समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अत: अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ एवं परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण** समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

परिशिष्ट-I

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1.	व्याख्याता मुआलेजात (Lecturer Moalejat)	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग के पत्र क्रमांक 1-18/2019/1-59 दिनांक 25.04.2023 के अनुसार व्याख्याता मुआलेजात (Lecturer Moalejat) का पुनरीक्षित पद विवरण निम्नानुसार रखा गया है -																
	मुख्य भाग (87%)	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	प्रावधिक भाग (13%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

दो पद का विवरण

01	पद का नाम	:	व्याख्याता मुआलेजात (Lecturer Moalejat)
	विभाग का नाम	:	आयुष विभाग
	श्रेणी	:	राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	56100-177500
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	अध्यापन कार्य एवं चिकित्सालयीन कार्य।

तीन **शैक्षणिक अर्हता : अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यूनानी में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में यूनानी में स्नातकोत्तर अर्हता।
3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम : BUMS एवं MD (मुआलेजात)

विशेष :

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 11.10.2023 तक** अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

चार **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: **(क) आयु सीमा:** 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

(ख) आयु सीमा में छूट: मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अत: सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात **आयु संगणना तिथि** 01.01.2024

आठ **अधिवार्षिकी आयु :-** 62 वर्ष

नौ **चयन प्रक्रिया :-** चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु निम्नानुसार संख्या में तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों -

वर्ग/प्रवर्गवार पदों की संख्या अनारक्षित, अनु. जनजाति, अनु. जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्ल्यू.एस. एवं महिलाओं/दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु पृथक-पृथक विज्ञापित पद संख्या	साक्षात्कार के लिए अर्हकारी परीक्षाओं की मेरिट सूची अनुसार बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
एक पद के लिए	12 उम्मीदवारों तक
2 और 3 पदों के लिए	24 उम्मीदवारों तक
4 से 6 पदों के लिए	36 उम्मीदवारों तक
7 से 9 पदों के लिए	48 उम्मीदवारों तक
10 तथा उससे अधिक पदों के लिए	5 गुना उम्मीदवारों तक

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप :-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट IV** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण** समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट-II**

(ii) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश **परिशिष्ट-III**

(iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-IV**

सचिव

परिशिष्ट-II
आयु सीमा में छूट

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

तथा

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

1. भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।
2. भूतपूर्व सैनिकों हेतु देय आयु-सीमा की छूट तथा आरक्षण केवल उन अभ्यर्थियों को देय होगा जो आवेदन करने की तिथि को अथवा उसके पूर्व सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अभ्यर्थी को प्रमाणीकरण हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :

(1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जनजाति को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट : (01) उपरोक्त परिशिष्ट – ''एक'' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

परिशिष्ट-III
अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. किसी भी पद हेतु विज्ञापित विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य हैं, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख साक्षात्कार पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाने आवश्यक होंगे। यदि अभिलेखों की जांच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अर्हता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीदवारी स्वत: निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार्य योग्य नहीं होगा।

2. आवेदकों के पास ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।

3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

4. अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जांच करने के उपरांत ही ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियां पूर्ण न हों तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।

5. यदि आवेदक म.प्र. शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस तक की तिथि में निरन्तर सेवा में है तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को, शासकीय सेवक के आयु-सीमा का लाभ प्रदाय किया जाएगा।

6. यदि आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है किन्तु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को शासकीय सेवक को देय आयु सीमा की छूट का लाभ देय नहीं होगा। अधिक आयु होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

7. यदि म.प्र. के मूल निवासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है किन्तु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं या होने वाले हों ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्रदाय नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे।

8. **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :** दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को संबंधित छूट का लाभ देय होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में आवेदक की दिव्यांगता श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है।

9. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरुष/महिला, दिव्यांगजन की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

10. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।

11. मध्यप्रदेश के मूलनिवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वांछित दस्तावेज आदि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साक्षात्कार दिवस को किसी कारणवश आवेदक यदि मध्यप्रदेश रोज़गार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में आवेदक का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

अर्हता से संबंधित अभिलेखों की मान्यता तिथि के संदर्भ में आवश्यक निर्देश

क्र.	अभिलेख	निर्देश
1.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास स्नातकोत्तर उपाधि होना आवश्यक है।
2.	चिकित्सा परिषद् में स्थाई पंजीयन	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् में स्थाई पंजीयन होना आवश्यक है। अन्य प्रदेशों के पंजीकृत अभ्यर्थियों को चयन होने पर मध्यप्रदेश के चिकित्सा परिषद् में पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
3.	रोज़गार पंजीयन	(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
4.	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास/स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
5.	जाति प्रमाण-पत्र	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
6.	भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो एवं उसके पास विहित प्राधिकारी द्वारा जारी डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
7.	शासकीय सेवक होने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र/विभाग को सूचना अभिलेख	जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।
9.	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल-निवासी दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारित करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को संबंधित छूट का लाभ देय होगा।

टीप -

1. अभ्यर्थी की पात्रता श्रेणी के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् ऑनलाइन फार्म की छायाप्रति के साथ उपरोक्तानुसार उल्लेखित अभिलेखों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 20.10.2023 (शाम 6:00 बजे) तक** आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा। डाक विभाग या अन्य किसी प्रायवेट एजेंसी के माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए अभिलेख आयोग द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20.10.2023 (शाम 6:00 बजे) के पश्चात् प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी, उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाकर निरस्त किया जाएगा।
2. साक्षात्कार दिवस पर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को भेजे गए शैक्षणिक दस्तावेजों की छायाप्रति का आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेखों से मिलान का कार्य किया जाएगा, अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन बिना विचार किए निरस्त किया जाएगा।

परिशिष्ट-IV

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. **ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-**

(क) उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे

1. www.mponline.gov.in

2. mppsc.mp.gov.in

(ख) अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(ग) अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

1. स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिंचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टत: दिख रही हों।
4. टोपी, हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सिर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिंचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

(घ) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

(ङ) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुन: अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

(च) आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

(छ) **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 15.09.2023 से 13.10.2023 (दोपहर 12:00 बजे)** तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।** आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है।

(ज) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2. परीक्षा हेतु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु
₹ 250/-

टीप : आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 11.10.2023** है। अंतिम तिथि को **दोपहर 12:00 बजे** के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :- दूरभाष :- हेल्पलाइन – 0755-6720220 तथा 0755-6720221

4. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जनजाति का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को संबंधित छूट का लाभ देय होगा।

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6. अनुशासनिक निर्देश :-

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

(क) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

(ख) प्रतिरूपण किया हो; या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

(घ) कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

(ङ) ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या

(च) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या

(छ) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या

(ज) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या

(झ) उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या

(ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा

मध्यप्रदेश सरकार, कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर

E-mail :- cepwdcentral@mp.nic.in, Phone No. : 0761-2621541, Fax No. : 0761-2678521

निविदा आमंत्रण सूचना

एन.आई.टी. क्र.-13/CRIF/CE/PWD/Jabalpur Zone/2023-24 **जबलपुर, दिनांक : 14.07.2023**

मध्यप्रदेश सरकार लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़क और पुलों के विकास में लगी हुई है, और इस प्रयास के तहत, ईपीसी अनुबंध के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य में निम्नलिखित सड़क का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर, म.प्र. निम्नलिखित कार्य के लिए पात्र ठेकेदारों से निविदा आमंत्रित कर रहा है :–

क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग कटनी के अंतर्गत ई.पी.सी. मोड के तहत बड़गांव, गोदाना, करहैया, मुहास लालपुर और पाली लंबाई 37.80 कि.मी. का उन्नयन कार्य।

निविदा क्र.	सड़क/पुल	अनुमानित लागत (लाख में)	बिड सिक्योरिटी राशि	समयावधि	रख-रखाव अवधि	रिमार्क
2023_PWDRB_291424_4	सड़क कार्य	6418.94 (Without GST)	64,19,000/-	18 माह वर्षाऋतु सहित	कार्य पूर्ण करने की दिनांक से 05 वर्ष तक	वास्तविक किए गए कार्य पर 18% GST राशि अलग से देय होगी।

निविदा का विस्तृत विवरण (टेण्डर डॉक्यूमेंट) तथा अपलोड म.प्र. शासन की निविदा पोर्टल **http://mptenders.gov.in** पर दिनांक 19.07.2023 को समय सुबह 10.30 AM से **दिनांक 01.09.2023 तक** शाम 17.30PM तक देखा/डाउनलोड किया जा सकता है। निविदाकारों को अपना वित्तीय ऑफर और तकनीकी बिड **https://mptenders.gov.in** पर दिनांक 01.09.2023 (05.30 PM) या उससे पहले जमा करनी होगी। ऑनलाइन प्राप्त ऑफर को दिनांक 04.09.2023 (11.00 AM) को खोला जाएगा।

मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर को एक या समस्त निविदाओं को बिना किसी कारण निरस्त करने का अधिकार होगा। किसी भी निविदा में संशोधन, यदि कोई होगा तो वह केवल उपरोक्त वेबसाइट पर डाला जायेगा, न कि समाचार पत्र में।

मुख्य अभियंता

जी-16815/48822/2023 **लो.नि.वि. जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर**

और/या

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं :-** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश (परीक्षा आयोजन की स्थिति में) :-

(क) परीक्षा का परिणाम केवल **"रोज़गार और निर्माण"** समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

(ख) परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

(ग) साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. यात्रा व्यय का भुगतान :-

(क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ख) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(ग) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो।

(घ) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(ङ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(च) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

जी-16611/48809/2023

क्रमांक 2715001/2014/ई.डी.पी./ई.-टेंडरिंग/406/1432

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल

फोन : 0755-2553402 फैक्स : 0755-2552406

ई-मेल:mpwrdetenders@gmail.com,edpcell.encwrd.bpl@mp.gov.in

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना क्रमांक-548/2715001/ई.डी.पी./2021-22/प्र.अ./ई-टेंडरिंग भोपाल, दिनांक : 10.07.2023

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर **दिनांक 28.07.2023 को** 17.30 बजे तक क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स. क्र.	निविदा क्रमांक	कार्य का नाम	जिला	राशि रु. लाख में
1.	2023_WRD _281796	बरियारपुर योजना की माइनर्स एवं वितरिकाओं का मरम्मत कार्य।	छतरपुर	9.76
2.	2023_WRD _285801	कुशलपुरा बांध हेतु कुशल व अकुशल श्रमिक का प्रदाय।	भोपाल	5.40
3.	2023_WRD _285805	के.सी.एस. दूधी बांध हेतु कुशल व अकुशल श्रमिक का प्रदाय।	भोपाल	5.40
4.	2023_WRD _285806	कलियासोत बांध भोपाल हेतु कुशल व अकुशल श्रमिक का प्रदाय।	भोपाल	5.40
5.	2023_WRD _285807	मोहनपुरा बांध, राजगढ़ हेतु कुशल व अकुशल श्रमिक का प्रदाय।	भोपाल	5.70
6.	2023_WRD _285808	मुडला बांध हेतु कुशल व अकुशल श्रमिक का प्रदाय।	भोपाल	3.62
7.	2023_WRD _285810	बांकपुरा बांध, हेतु अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने का कार्य।	भोपाल	3.62
8.	2023_WRD _285814	सापन एल.आई.एस. हेतु कुशल व अकुशल श्रमिक का प्रदाय	भोपाल	1.99
9.	2023_WRD _285815	रेहटी बांध, पर कुशल व अकुशल श्रमिक का प्रदाय।	भोपाल	2.85
10.	2023_WRD _285817	बघ्ररु बांध, हेतु कुशल व अकुशल श्रमिक का प्रदाय।	भोपाल	2.85
11.	2023_WRD _285819	पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में स्थित झरकिया रोड ग्राम में 11 के.वी. लाइन शिफ्टिंग एवं डिसमेंटलिंग का कार्य।	भोपाल	1.00
12.	2023_WRD _286423	मोहिनी पिकअप वियर पर रेडियल गेटों के संचालन हेतु डीजी कक्ष से कंट्रोल पैनल कक्ष तक इलेक्ट्रिकल केबिल का प्रदाय एवं लगाने का कार्य।	दतिया	2.98
13.	2023_WRD _286710	पार्वती परियोजना, जमुनिया गणेश पुनर्वास कॉलोनी पर ट्यूबवेल हेतु एल.टी. लाइन संस्थापन का कार्य।	भोपाल	2.13
14.	2023_WRD _286713	सीप कोलार लिंक प्रोजेक्ट बांध, कालदेव वियर एवं घोड़ापछाड़ बांध के 6 नग स्लूस गेट पर वायर रोप बदलने का कार्य।	भोपाल	1.13
15.	2023_WRD _286715	जिला राजगढ़ के विभिन्न माइनर टैंक्स का ऑइलिंग, ग्रीसिंग एवं सुधार कार्य।	भोपाल	4.91
16.	2023_WRD _286716	घोघरा बांध के 25 नग ऑटोमेटिक टिल्टिंग बेस्ट वियर गेर्टस का सुधार एवं मरम्मत कार्य।	भोपाल	7.16
17.	2023_WRD _286718	कार्यालय मुख्य अभियंता चम्बल वेतवा कछार एवं अधीनस्थ कार्यालयों में एयर कंडीशनर, वाटर कूलर मशीन एवं आर.ओ. प्यूरीफायर का सुधार एवं मरम्मत का कार्य।	भोपाल	1.12
18.	2023_WRD _287132	पिपलिया साहब बैराज एवं स्टाप डेम के लिए 20 नग जलद्वार का प्रदाय एवं फेब्रीकेशन का कार्य।	भोपाल	17.94
19.	2023_WRD _287137	चैना स्टाप डेम के लिए 5 नग जलद्वार का प्रदाय एवं फेब्रीकेशन का कार्य।	भोपाल	4.39
20.	2023_WRD _287138	पाडसुतिया बैराज के लिए 10 नग जलद्वार का प्रदाय एवं फेब्रीकेशन का कार्य।	भोपाल	8.34
21.	2023_WRD _287140	अमलार बैराज स्टाप डेम के लिए 29 नग जलद्वार लीफ असेम्बली का प्रदाय एवं फेब्रीकेशन का कार्य।	भोपाल	17.23
22.	2023_WRD _287141	डिगडोली स्टाप डेम के लिए 8 नग जलद्वार का प्रदाय एवं फेब्रीकेशन का कार्य।	भोपाल	7.93
23.	2023_WRD _287143	कनावर बैराज के लिए 5 नग जलद्वार का प्रदाय एवं फेब्रीकेशन का कार्य।	भोपाल	5.75
24.	2023_WRD _287144	मोदनदी बैराज के लिए 5 नग जलद्वार का प्रदाय एवं फेब्रीकेशन का कार्य।	भोपाल	11.31
25.	2023_WRD _287145	पाली स्टाप डेम के लिए 10 नया जलद्वार का प्रदाय एवं फेब्रीकेशन का कार्य।	भोपाल	6.55
26.	2023_WRD _287147	सीमार स्टाप डेम के लिए 5 नग जलद्वार का प्रदाय एवं फेब्रीकेशन का कार्य।	भोपाल	4.19
27.	2023_WRD _287148	कुमर्रा स्टाप डेम के लिए 10 नग जलद्वार का प्रदाय एवं फेब्रीकेशन का कार्य।	भोपाल	6.55
28.	2023_WRD _287151	हनुमान सागर बांध का सर्वेक्षण कार्य।	सतना	11.29
29.	2023_WRD _287266	अम्बा माता तालाब योजना पर रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य।	नीमच	15.95
30.	2023_WRD _287267	मोरवन मध्यम तालाब योजना के सेक्शन कार्यालय में रिपेयरिंग, रंगाई, पुताई, तालाब का रख रखाव एवं एक्वाडक्ट का मरम्मत कार्य।	नीमच	7.51
31	2023_WRD _287268	लापिया तालाब की मुख्य नहर का रख रखाव एवं चेनपुरा तालाब की स्पिल चैनल पर खुदाई कार्य।	नीमच	3.79
32.	2023_WRD _287420	अपर ककेटो बांध के रेडियल के गेटों का मरम्मत कार्य।	ग्वालियर	1.00
33.	2023_WRD _287422	मशीन सी.टी. 85 क्र. 05 के सुधार कार्य हेतु कलपुर्जो का क्रय।	भोपाल	2.36
34.	2023_WRD _287423	तिघरा बांध के रेडियल के गेटों का सुधार एवं मरम्मत कार्य।	ग्वालियर	0.83
35.	2023_WRD _287425	मशीन सी.टी. 85 क्र. 05 एवं डी.50 ए 15 क्र. 33 के सुधार कार्य हेतु कलपुर्जो का क्रय।	भोपाल	1.57
36.	2023_WRD _287427	मशीन डी 50 ए 15 क्र. 36 एवं डी. 50 ए 15 क्र. 37 के सुधार कार्य हेतु कलपुर्जो का क्रय।	भोपाल	2.44
37.	2023_WRD _287428	कोतवाल बांध के रेडियल के गेटों का सुधार एवं मरम्मत कार्य।	ग्वालियर	2.32
38.	2023_WRD _287429	मशीन सी.टी. 85 क्र. 05 एवं का सुधार कार्य।	भोपाल	1.59
39.	2023_WRD _287430	मशीन डी 50 ए 15 क्र. 33 का सुधार कार्य।	भोपाल	1.84
40.	2023_WRD _287431	मशीन डी 50 ए 15 क्र. 36 एवं डी 50 ए 15 क्र. 37 का सुधार कर्य।	भोपाल	1.43
41.	2023_WRD _287490	तवा बांयी तट मुख्य नहर की चैन के चेन क्र. 3698 से 4082 के क्षतिग्रस्त नहर का विशेष मरम्मत कार्य।	हरदा	4.83
42.	2023_WRD _287491	हरदुआ मैमारी तालाब योजना के स्लूस गेट का मरम्मत कार्य।	पन्ना	17.25
43.	2023_WRD _287765	निश्चिंतपुर जलाशय (नहर रहित) का सर्वेक्षण कार्य।	नर्मदापुरम्	0.91
44.	2023_WRD _287855	तवा परियोजना की बांयी तट मुख्य नहर के चैन 121, 214 एवं 244 के सी.डी. मरम्मत का कार्य। (पंचम आमंत्रण)	नर्मदापुरम्	5.68
45.	2023_WRD _287878	खण्डवा के अंतर्गत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं/बांध हेतु 03 नग कुशल एवं 02 नग अकुशल श्रमिकों का प्रदाय।	धार	6.73
46.	2023_WRD _287894	बरखेड़ा सिंचाई परियोजना के बांध हेतु 01 नग कुशल एवं 02 नग अकुशल श्रमिकों का प्रदाय।	धार	3.72
47.	2023_WRD _287898	माही मुख्य बांध हेतु 01 नग कुशल एवं 02 नग अकुशल श्रमिकों का प्रदाय।	धार	2.55
48.	2023_WRD _288255	जल संसाधन संभाग, भोपाल के कैम्पस एवं भवन के वार्षिक रखरखाव का कार्य। (द्वीतीय आमंत्रण)	भोपाल	6.91
49.	2023_WRD _288257	मुख्य अभियंता (वि/या) बांध सुरक्षा भवन, भोपाल में मैन पावर का प्रदाय। (द्वीतीय आमंत्रण)	भोपाल	13.18
50.	2023_WRD _288258	मुख्य अभियंता (वि/या) बांध सुरक्षा भवन, भोपाल में इलेक्ट्रीकल्स, हार्डवेयर, सेनेटरी एवं अन्य कार्य अंतर्गत रखरखाव कार्य। (द्वीतीय आमंत्रण)	भोपाल	3.41
51.	2023_WRD _288259	विश्वेसरैया भवन, भोपल में इपीएबीएक्स सिस्टम के वार्षिक रखरखाव का कार्य। (द्वीतीय आमंत्रण)	भोपाल	2.38
52.	2023_WRD _288261	बरगी कॉलोनी परिसर, भोपाल की हाउसकीपिंग का कार्य।	भोपाल	3.29
53.	2023_WRD _288262	कोलार कॉलोनी परिसर, भोपाल की हाउसकीपिंग का कार्य।	भोपाल	6.94
54.	2023_WRD _288263	कोलार कॉलोनी के गैररहवासी भवन भोपाल की हाउसकीपिंग का कार्य।	भोपाल	4.71
			कुल योग	**293.60**

जी-16661/48818/2023 **मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)**

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)

5th Floor, Block-II, Paryawas Bhawan, Bhopal–462011 (M.P.)

No./11235/GM(Tender)/WB/MPRCP/2023 **Bhopal, Dated : 19.07.2023**

IFB No. WB – 10 TO 15 (LAB EQUIPMENT)

Online item rate bids are invited on e-procurement portal **https://www.mptenders.gov.in** Supply, Installation and Commissioning of Lab Equipment for Madhya Pradesh Rural Road Academy and Rural Road Network Management Unit under Strengthening Design, Research and Quality Assurance Capacity as given below as under :-

S. No.	IFB No.	Description	Quantity	Bid Security (in Rs.)	Cost of Bid Document including 18% GST	Consignee
1.	WB–10 (Lab Equipment)	Madhya Pradesh Rural Road Academy Bhopal	As per List attached in RFP	62300	11800	As per tender document
2.	WB–11 (Lab Equipment)	Rural Road Network Management Unit Bhopal and Sagar and PIUs	As per List attached in RFP	97800	11800	As per tender document
3.	WB–12 (Lab Equipment)	Rural Road Network Management Unit Gwalior and PIUs	As per List attached in RFP	35800	5900	As per tender document
4.	WB–13 (Lab Equipment)	Rural Road Network Management Unit Indore and Ujjain and PIUs	As per List attached in RFP	83400	11800	As per tender document
5.	WB–14 (Lab Equipment)	Rural Road Network Management Unit Jabalpur and PIUs	As per List attached in RFP	60200	11800	As per tender document
6.	WB–15 (Lab Equipment)	Rural Road Network Management Unit Rewa and PIUs	As per List attached in RFP	47500	5900	As per tender document

1. Tender document can be purchased only online from the above website from **19.07.2023 from 17:30 hrs.** 2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed IFB and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

M.P. Madhyam/110916/2023 R-48832/2023 **CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)**

असंभव क्षेत्र में जल उद्वहन योजना को साकार किया गया - मुख्यमंत्री

बड़वानी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में विकास पर्व का शुभारंभ करते हुए निमाड़ के दो जिलों की जनता को 1328 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से बनी नागलवाड़ी और पाटी माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजनाएं समर्पित कीं।

मुख्यमंत्री ने विशाल जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2018 में स्थानीय जन-प्रतिनिधियों द्वारा की गई मांग आज पूरी हो गई है। प्रदेश सरकार ने असंभव क्षेत्रों में जल पहुंचाने के संकल्प को साकार कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में नहर से पानी पहुंचाना संभव नहीं था, तो हमने पानी को उद्वहन करके खेतों तक पहुंचाया। किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए ऐसे प्रयास लगातार जारी रहेंगे और यही मेरा संकल्प भी है। मुख्यमंत्री ने निमाड़ की जनता को एक और सौगात देते हुए नागलवाड़ी में लोकदेवता भीलट देव का लोक बनाने की घोषणा की। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि जल्द ही इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए विशेषज्ञों के दल की विजिट करायी जाए।

श्री चौहान ने कहा कि गरीब वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए सीएम राइज स्कूल की संकल्पना प्रारम्भ की गई है। इन स्कूलों में लायब्रेरी, उत्कृष्ट लैब, आने-जाने के लिए स्कूल बस और स्मार्ट क्लास बनाई गई है। स्मार्ट क्लास भी ऐसी की अगर जरूरत हुई तो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के शिक्षक से भी जुड़ सकते हैं।

चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती पर बेटियों को बोझ नहीं बनने दिया जाएगा। प्रदेश में अब तक 47 लाख लाड़ली लक्ष्मी हो गई हैं, जिन्हें कॉलेज में आते-आते 12 हजार 500 रुपये मिलने लगेंगे। बेटियों को राजनीति में भी बराबर का भागीदार बनाया गया है। आधी सीटों पर बेटियों को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया, तो आज हमारी कई बहनें महापौर तो कई जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष बन गई हैं। इसके अलावा अगर कोई जमीन, मकान या दुकान बहनों के नाम पर खरीदता है तो उस पर 1 प्रतिशत स्टॉम्प शुल्क लगेगा। वहीं पुलिस में भी 30 प्रतिशत भर्ती बहनों की होगी।

बालाघाट में शीघ्र होगा मेडिकल कॉलेज भूमिपूजन - मुख्यमंत्री

बालाघाट, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज बालाघाट जिले के नागरिकों की आवश्यकता के साथ ही उनका अधिकार भी था। राज्य शासन ने इसे अनुभव करते हुए मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दी है। मेडिकल कॉलेज के लिए शीघ्र ही भूमि-पूजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सरकार ने नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्थाएं करते हुए विभिन्न स्थानों पर स्कूल और कॉलेज के निर्माण और विकास पर ध्यान दिया।।

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बालाघाट में मेडिकल कॉलेज की जरूरत को पूरा करते हुए इसे प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इसके लिए श्री चौहान अभिनंदन के पात्र हैं। मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में आज बालाघाट जिले के नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का बालाघाट में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने के निर्णय पर आभार व्यक्त किया।

विकास पर्व

विकास कार्यों के साथ ही जनता की समस्याओं का समाधान होगा - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान राजगढ़ जिले में विकास पर्व कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुये

राजगढ़, मैं मुख्यमंत्री और आप जनता नहीं, हम सब एक परिवार हैं। सरकार को आपका भाई, आपका मामा चला रहा है। आपका स्नेह और प्रेम देखकर मैं अभिभूत हूं। मेरी बहनों ने मुझ पर फूलों की वर्षा की है, मैं संकल्प लेता हूं कि उनके मार्ग में कभी कांटे नहीं आने दूंगा। प्रदेश में विकास पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें विकास कार्यों के साथ ही जनता की समस्याओं का अधिकतम समाधान होगा। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्यावरा, राजगढ़ में विकास यात्रा के बाद विकास पर्व में अपार जन-समुदाय को संबोधित करते हुए कहीं। मुख्यमंत्री ने 33 करोड़ 78 लाख रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण/भूमि-पूजन किया। इनमें 100 सीटर बालक-बालिका छात्रावास और 6 मार्गों का लोकार्पण एवं एक मार्ग का भूमि-पूजन शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे है। अधूरी नल-जल योजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जाएगा जिससे नागरिकों को उनका लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस मिशन के माध्यम से ग्रामीण बहनों के हित में ऐतिहासिक कार्य किया है। सभी ग्रामों में नल से पानी देंगे, ताकि घर में ही महिलाओं को पानी मिल जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखी खेती का दर्द किसान ही जानता है। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाना है।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में जनता की जिन्दगी बदलने का अभियान चल रहा है। लाड़ली लक्ष्मी, लाड़ली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह और संबल जैसी योजनाओं तथा आजीविका मिशन आदि के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। प्रदेश में रोज़गार के लिये मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना, युवा उद्यम क्रांति योजना एवं अन्य स्व-रोज़गार योजनाएं संचालित हैं। एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है और इसके पूर्ण होने पर 50 हजार और भर्तियां की जायेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जनता के कल्याण की अनेक योजनाएं बंद कर दी थीं। हमारी सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण, सायकिल प्रदाय, प्रसूति सहायता, आहार अनुदान, कन्या विवाह में सहायता जैसी योजनाओं को पुन: प्रारंभ किया। बहनों को 2 करोड़ वार्षिक आय वाले टोल टैक्स संचालन के लिये दिये जा रहे हैं, जिसकी आय में से 30 प्रतिशत राशि बहनों को दी जायेगी। विभिन्न योजनाओं को मैदानी स्तर पर लागू करने का कार्य भी लाड़ली बहनाओं को सौंपा गया है। सरकार छोटे कर्मचारियों को भी अधिक से अधिक लाभ देकर उनका जीवन बेहतर बना रही है।

श्री चौहान ने कहा कि पूर्व सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने के नाम पर उनके ऊपर भारी ब्याज लाद दिया, जिसे वर्तमान सरकार ने उतारा। राजगढ़ जिले से ही किसानों की 2200 करोड़ रुपये की ब्याज राशि भरने की शुरुआत की गई थी। मध्यप्रदेश पहला राज्य था, जिसने किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने का कार्य किया।

ब्यावरा में मुख्यमंत्री के विकास पर्व के रोड-शो में उमड़ा जनसैलाब

राजगढ़, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ब्यावरा में विकास पर्व के कार्यक्रम में शामिल हुए। रोड-शो में नगरवासियों ने पुष्प-वर्षा तथा फूल-माला पहना कर अभिनंदन किया। लगभग 4 किलोमीटर तक 2 घंटे से भी अधिक चले रोड-शो में जनता का उत्साह और जनसैलाब देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रत्येक नगरवासी अपने प्रिय मुख्यमंत्री के रोड-शो में शामिल होने घर से निकल पड़ा हो। बच्चों, महिलाओं, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई अपने घर से बाहर निकल कर मुख्यमंत्री के स्वागत को आतुर दिखा।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ब्यावरा में रोड-शो करते हुए

मुख्यमंत्री ने भी नगरवासियों का अभिवादन किया। बहनें अपने लाड़ले भैया तथा बेटियां भी प्रिय मामा को अपने बीच पाकर प्रसन्न दिखीं। रोड-शो शहर के मुख्य मार्गो से होता हुआ कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा। अनेक संस्थाओं, संघों, संगठनों द्वारा बनाए गए 50 से अधिक मंचों से नागरिकों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्वागत किया। नागरिकों द्वारा छत और बालकनी से भी पुष्प-वर्षा की गई।

श्री चौहान का हर व्यक्ति के साथ आत्मीय संबंध की बानगी रोड-शो में तब देखने मिली, जब वे कुछ कदम चलने के बाद ही रथ से उतरकर खुली कार में रोड-शो में शामिल हुए। चार किलोमीटर लम्बे रोड-शो के दौरान कई बार वे कार से उतरकर लोगों के बीच आए, उनसे हाथ मिलाया, माला पहनाई और भेंट किए गए पगड़ी, श्रीफल और स्मृति-चिन्ह आत्मीयता से स्वीकार किए। मुख्यमंत्री रास्ते में कई स्वागत मंचों पर भी लोगों से मिले। मुख्यमंत्री ने भी फूल माला पहनाकर लोगों का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री को रोड-शो के दौरान किसानों ने किसान का प्रतीक हल भेंट किया। कृषि की तरक्की और किसानों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए आभार माना। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की उन्नति और तरक्की के लिए मैं दिन-रात काम करूंगा। स्व-सहायता समूह की दीदियों ने अपने प्रिय भैया श्री चौहान को स्वनिर्मित राखी भेंट की। दीदियों ने कहा कि राखी भेंट करते हुए ऐसे लगा जैसे रक्षाबंधन आज ही हो। उन्होंने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के 1000 रुपये खाते में आने पर मुख्यमंत्री को हृदय से धन्यवाद दिया और कहा कि आप हमारे सगे भाई से कम नहीं हो।

स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के उत्तर अब युवाओं की उंगलियों पर - स्वास्थ्य मंत्री

भोपाल, स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के उत्तर युवाओं की उंगलियों पर होंगे। प्रदेश में नवाचार के तौर पर 'जस्ट आस्क/खुलके पूछो' चैटबॉट शुरू हो गया है। ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित चैटबॉट से युवा उनके मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर पा सकेंगे। चैटबॉट का उपयोग करना बहुत सरल है। बच्चों के मन में चलने वाले विचारों और सवालों का समाधान चैटबॉट देगा। ये बातें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने भोपाल में 'जस्ट आस्क/खुलके पूछो' चैटबॉट का शुभारंभ करते हुए कहीं।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार उन्नति कर रहा है। स्वास्थ्य संस्थाओं में आधुनिक और उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह भी एक संयोग है कि ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित देश का पहला चैटबॉट प्रदेश में शुरू हो रहा है। उन्होंने चैटबॉट को विकसित करने और इस नवाचार को प्रदेश में शुरू करने के लिये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का आभार माना। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की भारत प्रतिनिधि और भूटान की कंट्री डायरेक्टर सुश्री एंड्रिया एम. वोज्नार के साथ चैटबॉट का अनावरण किया।

यूएनएफपीए की भारत प्रतिनिधि एवं भूटान की कंट्री डायरेक्टर सुश्री वोज्नार ने कहा कि युवाओं और व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों की आवश्यकता होती है। इस चैटबॉट से सामाजिक और व्यक्तिगत मुद्दों के साथ विभिन्न शारीरिक परिवर्तनों मासिक धर्म, प्रजनन स्वास्थ्य, गर्भावस्था, परिवार नियोजन सहित अन्य विषयों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 'खुलके पूछो चैटबॉट' संचार के सबसे अधिक लोकप्रिय तरीके का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के जवाब युवाओं की उंगलियों पर रहें।

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि चैटबॉट आसानी से प्रयोग किया जाने वाला साधन है। यह समय के साथ युवाओं के लिये सबसे अधिक विश्वसनीय मददगार साबित होगा। उन्होंने चैटबॉट से अधिक से अधिक युवा परिचित हों, इसके लिये चैटबॉट की जानकारी देने अधिकारियों को निर्देश दिये। स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कहा कि चैटबॉट युवाओं के स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों के सही-सही उत्तर देने में सक्षम होगा।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

सायबर क्राइम से लोगों को बचाने चलायें व्यापक अभियान - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सायबर अपराधों पर रोकथाम के लिए चर्चा करते हुये

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की विशेष बैठक बुला कर राजधानी में ऑनलाइन ऋण प्राप्त करने वाले एक परिवार द्वारा आत्महत्या किए जाने की जानकारी लेकर निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को देखते हुए सायबर अपराधों पर सख्त नियंत्रण की आवश्यकता है। परिवारों को इस तरह बर्बाद होते नहीं देखा जा सकता। तकनीक का उपयोग कर ऐसी घटनाओं को रोका जाये और दोषियों को दंडित करें। लोगों को सायबर क्राइम से बचाने के लिए व्यापक अभियान भी चलाया जाए।

श्री चौहान ने पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर कुमार सक्सेना, पुलिस आयुक्त भोपाल श्री हरिनारायण चारी मिश्र और अन्य अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश दिए।

- ऐसे प्रयास हों कि भोपाल और प्रदेश के अन्य स्थानों के नागरिक इस तरह के दुष्चक्र में न फंसें।
- आमजन को आवश्यक जानकारियां देकर जागरूक बनाएं। परिवारों को संकट से बचाने के लिए सभी प्रयास करें।
- सायबर क्राइम से बचने के लिए बड़े पैमाने पर चलाएं जागरूकता अभियान।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए आवश्यक जनजागरूकता की जरूरत है। इसके लिए एक पृथक कार्य-योजना बनाकर अमल किया जाए। जनता को ऑनलाइन ऋण उपलब्ध कराने के ऑफर देने वाले लोगों पर नजर रखी जाए। जिस एप के माध्यम से यह अपराध होते हैं, उनका संचालन करने वालों की धर पकड़ की जाएं। यदि स्थानीय लोग इनमें शामिल नहीं हैं और देश के अन्य स्थानों या विदेश से ऐसी अवैध गतिविधियों का संचालन हो रहा हो तो उन तक पहुंचने के लिए दल भी भेजे जाएं। लोगों को पैसा दिलवाने का लोभ देकर उन्हें ठगने वाले लोगों के विरुद्ध हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। पुलिस द्वारा भी इस संबंध में व्यापक अभियान संचालित होना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऋण के दुष्चक्र में फंसने वाला व्यक्ति विवश होकर आत्महत्या जैसा कदम उठाए, उसके पूर्व प्राप्त शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही की जाए।

हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई

एमबीबीएस के अंग्रेजी किताबों के लिप्यंतरण के लिये किया जायेगा सॉफ्टवेयर का उपयोग

भोपाल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने भोपाल स्थित गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में हिंदी चिकित्सा प्रकोष्ठ 'मंदार' में एमबीबीएस द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष की पुस्तकों के लिप्यंतरण कार्य की समीक्षा की। बैठक में कार्य प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया गया कि ट्रांसलिट्रेशन के कार्य को गति प्रदान करने के लिये एआई की भी सहायता ली जायेगी। सॉफ्टवेयर से पाठ्यक्रम के तकनीकी शब्दों को चिंहित कर उनका शब्दकोष तैयार किया जायेगा। सॉफ्टवेयर के लिये ऑपरेटरों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। इस पर मंत्री श्री सारंग ने सॉफ्टवेयर से तैयार किये गये शब्दकोष का सत्यापन करने के निर्देश दिये, जिससे गलती की संभावना न रहे। उन्होंने ट्रांसलिट्रेशन, सत्यापन, प्रूफ रीडिंग सहित सभी प्रक्रिया टाइमलाइन तैयार कर 15 सितंबर तक पूरी करने के भी निर्देश दिये।

ट्रांसलिट्रेशन टीम से वर्चुअल संवाद

श्री सारंग ने प्रक्रिया को सरल रखने के लिए निर्देशित किया। इससे किसी भी प्रकार की असमंजस की स्थिति न बनें। मंत्री श्री सारंग ने हिंदी चिकित्सा प्रकोष्ठ मंदार की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमने शून्य से शुरुआत की। पूरे देश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की सराहना की जा रही है। यह पूरी टीम के अथक परिश्रम का ही परिणाम है। इस दौरान मंत्री श्री सारंग ने चिकित्सा पाठ्यक्रम के ट्रांसलिट्रेशन में जुटे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सा शिक्षकों एवं समन्वयकों के साथ वर्चुअल संवाद के लिये निर्देशित किया।

आईटी सेल की स्थापना

बैठक में बताया गया कि यह पहली बार है जब सॉफ्टवेयर की सहायता से ट्रांसलिट्रेशन एवं कार्य की प्रगति का डैशबोर्ड भी बनाया जायेगा। इस पर श्री सारंग ने हिंदी चिकित्सा प्रकोष्ठ मंदार के लिये आईटी सेल की स्थापना के निर्देश दिये, जिससे पूरी प्रक्रिया की मॉनीटरिंग की जा सके। उन्होंने संपूर्ण प्रक्रिया को जटिल न करते हुए सरल बनाने के भी निर्देश दिये।

राज्य मदरसा बोर्ड में नवीनीकरण के ऑनलाइन आवेदन 19 जुलाई से 31 अगस्त तक

भोपाल, राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा शिक्षा सत्र 2023-24 में मदरसा नवीनीकरण के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत पोर्टल पर 19 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक उपलब्ध कराई जा रही है। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित आवश्यक सर्कुलर एवं अभिलेखों की विस्तृत जानकारी मदरसा बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट www.mpmb.org और एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल पर मदरसा-बोर्ड पेज पर उपलब्ध कराई गई है।

आवेदन करने की समय-सीमा निर्धारित है।

मंत्रिपरिषद के निर्णय

सड़क और फ्लाई-ओवर निर्माण के लिये 1881 करोड़ रुपये की स्वीकृति

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में फोरलेन मार्ग और फ्लाई-ओवर निर्माण के क्षेत्रों में मंजूरी दी गई। केंद्रीय सड़क अधोसंरचना निधि अंतर्गत सीहोर जिले में मालीवाया से सलकनपुर-नीलकछार तक फोरलेन मार्ग का निर्माण 147 करोड़ 92 लाख रुपये तथा राज्य योजना मद आयोजन अंतर्गत खण्डवा जिले में इंदौर इच्छापुर मार्ग से ओंकारेश्वर नये बस स्टैण्ड तक 4 लेन सड़क निर्माण कार्य के लिए लागत 193 करोड़ 22 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गए अन्य निर्णय इस प्रकार हैं -

- केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि आयोजन अंतर्गत सतना जिले में नागोद से मैहर वाया सुरदहा परसमनिया-रामपुर-मैहर मार्ग का निर्माण लागत राशि 178 करोड़ 22 लाख रुपये, सागर जिले में शाहपुर-रंगोली-गिरवर-भैंसवाही-हिनगन-ढाना भोकलपुर चौराहा (एन.एच.-44) तक मार्ग का निर्माण लागत राशि 129 करोड़ 81 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुमोदन किया गया।
- केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना निधि अंतर्गत भोपाल शहर में भोपाल-इंदौर मार्ग पर संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) में सीवेज पंप हाउस लाऊखेड़ी से नगर निगम विसर्जन घाट तक फ्लाई-ओवर के निर्माण की लागत राशि रुपये 306 करोड़ 40 लाख एवं ग्वालियर शहर के अंतर्गत महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी ए.बी. रोड (एन.एच. 46) तक स्वर्णरेखा नदी पर फोरलेन एलीवेटेड कॉरिडोर/फ्लाई-ओवर के निर्माण की लागत राशि 926 करोड़ 21 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुमोदन किया गया।
- मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में संशोधित प्रावधानों को प्रतिस्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- योजना अंतर्गत पात्रता की कण्डिका 3.3 को संशोधित कर प्रतिस्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गयी, जो है- 'आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।' योजना अंतर्गत अपात्रता की कण्डिका 4.9 को संशोधित कर प्रतिस्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गयी, जो है- 'जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) हो, वे योजना के लिये अपात्र होंगी। यहां पर परिवार की परिभाषा कण्डिका 2.2 के अनुसार ही मान्य होगी।' दोनों संशोधनों के फलस्वरूप पात्र नवीन महिला हितग्राहियों की संभावित संख्या लगभग 18 लाख हो जाएगी। इससे इस वित्तीय वर्ष में 1260 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
- मंत्रिपरिषद द्वारा शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान में देय महंगाई भत्ता की दर में एक जनवरी, 2023 (भुगतान माह फरवरी, 2023) से 4 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर 42 प्रतिशत करने एवं राज्य शासन के छठवें वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा राज्य शासन के उपक्रमों/निगमों/मण्डलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शासकीय सेवकों के लिये चौथे एवं पांचवें वेतनमान में अनुपातिक आधार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।
- राज्य शासन के सातवें वेतनमान अंतर्गत कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की कुल बढ़ी हुई दर 42 प्रतिशत के आधार पर नगद भुगतान एक जुलाई, 2023 (भुगतान माह अगस्त, 2023) से किया जायेगा। एक जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक की एरियर राशि का भुगतान 3 समान किश्तों में माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2023 में करने के लिए निर्णय लिया गया।
- कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता में एक जनवरी 2023 से 4 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने तथा एरियर का भुगतान करने के फलस्वरूप इस वित्तीय वर्ष में 1520 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है।
- मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर द्वारा दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाय) के लिए आरईसी से प्राप्त दीर्घकालीन शेष ऋण राशि 343 करोड़ 91 लाख, जिस पर ब्याज दर 9.50 से 10.25 प्रतिशत है, को पी.एन.बी. से ऋण की शेष अवधि 9 वर्ष के लिए रिफायनेंस कराया गया है, जिसकी वर्तमान ब्याज दर 8 प्रतिशत है। लगभग 10 करोड़ 29 लाख रुपये की बचत संभावित है। इसलिए पी.एन.बी. से प्राप्त उक्त ऋण के लिये 343 करोड़ 91 लाख रुपये की प्रत्याभूति प्रदान की जाये।
- प्रत्याभूति पर मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर द्वारा नियमानुसार प्रत्याभूति शुल्क दिये जाये की मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी।
- नवगठित जिला निवाड़ी के लिये किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत दो जिला कार्यालय उप संचालक, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास और परियोजना संचालक आत्मा की स्थापना को स्वीकृति दी गई। दोनों कार्यालयों में कुल मिलाकर 19 पद की स्वीकृति दी गई।
- इस स्वीकृति से वर्तमान में किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का, जो जिला स्तरीय कार्यालय टीकमगढ़ से संचालित होता था, वह अब नवीन जिला मुख्यालय निवाड़ी से संचालित होगा, इससे निवाड़ी जिले के किसानों को लाभ मिलेगा।
- मंत्रिपरिषद द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता-संरक्षण विभाग की वार्ड क्र. 18, देवगांव, पिपरिया जिला नर्मदापुरम, म.प्र. स्थित भूमि परिसम्पत्ति, जिसका खसरा क्रमांक 21/4 कुल क्षेत्रफल 2140 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिए आमंत्रित तृतीय निविदा के H-1 निविदाकार उच्चतम निविदा राशि रुपये 4,81,50,000/- (चार करोड़ इक्यासी लाख पचास हजार रुपये मात्र) जो कि रिजर्व मूल्य राशि रुपये 2 करोड़ 14 लाख का 2.25 गुना है, का अनुमोदन करते हुए उसे विक्रय करने एवं H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाए, का निर्णय लिया गया।
- राजस्व विभाग की वार्ड क्र. 21, सेमरिया रोड, सतना स्थित सतना बस डिपो परिसम्पत्ति प्लॉट क्रमांक एक क्षेत्रफल 2142.51 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिए आमंत्रित निविदा के H-1 निविदाकार उच्चतम निविदा राशि रुपये 16,99,99,999/- (सोलह करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये मात्र) जो कि रिजर्व मूल्य राशि 15 करोड़ 21 लाख रुपये का 1.12 गुना है, की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाए, का निर्णय लिया गया।
- विभिन्न विभागों में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये जाने का अनुमोदन किया गया।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

‘भूमि सम्मान 2023’

मध्यप्रदेश के सचिव राजस्व और पन्द्रह जिलों के कलेक्टर्स हुए सम्मानित

नई दिल्ली, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने भूमि प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये मध्यप्रदेश के सचिव राजस्व एवं आयुक्त भू-अभिलेख डॉ. संजय गोयल और 15 जिलों के कलेक्टर्स को ‘भूमि सम्मान 2023’ प्रदान किया। विज्ञान भवन में केन्द्रीय विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में 9 राज्यों के सचिवों और 68 कलेक्टर्स को पुरस्कार दिए गये। राज्य शासन की ओर से सचिव राजस्व एवं आयुक्त भू-अभिलेख डॉ. संजय गोयल एवं अपर सचिव श्री चंद्रशेखर वालिम्बे ने अपनी टीम के साथ पुरस्कार ग्रहण किया। कार्यक्रम में केन्द्रीय पंचायतराज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते उपस्थित रहे। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने राज्य एवं जिला दोनों ही श्रेणियों में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने पुरस्कृत अधिकारियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि टीम के रूप में किये गये कार्य के परिणाम भी सुखद ही होते हैं। टीम में सुश्री नमिता खरे, श्री बृजेश नामदेव, श्री मुजीबउद्दीन खिलजी एवं श्री दिगपाल सिंह भी शामिल थे।

कार्यक्रम में आगर मालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, भोपाल, गुना, हरदा, इंदौर, खरगोन, नीमच, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया और विदिशा जिलों को सम्मानित किया गया। आगर-मालवा का पुरस्कार संयुक्त कलेक्टर श्री राजेन्द्र सिंह रघुवंशी, अलीराजपुर का अपर कलेक्टर श्रीमती अनुपमा निनामा, अनूपपुर का कलेक्टर श्री आशीष वशिष्ठ, भोपाल का अपर कलेक्टर श्रीमती माया अवस्थी, गुना का कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए, हरदा का कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग, इंदौर का कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी, खरगोन का डिप्टी कलेक्टर श्री प्रताप कुमार अगासिया, नीमच का अपर कलेक्टर सुश्री नेहा मीणा, सीधी का कलेक्टर श्री साकेत मालवीया, सिंगरौली का डिप्टी कलेक्टर श्री ऋषि पवार, टीकमगढ़ का संयुक्त कलेक्टर श्री संजय कुमार जैन, उज्जैन का कलेक्टर श्री कुमार पुरषोत्तम, उमरिया का भू-अभिलेख अधीक्षक श्री सतीश सोनी और विदिशा का पुरस्कार कलेक्टर श्री उमा शंकर भार्गव ने ग्रहण किया। विजेता जिलों ने डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के मुख्य घटकों में संतृप्ति हासिल कर शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया है।

मध्यप्रदेश में दस्तक अभियान 31 अगस्त तक चलेगा

भोपाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार-कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। दस्तक अभियान 18 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। दस्तक अभियान में एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का संयुक्त दल घर-घर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने आम नागरिकों से आग्रह किया है कि दस्तक दल जब उनके घर पहुंचे तो 5 वर्ष आयु तक के सभी बच्चों की जांच अवश्य करवायें। दस्तक दल द्वारा नवजात और बीमार बच्चों की जांच, गंभीर कुपोषित, गंभीर एनीमिया एवं निमोनिया की बच्चों में पहचान और प्रबंधन, दस्त रोग की पहचान और ओआरएस पैकेट का वितरण किया जाएगा और 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन-ए की दवा पिलाई जायेगी। दस्तक दल, आरबीएसके कार्यक्रम में जन्मजात विकृतियों का उपचार करेगा।

जनता की जिंदगी बदलना और प्रदेश का विकास हमारा मकसद

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सिवनी जिले में विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुये

सिवनी, जनता की जिंदगी बदलना और प्रदेश का विकास हमारी सरकार का मकसद है। प्रदेश में विकास पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर विकास कार्यों का लोकार्पण/भूमि-पूजन के साथ ही जनता को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। दीन-दुखियों का दुख दूर करना मेरा उद्देश्य है। जन-दर्शन के दौरान, मुझे एक बुजुर्ग अम्मा मिली, जिनका मकान टूट गया था। मैंने तुरंत उनको मकान बनाने के लिये स्वेच्छानुदान से ढाई लाख रुपये स्वीकृत किये। मैं किसी बहन की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, यह मेरा संकल्प है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी जिले में विकास पर्व में 287 करोड़ 48 लाख 39 हजार के विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण करते हुए कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर परिवार की खुशहाली के लिये कार्य किये जा रहे हैं। लाड़ली बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता दी जा रही है, जिसे बढ़ाकर आगामी समय में 3000 तक किया जायेगा। वहीं गरीब किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि में प्रतिवर्ष केन्द्र द्वारा दिये जाने वाली 6000 रुपये की राशि के साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी 6000 रुपये दिये जाते हैं। वृद्धावस्था पेंशन की राशि को भी बढ़ा कर प्रतिमाह 1000 रुपये कर दिया गया है। गरीब परिवारों को नि:शुल्क राशन प्रदान किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना में अच्छे इलाज की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री की घोषणाएं

- **सिवनी नगर को नगर निगम बनाया जायेगा।**
- **कुरई में महाविद्यालय भवन बनाया जायेगा।**
- **नगर के मठ स्कूल का नवीन भवन बनेगा।**
- **नहरों को पक्का किया जायेगा।**
- **मंडी जलाशय में नहर का विस्तार कराया जायेगा।**
- **पावर ग्रिड हाउस तक सड़क निर्माण होगा।**

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिये हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। महिलाओं को आजीविका मिशन में विभिन्न व्यवसाय से जोड़कर स्व-सहायता समूहों को आत्म-निर्भर बनाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है हर बहन की मासिक आय कम से कम 10 हजार रुपये हो, हर दीदी लखपति दीदी बने। ऐसे टोल नाके, जिनकी वार्षिक आय 2 करोड़ रुपये तक है, को बहनों को संचालन के लिये दिया जा रहा है। इन नाकों की एक लाख की आय पर बहनों को 30 हजार रुपये मिलेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है। हर खेत को पानी और हर घर नल से जल पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। पहले प्रदेश में सड़कों और सिंचाई की हालत बहुत खराब थी अब उत्तम गुणवत्ता की सड़कें हैं और सिंचाई क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। बिजली भी 24 घंटे मिलती है। सिंचाई के लिये इस क्षेत्र में पेंच डायवर्सन योजना बनाई गई है, नहरें पक्की करने का प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया गया है।

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग
मध्यप्रदेश शासन

आईटीआई में प्रवेश प्रारंभ

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

- अगस्त 2023 से नये सत्र में शासकीय एवं निजी आईटीआई में प्रवेश की प्रक्रिया www.dsd.mp.gov.in के माध्यम से प्रारंभ।
- समस्त आवेदकों को रजिस्ट्रेशन तथा च्वाइस फिलिंग करना अनिवार्य।
- दसवीं पश्चात आईटीआई में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी म.प्र. राज्य ओपन स्कूल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा 12वीं समकक्षता योजना में 5564 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों द्वारा लाभ लिया गया है।
- ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग (DST) के अंतर्गत प्रशिक्षण के साथ-साथ उद्योगों में भी कार्य करने का अनुभव।
- रोज़गार के सुनहरे अवसर प्रतिष्ठित उद्योगों में प्राप्त करें, जैसे- मारुति/ट्राइडेंट लि./व्ही.ई. कमर्शियल लि./म.प्र. सहकारी दुग्ध संघ आदि के साथ एमओयू।
- World Skills Competition में इंटरनेशनल लेवल पर प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का अवसर।
- प्रवेश विवरण एवं अन्य जानकारी www.dsd.mp.gov.in पर उपलब्ध।

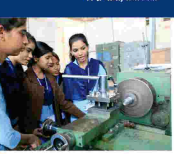

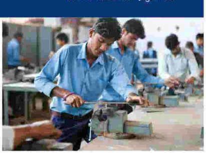

79 रोज़गारोन्मुख व्यवसाय

46200 से अधिक सीट्स

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है। वर्तमान में युवाओं को आधुनिक, कौशल तकनीकी में हुनरमंद बनाना समय की आवश्यकता भी है। प्रदेश की सभी आईटीआई में इंजीनियरिंग एवं नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय के प्रशिक्षण के साथ-साथ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, युवाओं को रोज़गार मूलक आधुनिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मध्यप्रदेश में स्किल्ड युवाओं को ग्लोबल पहचान मिले, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है।

यशोधरा राजे सिंधिया
मंत्री, खेल एवं युवा कल्याण,
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग, म.प्र. शासन

प्रदेश के युवाओं को उद्योगों एवं बाजार की आवश्यकता एवं मांग अनुरुप कौशल प्रदान करना एवं उन्हें रोज़गार एवं स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, म.प्र. कौशल विकास एवं रोज़गार निर्माण बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देशन में इस दिशा में कार्य कर रहा है।

शैलेन्द्र शर्मा
अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कौशल विकास एवं
रोज़गार निर्माण बोर्ड, भोपाल

प्रदेश के युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरुप आधुनिकतम कौशल उपलब्ध कराना एवं वैश्विक बाजार में राज्य की प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोज़गार उपलब्ध हो, बोर्ड इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मंशा अनुसार माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में निरंतर प्रयासरत है।

नरेन्द्र बिरथरे
उपाध्यक्ष, म.प्र. राज्य कौशल विकास एवं
रोज़गार निर्माण बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी
आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2023
D-11060/R-48807/2023

कमला हैरिस ने

सीनेट में टाई-ब्रेकिंग वोट के साथ रचा इतिहास

अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सीनेट में

एक मतदान में दोनों पक्षों के समान वोट पड़ने की स्थिति में अपना मत (टाई ब्रेकिंग वोट) डालकर अमेरिका के इतिहास में एक और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इस तरह हैरिस ने उपराष्ट्रपति के रूप में टाई-ब्रेकिंग वोट डालने के 191 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की और संघीय एजेंसी की सदस्य के रूप में भारतीय मूल की कल्पना कोटागल के नामांकन का समर्थन किया। हैरिस ने सीनेटर जॉन सी कैलहॉन के रिकॉर्ड की बराबरी की।

दक्षिण कोरिया में

पहली बार जुड़वा पांडा जन्मे

दक्षिण कोरिया में पहली बार किसी मादा पांडा ने जुड़वा

बच्चों को जन्म दिया है। दोनों बच्चे मादा हैं। इनका जन्म कुछ दिनों पहले हुआ है। इन बच्चों ने कुछ समय के अंतराल पर एवरलैंड थीम पार्क जू में जन्म लिया।

हीट डे

इस वर्ष 6 जुलाई का दिन सबसे गर्म रहा

इस वर्ष 6 जुलाई का दिन 1,00,000 साल में सबसे

ज्यादा तापमान वाला दिन है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेन के क्लाइमेट रीएनालाइजर के अनुसार वैश्विक औसत तापमान 17.23 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। रिकॉर्ड तोड़ने वाला यह तापमान एक सप्ताह तक रहा। जानकारी के अनुसार औसत वैश्विक तापमान में 17.01 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी हुई जो NCEP के आंकड़ों में सबसे ज्यादा है। NCEP के डेटा के मुताबिक अगस्त 2016 में तापमान ने रिकॉर्ड तोड़े थे। तब तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस था।

सुल्तान अल नेयादी ने

बोस्फोरस स्ट्रेट की फोटो साझा की

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अंतरिक्ष यात्री सुल्तान

अल नेयादी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बोस्फोरस स्ट्रेट की ली गई तस्वीरों को साझा किया है। अल नेयादी ने लिखा 'बोस्फोरस स्ट्रेट वह अनोखी जगह है, जो यूरोप और एशिया महाद्वीपों की सीमा को विभाजित करती है।

नासा ने मनाई

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पहली वर्षगांठ

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के अंतरिक्ष में काम करते हुए पहला वर्ष पूरा होने का जश्न मनाने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई

एक छोटे तारेनुमा क्षेत्र की एक नई छवि जारी की है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी से लगभग 15,00,000 किलोमीटर दूर अपने स्थान से अंतरिक्ष के निर्वात में वैज्ञानिक संचालन का एक वर्ष पूर्ण कर लिया गया है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली वेधशाला ने संचालन के अपने पहले वर्ष में वही काम किया जो उसे करने के लिए कहा गया।

एलन मस्क ने

नई कंपनी लॉन्च की

टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ और ट्विटर के

मालिक एलन मस्क ने ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को समझने के गोल के साथ अब नयी एआई कंपनी की शुरुआत की घोषणा की है। इस कंपनी का नाम एक्सआई है। वेबसाइट के अनुसार मस्क और उनकी टीम ट्विटर स्पेस चैट में उनसे जुड़ी' ज्यादा जानकारी शेयर करेगी इस टीम में डीप माइंड, ओपन एआई, गूगल रिसर्च, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च और टेस्ला में काम कर चुके लोग हैं।

गीता राव गुप्ता

एंबेसडर एट लार्ज बनीं

अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतवंशी

गीता राव गुप्ता को विदेश मंत्रालय में महिलाओं से संबंधित वैश्विक मुद्दों के लिए एंबेसडर एट लार्ज पद की शपथ दिलाई। इस साल मई में अमेरिकी सीनेट में हुए मतदान में गुप्ता ने 47 के मुकाबले 51 मत हासिल किए, जिसके बाद उनके नाम पर मुहर लगी थी। पदस्थापना के बाद गीता ने कहा, दुनिया भर में महिलाओं को कई असमानताओं और अपमान का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें अर्थव्यवस्था में पूरी तरह शामिल होने से रोकता है।

प्रीति अघलायम

आईआईटी की पहली महिला डायरेक्टर बनीं

प्रीति अघलायम को आईआईटी मद्रास की देखरेख

में जांजीबार (तंजानिया) में बन रहे कैंपस का डायरेक्टर बनाया गया है। वे किसी आईआईटी कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर होंगी। उन्होंने आईआईटी मद्रास से बीटेक और यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर से केमिकल इंजीनियरिंग में एम.एस. किया था। उन्होंने 2010 में आईआईटी मद्रास ज्वॉइन किया, वह केमिकल इंजीनियरिंग की प्रोफेसर हैं।

गैरी स्टीड

2025 तक बने रहेंगे न्यूजीलैंड के कोच

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अलग-अलग प्रारूप के लिए

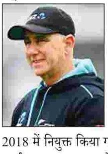

अलग कोच रखने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अब गैरी स्टीड दो साल तक टीम के मुख्य कोच बने रहेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट के हाई परफॉर्मेंस महाप्रबंधक ब्रायन स्ट्रोनाक ने कहा कि स्टीड को 2018 में नियुक्त किया गया था और दूसरी बार उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। स्टीड 2025 तक कोच की भूमिका निभाएंगे।

यूएन कॉन्फ्रेंस में

51 रोबोट हुए शामिल

संयुक्त राष्ट्र के दो दिन के 'एआई फॉर गुड' समिट में रिकॉर्ड संख्या में 51 रोबोट शामिल हुए। उन्होंने बकाया समिट को संबोधित भी किया। इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जिनेवा ने किया। इन रोबोट के साथ तकरीबन 3000 विशेषज्ञ भी

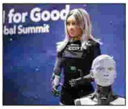

शामिल हुए। सम्मेलन का मकसद जलवायु परिवर्तन, भूख और सामाजिक देखभाल जैसे मुद्दों के समाधान में रोबोट के उपयोग पर विचार करना था।

कोरल रीफ बचाने के लिए

पानी के अंदर किया संगीत शो

अमेरिकी प्रांत फ्लोरिडा में समुद्री कोरल रीफ को बचाने

के लिए सिंगर तमारा ब्रेडोवा ने जलपरी बनकर पानी के अंदर संगीत शो किया। उन्होंने पानी में खास वाघयंत्र यूकुलेले बजाया और गाना पेश किया, उनके साथ केली एंजेल और लोअर क्रीज ने गिटार बजाया।

न्यूजीलैंड में

ज्वालामुखी के मालिकों पर चलेगा केस

वर्ष 2019 में न्यूजीलैंड के जिस ज्वालामुखी के फटने से

22 लोगों की मौत हो गई थी, उसके मालिकों पर केस चलेगा। यह ज्वालामुखी जेम्स, पीटर और एंड्रयू बटल भाइयों की संपत्ति है। इस हफ्ते उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई थी। यह ज्वालामुखी वाकारी व्हाइट द्वीप पर है। 1936 में ऑकलैंड के शेयर ब्रोकर जॉर्ज बटल ने यह जमीन खरीदी थी।

दिलप्रीत सिंह

पोलिग्रास पुरस्कार के लिए नामित

भारतीय पुरुष हॉकी टीम के फॉरवर्ड दिलप्रीत सिंह को

2022-23 एफआईएच हॉकी प्रो लीग सीजन के दौरान विश्व चैंपियन जर्मनी के खिलाफ उनके ओवरहेड शॉट के लिए 'पोलिग्रास मैजिक स्किल' पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। एफआईएच हॉकी प्रो लीग के 2022-23 सीजन के लिए नामांकन जारी किए गए हैं।

मैक्सिको में

एयरपोर्ट का प्रबंधन सेना के जिम्मे

मैक्सिको की राजधानी के मुख्य एयरपोर्ट (बेनिटो

जुआरोज) का नियंत्रण सेना ने अपने कब्जे में लिया। एयरपोर्ट की सुरक्षा एक साल पहले नौसेना को दी गई थी, लेकिन अब एयरपोर्ट का सारा प्रबंधन कस्टम, इमिग्रेशन, बैगेज हैंडलिंग आदि जैसी सभी सुविधाओं का जिम्मा भी सेना के पास ही रहेगा। एयरपोर्ट से ड्रग्स की सप्लाई रोकने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं।

सर्गेई स्टाखोवस्की

टेनिस खिलाड़ी यूक्रेन सेना की ओर से मोर्चे पर तैनात

अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्गेई स्टाखोवस्की

बीते 15 महीनों से युद्ध के मोर्चे पर तैनात हैं। वे टेनिस के शीर्ष खिलाड़ी भी हैं। 37 वर्षीय सर्गेई ने कहा कि अब वे मातृभूमि के लिए लड़ेंगे टेनिस बिलकुल नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा कि वे अपने समकक्ष खिलाड़ियों से भी अपील करते हैं कि यूक्रेन के लिए लड़ें और उसको सुरक्षित रखने में हरसंभव मदद करें।

तितलियों की

गणना करने के लिए ब्रिटेन में शोध शुरू

ब्रिटेन में तितलियां लगातार कम होती जा रही हैं।

पिछले साल हुई गणना में तितलियों की संख्या 13 सालों में सबसे कम थी। इस साल वैज्ञानिकों ने तितलियों पर मौसम का असर देखने के लिए बिग बटरफ्लाई काउंट रिसर्च शुरू की है, जो तीन सप्ताह चलेगी। हालात जानने के लिए नागरिकों से भी तितलियों की गणना में शामिल होने की अपील की है। उनसे अपने इलाके के पार्क, गार्डन या हरे-भरे क्षेत्रों में तितलियों की जानकारी देने और उनका 15 मिनट का वीडियो बनाने के लिए कहा गया है।

पेरु में

3 हजार साल पुराना गलियारा मिला

पेरु में पुरातत्वविदों ने 3 हजार साल पुराने सीलबंद

गलियारों का पता लगाया है। इसे कॉन्डर्स पैसेजवे कहा जा रहा है जो संभवतः प्राचीन चाविन संस्कृति से जुड़े विशाल मंदिर परिसर के बाकी कमरों की ओर जाता है। गलियारा पेरु की राजधानी लीमा से 306 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में चाविन डी हुआन्तार पुरातत्व स्थल पर मिला। यह संस्कृति के महत्वपूर्ण केन्द्रों में से एक है, जो करीब 1,500 से 500 ईसा पूर्व विकसित हुआ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पुरातत्वविद जॉन रिक ने बताया कि यहां समय रुका हुआ सा लगता है।

स्मृति शेष

'द अनबीयरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग' के लेखक मिलन कुंडेरा का निधन

अनबीयरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग के

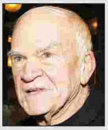

लेखक मिलन कुंडेरा का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका लेखन वास्तविकता, विचारों की दुनिया के विषयों तथा पात्रों के इर्द-गिर्द घूमता रहा। उनका जन्म स्लोवाकिया के शहर ब्रनो में हुआ था। वे 1975 में फ्रांस आ गए थे।

विश्वयुद्ध-2 में ब्रिटेन और जापान की सेना में रहे नगा का निधन

दूसरे विश्वयुद्ध में ब्रिटेन और जापान दोनों

सेनाओं के लिए काम करने वाले तांगखुल नगा का मणिपुर के उखरुल में 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम यांग्मासो ए शिशाक था। वे धावक थे। वे सेना में चिट्ठियां पहुंचाने का काम करते थे। 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली आईएनए के साथ नगालैंड और मणिपुर के हिस्सों को मुक्त कराने में नगा ने भी सहयोग किया था।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

आयुष विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु व्याख्याता रचना शारीर (LECTURER RACHANA SHARIR) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 24/2023/10/07/2023

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)

आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 26.09.2023

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता रचना शारीर (LECTURER RACHANA SHARIR) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। **आवेदन-पत्र दिनांक 18.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 17.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. व्याख्याता रचना शारीर (LECTURER RACHANA SHARIR) के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अत: अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट-IV का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में **त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 20.08.2023 से 19.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)** तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र रुपये 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अत: वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

E. पात्रता :-

1. **शैक्षणिक अर्हता -**

   अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

   1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
   2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता अथवा एम.एससी. एनाटॉमी।
   3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

   उपाधि का नाम - BAMS एवं MD (रचना शारीर/शरीर रचना) अथवा BAMS एवं MSc Anatomy

2. **रोज़गार पंजीयन -**
   - (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
   - (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   - (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक-अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे संबंधित विभाग को अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

G. अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अत: समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र

मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अत: अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।

3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं एवं परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

परिशिष्ट-I

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1.	व्याख्याता रचना शारीर (LECTURER RACHANA SHARIR)	1	2	4	2	0	9	0	1	1	1	0	1	0	0	0

मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग के पत्र क्रमांक 1-18/2019/1-59 दिनांक 25.04.2023 के अनुसार व्याख्याता रचना शारीर (LECTURER RACHANA SHARIR) का पुनरीक्षित पद विवरण निम्नानुसार रखा गया है -

मुख्य भाग (87%)	1	2	4	2	0	9	0	1	1	1	0	1	0	0	0
प्रावधिक भाग (13%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

दो पद का विवरण

01	**पद का नाम**	:	व्याख्याता रचना शारीर (LECTURER RACHANA SHARIR)
	विभाग का नाम	:	**आयुष विभाग**
	श्रेणी	:	राजपत्रित **(द्वितीय श्रेणी)**
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	56100-177500
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	अध्यापन कार्य एवं चिकित्सालयीन कार्य।

तीन शैक्षणिक अर्हता : अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

1- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।

2- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता अथवा एम.एससी. एनाटॉमी।

3- संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम : BAMS एवं MD (रचना शारीर/शरीर रचना) अथवा BAMS एवं MSc Anatomy

विशेष:

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17.09.2023 तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

(4) जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं है वे अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

चार मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: (क) आयु सीमा : 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो.

(ख) आयु सीमा में छूट : मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अत: सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात आयु संगणना तिथि 01.01.2024

आठ अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष

नौ चयन प्रक्रिया :- चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु निम्नानुसार संख्या में तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों -

वर्ग/प्रवर्गवार पदों की संख्या अनारक्षित, अनु. जनजाति, अनु. जाति, अन्य, पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्ल्यू.एस. एवं महिलाओं/दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु पृथक-पृथक विज्ञापित पद संख्या	साक्षात्कार के लिए अर्हकारी परीक्षाओं की मेरिट सूची अनुसार बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
एक पद के लिए	12 उम्मीदवारों तक
2 और 3 पदों के लिए	24 उम्मीदवारों तक
4 से 6 पदों के लिए	36 उम्मीदवारों तक
7 से 9 पदों के लिए	48 उम्मीदवारों तक
10 तथा उससे अधिक पदों के लिए	05 गुना उम्मीदवारों तक

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप:-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट IV** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट -II**

(ii) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश **परिशिष्ट -III**

(iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-IV**

सचिव

परिशिष्ट-II

आयु सीमा में छूट

एक उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

तथा

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

1. भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।
2. भूतपूर्व सैनिकों हेतु देय आयु-सीमा की छूट तथा आरक्षण केवल उन अभ्यर्थियों को देय होगा जो आवेदन करने की तिथि को अथवा उसके पूर्व सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अभ्यर्थी को प्रमाणीकरण हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(दो) **प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट**

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप : (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट : (01) उपरोक्त परिशिष्ट – ''एक'' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अ.पि. वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट - III

अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. किसी भी पद हेतु विज्ञापित विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य हैं, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख साक्षात्कार पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होंगे। यदि अभिलेखों की जाँच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अर्हता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा।
2. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों के पास ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा ।
3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
4. अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जाँच करने के उपरांत ही ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियां पूर्ण न हो तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।
5. म.प्र. के मूल निवासी ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों को ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि के वित्तीय वर्ष का ही मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं, उसके पूर्व एवं पश्चात के वित्तीय वर्ष के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगें, ऐसी स्थिति में आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी और इस संबंध में आवेदक द्वारा यदि ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र के अभाव में, अनारक्षित श्रेणी में मान्य किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते है तो उन्हें मान्य नहीं किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाएगा।
6. यदि आवेदक म.प्र. शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस तक की तिथि में निरन्तर सेवा में है तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को, शासकीय सेवक के आयु-सीमा का लाभ प्रदाय किया जाएगा।
7. यदि आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है किन्तु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को शासकीय सेवक को देय आयु सीमा की छूट का लाभ देय नहीं होगा। अधिक आयु होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
8. यदि म.प्र. के मूल निवासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है किन्तु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे है या होने वाले हो ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्रदाय नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे।
9. **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :** दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में आवेदक की दिव्यांगता श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है।
10. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरुष/महिला, दिव्यांगजन की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
11. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।
12. मध्यप्रदेश के मूलनिवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वांछित दस्तावेज आदि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। साक्षात्कार दिवस को किसी कारणवश आवेदक यदि मध्यप्रदेश रोज़गार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में आवेदक का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

अर्हता से संबंधित अभिलेखों की मान्यता तिथि के संदर्भ में आवश्यक निर्देश

क्रमांक	अभिलेख		निर्देश
1.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि		ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास स्नातकोत्तर उपाधि होना आवश्यक है।
2.	चिकित्सा परिषद् में स्थाई पंजीयन		ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् में स्थाई पंजीयन होना आवश्यक है। अन्य प्रदेशों के पंजीकृत अभ्यर्थियों को चयन होने पर मध्यप्रदेश के चिकित्सा परिषद् में पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
3.	रोज़गार पंजीयन	(क)	माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
		(ख)	मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
		(ग)	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/ उपक्रम/ आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक-अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
4.	मध्यप्रदेश के मूल निवास/ स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र		मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास/ स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
5.	जाति प्रमाण-पत्र		ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र में उनके क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणीकरण भी अनिवार्य है।
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र		मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। उक्त तिथि के बाद जारी अथवा पूर्व के वित्तीय वर्ष/वर्षों हेतु जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।
7.	भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र		ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो एवं उसके पास विहित प्राधिकारी द्वारा जारी डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
8.	शासकीय सेवकों होने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र/विभाग को सूचना अभिलेख		जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

9.	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल-निवासी दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारित करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के http://www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

टीप -

1. अभ्यर्थी की पात्रता श्रेणी के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् ऑनलाइन फार्म की छायाप्रति के साथ उपरोक्तानुसार उल्लेखित अभिलेखों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26.09.2023 (शाम 6:00 बजे) तक आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगी। डाक विभाग या अन्य किसी प्रायवेट एजेंसी के माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए अभिलेख आयोग द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26.09.2023 (शाम 6:00 बजे) के पश्चात् प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी, उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाकर निरस्त किया जाएगा।
2. साक्षात्कार दिवस पर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को भेजे गए शैक्षणिक दस्तावेजों की छायाप्रति का आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेखों से मिलान का कार्य किया जाएगा, अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन बिना विचार किए निरस्त किया जाएगा।

परिशिष्ट-IV

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

(क) उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे

1. www.mponline.gov.in 2. mppsc.mp.gov.in

(ख) अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधाधारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(ग) अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिंचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्शन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टत: दिख रही हों।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार नहीं है। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार है, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिंचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

(घ) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

(ड़) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुन: अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

(च) आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

(छ) **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 20.08.2023 से 19.09.2023 (दोपहर 12:बजे) तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र रुपये 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपये 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

(ज) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2. परीक्षा हेतु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रुपये 250/-	**रुपये 500/-**

टीप: आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17.09.2023 है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

दूरभाष :- हेल्पलाइन – 0755-6720220 तथा 0755-6720221

4. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मैट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षो/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ------------------------- आयोग के मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता रचना शारीर (LECTURER RACHANA SHARIR) क्रमांक **24/2023 दिनांक 10/07/2023** के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ

1. मैं -------------------- पुत्र/पुत्री श्री---------------------- निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/------------------- जिला ------------, मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं --------------- जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

दिनांक :- -----------------

हस्ताक्षर----------------------

नाम--------------------------

रोल नंबर---------------------

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/ छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को

(शेष अगले पृष्ठ पर)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 5070/04/2023/चयन इन्दौर, दिनांक 12-07-2023

राज्य वन सेवा परीक्षा - 2020

चयन - सूची (मुख्य भाग - 87 प्रतिशत)

पदनाम - सहायक वन संरक्षक

आयोग के विज्ञापन क्रमांक **04/2020 दिनांक 28.12.2020** एवं समय-समय पर जारी शुद्धिपत्रादि, सूचनाओं आदि के संदर्भ में **म.प्र. शासन, वन विभाग** के अंतर्गत विज्ञापित पद - **सहायक वन संरक्षक** के कुल 06 पद (अनारक्षित-03, अ.जा. - 01, अ.ज.जा.-01, अ.पि. वर्ग-01, ई.डब्ल्यू.एस.-निरंक) विज्ञापित किए गए हैं। उक्त पदों की पूर्ति के लिए **राज्य वन सेवा परीक्षा-2020** अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत **राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2020** दिनांक **24.07.2022** को आयोजित की गई। आयोग द्वारा **राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2020** का परीक्षा परिणाम दिनांक 15.02.2023 को घोषित किया गया। उक्त परीक्षा में अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार **26.06.2023 से 01.07.2023 तक** आयोजित किए गए हैं।

2. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में म.प्र. शासन, वन विभाग से प्राप्त रिक्ति विवरण अनुसार आयोग द्वारा जारी शुद्धिपत्र क्रमांक 01/04/2020 दिनांक 07.06.2023 के बिन्दु क्रमांक 02 में वर्णित तालिका अनुसार उपरोक्त विज्ञापन क्रमांक 04/2020 दिनांक 28.12.2020 के अंतर्गत विज्ञापित कुल पदों का 87 प्रतिशत मुख्य भाग एवं 13 प्रतिशत प्रावधिक भाग की रिक्तियों का पद विभाजन विज्ञापित किया गया है जिसके अनुसार, परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग के रूप में घोषित किया जाना प्रावधानित किया गया है। चयन परिणाम केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) का घोषित किए जाने के प्रावधान के तहत मुख्य भाग हेतु पुनरीक्षित रिक्तियों का विवरण निम्नांकित तालिका में अंकित है। उक्त शुद्धिपत्र दिनांक 07.06.2023 में उल्लेखित मुख्य एवं प्रावधिक भाग की रिक्ति विवरण अनुसार उक्त विज्ञापित पद हेतु प्रावधिक भाग की रिक्तियां निरंक होने के परिणामस्वरूप प्रावधिक भाग का चयन परिणाम पृथक से जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. राज्य शासन के उक्त पत्र दिनांक 29.09.2022 के संदर्भ में आयोग द्वारा घोषित मुख्य परीक्षा परिणाम दिनांक 15.02.2023 के पैरा 04 के बिन्दु क्रमांक 05 में उल्लेखित बिन्दु के परिपालन में साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए अभिवचन पत्र के अनुसार मुख्य भाग-87 प्रतिशत एवं प्रावधिक भाग-13 प्रतिशत में अर्ह अभ्यर्थी अपने-अपने भाग में बने रहेंगे। चयन के किसी भी स्तर पर ये एक दूसरे से अंतर परिवर्तन (इंटरचेंज) हेतु दावा नहीं कर सकेंगे।
4. अतएव, मुख्य परीक्षा+साक्षात्कार में प्राप्त प्राप्तांकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) की चयन सूची घोषित की जाती है :-

1. सहायक वन संरक्षक

पद विवरण तालिका (मुख्य भाग - 87 प्रतिशत)

	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ई.डब्ल्यू.एस.	योग
कुल पदों की संख्या	3	1	1	1	0	6

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
1.	101513	ASHISH VIJAYWAR	M	UNR	OBC
2.	102347	ANKIT KUMAR JAIN	M	UNR	UNR
3.	100069	SACHINDRA SINGH TOMAR	M	UNR	UNR
4.	102754	SHUBHAM SONI	M	OBC	OBC
5.	102735	ASHISH KUMAR VERMA	M	SC	SC
6.	100674	RAHUL CHOUHAN	M	ST	ST

अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग		श्रेणी
1.	102757	GAURAV DUBEY	M	प्रावधिक	UNR
2.	100880	SAURABH DUBEY	M		UNR
3.	100471	SUSHIL PARMAR	M		OBC
4.	102699	NEERAJ AMB	M		SC
5.	102592	HEMENDRA SAROTE	M		ST

टीप :-

1. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवंबर, 2000 में दिए निर्देशों के तहत् अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत् आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किए गए हैं जो कि हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किए हों। किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किए बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया जाना प्रावधानित है।
2. विज्ञापन में वर्णित कंडिका ग्यारह - चयन प्रक्रिया के बिन्दु क्र. (द) एवं (इ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता का परीक्षण राज्य शासन द्वारा करवाया जाएगा, जो अभ्यर्थी शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण में असफल होते हैं उनका चयन शासन द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
3. घोषित चयन परिणाम मान. उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019, 9026/2023 एवं मान. सर्वोच्च न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. (सी) 12398/2023 एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
4. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

सचिव

जी-16656/48816/2023 **म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर**

(पिछले पृष्ठ का शेष)

सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश :-**

यदि आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

(क) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
(ख) प्रतिरूपण किया हो; या
(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
(घ) कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
(ङ) ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या
(च) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या
(छ) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या
(ज) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक क्षति पहुंचाई हों; या
(झ) उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हों; या
(ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा
और/ या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।
(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं :- ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।**

8. **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश (परीक्षा आयोजन की स्थिति में) :**

(क) परीक्षा का परिणाम केवल "रोज़गार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।
(ख) परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।
(ग) साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।
(ख) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।
(ग) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-
1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो।

(घ) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**
(ङ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।
(च) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

जी-16606/48808/2023

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

आयुष विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु व्याख्याता इलाज बित तदाबीर (Lecturer Ilaaj Bit Tadabeer) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 27/2023/12/07/2023

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)

आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10.10.2023

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता इलाज बित तदाबीर (Lecturer Ilaaj Bit Tadabeer) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। **आवेदन-पत्र दिनांक 29.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 28.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. व्याख्याता इलाज बित तदाबीर (Lecturer Ilaaj Bit Tadabeer) के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट-IV का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में **त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 04.09.2023 से 30.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)** तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र रुपये 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अतः वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है, तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

E. पात्रता :-

1. **शैक्षणिक अर्हता -**

   अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

   1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यूनानी में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
   2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में यूनानी में स्नातकोत्तर अर्हता।
   3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

   उपाधि का नाम - BUMS एवं MD (इलाज बित तदाबीर)

   सह विषय :-

   मोअल्लाजात, तहफ्फुज़ी व समाजी तिब्ब

2. **रोज़गार पंजीयन -**

   (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

   (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

   (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक-अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।

3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे संबंधित विभाग को अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्राविधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

G. अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अतः समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र

मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अत: अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।

3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं एवं परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

परिशिष्ट-I

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1.	व्याख्याता इलाज बित तदाबीर (Lecturer Ilaaj Bit Tadabeer)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग के पत्र क्रमांक 1-18/2019/1-59 दिनांक 25.04.2023 के अनुसार व्याख्याता इलाज बित तदाबीर (Lecturer Ilaaj Bit Tadabeer) का पुनरीक्षित पद विवरण निम्नानुसार रखा गया है -

मुख्य भाग (87%)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रावधिक भाग (13%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

दो **पद का विवरण**

01	पद का नाम	:	व्याख्याता इलाज बित तदाबीर (Lecturer Ilaaj Bit Tadabeer)
	विभाग का नाम	:	आयुष विभाग
	श्रेणी	:	राजपत्रित **(द्वितीय श्रेणी)**
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	56100-177500
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	अध्यापन कार्य एवं चिकित्सालयीन कार्य।

तीन **शैक्षणिक अर्हता** : अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

1- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यूनानी में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।

2- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में यूनानी में स्नातकोत्तर अर्हता।

3- संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम : BUMS एवं MD (इलाज बित तदाबीर)

सह विषय :-

मोअल्लाजात, तहफ्फुजी व समाजी तिब्ब

विशेष:

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28.09.2023 तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

(4) जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं वे अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

चार **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छः **(क) आयु सीमा :** 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो.

(ख) आयु सीमा में छूट : मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अत: सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात **आयु संगणना तिथि 01.01.2024**

आठ **अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष**

नौ **चयन प्रक्रिया :-** चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु निम्नानुसार संख्या में तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों -

वर्ग/प्रवर्गवार पदों की संख्या अनारक्षित, अनु. जनजाति, अनु. जाति, अन्य, पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्ल्यू.एस. एवं महिलाओं/दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु पृथक-पृथक विज्ञापित पद संख्या	साक्षात्कार के लिए अर्हकारी परीक्षाओं की मेरिट सूची अनुसार बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
एक पद के लिए	12 उम्मीदवारों तक
2 और 3 पदों के लिए	24 उम्मीदवारों तक
4 से 6 पदों के लिए	36 उम्मीदवारों तक
7 से 9 पदों के लिए	48 उम्मीदवारों तक
10 तथा उससे अधिक पदों के लिए	05 गुना उम्मीदवारों तक

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप:-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट IV** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट -II**

(ii) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश **परिशिष्ट -III**

(iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-IV**

सचिव

परिशिष्ट-II

आयु सीमा में छूट

एक **उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

तथा

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गो हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

1. भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।
2. भूतपूर्व सैनिकों हेतु देय आयु-सीमा की छूट तथा आरक्षण केवल उन अभ्यर्थियों को देय होगा जो आवेदन करने की तिथि को अथवा उसके पूर्व सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अभ्यर्थी को प्रमाणीकरण हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(दो) **प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट**

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप : (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट : (01) उपरोक्त परिशिष्ट – ''एक'' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अ.पि. वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट - III

अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. किसी भी पद हेतु विज्ञापित विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य हैं, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख साक्षात्कार पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होंगे। यदि अभिलेखों की जाँच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अर्हता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा।
2. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों के पास ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
4. अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जाँच करने के उपरांत ही ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियां पूर्ण न हो तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।
5. म.प्र. के मूल निवासी ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों को ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि के वित्तीय वर्ष का ही मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं, उसके पूर्व एवं पश्चात के वित्तीय वर्ष के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसी स्थिति में आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी और इस संबंध में आवेदक द्वारा यदि ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र के अभाव में, अनारक्षित श्रेणी में मान्य किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते है तो उन्हें मान्य नहीं किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाएगा।
6. यदि आवेदक म.प्र. शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस तक की तिथि में निरन्तर सेवा में है तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को, शासकीय सेवक के आयु-सीमा का लाभ प्रदाय किया जाएगा।
7. यदि आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है किन्तु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को शासकीय सेवक को देय आयु सीमा की छूट का लाभ देय नहीं होगा। अधिक आयु होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
8. यदि म.प्र. के मूल निवासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है किन्तु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे है या होने वाले हो ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्रदाय नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे।
9. **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :** दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में आवेदक की दिव्यांगता श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है।
10. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरुष/महिला, दिव्यांगजन की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
11. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।
12. मध्यप्रदेश के मूलनिवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वांछित दस्तावेज आदि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। साक्षात्कार दिवस को किसी कारणवश आवेदक यदि मध्यप्रदेश रोज़गार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में आवेदक का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अर्हता से संबंधित अभिलेखों की मान्यता तिथि के संदर्भ में आवश्यक निर्देश

क्रमांक	अभिलेख		निर्देश
1.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि		ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास स्नातकोत्तर उपाधि होना आवश्यक है।
2.	चिकित्सा परिषद् में स्थाई पंजीयन		ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् में स्थाई पंजीयन होना आवश्यक है। अन्य प्रदेशों के पंजीकृत अभ्यर्थियों को चयन होने पर मध्यप्रदेश के चिकित्सा परिषद् में पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
3.	रोज़गार पंजीयन	(क)	माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
		(ख)	मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
		(ग)	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक-अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
4.	मध्यप्रदेश के मूल निवास/ स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र		मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास/ स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
5.	जाति प्रमाण-पत्र		ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र में उनके क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणीकरण भी अनिवार्य है।
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र		मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। उक्त तिथि के बाद जारी अथवा पूर्व के वित्तीय वर्ष/वर्षों हेतु जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।
7.	भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र		ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो एवं उसके पास विहित प्राधिकारी द्वारा जारी डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
8.	शासकीय सेवकों होने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र/विभाग को सूचना अभिलेख		जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

9.	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल-निवासी दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारित करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

टीप -

1. अभ्यर्थी की पात्रता श्रेणी के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् ऑनलाइन फार्म की छायाप्रति के साथ उपरोक्तानुसार उल्लेखित अभिलेखों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10.10.2023 (शाम 6:00 बजे) तक आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगी। डाक विभाग या अन्य किसी प्रायवेट एजेंसी के माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए अभिलेख आयोग द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10.10.2023 (शाम 6:00 बजे) के पश्चात् प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी, उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाकर निरस्त किया जाएगा।
2. साक्षात्कार दिवस पर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को भेजे गए शैक्षणिक दस्तावेजों की छायाप्रति का आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेखों से मिलान का कार्य किया जाएगा, अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन बिना विचार किए निरस्त किया जाएगा।

परिशिष्ट-IV

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

(क) उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे

1. www.mponline.gov.in 2. mppsc.mp.gov.in

(ख) अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधाधारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(ग) अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिंचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्शन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टत: दिख रही हों।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार नहीं है। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य है, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिंचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

(घ) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

(ङ) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुन: अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

(च) आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

(छ) **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 04.09.2023 से 30.09.2023 (दोपहर 12:बजे) तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र रुपये 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपये 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

(ज) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2. परीक्षा हेतु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रुपये 250/-	**रुपये 500/-**

टीप: आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28.09.2023 है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

दूरभाष :- हेल्पलाइन – 0755-6720220 तथा 0755-6720221

4. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मैट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ------------------------ आयोग के मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता इलाज बित तदाबीर (Lecturer Ilaaj Bit Tadabeer) क्रमांक **27/2023 दिनांक 12/07/2023** के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ

1. मैं -------------------- पुत्र/पुत्री श्री---------------------- निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/------------------ जिला -----------, मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं --------------- जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

दिनांक :- -----------------

हस्ताक्षर---------------------

नाम-------------------------

रोल नंबर--------------------

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/ छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन

(शेष अगले पृष्ठ पर)

कार्यालय मुख्य अभियंता (भोपाल परिक्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, भोपाल (म.प्र.)

ईमेल: cepwdcapital@mp.nic.in दूरभाष/फैक्स क्रमांक :0755-2551403

निविदा सूचना

निविदा सूचना क्र. 35/सा/01/विविध/2019 (वर्ष 2023) **भोपाल, दिनांक : 10.07.2023**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण **वेबसाइट https://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

टेंडर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	आमंत्रण क्र.	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	रिमार्क
क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. आमलपुर से गोगिया व्हाया सन्यासा मार्ग ल. 4.50 कि.मी. निर्माण					
2023_PWDRB_288418_1	हरदा	प्लान	द्वितीय	591.23	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने हैं।
क्र. एवं कार्य का नाम :– 2. आदमपुर से अवगांवकला से भैरोपुर मार्ग ल. 3.00 कि.मी.					
2023_PWDRB_288419_1	हरदा	प्लान	द्वितीय	542.40	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने हैं।
क्र. एवं कार्य का नाम :– 3. जिंजगांव से झाड़पा व्हाया सिंघखेड़ा मार्ग ल. 8.00 कि.मी.					
2023_PWDRB_288420_1	हरदा	प्लान	द्वितीय	895.08	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने हैं।
क्र. एवं कार्य का नाम :– 4. अहलवाड़ा से सन्यासा व्हाया गोंदागांव मार्ग ल. 11.50 कि.मी.					
2023_PWDRB_288421_1	हरदा	प्लान	द्वितीय	1395.16	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने हैं।
क्र. एवं कार्य का नाम :– 5. गुठानिया सिरकम्बा से गहाल मार्ग निर्माण कार्य ल. 12.00 कि.मी.					
2023_PWDRB_288422_1	हरदा	प्लान	द्वितीय	1016.99	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने हैं।
क्र. एवं कार्य का नाम :– 6. धुरवाड़ा जिजगांव सिंघखेड़ा बालागांव मार्ग निर्माण कार्य ल. 12.00 कि.मी. निर्माण					
2023_PWDRB_288423_1	हरदा	प्लान	द्वितीय	1016.47	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने हैं।
क्र. एवं कार्य का नाम :– 7. झुंडगांव से झाडपा ब्रिज तक मार्ग ल. 3.00 कि.मी. का निमार्ण					
2023_PWDRB_288424_1	हरदा	प्लान	द्वितीय	549.22	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने हैं।
क्र. एवं कार्य का नाम :– 8. कंडोला से सुखरास व्हाया कलनपुर मार्ग का निर्माण कार्य ल. 8.00 कि.मी.					
2023_PWDRB_288425_1	हरदा	प्लान	द्वितीय	677.56	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने हैं।
क्र. एवं कार्य का नाम :– 9. लोलांगरा से राहतकला मार्ग ल. 4.10 कि.मी. का निर्माण					
2023_PWDRB_290352_1	हरदा	प्लान	द्वितीय	628.79	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने हैं।
क्र. एवं कार्य का नाम :– 10. पिपलानी बी सेक्टर खजुरीकला से नया भोपाल बायपास ल. 4.20 कि.मी. तक चार लेन मार्ग का निर्माण कार्य विद्युतीकरण कार्य सहित					
2023_PWDRB_290353_1	भोपाल (स.क्र.-2 भोपाल)	प्लान	द्वितीय	1871.14	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने हैं।
क्र. एवं कार्य का नाम :– 11. निजामुद्दीन-आनंदनगर-कोकता (हथाईखेड़ा मार्ग) भोपाल लंबाई 5.00 कि.मी. का निर्माण					
2023_PWDRB_290354_1	भोपाल (संधा स.क्र.-2 भोपाल)	प्लान	प्रथम	1271.92	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने हैं।
क्र. एवं कार्य का नाम :–12. ग्रुप-पी-1) टिटोरा ग्राम में सीहोर भोपाल बरखेड़ी मार्ग पर गौशाला मंदिर से जिंदबाबा मंदिर तक सी.सी. मार्ग निर्माण-2) निबुखेड़ा से सोहनखेड़ा मार्ग					
2023_PWDRB_290355_1	सीहोर	प्लान	प्रथम	569.64	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने हैं।
			योग	**11025.60**	

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डॉक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम **तिथि 28.07.2023 (17.30)** बजे निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

जी-16737/48821/2023 **मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल परिक्षेत्र भोपाल**

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 01/12/2023, दिनांक 10.07.2023

व्याख्याता पंचकर्म (Lecturer Panchakarma) के पदों की पूर्ति ऑनलाइन आवेदन तिथियों में संशोधन की सूचना

01. आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग, हेतु निम्नानुसार विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं:-

क्र.	विज्ञापन क्रमांक/दिनांक	विज्ञापित पद का नाम
1.	12/2023, दिनांक 21.06.2023	व्याख्याता पंचकर्म (Lecturer Panchakarma)

02 उक्त विज्ञापन में अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 10.07.2023 रखी गई थी। तकनीकी कारणों से एम.पी. ऑनलाइन के अनुरोध पर ऑनलाइन आवेदन संबंधी तिथियों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है -

1.	ऑनलाइन आवेदन अवधि	:	26.07.2023 से 25.08.2023 दोपहर 12:00 बजे तक
2.	त्रुटि सुधार अवधि	:	30.07.2023 से 27.08.2023 दोपहर 12:00 बजे तक
3.	आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि	:	06.09.2023 शाम 06:00 बजे तक

05 विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

जी-16631/48812/2023 **उप सचिव**

(पिछले पृष्ठ का शेष)

(Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश :-**

यदि आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

(क) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

(ख) प्रतिरूपण किया हो; या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

(घ) कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

(ङ) ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

(च) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या

(छ) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या

(ज) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक क्षति पहुंचाई हों; या

(झ) उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हों; या

(ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी भी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा

और/ या

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं :- ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।**

8. **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश (परीक्षा आयोजन की स्थिति में) :**

(क) परीक्षा का परिणाम केवल "रोज़गार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

(ख) परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

(ग) साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ख) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(ग) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो।

(घ) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्कैन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(ङ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(च) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

जी-16655/48815/2023

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

आयुष विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु व्याख्याता जराहियात (Lecturer Jarahiyaat) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 26/2023/12/07/2023

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)

आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10.10.2023

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता जराहियात (Lecturer Jarahiyaat) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। **आवेदन-पत्र दिनांक 29.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 28.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. व्याख्याता जराहियात (Lecturer Jarahiyaat) के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अत: अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट-IV का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में **त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 04.09.2023 से 30.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)** तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र रुपये 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अत: वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

E. पात्रता :-

1. **शैक्षणिक अर्हता -**

   अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

   1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यूनानी में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
   2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में यूनानी में स्नातकोत्तर अर्हता।
   3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

   उपाधि का नाम - BUMS एवं MS (इल्मुल जराहत)

2. **रोज़गार पंजीयन -**

   (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

   (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

   (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक-अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।

3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे संबंधित विभाग को अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

G. अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अत: समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र

मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अत: अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।

3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं एवं परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

परिशिष्ट-I

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1.	व्याख्याता जराहियात (Lecturer Jarahiyaat)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग के पत्र क्रमांक 1-18/2019/1-59 दिनांक 25.04.2023 के अनुसार व्याख्याता जराहियात (Lecturer Jarahiyaat) का पुनरीक्षित पद विवरण निम्नानुसार रखा गया है -

मुख्य भाग (87%)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रावधिक भाग (13%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

दो **पद का विवरण**

01	**पद का नाम**	:	**व्याख्याता जराहियात (Lecturer Jarahiyaat)**
	विभाग का नाम	:	**आयुष विभाग**
	श्रेणी	:	राजपत्रित **(द्वितीय श्रेणी)**
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	56100-177500
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	अध्यापन कार्य एवं चिकित्सालयीन कार्य।

तीन **शैक्षणिक अर्हता** : अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

1- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यूनानी में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
2- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में यूनानी में स्नातकोत्तर अर्हता।
3- संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम : BUMS एवं MS (इल्मुल जराहत)

विशेष:

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28.09.2023 तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।
(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।
(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।
(3) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।
(4) जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं वे अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

चार **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: **(क) आयु सीमा :** 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो.

(ख) आयु सीमा में छूट : मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अत: सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात **आयु संगणना तिथि 01.01.2024**

आठ **अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष**

नौ **चयन प्रक्रिया :-** चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु निम्नानुसार संख्या में तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों -

वर्ग/प्रवर्गवार पदों की संख्या अनारक्षित, अनु. जनजाति, अनु. जाति, अन्य, पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्ल्यू.एस. एवं महिलाओं/दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु पृथक-पृथक विज्ञापित पद संख्या	**साक्षात्कार के लिए अर्हकारी परीक्षाओं की मेरिट सूची अनुसार बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या**
एक पद के लिए	12 उम्मीदवारों तक
2 और 3 पदों के लिए	24 उम्मीदवारों तक
4 से 6 पदों के लिए	36 उम्मीदवारों तक
7 से 9 पदों के लिए	48 उम्मीदवारों तक
10 तथा उससे अधिक पदों के लिए	05 गुना उम्मीदवारों तक

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप:-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।
(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा ।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट IV** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेंगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट -II**
(ii) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश **परिशिष्ट -III**
(iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-IV**

सचिव

परिशिष्ट-II
आयु सीमा में छूट

एक **उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

तथा

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गो हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

1. भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।
2. भूतपूर्व सैनिकों हेतु देय आयु-सीमा की छूट तथा आरक्षण केवल उन अभ्यर्थियों को देय होगा जो आवेदन करने की तिथि को अथवा उसके पूर्व सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अभ्यर्थी को प्रमाणीकरण हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(दो) **प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट**

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप : (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट : **(01) उपरोक्त परिशिष्ट – ''एक'' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।**

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अ.पि. वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।**

परिशिष्ट - III

अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. किसी भी पद हेतु विज्ञापित विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख साक्षात्कार पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाने आवश्यक होंगे। यदि अभिलेखों की जाँच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अर्हता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा।
2. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों के पास ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
4. अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जाँच करने के उपरांत ही ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियां पूर्ण न हो तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।
5. म.प्र. के मूल निवासी ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों को ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि के वित्तीय वर्ष का ही मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, उसके पूर्व एवं पश्चात के वित्तीय वर्ष के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसी स्थिति में आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी और इस संबंध में आवेदक द्वारा यदि ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र के अभाव में, अनारक्षित श्रेणी में मान्य किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें मान्य नहीं किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाएगा।
6. यदि आवेदक म.प्र. शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस तक की तिथि में निरन्तर सेवा में है तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को, शासकीय सेवक के आयु-सीमा का लाभ प्रदाय किया जाएगा।
7. यदि आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है किन्तु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को शासकीय सेवक को देय आयु सीमा की छूट का लाभ देय नहीं होगा। अधिक आयु होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
8. यदि म.प्र. के मूल निवासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है किन्तु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद सेवा से सेवानिवृत हो रहे हैं या होने वाले हों ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्रदाय नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे।
9. **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :** दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में आवेदक की दिव्यांगता श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है।
10. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरुष/महिला, दिव्यांगजन की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
11. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।
12. मध्यप्रदेश के मूलनिवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वांछित दस्तावेज आदि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साक्षात्कार दिवस को किसी कारणवश आवेदक यदि मध्यप्रदेश रोज़गार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में आवेदक का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अर्हता से संबंधित अभिलेखों की मान्यता तिथि के संदर्भ में आवश्यक निर्देश

क्रमांक	अभिलेख		निर्देश
1.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि		ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास स्नातकोत्तर उपाधि होना आवश्यक है।
2.	चिकित्सा परिषद् में स्थाई पंजीयन		ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् में स्थाई पंजीयन होना आवश्यक है। अन्य प्रदेशों के पंजीकृत अभ्यर्थियों को चयन होने पर मध्यप्रदेश के चिकित्सा परिषद् में पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
3.	रोज़गार पंजीयन	(क)	माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
		(ख)	मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
		(ग)	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक-अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
4.	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र		मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास/स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
5.	जाति प्रमाण-पत्र		ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र में उनके क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणीकरण भी अनिवार्य है।
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र		मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। उक्त तिथि के बाद जारी अथवा पूर्व के वित्तीय वर्ष/वर्षों हेतु जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।
7.	भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र		ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो एवं उसके पास विहित प्राधिकारी द्वारा जारी डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
8.	शासकीय सेवकों होने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र/विभाग को सूचना अभिलेख		जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

9.	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल-निवासी दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारित करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के http://www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

टीप -

1. अभ्यर्थी की पात्रता श्रेणी के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् ऑनलाइन फार्म की छायाप्रति के साथ उपरोक्तानुसार उल्लेखित अभिलेखों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10.10.2023 (शाम 6:00 बजे) तक आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगी। डाक विभाग या अन्य किसी प्रायवेट एजेंसी के माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए अभिलेख आयोग द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10.10.2023 (शाम 6:00 बजे) के पश्चात् प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी, उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाकर निरस्त किया जाएगा।
2. साक्षात्कार दिवस पर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को भेजे गए शैक्षणिक दस्तावेजों की छायाप्रति का आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेखों से मिलान का कार्य किया जाएगा, अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन बिना विचार किए निरस्त किया जाएगा।

परिशिष्ट-IV

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

(क) उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे

1. www.mponline.gov.in 2. mppsc.mp.gov.in

(ख) अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधाधारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(ग) अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट है।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिंचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्शन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टत: दिख रही हों।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार नहीं है। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य है, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिंचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

(घ) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

(ङ) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुन: अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

(च) आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

(छ) **त्रुटिसुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 04.09.2023 से 30.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र रुपये 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटिसुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपये 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

(ज) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2. परीक्षा हेतु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रुपये 250/-	**रुपये 500/-**

टीप: आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28.09.2023 है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

दूरभाष :- हेल्पलाइन – 0755-6720220 तथा 0755-6720221

4. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मैट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षो/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

---

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं -------------------------------- आयोग के मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता जराहियात (Lecturer Jarahiyaat) क्रमांक **26/2023 दिनांक 12/07/2023** के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ

1. मैं -------------------- पुत्र/पुत्री श्री---------------------- निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/------------------ जिला ------------, मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं --------------- जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

दिनांक :- -----------------

हस्ताक्षर----------------------

नाम---------------------------

रोल नंबर---------------------

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/ छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम

(शेष अगले पृष्ठ पर)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग मुरैना
सूबात रोड, मुरैना (म.प्र.)

क्रमांक 2630/निविदा/नि.सू.क्र. 14/2023-24 **मुरैना, दिनांक : 18.07.2023**

निविदा विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत ठेकेदारों से मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु सड़क एवं पुल कार्यों की दर अनुसूची प्रभावशील दिनांक 25.03.2022 पर निविदा आमंत्रण सूचना जारी होने के दिनांक तक समस्त संशोधनों सहित ई-टेंडरिंग पद्धति द्वारा ऑनलाइन निविदाएं अपेन्डिक्स 2.10 में निहित शर्तों के अनुरूप आमंत्रित की जाती हैं, जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं कार्यों का विवरण वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है। वेबसाइट पर होने वाली तकनीकी समस्याओं हेतु विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

टेण्डर आई.डी. क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रुपयों में)	अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (रुपयों में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु.)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
2023_ PWDRB_ 292054	निर्माण कार्य (एम.पी.एम. डी.आर.-02-09) मुरैना एन.एच. 552 से बागचीनी (नंदपुरा) ए.बी. कनोल तक मार्ग लंबाई 15.10 कि.मी. (मय पोल शिफ्टिंग)	306627000/- (तीन करोड़ छियासठ लाख सत्ताईस हजार)	1533135/-	50000/- + Portal Charges	28 माह (वर्षाकाल सहित)
2023_ PWDRB_ 292057	निर्माण कार्य एम.एस. रोड एन.एच. 552 सबलगढ़ से झुण्डपुरा नगर पंचायत तक टू लेन मार्ग लंबाई 20.70 कि.मी. (मय पोल शिफ्टिंग)	244318000/- (चौबीस करोड़ तेतालीस लाख अठारह हजार)	1221590/-	50000/- + Portal Charges	28 माह (वर्षाकाल सहित)
	योग - 02 कार्य	**550945000/- (पचपन करोड़ नौ लाख पैंतालीस हजार)**			

1. ऑनलाइन टेण्डर पब्लिश दिनांक - 18.07.2023 समय 17.30 बजे
2. निविदा प्रपत्र डाउनलोड/विक्रय प्रारंभ दिनांक - 18.07.2023 समय 17.30 बजे से
3. निविदा प्रपत्र डाउनलोड/विक्रय अंतिम दिनांक - **04.08.2023 समय 17.30 बजे तक**
4. प्री-बिड मीटिंग का दिनांक एवं समय - 01.08.2023 समय 11.30 बजे तक
5. ऑनलाइन बिड सबमिशन का प्रारंभ दिनांक - 18.07.2023 समय 17.30 बजे तक
6. ऑनलाइन बिड सबमिशन का अंतिम दिनांक - 04.08.2023 समय 17.30 बजे तक
7. बिड ओपनिंग दिनांक - 05.08.2023 समय 17.30 बजे

a. अनुबंध के पूर्व एवं अनुबंध अवधि में लेबर पंजीयन करना अनिवार्य होगा, निविदा की वैधता अवधि 120 दिवस होगी।
b. निविदा संबंधी संशोधन उसी टेण्डर में ऑनलाइन देखे जा सकेंगे, अतिरिक्त प्रेस नोट नहीं निकाला जावेगा।
c. सक्षम अधिकारी को निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
d. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान हो सकेगा।
e. निविदाएं ऑनलाइन ही प्रस्तुत की जावें, भौतिक रूप से कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जावेगा।
f. शासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त नियम एवं संशोधन प्रभावशील होंगे।

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डॉक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेंगे। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है।

कार्यपालन यंत्री

जी-17033/48836/2023 **लोक निर्माण विभाग संभाग मुरैना, फोन नं. - 07532-226361**

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 04/01/2022, दिनांक 04.07.2023

दन्त शल्य चिकित्सक परीक्षा 2022
चयन प्रक्रिया के संबंध में सूचना

01. आयोग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु दन्त शल्य चिकित्सक के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 01/2022, दिनांक 01.02.2022 आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** पर जारी किया गया है।

02 उपरोक्त विज्ञापन में महत्वपूर्ण की कंडिका 3 तथा विज्ञापन की कंडिका आठ-चयन प्रक्रिया में, भर्ती नियम में संविदा कर्मियों हेतु बोनस अंकों की व्यवस्था न होने के कारण निम्नानुसार टंकण त्रुटि को संशोधन किया जाता है:-

कंडिका	विज्ञापित व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
उक्त विज्ञापन के महत्वपूर्ण बिन्दु 3 एवं कंडिका आठ	परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम, परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों एवं संविदा चिकित्सकों को देय वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा।	परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम, परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा।

03 विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

जी-16657/48817/2023 **उप सचिव**

(पिछले पृष्ठ का शेष)

के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश :-**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

(क) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
(ख) प्रतिरूपण किया हो; या
(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
(घ) कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
(ङ) ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या
(च) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या
(छ) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या
(ज) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक क्षति पहुंचाई हों; या
(झ) उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हों; या
(ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा
और/ या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।
(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं :- ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।**

8. **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश (परीक्षा आयोजन की स्थिति में) :**

(क) परीक्षा का परिणाम केवल "रोज़गार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।
(ख) परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।
(ग) साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।
(ख) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।
(ग) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-
   1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
   2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो।
(घ) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**
(ङ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।
(च) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

जी-16630/48811/2023

खेल चर्चा

ऋतुराज होंगे एशियाई खेलों में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान

मुंबई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इस वर्ष चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए भारत की पुरुष और महिला टीमों की घोषणा कर दी है। महिला टीम की कमान हरमनप्रीत कौर संभालेंगी, वहीं युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को पुरुष टीम का कप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम में ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा यशस्वी जायसवाल, राहुल त्रिपाठी, तिलक वर्मा, रिंकु सिंह, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद, रवि बिश्नोई, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, शिवम मावी, शिवम दुबे और प्रभसिमरन सिंह को जगह मिली है, वहीं वेंकटेश अय्यर, यश ठाकुर, साई किशोर, साई सुदर्शन और दीपक हुड्डा स्टैंडबाय खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल किए गए हैं।

ली शी फेंग ने जीता यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट

वाशिंगटन, चीन के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी ली शी फेंग ने यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है। टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में शी फेंग ने थाईलैंड के कुल्नावुत वितिदसर्न को लगातार गेमों में 21-15, 21-18 से हराया। शी फेंग ने पहला गेम आसानी से जीत लिया, लेकिन दूसरे गेम में वितिदसर्न ने शी फेंग को कड़ी टक्कर दी। शी फेंग ने दूसरा गेम बेहद नजदीकी अंतर से जीतकर खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग का खिताब सुपनिदा कटेथोंग ने जीता।

मैक्स वर्स्टापेन ने जीती लगातार छठवीं फॉर्मूला-वन रेस

सिल्वरस्टोन, नीदरलैंड्स के फॉर्मूला-वन चैम्पियन रेसर मैक्स वर्स्टापेन ने फॉर्मूला-वन सर्किट पर जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। मैक्स वर्स्टापेन ने मौजूदा सत्र में लगातार छठवीं रेस जीती है। वर्स्टापेन ने ब्रिटिश ग्रांप्री में पोल पोजिशन से शुरुआत की और 52 लैप की इस रेस को एक घंटा 25 मिनट 16.398 सेकेंड में पूरा कर खिताब जीता। रेस में लेंडो नॉरिस ने वर्स्टापेन को कड़ी टक्कर दी, लेकिन वे मामूली अंतर से वर्स्टापेन से पिछड़ गए और दूसरे स्थान पर रहे। रेस में ब्रिटिश रेसर लुईस हैमिल्टन तीसरे, ऑस्कर पिएस्त्री चौथे तथा जॉर्ज रसेल पांचवें स्थान पर रहे।

बांग्लादेश ने 2-0 से जीती ट्वेंटी-20 सीरीज

सिलहट, बांग्लादेश ने दो मैचों की ट्वेंटी-20 सीरीज में अफगानिस्तान को 2-0 से मात दी है। बांग्लादेश ने सीरीज के दूसरे और आखिरी मैच में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की। बारिश के कारण मैच को 17-17 ओवरों का किया गया। तेज गेंदबाज तस्किन अहमद ने घातक गेंदबाजी की बदौलत बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 116 रन पर रोक दिया। डकवर्थ लुईस नियम के तहत बांग्लादेश को जीत के लिए 119 रनों का लक्ष्य मिला। बांग्लादेश ने यह लक्ष्य 16.1 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल किया। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

कार्लोस अलकराज पहली बार बने विम्बलडन चैम्पियन

लंदन, टेनिस के उभरते स्टार कार्लोस अलकराज ने एक बार फिर बड़े स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अलकराज पुरुष टेनिस के सबसे सफल खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर विम्बलडन ग्रैंड स्लैम के विजेता बने हैं। अलकराज ने पहली बार यह खिताब जीता है। टूर्नामेंट के फाइनल में अलकराज ने नोवाक जोकोविच को रोमांचक मुकाबले में 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 से हराया।

फाइनल मैच में जोकोविच ने अपने चिर परिचित अंदाज में आक्रामक शुरुआत की और पहले सेट में अलकराज को आसानी से चित कर दिया। अलकराज पहले सेट में महज एक ही गेम जीत सके। दूसरे सेट में अलकराज ने वापसी की और जल्द ही 0-2 की बढ़त बना ली। इसके बाद जोकोविच ने भी बराबरी करते हुए स्कोर 2-2 कर दिया। इस सेट में कांटे की टक्कर देखने को मिली। 12 गेम के बाद स्कोर 6-6 से बराबर रहने के बाद सेट टाइब्रेकर में गया। टाइब्रेकर में अलकराज ने जोकोविच को पछाड़ते हुए बाजी जीती।

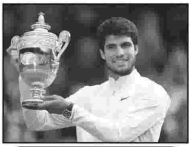

- कार्लोस अलकराज अब तक दो ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं।
- इससे पहले अलकराज ने वर्ष 2022 में यूएस ओपन जीता था।
- ये अलकराज के टेनिस कॅरियर का 12वां एटीपी खिताब है।
- विम्बलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तीसरे सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं अलकराज।
- रोजर फेडरर ने सबसे ज्यादा 8 बार जीता है विम्बलडन टूर्नामेंट, वहीं जोकोविच 7 बार बने हैं चैम्पियन।

तीसरे सेट में भी अलकराज का शानदार खेल जारी रहा। इस सेट में अलकराज के सामने जोकोविच ज्यादा देर तक टिक नहीं पाये और 6-1 से अलकराज जीत गए। चौथे सेट में जोकोविच वापसी करने में सफल रहे। जोकोविच ने इस सेट में पिछड़ने के बाद शानदार खेल दिखाया और 6-3 से जीत दर्ज की। मैच का पांचवां सेट निर्णायक रहा। पांचवें सेट में अलकराज ने बेहतरीन खेल दिखाया और लगातार अंक अर्जित कर सेट 6-4 से जीतकर खिताब पर कब्जा जमाया।

महिला वर्ग में वोंड्रोसोवा बनीं चैम्पियन

चेक गणराज्य की महिला टेनिस खिलाड़ी मर्टेका वोंड्रोसोवा ने विम्बलडन में महिला एकल वर्ग का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। मर्टेका विम्बलडन जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बन गई हैं। मर्टेका ने फाइनल में ट्यूनीशिया की दिग्गज खिलाड़ी ओंस जाबेउर को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराया। मैच के दोनों सेटों में जाबेउर ने बढ़त बनाई, लेकिन वे इसे बरकरार नहीं रख पाईं और मर्टेका ने शानदार प्रदर्शन का अपना पहला ग्रैंडस्लैम खिताब जीता।

सुमित ने विश्व पैरा एथेलेटिक्स में जीता स्वर्ण पदक

पेरिस, भारत के पैरा एथलीट सुमित अंतिल ने फ्रांस में आयोजित विश्व पैरा एथेलेटिक्स चैम्पियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। सुमित ने चैम्पियनशिप में भाला फेंक के एफ-64 वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सुमित ने अपने पहले प्रयास में ही 70.83 मीटर की दूरी तय की, जोकि भाला फेंक के इस वर्ग में नया विश्व रिकॉर्ड है। इससे पहले सुमित ने टोक्यो पैरालिंपिक में 68.08 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता था।

रॉरी मैक्लरॉय ने जीता स्कॉटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट

गुलेन, आयरलैंड के अनुभवी गोल्फर रॉरी मैक्लरॉय ने स्कॉटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। मैक्लरॉय ने 15 अंडर 265 का स्कोर बनाते हुए जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में मैक्लरॉय को स्कॉटलैंड के रॉबर्ट मैक्इंटायर ने कड़ी टक्कर दी। अंत में मैक्लरॉय ने अंतिम बर्डी के लिए शानदार शॉट जमाया। विश्व के नंबर वन गोल्फर स्कॉटी शेफलर इस प्रतियोगिता में बेयोंग हुं एन और डेविन लिंगमर्थ के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। मैक्लरॉय ने कहा कि ब्रिटिश ओपन से पहले मिली यह जीत आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगी।

भारत ने पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को हराया

डोमिनिका, भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज दौरे की शुरुआत जीत के साथ की है। भारत ने डोमिनिका में खेले गए टेस्ट सीरीज के पहले मैच में वेस्टइंडीज को पारी और 141 रनों से करारी मात दी है। मैच में भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतकीय पारी खेली। जायसवाल टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण मैच में शतक बनाने वाले 17वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।

मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। सलामी बल्लेबाज क्रेग ब्रेथवेट और तेजनारायण चंद्रपॉल ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए टीम को सधी शुरुआत दिलाई। इस जोड़ी को रविचंद्रन अश्विन ने पवेलियन लौटाया। इसके बाद युवा बल्लेबाज एलिक एथनेज (47) ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी संघर्षपूर्ण पारी के बावजूद

वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 150 रन ही बना सकी। इसके जवाब में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 229 रनों की साझेदारी की। जायसवाल ने 171 रन बनाये जबकि रोहित ने 103 रनों की पारी खेली।

पहली पारी में खराब प्रदर्शन करने वाले वेस्टइंडीज के बल्लेबाज दूसरी पारी में भी असफल रहे। अश्विन की घातक गेंदबाजी के बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरी पारी में 130 रन पर समेट कर मैच पारी और 141 रन से जीत लिया।

आईसीसी टूर्नामेंट्स में महिलाओं को मिलेगी पुरुषों के समान पुरस्कार राशि

डरबन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि अब आईसीसी टूर्नामेंटों में महिलाओं को पुरुष क्रिकेटरों की तरह एक समान पुरस्कार राशि मिलेगी। आईसीसी ने डरबन में आयोजित वार्षिक कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले ने कहा कि खेल के इतिहास में यह बड़ा फैसला है। उन्होंने कहा कि अब विश्वकप जीतने पर महिला टीम को वही इनामी राशि मिलेगी, जो पुरुष टीम को वन-डे, ट्वेंटी-20 या अंडर-19 विश्वकप जीतने पर मिलती है।

बार्कले ने कहा कि वर्ष 2017 से हमने हर वर्ष महिला प्रतियोगिताओं की पुरस्कार राशि में इजाफा किया है, इसके पीछे हमारा उद्देश्य महिलाओं को भी पुरुषों की बराबरी पर लाना था। हमने इसके लिए वर्ष 2030 तक का लक्ष्य रखा था, मुझे खुशी है कि हमने इसे तय कार्यक्रम से पहले ही पूरा कर लिया है।

स्लो ओवर रेट नियमों में हुआ बदलाव

आईसीसी की वार्षिक कॉन्फ्रेंस में टेस्ट क्रिकेट में ओवर रेट प्रतिबंधों में बदलाव को भी मंजूरी दी गई। आईसीसी ने कहा कि संशोधित नियम के तहत अब टेस्ट क्रिकेट में निर्धारित समय में एक ओवर कम फेंकने पर 5 प्रतिशत और अधिकतम 50 प्रतिशत जुर्माना लगेगा। पहले स्लो ओवर रेट के लिए 100 प्रतिशत जुर्माना और विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप अंक भी काटे जाते थे। आईसीसी ने कहा कि यह नियम विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के इसी सत्र से लागू होगा।

इसके अलावा आईसीसी ने राजस्व वितरण मॉडल को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इस मॉडल के तहत बीसीसीआई को वर्ष 2024-2027 के लिए आईसीसी के वार्षिक राजस्व 600 मिलियन डॉलर में से 38.5 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलेगी।

एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप

भारत ने छह स्वर्ण सहित जीते 27 पदक

बैंकॉक, भारतीय एथलीटों ने थाईलैंड में आयोजित एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य सहित 27 पदक जीते हैं। इस शानदार प्रदर्शन के कारण भारत पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल करने में सफल रहा। पदक तालिका में चीन पहले और जापान दूसरे स्थान पर रहा।

तेजिंदर ने जीता स्वर्ण पदक

भारत के स्टार एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर ने अपना दबदबा बरकरार रखते हुए लगातार दूसरी बार एशियन चैम्पियनशिप में गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तेजिंदर ने चैम्पियनशिप में 20.23 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। स्पर्धा में तेजिंदर ने अपने दूसरे प्रयास में यह दूरी नापी। इस स्पर्धा का रजत पदक ईरान के साबेरी मेंहदी और कांस्य पदक कजाकिस्तान के इवान इवानोव ने जीता।

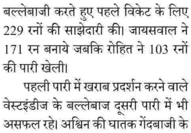

एशियन रिकॉर्डधारी तेजिंदर एशियन चैम्पियनशिप में गोला फेंक स्पर्धा में लगातार दो बार स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय और कुल तीसरे एथलीट हैं।

चैम्पियनशिप में भारत की महिला एथलीटों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। भारत के लिए पारूल चौधरी और ज्योति याराजी ने अपने-अपने वर्ग में दो-दो पदक जीते। पारूल ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक जीता। पारूल ने 9 मिनट 38.76 सेकेंड का समय लेकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया, इसके अलावा पारूल ने महिलाओं की 5000 मीटर में भारत को रजत पदक दिलाया। इस स्पर्धा में भारत की अंकिता ने कांस्य पदक जीता। वहीं ज्योति ने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। ज्योति ने 13.09 सेकेंड में बाधा दौड़ को पूरा कर स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा ज्योति ने महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में भी देश के लिए रजत पदक जीता।

अजय और अब्दुल्ला ने जीते पदक

एशियन चैम्पियनशिप में भारतीय एथलीट अजय कुमार सरोज ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में भारत का परचम लहराते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अजय ने 3 मिनट 41.51 सेकेंड में यह रेस जीती। अजय के अलावा अब्दुल्ला अबुबकर ने भी स्वर्ण पदक जीता। अब्दुल्ला ने पुरुषों की तिहरी कूद स्पर्धा में 16.92 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।

दक्षिण जोन ने दिलीप ट्रॉफी पर जमाया कब्जा

बेंगलुरु, हनुमा विहारी के नेतृत्व वाली दक्षिण जोन टीम ने दलीप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। टूर्नामेंट के फाइनल में दक्षिण जोन ने पश्चिम जोन को 75 रन से हराया। दक्षिण जोन ने 14वीं बार दलीप ट्रॉफी जीती है। मैच में दक्षिण जोन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 213 रन बनाये, इसके जवाब में पश्चिम जोन की टीम 146 रन पर सिमट गई। दूसरी पारी में दक्षिण जोन ने 230 रन बनाकर पश्चिम जोन के सामने 298 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य के सामने पश्चिम क्षेत्र के बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आये। दूसरी पारी में पश्चिम जोन के लिए प्रियंक पंचाल (95) और सरफराज खान (48) ने साहसी पारी खेली, लेकिन वे अपनी टीम को लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाये। दक्षिण जोन के गेंदबाज विद्वथ कावेरप्पा ने शानदार गेंदबाजी कर मैच में 8 विकेट लिये।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

सामयिकी

• अब 57 देशों में वीजा फ्री एंट्री •

मजबूत हुआ भारत का पासपोर्ट

भारत का पासपोर्ट अब और मजबूत हो गया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब दुनियाभर में भारत

के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है। 2022 के मुकाबले इसकी रैंकिंग में पांच अंकों का सुधार देखा गया है।

बता दें कि भारतीय पासपोर्ट पर जिन देशों में वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है उनमें इंडोनेशिया, रवांडा, थाइलैंड, जमायका, श्रीलंका शामिल हैं। वहीं दुनियाभर में 177 देशों की यात्रा करने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है। इनमें चीन, जापान, रूस, यूएस और यूरोप के देश शामिल हैं।

ज्ञात रहे कि हाल ही में सिंगापुर ने जापान को पासपोर्ट की मजबूती के मामले में रीप्लेस कर दिया है। अब सिंगापुर के पासपोर्ट पर दुनियाभर के 192 देशों में वीजा फ्री एंट्री है। पांच साल तक जापान टॉप पर रहा लेकिन अब यह तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। एक दशक पहले यूएस ने भी इस रैंकिंग में टॉप किया था हालांकि अब अमेरिका आठवें स्थान पर है। ब्रेग्जिट के बाद यूके की भी रैंकिंग गिर गई और यह चौथे स्थान पर आ गया। इस मामले में सबसे नीचे अफगानिस्तान है जिसे केवल 27 देश ही वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं।

फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर' से सम्मानित

फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम श्री इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25 वीं वर्षगांठ के अवसर पर फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में एक ऐतिहासिक यात्रा पूरी की। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने पिछले 25 वर्षों में द्विपक्षीय सहयोग के हर क्षेत्र में संबंधों के परिवर्तन और विस्तार की समीक्षा की और क्षेत्रीय जिम्मेदारियों और वैश्विक महत्व की साझेदारी में इसके विकास पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने कहा फ्रांस के लोगों को राष्ट्रीय दिवस के लिए बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। आज मुझे इस उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का गौरव मिला। मुझे खुशी है कि इस अवसर की शोभा और गरिमा बढ़ाने के लिए भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने भाग लिया। राष्ट्रपति मैक्रों ने मुझे फ्रांस के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सम्मान 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। हम फ्रांस के विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। दिल्ली में बनाये जाने वाले नए राष्ट्रीय म्यूजियम में फ्रांस एक पार्टनर के रूप में जुड़ रहा है। अगले वर्ष पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स के लिए सभी भारतीय एथलीट्स बहुत ही उत्सुक हैं। इसके सफल आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति मैक्रों और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और फ्रांस हमेशा साथ रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति मैक्रों से कहा कि इस वर्ष G-20 समिट के दौरान आपका भारत में स्वागत करने के लिए मैं और सभी भारतवासी उत्सुक हैं। एक बार फिर आपकी मित्रता और मुझे दिए गए आदर-सत्कार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

- **पिछले आठ वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यह पांचवीं यात्रा रही।**
- **संयुक्त अरब अमीरात ने जनवरी 2023 में भारत द्वारा 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट' के आयोजन की सराहना की। भारत ने कॉप 28 में दक्षिणी दुनिया के देशों के हितों को बढ़ावा देने और कॉप 28 को "कार्रवाई करने वाला कॉप" बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की सराहना की।**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री इमैनुएल मैक्रों द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर' से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों की ओर से इस विशिष्ट सम्मान के लिए राष्ट्रपति मैक्रों को धन्यवाद दिया। यह पुरस्कार समारोह पेरिस के एलिसी पैलेस में आयोजित किया गया।

अबू धाबी में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। पिछले आठ वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यह पांचवीं यात्रा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आखिरी बार जून 2022 में संयुक्त अरब अमीरात का उस समय दौरा किया था जब वह महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करने के लिए अबू धाबी गए थे और महामहिम के संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति बनने पर उन्हें शुभकामनाएं दी थीं। वर्ष 2015 में, प्रधानमंत्री श्री मोदी 34 वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। इस यात्रा के बाद, 2016 में महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा हुई थी और फिर 2017 में, महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने थे। इसके अलावा, 2017 में महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा के दौरान भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाते हुए एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया था।

अबू धाबी में इन समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर

- दोनों देशों के केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों द्वारा सीमा पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं (आईएनआर-एईडी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
- दोनों देशों के केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों द्वारा भुगतान एवं संदेश प्रणाली को आपस में जोड़ने से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
- अबू धाबी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-दिल्ली की स्थापना की योजना से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

इसरो बना रहा परमाणु ऊर्जा से चलने वाला इंजन

भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रयान-3 को लॉन्च करने के बाद अब एक और कमाल करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इसरो ने पीएसएलवी की शानदार सफलता के बाद अब परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट के लिए इंजन बनाने पर काम करना शुरू कर दिया है।

इसरो ने इसके लिए देश की अग्रणी परमाणु एजेंसी भाभा एटामिक रिसर्च सेंटर (बार्क) के साथ हाथ मिलाया है। विशेषज्ञों के मुताबिक केमिकल से चलने वाले इंजन एक सीमा तक ही ठीक हैं। अगर आप एक स्पेसक्राफ्ट को अनंत अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं या एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाले यान ही कारगर साबित हो सकते हैं।

वहीं अगर सोलर पावर की बात करें तो अंतरिक्ष में बहुत लंबी दूरी तय करने पर सूरज की रोशनी भी नहीं आएगी जिससे रॉकेट का चलना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से अब इसरो ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इंजन पर काम करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसरो और बार्क दोनों ही मिलकर रेडियो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर को विकसित कर रहे हैं।

दुनिया के लिए खाद्य सुरक्षा बड़ी चुनौती

जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की दो दिन की बैठक में अपने संबोधन में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि अपने दीर्घकालिक औसत से नीचे और असमान बनी हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन मुद्दों से जो नीतिगत सबक सामने आए हैं, वे स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

- **140 देश कर नियमों में बदलाव को लेकर समझौते के करीब।**
- **15 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करें बहुराष्ट्रीय कंपनियां।**

उन्होंने कहा कि खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की जरूरत है। महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भविष्य इस पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि 2023 में वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडा पर आगे बढ़ते हुए कम आय वाले देशों की आवाज को बुलंद करने के लक्ष्य के साथ संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्यबल की बहु-वर्षीय कार्ययोजना को अपनाया गया, जिसे क्षेत्रीय संगठनों से मार्गदर्शन मिला।

जी- 20 की बैठक से इतर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने वैश्विक कर करार को अंतिम रूप देने में भारत के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हम समझौते के नजदीक हैं। अंतर्राष्ट्रीय कराधान प्रणाली में एक बड़े सुधार के तहत भारत समेत 140 देश वैश्विक कर नियमों में व्यापक बदलाव के लिए सहमत हुए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में पहली बार जी-20 कार्यक्रम के रूप में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

रूस-यूक्रेन संघर्ष

पुतिन का आदेश नहीं मान रहे रूसी सैनिक

इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर (ISW) की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के कमांडर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश को नहीं मान रहे हैं। अब उनकी यह आदत दूसरे अब सैनिकों के बीच भी फैल रही है। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन की सेना के लिए यह एक नई समस्या पैदा हो गई है। थिंक टैंक ने नोट किया कि रूसी सैन्य ब्लॉगर्स ने 58वें कंबाइंड आर्म्स आर्मी कमांडर कर्नल जनरल इवान पोपोव की बर्खास्तगी पर काफी नाराजगी जताई है। पिछले हफ्ते आए एक ऑडियो में पोपोव फ्रंटलाइन स्थितियों के बारे में सीधे पुतिन से शिकायत कर रहे हैं।

रूसी शीर्ष अधिकारियों को भी बर्खास्त किया जा रहा है। जो सीनियर अधिकारी बर्खास्त हुए हैं उनमें 106वें गार्ड्स एयरबोर्न (वीडीवी) डिवीजन कमांडर मेजर जनरल व्लादिमीर सेलिवरस्टोव, 7वें वीडीवी डिवीजन कमांडर मेजर जनरल अलेक्जेंडर कोर्नेव और 90वें टैंक डिवीजन कमांडर मेजर जनरल रामिल इबातुलिन शामिल हैं। आईएसडब्ल्यू ने कहा है कि कर्नल जनरल मिखाइल टेप्लिंस्की ने आदेश न मानने में एक मिसाल कायम की है जो वर्तमान में रूसी रक्षा मंत्रालय के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गए हैं। 7वें वीडीवी डिवीजन के सैनिकों को भी चेतावनी दी गई है कि अगर मिखाइल टेप्लिंस्की को गिरफ्तार किया गया तो वे कब्जे वाले खेरसॉन से हट जाएंगे। आईएसडब्ल्यू के मुताबिक इससे पता चलता है कि कैसे कमांडरों के बीच आदेश न मानने की आदत अब उनके सैनिकों को भी लगती जा रही है। लेकिन रूस की सेनाओं में बदलाव करना मुश्किल है। थिंक टैंक का कहना है कि पुतिन की युद्ध के लिए अवास्तविक मांगों, सैनिकों को जुटाने के रास्ते में आ रही बाधाओं और रूसी रक्षा मंत्रालय की लगातार अक्षमता को देखते हुए गेरासिमोव या फिर शोइगु के लिए ऐसा करना मुश्किल होगा। आईएसडब्ल्यू ने सुझाव दिया कि इसकी वजह पुतिन खुद हैं जिन्होंने तुरंत नतीजे हासिल करने के चक्कर में नियमित कमांड सीरिज को दरकिनार कर दिया था। थिंक टैंक की मानें तो यह ट्रेंड रणनीतिक रूप से आक्रामक अभियान चलाने की रूस की क्षमताओं को कम कर देगा जो दक्षिणी यूक्रेन में रक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

D-11061/R-48806/2023

स्वामी- मध्यप्रदेश माध्यम, प्रकाशक- मनीष सिंह, मुद्रक- मनीष सिंह द्वारा मेसर्स डी.बी. कॉर्प लिमिटेड, 10-11, सेक्टर-B, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल से मुद्रित एवं मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011 (म.प्र.) से प्रकाशित। सम्पादक- राजीव तिवारी।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर

राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2022, परीक्षा दिनांक 21.05.2023 (रविवार)

परीक्षा परिणाम

विज्ञप्ति क्र. - 5021/05/2023 / अनु. - 10 **इंदौर, दिनांक : 12.07.2023**

आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-11/2022/30.12.2022, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 09.02.2023 (1) शुद्धि पत्र क्रमांक-01/11-12/2022 दिनांक 09.02.2023 (ऑनलाइन आवेदन की वृद्धि की सूचना के संबंध में), (2) शुद्धि पत्र क्रमांक-02/11/2022 दिनांक 03.03.2023 (पद संयोजन के संबंध में), (3) विज्ञप्ति परीक्षा केन्द्र के नाम में संशोधन संबंधी, (4) शुद्धि पत्र क्रमांक-03/11/2022 दिनांक 09.06.2023 (पद संयोजन के संबंध में), (5) शुद्धि पत्र क्रमांक-02/11/2022 दिनांक 28.06.2023 (विज्ञापित पदों का रिक्ति विवरण) के अंतर्गत **कुल- 457** पदों हेतु राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2022, दिनांक 21.05.2023 (रविवार) को दो सत्रों में प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रातः 10:00 से 12:00 बजे तक एवं द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण अपरान्ह 02:15 से 04:15 तक प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों पर परीक्षा आयोजित की गई थी।

2. उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की श्रेणीवार कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

श्रेणी	कुल विज्ञापित पद	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांगजन
अनारक्षित (UR)	126	6	अस्थिबाधित (OH)-4 दृष्टिबाधित (VH)-7 श्रवणबाधित (HH)-7 बहुविकलांग (MD)-2
अनुसूचित जाति (SC)	82	2	
अनुसूचित जनजाति (ST)	103	3	
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	110	3	
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	36	1	
कुल	**457**	**15**	**कुल - 20**

3. राज्य सेवा परीक्षा-2019 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं के अंतरिम आदेशों के परिप्रेक्ष्य में एवं सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. भोपाल के "पत्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ. प्र. / एक. भोपाल, दिनांक 29 सितंबर 2022 के प्रकाश में विज्ञापन क्रमांक-11/2022/30.12.2022 शुद्धि पत्र क्रमांक-02.11.2022 दिनांक 28.06.2023 (राज्य सेवा परीक्षा के अन्तर्गत विज्ञापित पदों का रिक्ति विवरण) के अनुसार आयोग द्वारा बैठक दिनांक 10.07.2023 के निर्णय क्र.-55 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है :-

1. सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्रानुसार प्रारंभिक परीक्षा/लिखित परीक्षा में चयनित (शॉर्टलिस्टेड) प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थी परीक्षा के अगले प्रत्येक चरण (मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार) में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गए 13 प्रतिशत पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे न कि पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरुद्ध।
2. परीक्षा परिणामों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित) में अर्ह अभ्यर्थी अपने अपने भाग में ही बने रहेंगे। चयन के किसी भी स्तर पर ये एक दूसरे से अंतर परिवर्तन (इंटरचेंज) हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक अगले चयन हेतु इस आशय का अभिवचन पत्र भी अभ्यर्थियों से अनिवार्यतः प्राप्त किया जाए।

सामान्य प्रशासन विभाग के "पत्र क्रमांक- एफ 07-46/2021/आ.प्र./ एक, भोपाल दिनांक 29 सितंबर 2022" में दिए गए निर्देशों एवं आयोग के निर्णय अनुसार राज्य सेवा परीक्षा-2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग में घोषित किया जाना है। राज्य सेवा परीक्षा-2022 हेतु मुख्य भाग 87 प्रतिशत (14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों) तथा (ब) प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित श्रेणी हेतु) पुनरीक्षित पदों का रिक्ति विवरण प्राप्त हुआ है जिसे आयोग द्वारा शुद्धि पत्र क्रमांक-02/11/2022 दिनांक 28.06.2023 के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तद्नुसार अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विज्ञापित कुल पद- 110 हैं जिसके मुख्य भाग में 14 प्रतिशत के मान से कुल 58 पद तथा प्रावधिक भाग में 13 प्रतिशत के मान से कुल 52 पद प्राप्त हुए हैं। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2022 के परीक्षा परिणाम में **मुख्य भाग-अ** के लिए कुल विज्ञापित पदों के 20 गुना + समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह कुल 10351 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
STATE SERVICE PRELIMINARY EXAMINATION 2022-PART A (MAIN)
ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES

S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.
1.	100004	45.	100407	89.	100903	133.	101424	177.	101868	221.	102319	265.	102766
2.	100006	46.	100420	90.	100905	134.	101437	178.	101870	222.	102327	266.	102769
3.	100021	47.	100424	91.	100910	135.	101462	179.	101893	223.	102334	267.	102773
4.	100023	48.	100437	92.	100913	136.	101464	180.	101905	224.	102344	268.	102775
5.	100035	49.	100447	93.	100928	137.	101465	181.	101906	225.	102347	269.	102804
6.	100048	50.	100451	94.	100953	138.	101468	182.	101910	226.	102353	270.	102810
7.	100053	51.	100504	95.	100971	139.	101500	183.	101912	227.	102361	271.	102812
8.	100070	52.	100536	96.	100977	140.	101506	184.	101917	228.	102363	272.	102850
9.	100076	53.	100567	97.	100979	141.	101522	185.	101919	229.	102373	273.	102853
10.	100081	54.	100576	98.	100980	142.	101526	186.	101920	230.	102396	274.	102854
11.	100102	55.	100581	99.	100985	143.	101529	187.	101924	231.	102421	275.	102871
12.	100112	56.	100589	100.	101014	144.	101542	188.	101945	232.	102452	276.	102880
13.	100116	57.	100592	101.	101021	145.	101547	189.	101948	233.	102459	277.	102899
14.	100124	58.	100605	102.	101022	146.	101548	190.	101956	234.	102460	278.	102903
15.	100127	59.	100615	103.	101023	147.	101553	191.	101957	235.	102467	279.	102937
16.	100130	60.	100621	104.	101030	148.	101562	192.	101966	236.	102478	280.	102943
17.	100134	61.	100631	105.	101036	149.	101564	193.	101991	237.	102489	281.	102947
18.	100148	62.	100654	106.	101040	150.	101567	194.	101999	238.	102493	282.	102961
19.	100171	63.	100662	107.	101072	151.	101575	195.	102004	239.	102496	283.	102967
20.	100197	64.	100663	108.	101116	152.	101602	196.	102006	240.	102517	284.	102972
21.	100212	65.	100665	109.	101124	153.	101603	197.	102012	241.	102518	285.	102976
22.	100223	66.	100670	110.	101130	154.	101615	198.	102017	242.	102522	286.	102991
23.	100227	67.	100679	111.	101134	155.	101628	199.	102032	243.	102523	287.	102996
24.	100235	68.	100687	112.	101144	156.	101665	200.	102033	244.	102540	288.	103001
25.	100245	69.	100695	113.	101153	157.	101667	201.	102042	245.	102556	289.	103004
26.	100254	70.	100697	114.	101171	158.	101683	202.	102044	246.	102567	290.	103038
27.	100264	71.	100701	115.	101173	159.	101687	203.	102048	247.	102569	291.	103040
28.	100272	72.	100710	116.	101183	160.	101711	204.	102049	248.	102586	292.	103047
29.	100274	73.	100711	117.	101187	161.	101714	205.	102100	249.	102590	293.	103093
30.	100290	74.	100718	118.	101228	162.	101716	206.	102116	250.	102615	294.	103101
31.	100301	75.	100721	119.	101229	163.	101721	207.	102117	251.	102634	295.	103125
32.	100305	76.	100795	120.	101231	164.	101729	208.	102119	252.	102642	296.	103126
33.	100312	77.	100797	121.	101244	165.	101738	209.	102155	253.	102658	297.	103127
34.	100314	78.	100806	122.	101248	166.	101747	210.	102170	254.	102661	298.	103146
35.	100319	79.	100814	123.	101296	167.	101749	211.	102185	255.	102663	299.	103152
36.	100331	80.	100815	124.	101324	168.	101755	212.	102202	256.	102669	300.	103153
37.	100334	81.	100822	125.	101325	169.	101775	213.	102203	257.	102688	301.	103165
38.	100343	82.	100825	126.	101331	170.	101792	214.	102210	258.	102696	302.	103181
39.	100348	83.	100826	127.	101358	171.	101795	215.	102220	259.	102712	303.	103184
40.	100364	84.	100853	128.	101365	172.	101812	216.	102233	260.	102715	304.	103196
41.	100367	85.	100854	129.	101393	173.	101824	217.	102275	261.	102725	305.	103204
42.	100376	86.	100860	130.	101395	174.	101834	218.	102276	262.	102729	306.	103212
43.	100388	87.	100877	131.	101403	175.	101844	219.	102298	263.	102750	307.	103213
44.	100403	88.	100891	132.	101415	176.	101859	220.	102311	264.	102764	308.	103220

S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.
309.	103222	386.	103946	463.	104780	540.	105572	617.	106351	694.	107147	771.	107969
310.	103234	387.	103947	464.	104783	541.	105575	618.	106352	695.	107158	772.	107972
311.	103257	388.	103949	465.	104802	542.	105599	619.	106359	696.	107165	773.	107981
312.	103259	389.	103965	466.	104811	543.	105606	620.	106371	697.	107179	774.	108023
313.	103273	390.	103973	467.	104820	544.	105608	621.	106408	698.	107184	775.	108027
314.	103274	391.	103985	468.	104825	545.	105617	622.	106424	699.	107187	776.	108030
315.	103275	392.	103987	469.	104830	546.	105622	623.	106434	700.	107188	777.	108037
316.	103287	393.	103997	470.	104834	547.	105629	624.	106442	701.	107193	778.	108043
317.	103299	394.	103998	471.	104836	548.	105634	625.	106451	702.	107200	779.	108050
318.	103300	395.	104011	472.	104848	549.	105653	626.	106459	703.	107205	780.	108057
319.	103302	396.	104012	473.	104852	550.	105675	627.	106476	704.	107224	781.	108060
320.	103309	397.	104013	474.	104853	551.	105694	628.	106477	705.	107237	782.	108078
321.	103321	398.	104064	475.	104862	552.	105718	629.	106485	706.	107264	783.	108081
322.	103327	399.	104066	476.	104869	553.	105720	630.	106492	707.	107277	784.	108095
323.	103328	400.	104073	477.	104883	554.	105741	631.	106494	708.	107281	785.	108104
324.	103340	401.	104086	478.	104885	555.	105764	632.	106498	709.	107295	786.	108106
325.	103345	402.	104099	479.	104891	556.	105776	633.	106511	710.	107297	787.	108114
326.	103355	403.	104112	480.	104908	557.	105779	634.	106515	711.	107298	788.	108115
327.	103358	404.	104136	481.	104913	558.	105784	635.	106523	712.	107324	789.	108124
328.	103362	405.	104147	482.	104917	559.	105790	636.	106556	713.	107330	790.	108126
329.	103371	406.	104150	483.	104921	560.	105805	637.	106564	714.	107334	791.	108142
330.	103375	407.	104164	484.	104924	561.	105808	638.	106574	715.	107343	792.	108145
331.	103390	408.	104167	485.	104965	562.	105813	639.	106579	716.	107354	793.	108146
332.	103396	409.	104179	486.	104991	563.	105825	640.	106580	717.	107384	794.	108165
333.	103399	410.	104184	487.	105001	564.	105838	641.	106588	718.	107394	795.	108176
334.	103443	411.	104198	488.	105017	565.	105845	642.	106602	719.	107413	796.	108177
335.	103452	412.	104202	489.	105055	566.	105858	643.	106604	720.	107432	797.	108179
336.	103461	413.	104204	490.	105070	567.	105869	644.	106610	721.	107435	798.	108183
337.	103475	414.	104218	491.	105080	568.	105877	645.	106617	722.	107439	799.	108187
338.	103515	415.	104224	492.	105102	569.	105879	646.	106627	723.	107458	800.	108191
339.	103519	416.	104225	493.	105116	570.	105912	647.	106638	724.	107464	801.	108201
340.	103526	417.	104237	494.	105117	571.	105915	648.	106646	725.	107474	802.	108204
341.	103529	418.	104241	495.	105162	572.	105917	649.	106653	726.	107477	803.	108205
342.	103535	419.	104267	496.	105165	573.	105944	650.	106656	727.	107484	804.	108206
343.	103541	420.	104272	497.	105170	574.	105963	651.	106662	728.	107489	805.	108210
344.	103554	421.	104290	498.	105197	575.	105964	652.	106672	729.	107503	806.	108219
345.	103560	422.	104304	499.	105212	576.	105969	653.	106676	730.	107515	807.	108234
346.	103562	423.	104311	500.	105230	577.	105970	654.	106683	731.	107532	808.	108247
347.	103582	424.	104312	501.	105249	578.	105978	655.	106695	732.	107536	809.	108260
348.	103587	425.	104320	502.	105268	579.	106000	656.	106707	733.	107543	810.	108281
349.	103596	426.	104324	503.	105269	580.	106002	657.	106755	734.	107553	811.	108297
350.	103613	427.	104330	504.	105277	581.	106003	658.	106774	735.	107555	812.	108310
351.	103623	428.	104339	505.	105278	582.	106004	659.	106779	736.	107566	813.	108321
352.	103634	429.	104352	506.	105281	583.	106007	660.	106784	737.	107570	814.	108323
353.	103639	430.	104356	507.	105298	584.	106008	661.	106788	738.	107606	815.	108349
354.	103670	431.	104374	508.	105299	585.	106018	662.	106795	739.	107636	816.	108373
355.	103674	432.	104384	509.	105306	586.	106044	663.	106802	740.	107649	817.	108374
356.	103675	433.	104386	510.	105315	587.	106047	664.	106836	741.	107665	818.	108383
357.	103676	434.	104400	511.	105318	588.	106051	665.	106843	742.	107671	819.	108385
358.	103690	435.	104411	512.	105328	589.	106057	666.	106864	743.	107679	820.	108386
359.	103709	436.	104414	513.	105335	590.	106077	667.	106870	744.	107696	821.	108390
360.	103718	437.	104417	514.	105338	591.	106079	668.	106871	745.	107702	822.	108398
361.	103723	438.	104420	515.	105340	592.	106082	669.	106890	746.	107723	823.	108429
362.	103724	439.	104431	516.	105344	593.	106089	670.	106904	747.	107728	824.	108449
363.	103728	440.	104469	517.	105347	594.	106099	671.	106919	748.	107735	825.	108454
364.	103731	441.	104489	518.	105364	595.	106138	672.	106925	749.	107741	826.	108455
365.	103739	442.	104496	519.	105371	596.	106139	673.	106929	750.	107766	827.	108465
366.	103748	443.	104504	520.	105373	597.	106144	674.	106933	751.	107782	828.	108474
367.	103760	444.	104520	521.	105385	598.	106145	675.	106934	752.	107783	829.	108489
368.	103761	445.	104531	522.	105390	599.	106147	676.	106961	753.	107797	830.	108490
369.	103768	446.	104540	523.	105401	600.	106150	677.	106962	754.	107800	831.	108493
370.	103770	447.	104571	524.	105405	601.	106167	678.	106981	755.	107811	832.	108504
371.	103774	448.	104575	525.	105407	602.	106168	679.	107017	756.	107836	833.	108538
372.	103780	449.	104579	526.	105410	603.	106175	680.	107024	757.	107845	834.	108545
373.	103783	450.	104589	527.	105416	604.	106195	681.	107029	758.	107856	835.	108547
374.	103792	451.	104609	528.	105423	605.	106215	682.	107035	759.	107872	836.	108556
375.	103795	452.	104621	529.	105433	606.	106221	683.	107055	760.	107885	837.	108568
376.	103799	453.	104632	530.	105443	607.	106236	684.	107058	761.	107887	838.	108581
377.	103805	454.	104656	531.	105457	608.	106237	685.	107076	762.	107898	839.	108584
378.	103847	455.	104659	532.	105468	609.	106264	686.	107112	763.	107904	840.	108585
379.	103862	456.	104685	533.	105486	610.	106267	687.	107115	764.	107912	841.	108595
380.	103877	457.	104702	534.	105490	611.	106274	688.	107127	765.	107922	842.	108606
381.	103879	458.	104714	535.	105492	612.	106276	689.	107133	766.	107925	843.	108611
382.	103880	459.	104724	536.	105525	613.	106278	690.	107134	767.	107931	844.	108612
383.	103886	460.	104731	537.	105546	614.	106299	691.	107135	768.	107935	845.	108616
384.	103900	461.	104736	538.	105549	615.	106320	692.	107136	769.	107937	846.	108618
385.	103919	462.	104774	539.	105562	616.	106343	693.	107141	770.	107966	847.	108619

S.No.	Roll No.
848.	108623
849.	108631
850.	108633
851.	108645
852.	108661
853.	108662
854.	108666
855.	108675
856.	108680
857.	108685
858.	108713
859.	108717
860.	108735
861.	108737
862.	108740
863.	108743
864.	108780
865.	108794
866.	108803
867.	108804
868.	108813
869.	108819
870.	108862
871.	108900
872.	108903
873.	108910
874.	108918
875.	108925
876.	108948
877.	108951
878.	108958
879.	108968
880.	108983
881.	108999
882.	109006
883.	109029
884.	109043
885.	109048
886.	109075
887.	109076
888.	109077
889.	109100
890.	109115
891.	109119
892.	109123
893.	109165
894.	109178
895.	109197
896.	109203
897.	109228
898.	109232
899.	109241
900.	109248
901.	109250
902.	109257
903.	109274
904.	109280
905.	109282
906.	109299
907.	109300
908.	109305
909.	109313
910.	109323
911.	109348
912.	109360
913.	109366
914.	109374
915.	109383
916.	109387
917.	109403
918.	109408
919.	109414
920.	109417
921.	109418
922.	109424
923.	109427
924.	109434

S.No.	Roll No.
925.	109435
926.	109445
927.	109455
928.	109468
929.	109492
930.	109498
931.	109502
932.	109510
933.	109517
934.	109528
935.	109529
936.	109533
937.	109550
938.	109560
939.	109563
940.	109567
941.	109583
942.	109584
943.	109598
944.	109599
945.	109628
946.	109638
947.	109658
948.	109669
949.	109683
950.	109684
951.	109714
952.	109720
953.	109734
954.	109739
955.	109772
956.	109780
957.	109791
958.	109807
959.	109810
960.	109824
961.	109830
962.	109833
963.	109834
964.	109836
965.	109879
966.	109889
967.	109895
968.	109902
969.	109922
970.	109928
971.	109931
972.	109949
973.	109972
974.	109974
975.	109977
976.	110002
977.	110004
978.	110014
979.	110016
980.	110033
981.	110044
982.	110056
983.	110063
984.	110066
985.	110079
986.	110086
987.	110094
988.	110106
989.	110108
990.	110130
991.	110132
992.	110142
993.	110166
994.	110168
995.	110183
996.	110194
997.	110197
998.	110198
999.	110223
1000.	110224
1001.	110232
1002.	110245
1003.	110251
1004.	110253

S.No.	Roll No.
1005.	110264
1006.	110265
1007.	110277
1008.	110314
1009.	110329
1010.	110336
1011.	110346
1012.	110360
1013.	110369
1014.	110371
1015.	110381
1016.	110397
1017.	110403
1018.	110405
1019.	110407
1020.	110426
1021.	110427
1022.	110432
1023.	110433
1024.	110438
1025.	110453
1026.	110475
1027.	110518
1028.	110538
1029.	110541
1030.	110543
1031.	110558
1032.	110568
1033.	110578
1034.	110588
1035.	110597
1036.	110616
1037.	110619
1038.	110630
1039.	110646
1040.	110650
1041.	110652
1042.	110659
1043.	110666
1044.	110674
1045.	110682
1046.	110689
1047.	110694
1048.	110703
1049.	110714
1050.	110732
1051.	110735
1052.	110744
1053.	110746
1054.	110748
1055.	110750
1056.	110754
1057.	110775
1058.	110776
1059.	110797
1060.	110807
1061.	110808
1062.	110817
1063.	110841
1064.	110849
1065.	110861
1066.	110865
1067.	110875
1068.	110879
1069.	110887
1070.	110901
1071.	110905
1072.	110910
1073.	110924
1074.	110930
1075.	110935
1076.	110943
1077.	110951
1078.	110954
1079.	110958
1080.	110960
1081.	110973
1082.	110981
1083.	110987
1084.	111016

S.No.	Roll No.
1085.	111021
1086.	111039
1087.	111061
1088.	111064
1089.	111066
1090.	111067
1091.	111087
1092.	111091
1093.	111095
1094.	111108
1095.	111147
1096.	111148
1097.	111167
1098.	111172
1099.	111192
1100.	111193
1101.	111200
1102.	111205
1103.	111206
1104.	111219
1105.	111222
1106.	111237
1107.	111240
1108.	111245
1109.	111248
1110.	111254
1111.	111263
1112.	111266
1113.	111274
1114.	111275
1115.	111276
1116.	111292
1117.	111309
1118.	111324
1119.	111330
1120.	111332
1121.	111340
1122.	111364
1123.	111371
1124.	111391
1125.	111396
1126.	111414
1127.	111417
1128.	111420
1129.	111436
1130.	111471
1131.	111477
1132.	111481
1133.	111488
1134.	111501
1135.	111502
1136.	111503
1137.	111514
1138.	111515
1139.	111525
1140.	111550
1141.	111557
1142.	111562
1143.	111569
1144.	111593
1145.	111599
1146.	111613
1147.	111614
1148.	111625
1149.	111626
1150.	111627
1151.	111639
1152.	111651
1153.	111653
1154.	111686
1155.	111704
1156.	111707
1157.	111712
1158.	111719
1159.	111729
1160.	111736
1161.	111744
1162.	111751
1163.	111770
1164.	111778

S.No.	Roll No.
1165.	111798
1166.	111805
1167.	111807
1168.	111841
1169.	111852
1170.	111869
1171.	111874
1172.	111904
1173.	111907
1174.	111937
1175.	111941
1176.	111963
1177.	111984
1178.	112001
1179.	112013
1180.	112031
1181.	112034
1182.	112048
1183.	112051
1184.	112058
1185.	112089
1186.	112093
1187.	112106
1188.	112114
1189.	112133
1190.	112151
1191.	112155
1192.	112184
1193.	112235
1194.	112256
1195.	112258
1196.	112267
1197.	112272
1198.	112280
1199.	112298
1200.	112299
1201.	112303
1202.	112338
1203.	112372
1204.	112384
1205.	112388
1206.	112394
1207.	112406
1208.	112415
1209.	112428
1210.	112447
1211.	112449
1212.	112474
1213.	112484
1214.	112489
1215.	112519
1216.	112537
1217.	112538
1218.	112554
1219.	112559
1220.	112563
1221.	112569
1222.	112576
1223.	112615
1224.	112621
1225.	112631
1226.	112638
1227.	112660
1228.	112669
1229.	112673
1230.	112680
1231.	112753
1232.	112758
1233.	112773
1234.	112797
1235.	112814
1236.	112823
1237.	112824
1238.	112847
1239.	112853
1240.	112854
1241.	112857
1242.	112860
1243.	112863
1244.	112875

S.No.	Roll No.
1245.	112876
1246.	112880
1247.	112904
1248.	112927
1249.	112929
1250.	112960
1251.	112962
1252.	112964
1253.	112991
1254.	113002
1255.	113012
1256.	113024
1257.	113028
1258.	113030
1259.	113035
1260.	113059
1261.	113065
1262.	113097
1263.	113100
1264.	113103
1265.	113106
1266.	113111
1267.	113122
1268.	113132
1269.	113156
1270.	113182
1271.	113190
1272.	113200
1273.	113204
1274.	113208
1275.	113227
1276.	113246
1277.	113262
1278.	113286
1279.	113289
1280.	113300
1281.	113306
1282.	113309
1283.	113313
1284.	113320
1285.	113328
1286.	113340
1287.	113345
1288.	113347
1289.	113351
1290.	113357
1291.	113370
1292.	113420
1293.	113432
1294.	113437
1295.	113443
1296.	113451
1297.	113487
1298.	113490
1299.	113518
1300.	113520
1301.	113522
1302.	113523
1303.	113524
1304.	113533
1305.	113545
1306.	113553
1307.	113565
1308.	113571
1309.	113585
1310.	113611
1311.	113618
1312.	113619
1313.	113620
1314.	113621
1315.	113638
1316.	113645
1317.	113655
1318.	113662
1319.	113700
1320.	113720
1321.	113722
1322.	113733
1323.	113745
1324.	113758

S.No.	Roll No.
1325.	113779
1326.	113785
1327.	113794
1328.	113807
1329.	113811
1330.	113813
1331.	113821
1332.	113822
1333.	113823
1334.	113854
1335.	113863
1336.	113864
1337.	113870
1338.	113880
1339.	113885
1340.	113886
1341.	113895
1342.	113897
1343.	113905
1344.	113919
1345.	113940
1346.	113941
1347.	113951
1348.	113952
1349.	113963
1350.	113964
1351.	113968
1352.	113980
1353.	113985
1354.	113997
1355.	114007
1356.	114020
1357.	114043
1358.	114052
1359.	114071
1360.	114086
1361.	114088
1362.	114094
1363.	114115
1364.	114118
1365.	114122
1366.	114138
1367.	114145
1368.	114162
1369.	114174
1370.	114195
1371.	114197
1372.	114199
1373.	114200
1374.	114210
1375.	114214
1376.	114223
1377.	114239
1378.	114263
1379.	114265
1380.	114266
1381.	114275
1382.	114279
1383.	114298
1384.	114305
1385.	114330
1386.	114331
1387.	114343
1388.	114347
1389.	114393
1390.	114399
1391.	114403
1392.	114412
1393.	114425
1394.	114448
1395.	114459
1396.	114461
1397.	114464
1398.	114516
1399.	114518
1400.	114521
1401.	114543
1402.	114556
1403.	114572
1404.	114584

S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.
1405.	114594	1485.	115432	1565.	116338	1645.	117134	1725.	117875	1805.	118670	1885.	119544
1406.	114601	1486.	115433	1566.	116356	1646.	117145	1726.	117920	1806.	118676	1886.	119545
1407.	114609	1487.	115450	1567.	116360	1647.	117161	1727.	117926	1807.	118686	1887.	119561
1408.	114612	1488.	115455	1568.	116367	1648.	117173	1728.	117933	1808.	118689	1888.	119572
1409.	114614	1489.	115461	1569.	116379	1649.	117176	1729.	117938	1809.	118691	1889.	119577
1410.	114624	1490.	115468	1570.	116382	1650.	117180	1730.	117941	1810.	118695	1890.	119580
1411.	114640	1491.	115480	1571.	116389	1651.	117190	1731.	117952	1811.	118699	1891.	119583
1412.	114642	1492.	115488	1572.	116393	1652.	117195	1732.	117959	1812.	118713	1892.	119601
1413.	114679	1493.	115503	1573.	116403	1653.	117197	1733.	117963	1813.	118717	1893.	119607
1414.	114683	1494.	115514	1574.	116404	1654.	117206	1734.	117964	1814.	118726	1894.	119627
1415.	114688	1495.	115527	1575.	116406	1655.	117225	1735.	117966	1815.	118737	1895.	119647
1416.	114692	1496.	115532	1576.	116422	1656.	117234	1736.	117970	1816.	118749	1896.	119652
1417.	114697	1497.	115543	1577.	116433	1657.	117236	1737.	117980	1817.	118764	1897.	119655
1418.	114735	1498.	115554	1578.	116442	1658.	117254	1738.	117983	1818.	118795	1898.	119659
1419.	114740	1499.	115564	1579.	116449	1659.	117255	1739.	117993	1819.	118798	1899.	119663
1420.	114749	1500.	115578	1580.	116467	1660.	117257	1740.	118012	1820.	118806	1900.	119671
1421.	114758	1501.	115593	1581.	116487	1661.	117258	1741.	118024	1821.	118807	1901.	119673
1422.	114759	1502.	115623	1582.	116488	1662.	117261	1742.	118025	1822.	118818	1902.	119674
1423.	114774	1503.	115640	1583.	116495	1663.	117267	1743.	118028	1823.	118821	1903.	119688
1424.	114781	1504.	115653	1584.	116504	1664.	117281	1744.	118031	1824.	118836	1904.	119691
1425.	114787	1505.	115659	1585.	116505	1665.	117289	1745.	118040	1825.	118839	1905.	119703
1426.	114829	1506.	115667	1586.	116506	1666.	117298	1746.	118047	1826.	118853	1906.	119705
1427.	114840	1507.	115671	1587.	116521	1667.	117305	1747.	118063	1827.	118866	1907.	119746
1428.	114854	1508.	115674	1588.	116524	1668.	117329	1748.	118066	1828.	118889	1908.	119764
1429.	114891	1509.	115686	1589.	116547	1669.	117330	1749.	118069	1829.	118893	1909.	119765
1430.	114912	1510.	115701	1590.	116564	1670.	117337	1750.	118082	1830.	118894	1910.	119771
1431.	114921	1511.	115704	1591.	116582	1671.	117339	1751.	118085	1831.	118902	1911.	119776
1432.	114931	1512.	115715	1592.	116615	1672.	117357	1752.	118089	1832.	118919	1912.	119788
1433.	114943	1513.	115724	1593.	116627	1673.	117361	1753.	118092	1833.	118938	1913.	119790
1434.	114947	1514.	115733	1594.	116628	1674.	117376	1754.	118126	1834.	118946	1914.	119791
1435.	114961	1515.	115749	1595.	116630	1675.	117400	1755.	118134	1835.	118966	1915.	119797
1436.	114974	1516.	115755	1596.	116634	1676.	117404	1756.	118139	1836.	118983	1916.	119814
1437.	114984	1517.	115761	1597.	116644	1677.	117406	1757.	118165	1837.	118999	1917.	119820
1438.	114988	1518.	115769	1598.	116645	1678.	117407	1758.	118176	1838.	119018	1918.	119823
1439.	114989	1519.	115772	1599.	116666	1679.	117411	1759.	118190	1839.	119020	1919.	119847
1440.	114997	1520.	115780	1600.	116668	1680.	117413	1760.	118204	1840.	119065	1920.	119853
1441.	114999	1521.	115784	1601.	116693	1681.	117417	1761.	118205	1841.	119091	1921.	119873
1442.	115008	1522.	115787	1602.	116699	1682.	117422	1762.	118211	1842.	119092	1922.	119881
1443.	115016	1523.	115789	1603.	116701	1683.	117450	1763.	118212	1843.	119118	1923.	119887
1444.	115023	1524.	115795	1604.	116703	1684.	117460	1764.	118223	1844.	119132	1924.	119892
1445.	115025	1525.	115805	1605.	116716	1685.	117469	1765.	118271	1845.	119146	1925.	119894
1446.	115030	1526.	115814	1606.	116730	1686.	117470	1766.	118272	1846.	119175	1926.	119909
1447.	115031	1527.	115822	1607.	116737	1687.	117481	1767.	118273	1847.	119178	1927.	119910
1448.	115051	1528.	115846	1608.	116738	1688.	117483	1768.	118280	1848.	119201	1928.	119918
1449.	115066	1529.	115852	1609.	116748	1689.	117484	1769.	118282	1849.	119212	1929.	119938
1450.	115071	1530.	115880	1610.	116794	1690.	117485	1770.	118289	1850.	119222	1930.	119953
1451.	115077	1531.	115886	1611.	116808	1691.	117489	1771.	118304	1851.	119232	1931.	119954
1452.	115079	1532.	115899	1612.	116812	1692.	117490	1772.	118309	1852.	119253	1932.	119958
1453.	115081	1533.	115902	1613.	116814	1693.	117499	1773.	118317	1853.	119257	1933.	119969
1454.	115105	1534.	115903	1614.	116818	1694.	117501	1774.	118319	1854.	119263	1934.	119981
1455.	115115	1535.	115906	1615.	116821	1695.	117504	1775.	118332	1855.	119277	1935.	120003
1456.	115120	1536.	115911	1616.	116830	1696.	117538	1776.	118364	1856.	119283	1936.	120011
1457.	115131	1537.	115922	1617.	116839	1697.	117545	1777.	118366	1857.	119286	1937.	120018
1458.	115149	1538.	115931	1618.	116867	1698.	117552	1778.	118374	1858.	119313	1938.	120027
1459.	115154	1539.	115935	1619.	116870	1699.	117561	1779.	118381	1859.	119320	1939.	120030
1460.	115160	1540.	115960	1620.	116876	1700.	117567	1780.	118382	1860.	119339	1940.	120033
1461.	115177	1541.	115968	1621.	116905	1701.	117577	1781.	118392	1861.	119359	1941.	120039
1462.	115193	1542.	115995	1622.	116909	1702.	117582	1782.	118402	1862.	119366	1942.	120044
1463.	115194	1543.	116008	1623.	116919	1703.	117585	1783.	118418	1863.	119368	1943.	120059
1464.	115204	1544.	116033	1624.	116920	1704.	117610	1784.	118421	1864.	119376	1944.	120060
1465.	115206	1545.	116050	1625.	116925	1705.	117611	1785.	118440	1865.	119383	1945.	120067
1466.	115239	1546.	116065	1626.	116936	1706.	117614	1786.	118455	1866.	119391	1946.	120073
1467.	115246	1547.	116072	1627.	116981	1707.	117635	1787.	118469	1867.	119395	1947.	120109
1468.	115252	1548.	116083	1628.	116998	1708.	117641	1788.	118492	1868.	119404	1948.	120119
1469.	115261	1549.	116091	1629.	117000	1709.	117650	1789.	118493	1869.	119409	1949.	120139
1470.	115273	1550.	116114	1630.	117008	1710.	117661	1790.	118527	1870.	119414	1950.	120152
1471.	115275	1551.	116119	1631.	117022	1711.	117667	1791.	118538	1871.	119419	1951.	120154
1472.	115301	1552.	116127	1632.	117027	1712.	117669	1792.	118545	1872.	119427	1952.	120164
1473.	115313	1553.	116129	1633.	117032	1713.	117674	1793.	118547	1873.	119438	1953.	120190
1474.	115319	1554.	116131	1634.	117056	1714.	117716	1794.	118553	1874.	119439	1954.	120197
1475.	115334	1555.	116137	1635.	117057	1715.	117754	1795.	118555	1875.	119440	1955.	120208
1476.	115341	1556.	116140	1636.	117060	1716.	117777	1796.	118571	1876.	119444	1956.	120210
1477.	115348	1557.	116163	1637.	117071	1717.	117790	1797.	118572	1877.	119455	1957.	120221
1478.	115362	1558.	116178	1638.	117073	1718.	117797	1798.	118585	1878.	119468	1958.	120241
1479.	115364	1559.	116200	1639.	117080	1719.	117818	1799.	118599	1879.	119486	1959.	120266
1480.	115374	1560.	116220	1640.	117097	1720.	117832	1800.	118623	1880.	119488	1960.	120270
1481.	115389	1561.	116242	1641.	117098	1721.	117833	1801.	118624	1881.	119498	1961.	120293
1482.	115394	1562.	116254	1642.	117123	1722.	117844	1802.	118629	1882.	119509	1962.	120299
1483.	115399	1563.	116270	1643.	117125	1723.	117849	1803.	118641	1883.	119539	1963.	120313
1484.	115426	1564.	116330	1644.	117127	1724.	117851	1804.	118656	1884.	119541	1964.	120340

S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.
1965.	120349	2045.	121249	2125.	122088	2205.	122821	2285.	123774	2365.	124590	2445.	125319
1966.	120365	2046.	121255	2126.	122093	2206.	122826	2286.	123782	2366.	124593	2446.	125338
1967.	120367	2047.	121260	2127.	122101	2207.	122841	2287.	123784	2367.	124607	2447.	125366
1968.	120411	2048.	121265	2128.	122111	2208.	122867	2288.	123790	2368.	124608	2448.	125368
1969.	120413	2049.	121266	2129.	122116	2209.	122883	2289.	123793	2369.	124615	2449.	125372
1970.	120433	2050.	121275	2130.	122134	2210.	122897	2290.	123803	2370.	124634	2450.	125377
1971.	120443	2051.	121307	2131.	122137	2211.	122901	2291.	123812	2371.	124645	2451.	125386
1972.	120445	2052.	121315	2132.	122150	2212.	122903	2292.	123820	2372.	124665	2452.	125454
1973.	120448	2053.	121316	2133.	122160	2213.	122915	2293.	123826	2373.	124678	2453.	125472
1974.	120453	2054.	121317	2134.	122175	2214.	122930	2294.	123834	2374.	124689	2454.	125481
1975.	120459	2055.	121319	2135.	122176	2215.	122937	2295.	123836	2375.	124690	2455.	125487
1976.	120460	2056.	121345	2136.	122179	2216.	122951	2296.	123840	2376.	124700	2456.	125544
1977.	120478	2057.	121364	2137.	122187	2217.	122961	2297.	123850	2377.	124701	2457.	125549
1978.	120489	2058.	121369	2138.	122188	2218.	122986	2298.	123853	2378.	124708	2458.	125550
1979.	120491	2059.	121374	2139.	122190	2219.	122988	2299.	123855	2379.	124715	2459.	125568
1980.	120499	2060.	121388	2140.	122200	2220.	123013	2300.	123869	2380.	124722	2460.	125572
1981.	120505	2061.	121400	2141.	122201	2221.	123038	2301.	123878	2381.	124726	2461.	125575
1982.	120517	2062.	121409	2142.	122211	2222.	123057	2302.	123886	2382.	124738	2462.	125576
1983.	120518	2063.	121432	2143.	122232	2223.	123059	2303.	123894	2383.	124744	2463.	125577
1984.	120520	2064.	121457	2144.	122234	2224.	123071	2304.	123901	2384.	124745	2464.	125590
1985.	120524	2065.	121458	2145.	122239	2225.	123089	2305.	123924	2385.	124752	2465.	125598
1986.	120541	2066.	121463	2146.	122265	2226.	123093	2306.	123927	2386.	124764	2466.	125605
1987.	120544	2067.	121481	2147.	122268	2227.	123095	2307.	123946	2387.	124768	2467.	125610
1988.	120549	2068.	121486	2148.	122282	2228.	123115	2308.	123950	2388.	124771	2468.	125624
1989.	120559	2069.	121487	2149.	122291	2229.	123126	2309.	123954	2389.	124787	2469.	125626
1990.	120560	2070.	121492	2150.	122292	2230.	123157	2310.	123963	2390.	124793	2470.	125627
1991.	120598	2071.	121494	2151.	122293	2231.	123163	2311.	123966	2391.	124794	2471.	125654
1992.	120602	2072.	121522	2152.	122300	2232.	123177	2312.	123991	2392.	124804	2472.	125665
1993.	120618	2073.	121528	2153.	122307	2233.	123187	2313.	123992	2393.	124805	2473.	125667
1994.	120658	2074.	121538	2154.	122311	2234.	123194	2314.	123993	2394.	124807	2474.	125670
1995.	120660	2075.	121541	2155.	122321	2235.	123222	2315.	123998	2395.	124813	2475.	125673
1996.	120677	2076.	121543	2156.	122335	2236.	123228	2316.	124000	2396.	124825	2476.	125677
1997.	120685	2077.	121548	2157.	122346	2237.	123232	2317.	124024	2397.	124829	2477.	125694
1998.	120690	2078.	121552	2158.	122361	2238.	123246	2318.	124030	2398.	124842	2478.	125696
1999.	120696	2079.	121553	2159.	122371	2239.	123247	2319.	124031	2399.	124865	2479.	125705
2000.	120698	2080.	121557	2160.	122374	2240.	123251	2320.	124042	2400.	124867	2480.	125724
2001.	120701	2081.	121591	2161.	122394	2241.	123285	2321.	124056	2401.	124884	2481.	125726
2002.	120705	2082.	121596	2162.	122405	2242.	123302	2322.	124067	2402.	124912	2482.	125742
2003.	120707	2083.	121597	2163.	122407	2243.	123313	2323.	124088	2403.	124934	2483.	125746
2004.	120716	2084.	121599	2164.	122410	2244.	123322	2324.	124098	2404.	124937	2484.	125751
2005.	120760	2085.	121607	2165.	122413	2245.	123330	2325.	124099	2405.	124996	2485.	125759
2006.	120767	2086.	121611	2166.	122415	2246.	123370	2326.	124124	2406.	125012	2486.	125761
2007.	120769	2087.	121621	2167.	122426	2247.	123373	2327.	124127	2407.	125025	2487.	125777
2008.	120777	2088.	121625	2168.	122437	2248.	123400	2328.	124152	2408.	125041	2488.	125801
2009.	120779	2089.	121638	2169.	122451	2249.	123404	2329.	124158	2409.	125052	2489.	125817
2010.	120798	2090.	121642	2170.	122455	2250.	123433	2330.	124174	2410.	125061	2490.	125818
2011.	120814	2091.	121650	2171.	122457	2251.	123443	2331.	124175	2411.	125065	2491.	125836
2012.	120820	2092.	121658	2172.	122460	2252.	123445	2332.	124191	2412.	125066	2492.	125838
2013.	120825	2093.	121670	2173.	122464	2253.	123454	2333.	124213	2413.	125070	2493.	125845
2014.	120839	2094.	121685	2174.	122470	2254.	123459	2334.	124227	2414.	125078	2494.	125847
2015.	120845	2095.	121686	2175.	122472	2255.	123463	2335.	124233	2415.	125113	2495.	125857
2016.	120857	2096.	121697	2176.	122473	2256.	123467	2336.	124258	2416.	125116	2496.	125859
2017.	120871	2097.	121716	2177.	122477	2257.	123470	2337.	124268	2417.	125123	2497.	125866
2018.	120875	2098.	121717	2178.	122490	2258.	123475	2338.	124283	2418.	125140	2498.	125867
2019.	120878	2099.	121720	2179.	122513	2259.	123480	2339.	124299	2419.	125141	2499.	125869
2020.	120882	2100.	121746	2180.	122526	2260.	123483	2340.	124330	2420.	125146	2500.	125875
2021.	120902	2101.	121757	2181.	122548	2261.	123497	2341.	124347	2421.	125164	2501.	125900
2022.	120904	2102.	121763	2182.	122556	2262.	123498	2342.	124356	2422.	125165	2502.	125902
2023.	120924	2103.	121770	2183.	122578	2263.	123512	2343.	124362	2423.	125167	2503.	125923
2024.	120942	2104.	121777	2184.	122596	2264.	123550	2344.	124375	2424.	125170	2504.	125934
2025.	120949	2105.	121788	2185.	122618	2265.	123581	2345.	124378	2425.	125189	2505.	125942
2026.	120964	2106.	121811	2186.	122655	2266.	123587	2346.	124383	2426.	125205	2506.	125954
2027.	120977	2107.	121821	2187.	122657	2267.	123600	2347.	124405	2427.	125220	2507.	125965
2028.	120979	2108.	121826	2188.	122669	2268.	123620	2348.	124406	2428.	125226	2508.	125970
2029.	121044	2109.	121830	2189.	122671	2269.	123621	2349.	124415	2429.	125228	2509.	125985
2030.	121061	2110.	121844	2190.	122722	2270.	123624	2350.	124418	2430.	125229	2510.	125994
2031.	121062	2111.	121845	2191.	122725	2271.	123635	2351.	124443	2431.	125240	2511.	126000
2032.	121067	2112.	121877	2192.	122728	2272.	123655	2352.	124460	2432.	125242	2512.	126011
2033.	121070	2113.	121895	2193.	122732	2273.	123659	2353.	124464	2433.	125245	2513.	126023
2034.	121122	2114.	121921	2194.	122733	2274.	123666	2354.	124476	2434.	125256	2514.	126033
2035.	121144	2115.	121948	2195.	122766	2275.	123672	2355.	124481	2435.	125262	2515.	126035
2036.	121164	2116.	121953	2196.	122768	2276.	123692	2356.	124490	2436.	125274	2516.	126039
2037.	121182	2117.	121971	2197.	122769	2277.	123713	2357.	124492	2437.	125276	2517.	126055
2038.	121186	2118.	121978	2198.	122771	2278.	123715	2358.	124498	2438.	125277	2518.	126063
2039.	121198	2119.	121986	2199.	122776	2279.	123725	2359.	124525	2439.	125280	2519.	126072
2040.	121206	2120.	121987	2200.	122798	2280.	123730	2360.	124554	2440.	125293	2520.	126080
2041.	121210	2121.	122026	2201.	122800	2281.	123750	2361.	124563	2441.	125305	2521.	126084
2042.	121213	2122.	122042	2202.	122806	2282.	123759	2362.	124570	2442.	125307	2522.	126089
2043.	121236	2123.	122045	2203.	122808	2283.	123760	2363.	124579	2443.	125309	2523.	126090
2044.	121241	2124.	122058	2204.	122811	2284.	123772	2364.	124584	2444.	125317	2524.	126106

S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.
2525.	126113	2605.	127205	2685.	127962	2765.	128826	2845.	129693	2925.	130501	3005.	131224
2526.	126133	2606.	127206	2686.	127978	2766.	128828	2846.	129696	2926.	130505	3006.	131227
2527.	126177	2607.	127214	2687.	127995	2767.	128836	2847.	129721	2927.	130508	3007.	131238
2528.	126178	2608.	127226	2688.	128002	2768.	128839	2848.	129749	2928.	130516	3008.	131241
2529.	126214	2609.	127228	2689.	128020	2769.	128842	2849.	129754	2929.	130518	3009.	131250
2530.	126231	2610.	127233	2690.	128026	2770.	128849	2850.	129755	2930.	130526	3010.	131256
2531.	126250	2611.	127238	2691.	128029	2771.	128857	2851.	129757	2931.	130528	3011.	131257
2532.	126261	2612.	127271	2692.	128033	2772.	128859	2852.	129761	2932.	130537	3012.	131265
2533.	126263	2613.	127278	2693.	128041	2773.	128866	2853.	129772	2933.	130541	3013.	131271
2534.	126267	2614.	127279	2694.	128053	2774.	128874	2854.	129783	2934.	130561	3014.	131286
2535.	126269	2615.	127287	2695.	128077	2775.	128904	2855.	129784	2935.	130567	3015.	131296
2536.	126311	2616.	127303	2696.	128092	2776.	128912	2856.	129787	2936.	130575	3016.	131324
2537.	126329	2617.	127304	2697.	128100	2777.	128914	2857.	129789	2937.	130577	3017.	131325
2538.	126356	2618.	127306	2698.	128112	2778.	128932	2858.	129792	2938.	130589	3018.	131340
2539.	126377	2619.	127319	2699.	128126	2779.	128937	2859.	129795	2939.	130597	3019.	131343
2540.	126391	2620.	127328	2700.	128138	2780.	128946	2860.	129815	2940.	130601	3020.	131353
2541.	126402	2621.	127338	2701.	128150	2781.	128973	2861.	129816	2941.	130602	3021.	131387
2542.	126465	2622.	127345	2702.	128155	2782.	128995	2862.	129821	2942.	130616	3022.	131403
2543.	126472	2623.	127376	2703.	128175	2783.	129007	2863.	129826	2943.	130628	3023.	131430
2544.	126488	2624.	127377	2704.	128181	2784.	129015	2864.	129836	2944.	130632	3024.	131442
2545.	126493	2625.	127383	2705.	128213	2785.	129035	2865.	129866	2945.	130638	3025.	131453
2546.	126500	2626.	127389	2706.	128219	2786.	129052	2866.	129867	2946.	130650	3026.	131455
2547.	126504	2627.	127410	2707.	128222	2787.	129060	2867.	129886	2947.	130654	3027.	131470
2548.	126526	2628.	127414	2708.	128223	2788.	129065	2868.	129892	2948.	130660	3028.	131473
2549.	126530	2629.	127451	2709.	128231	2789.	129079	2869.	129897	2949.	130661	3029.	131475
2550.	126541	2630.	127452	2710.	128270	2790.	129105	2870.	129903	2950.	130662	3030.	131487
2551.	126544	2631.	127463	2711.	128282	2791.	129121	2871.	129908	2951.	130675	3031.	131496
2552.	126560	2632.	127471	2712.	128284	2792.	129124	2872.	129938	2952.	130688	3032.	131519
2553.	126574	2633.	127477	2713.	128285	2793.	129126	2873.	129957	2953.	130689	3033.	131521
2554.	126624	2634.	127481	2714.	128289	2794.	129127	2874.	129959	2954.	130695	3034.	131545
2555.	126630	2635.	127483	2715.	128300	2795.	129139	2875.	129961	2955.	130712	3035.	131548
2556.	126633	2636.	127492	2716.	128303	2796.	129141	2876.	129964	2956.	130717	3036.	131553
2557.	126651	2637.	127493	2717.	128311	2797.	129158	2877.	129965	2957.	130725	3037.	131558
2558.	126661	2638.	127501	2718.	128331	2798.	129172	2878.	129986	2958.	130726	3038.	131571
2559.	126701	2639.	127540	2719.	128335	2799.	129178	2879.	129998	2959.	130732	3039.	131574
2560.	126711	2640.	127545	2720.	128341	2800.	129203	2880.	130007	2960.	130743	3040.	131576
2561.	126713	2641.	127554	2721.	128353	2801.	129205	2881.	130043	2961.	130748	3041.	131584
2562.	126732	2642.	127561	2722.	128365	2802.	129213	2882.	130066	2962.	130778	3042.	131605
2563.	126734	2643.	127571	2723.	128404	2803.	129232	2883.	130078	2963.	130792	3043.	131621
2564.	126750	2644.	127593	2724.	128426	2804.	129240	2884.	130097	2964.	130793	3044.	131667
2565.	126760	2645.	127609	2725.	128428	2805.	129262	2885.	130108	2965.	130805	3045.	131691
2566.	126779	2646.	127615	2726.	128449	2806.	129265	2886.	130111	2966.	130813	3046.	131696
2567.	126780	2647.	127616	2727.	128454	2807.	129288	2887.	130119	2967.	130838	3047.	131713
2568.	126789	2648.	127617	2728.	128457	2808.	129305	2888.	130156	2968.	130846	3048.	131737
2569.	126807	2649.	127640	2729.	128459	2809.	129324	2889.	130165	2969.	130847	3049.	131738
2570.	126810	2650.	127643	2730.	128497	2810.	129326	2890.	130174	2970.	130853	3050.	131743
2571.	126816	2651.	127646	2731.	128504	2811.	129328	2891.	130176	2971.	130856	3051.	131752
2572.	126822	2652.	127659	2732.	128509	2812.	129337	2892.	130181	2972.	130862	3052.	131769
2573.	126829	2653.	127661	2733.	128541	2813.	129344	2893.	130214	2973.	130884	3053.	131812
2574.	126830	2654.	127671	2734.	128547	2814.	129363	2894.	130221	2974.	130907	3054.	131819
2575.	126831	2655.	127697	2735.	128563	2815.	129388	2895.	130226	2975.	130908	3055.	131842
2576.	126856	2656.	127698	2736.	128566	2816.	129421	2896.	130230	2976.	130911	3056.	131851
2577.	126866	2657.	127700	2737.	128578	2817.	129426	2897.	130235	2977.	130913	3057.	131855
2578.	126888	2658.	127716	2738.	128581	2818.	129453	2898.	130237	2978.	130918	3058.	131862
2579.	126906	2659.	127717	2739.	128594	2819.	129458	2899.	130253	2979.	130925	3059.	131871
2580.	126931	2660.	127724	2740.	128606	2820.	129477	2900.	130254	2980.	130932	3060.	131876
2581.	126939	2661.	127727	2741.	128614	2821.	129489	2901.	130257	2981.	130951	3061.	131905
2582.	126941	2662.	127739	2742.	128622	2822.	129519	2902.	130283	2982.	130961	3062.	131907
2583.	126949	2663.	127753	2743.	128633	2823.	129520	2903.	130302	2983.	130973	3063.	131918
2584.	126986	2664.	127771	2744.	128639	2824.	129523	2904.	130313	2984.	131003	3064.	131921
2585.	126994	2665.	127780	2745.	128641	2825.	129529	2905.	130323	2985.	131007	3065.	131927
2586.	126999	2666.	127791	2746.	128646	2826.	129533	2906.	130334	2986.	131014	3066.	131933
2587.	127006	2667.	127793	2747.	128685	2827.	129538	2907.	130338	2987.	131025	3067.	131943
2588.	127017	2668.	127800	2748.	128689	2828.	129546	2908.	130377	2988.	131027	3068.	131949
2589.	127018	2669.	127809	2749.	128696	2829.	129558	2909.	130378	2989.	131035	3069.	131956
2590.	127022	2670.	127811	2750.	128697	2830.	129560	2910.	130416	2990.	131048	3070.	131984
2591.	127032	2671.	127821	2751.	128707	2831.	129570	2911.	130417	2991.	131077	3071.	131989
2592.	127034	2672.	127830	2752.	128708	2832.	129571	2912.	130429	2992.	131085	3072.	132008
2593.	127035	2673.	127832	2753.	128733	2833.	129581	2913.	130431	2993.	131100	3073.	132010
2594.	127041	2674.	127849	2754.	128743	2834.	129588	2914.	130433	2994.	131106	3074.	132015
2595.	127105	2675.	127850	2755.	128744	2835.	129624	2915.	130441	2995.	131119	3075.	132020
2596.	127109	2676.	127851	2756.	128752	2836.	129639	2916.	130449	2996.	131123	3076.	132039
2597.	127112	2677.	127859	2757.	128771	2837.	129643	2917.	130450	2997.	131132	3077.	132060
2598.	127126	2678.	127865	2758.	128776	2838.	129645	2918.	130455	2998.	131140	3078.	132065
2599.	127139	2679.	127901	2759.	128783	2839.	129674	2919.	130457	2999.	131143	3079.	132073
2600.	127144	2680.	127914	2760.	128808	2840.	129676	2920.	130458	3000.	131145	3080.	132082
2601.	127149	2681.	127930	2761.	128811	2841.	129681	2921.	130460	3001.	131154	3081.	132090
2602.	127153	2682.	127937	2762.	128815	2842.	129682	2922.	130476	3002.	131194	3082.	132096
2603.	127195	2683.	127939	2763.	128818	2843.	129687	2923.	130488	3003.	131198	3083.	132120
2604.	127202	2684.	127948	2764.	128821	2844.	129689	2924.	130497	3004.	131204	3084.	132121

S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.
3085.	132150	3165.	133160	3245.	133996	3325.	134813	3405.	135560	3485.	136325	3565.	137181
3086.	132157	3166.	133181	3246.	134007	3326.	134833	3406.	135577	3486.	136337	3566.	137196
3087.	132171	3167.	133193	3247.	134026	3327.	134834	3407.	135586	3487.	136371	3567.	137210
3088.	132176	3168.	133201	3248.	134042	3328.	134844	3408.	135633	3488.	136374	3568.	137221
3089.	132199	3169.	133205	3249.	134049	3329.	134846	3409.	135637	3489.	136382	3569.	137233
3090.	132206	3170.	133213	3250.	134068	3330.	134849	3410.	135650	3490.	136384	3570.	137245
3091.	132237	3171.	133215	3251.	134073	3331.	134852	3411.	135661	3491.	136399	3571.	137250
3092.	132244	3172.	133226	3252.	134099	3332.	134863	3412.	135662	3492.	136412	3572.	137262
3093.	132257	3173.	133238	3253.	134104	3333.	134879	3413.	135668	3493.	136417	3573.	137274
3094.	132279	3174.	133239	3254.	134128	3334.	134892	3414.	135671	3494.	136418	3574.	137276
3095.	132286	3175.	133270	3255.	134130	3335.	134906	3415.	135696	3495.	136423	3575.	137277
3096.	132298	3176.	133284	3256.	134135	3336.	134918	3416.	135700	3496.	136424	3576.	137297
3097.	132308	3177.	133298	3257.	134136	3337.	134919	3417.	135706	3497.	136462	3577.	137305
3098.	132309	3178.	133299	3258.	134144	3338.	134935	3418.	135707	3498.	136465	3578.	137322
3099.	132339	3179.	133307	3259.	134150	3339.	134949	3419.	135712	3499.	136469	3579.	137339
3100.	132361	3180.	133311	3260.	134156	3340.	134960	3420.	135716	3500.	136503	3580.	137353
3101.	132371	3181.	133314	3261.	134173	3341.	134963	3421.	135722	3501.	136538	3581.	137358
3102.	132374	3182.	133337	3262.	134175	3342.	134966	3422.	135738	3502.	136544	3582.	137359
3103.	132375	3183.	133345	3263.	134180	3343.	134972	3423.	135750	3503.	136564	3583.	137361
3104.	132376	3184.	133373	3264.	134183	3344.	134982	3424.	135754	3504.	136568	3584.	137364
3105.	132394	3185.	133376	3265.	134185	3345.	135011	3425.	135758	3505.	136574	3585.	137385
3106.	132399	3186.	133389	3266.	134212	3346.	135029	3426.	135761	3506.	136598	3586.	137388
3107.	132404	3187.	133391	3267.	134216	3347.	135030	3427.	135763	3507.	136603	3587.	137392
3108.	132409	3188.	133428	3268.	134218	3348.	135042	3428.	135775	3508.	136609	3588.	137393
3109.	132421	3189.	133430	3269.	134219	3349.	135052	3429.	135779	3509.	136620	3589.	137401
3110.	132429	3190.	133458	3270.	134274	3350.	135058	3430.	135786	3510.	136635	3590.	137414
3111.	132440	3191.	133460	3271.	134278	3351.	135070	3431.	135790	3511.	136643	3591.	137422
3112.	132452	3192.	133469	3272.	134281	3352.	135077	3432.	135794	3512.	136649	3592.	137439
3113.	132466	3193.	133489	3273.	134284	3353.	135086	3433.	135797	3513.	136662	3593.	137444
3114.	132467	3194.	133498	3274.	134289	3354.	135089	3434.	135809	3514.	136682	3594.	137447
3115.	132472	3195.	133506	3275.	134294	3355.	135098	3435.	135820	3515.	136687	3595.	137452
3116.	132511	3196.	133527	3276.	134300	3356.	135106	3436.	135848	3516.	136705	3596.	137461
3117.	132523	3197.	133537	3277.	134308	3357.	135111	3437.	135849	3517.	136713	3597.	137470
3118.	132524	3198.	133541	3278.	134320	3358.	135112	3438.	135852	3518.	136724	3598.	137487
3119.	132533	3199.	133550	3279.	134325	3359.	135117	3439.	135870	3519.	136743	3599.	137492
3120.	132535	3200.	133561	3280.	134335	3360.	135131	3440.	135871	3520.	136749	3600.	137493
3121.	132536	3201.	133566	3281.	134339	3361.	135153	3441.	135876	3521.	136758	3601.	137495
3122.	132552	3202.	133567	3282.	134357	3362.	135173	3442.	135893	3522.	136771	3602.	137507
3123.	132553	3203.	133578	3283.	134378	3363.	135185	3443.	135906	3523.	136788	3603.	137510
3124.	132586	3204.	133579	3284.	134396	3364.	135201	3444.	135917	3524.	136795	3604.	137514
3125.	132594	3205.	133589	3285.	134429	3365.	135213	3445.	135918	3525.	136803	3605.	137524
3126.	132618	3206.	133592	3286.	134436	3366.	135260	3446.	135921	3526.	136813	3606.	137534
3127.	132620	3207.	133604	3287.	134452	3367.	135270	3447.	135939	3527.	136836	3607.	137556
3128.	132648	3208.	133605	3288.	134453	3368.	135274	3448.	135940	3528.	136840	3608.	137559
3129.	132660	3209.	133618	3289.	134457	3369.	135281	3449.	135944	3529.	136842	3609.	137563
3130.	132670	3210.	133626	3290.	134462	3370.	135282	3450.	135945	3530.	136860	3610.	137618
3131.	132676	3211.	133653	3291.	134475	3371.	135283	3451.	135948	3531.	136867	3611.	137619
3132.	132680	3212.	133655	3292.	134476	3372.	135284	3452.	135956	3532.	136871	3612.	137620
3133.	132698	3213.	133657	3293.	134479	3373.	135286	3453.	135968	3533.	136875	3613.	137621
3134.	132724	3214.	133674	3294.	134481	3374.	135287	3454.	135970	3534.	136882	3614.	137639
3135.	132726	3215.	133675	3295.	134485	3375.	135291	3455.	135976	3535.	136885	3615.	137645
3136.	132734	3216.	133681	3296.	134486	3376.	135295	3456.	135978	3536.	136886	3616.	137671
3137.	132745	3217.	133686	3297.	134503	3377.	135304	3457.	135988	3537.	136892	3617.	137672
3138.	132750	3218.	133693	3298.	134509	3378.	135309	3458.	136027	3538.	136908	3618.	137673
3139.	132768	3219.	133712	3299.	134530	3379.	135314	3459.	136029	3539.	136917	3619.	137674
3140.	132782	3220.	133715	3300.	134536	3380.	135319	3460.	136034	3540.	136919	3620.	137691
3141.	132786	3221.	133719	3301.	134566	3381.	135323	3461.	136040	3541.	136925	3621.	137711
3142.	132804	3222.	133723	3302.	134569	3382.	135328	3462.	136056	3542.	136927	3622.	137714
3143.	132843	3223.	133750	3303.	134577	3383.	135330	3463.	136060	3543.	136930	3623.	137725
3144.	132878	3224.	133752	3304.	134578	3384.	135333	3464.	136072	3544.	136972	3624.	137727
3145.	132886	3225.	133765	3305.	134591	3385.	135336	3465.	136077	3545.	136984	3625.	137736
3146.	132897	3226.	133776	3306.	134598	3386.	135342	3466.	136119	3546.	137005	3626.	137738
3147.	132903	3227.	133783	3307.	134605	3387.	135355	3467.	136122	3547.	137007	3627.	137744
3148.	132924	3228.	133800	3308.	134642	3388.	135359	3468.	136146	3548.	137041	3628.	137751
3149.	132931	3229.	133803	3309.	134655	3389.	135367	3469.	136168	3549.	137044	3629.	137752
3150.	132951	3230.	133804	3310.	134657	3390.	135371	3470.	136169	3550.	137050	3630.	137753
3151.	132956	3231.	133832	3311.	134658	3391.	135411	3471.	136172	3551.	137053	3631.	137761
3152.	132978	3232.	133834	3312.	134684	3392.	135414	3472.	136174	3552.	137061	3632.	137816
3153.	132991	3233.	133858	3313.	134687	3393.	135422	3473.	136178	3553.	137064	3633.	137825
3154.	133010	3234.	133874	3314.	134696	3394.	135452	3474.	136187	3554.	137079	3634.	137832
3155.	133013	3235.	133884	3315.	134714	3395.	135458	3475.	136193	3555.	137092	3635.	137847
3156.	133030	3236.	133889	3316.	134736	3396.	135480	3476.	136209	3556.	137100	3636.	137854
3157.	133071	3237.	133908	3317.	134740	3397.	135485	3477.	136211	3557.	137105	3637.	137861
3158.	133090	3238.	133923	3318.	134744	3398.	135503	3478.	136221	3558.	137118	3638.	137862
3159.	133091	3239.	133930	3319.	134779	3399.	135516	3479.	136244	3559.	137139	3639.	137869
3160.	133094	3240.	133931	3320.	134786	3400.	135520	3480.	136256	3560.	137148	3640.	137872
3161.	133103	3241.	133936	3321.	134789	3401.	135530	3481.	136275	3561.	137154	3641.	137879
3162.	133104	3242.	133938	3322.	134795	3402.	135532	3482.	136281	3562.	137171	3642.	137881
3163.	133122	3243.	133945	3323.	134802	3403.	135533	3483.	136310	3563.	137174	3643.	137882
3164.	133129	3244.	133991	3324.	134809	3404.	135542	3484.	136319	3564.	137179	3644.	137896

S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.
3645.	137906	3725.	138723	3805.	139604	3885.	141703	3965.	143747	4045.	146277	4125.	149066
3646.	137914	3726.	138739	3806.	139652	3886.	141708	3966.	143751	4046.	146282	4126.	149075
3647.	137917	3727.	138749	3807.	139664	3887.	141709	3967.	143766	4047.	146295	4127.	149077
3648.	137920	3728.	138766	3808.	139680	3888.	141736	3968.	143802	4048.	146304	4128.	149105
3649.	137934	3729.	138768	3809.	139690	3889.	141745	3969.	143807	4049.	146305	4129.	149181
3650.	137940	3730.	138770	3810.	139705	3890.	141772	3970.	143881	4050.	146307	4130.	149196
3651.	137957	3731.	138775	3811.	139712	3891.	141779	3971.	143916	4051.	146350	4131.	149198
3652.	137976	3732.	138776	3812.	139713	3892.	141796	3972.	143926	4052.	146408	4132.	149217
3653.	137987	3733.	138795	3813.	139721	3893.	141811	3973.	143981	4053.	146416	4133.	149238
3654.	138021	3734.	138804	3814.	139734	3894.	141812	3974.	144033	4054.	146440	4134.	149239
3655.	138039	3735.	138811	3815.	139753	3895.	141825	3975.	144059	4055.	146491	4135.	149243
3656.	138042	3736.	138823	3816.	139759	3896.	141848	3976.	144072	4056.	146508	4136.	149266
3657.	138047	3737.	138825	3817.	139799	3897.	141851	3977.	144165	4057.	146525	4137.	149291
3658.	138071	3738.	138831	3818.	139817	3898.	141911	3978.	144180	4058.	146539	4138.	149313
3659.	138082	3739.	138833	3819.	139828	3899.	141929	3979.	144261	4059.	146685	4139.	149332
3660.	138085	3740.	138843	3820.	139838	3900.	141948	3980.	144310	4060.	146694	4140.	149382
3661.	138100	3741.	138860	3821.	139840	3901.	142019	3981.	144313	4061.	146749	4141.	149396
3662.	138108	3742.	138864	3822.	139862	3902.	142048	3982.	144323	4062.	146811	4142.	149424
3663.	138109	3743.	138866	3823.	139865	3903.	142063	3983.	144346	4063.	146822	4143.	149444
3664.	138112	3744.	138908	3824.	139886	3904.	142104	3984.	144372	4064.	146852	4144.	149511
3665.	138119	3745.	138953	3825.	139954	3905.	142105	3985.	144389	4065.	146860	4145.	149516
3666.	138141	3746.	138970	3826.	140026	3906.	142129	3986.	144402	4066.	146934	4146.	149538
3667.	138156	3747.	138985	3827.	140059	3907.	142150	3987.	144524	4067.	146962	4147.	149568
3668.	138161	3748.	139019	3828.	140075	3908.	142163	3988.	144563	4068.	146994	4148.	149581
3669.	138176	3749.	139028	3829.	140096	3909.	142174	3989.	144569	4069.	147006	4149.	149603
3670.	138187	3750.	139032	3830.	140129	3910.	142190	3990.	144570	4070.	147029	4150.	149608
3671.	138198	3751.	139039	3831.	140145	3911.	142217	3991.	144618	4071.	147053	4151.	149615
3672.	138215	3752.	139040	3832.	140148	3912.	142243	3992.	144648	4072.	147062	4152.	149656
3673.	138220	3753.	139048	3833.	140195	3913.	142253	3993.	144650	4073.	147071	4153.	149670
3674.	138224	3754.	139049	3834.	140268	3914.	142287	3994.	144666	4074.	147108	4154.	149674
3675.	138228	3755.	139060	3835.	140310	3915.	142288	3995.	144671	4075.	147122	4155.	149682
3676.	138249	3756.	139063	3836.	140319	3916.	142319	3996.	144689	4076.	147141	4156.	149706
3677.	138258	3757.	139071	3837.	140360	3917.	142335	3997.	144690	4077.	147174	4157.	149714
3678.	138260	3758.	139074	3838.	140363	3918.	142367	3998.	144691	4078.	147204	4158.	149796
3679.	138274	3759.	139084	3839.	140392	3919.	142368	3999.	144743	4079.	147322	4159.	149801
3680.	138281	3760.	139087	3840.	140396	3920.	142460	4000.	144770	4080.	147365	4160.	149806
3681.	138299	3761.	139108	3841.	140423	3921.	142472	4001.	144780	4081.	147429	4161.	149829
3682.	138309	3762.	139120	3842.	140424	3922.	142497	4002.	144866	4082.	147441	4162.	149890
3683.	138310	3763.	139122	3843.	140446	3923.	142523	4003.	144871	4083.	147546	4163.	149923
3684.	138314	3764.	139128	3844.	140484	3924.	142533	4004.	144908	4084.	147629	4164.	149926
3685.	138324	3765.	139134	3845.	140508	3925.	142569	4005.	144984	4085.	147693	4165.	150002
3686.	138332	3766.	139140	3846.	140717	3926.	142606	4006.	145084	4086.	147705	4166.	150010
3687.	138341	3767.	139141	3847.	140795	3927.	142658	4007.	145173	4087.	147736	4167.	150055
3688.	138373	3768.	139152	3848.	140817	3928.	142690	4008.	145220	4088.	147803	4168.	150074
3689.	138383	3769.	139158	3849.	140840	3929.	142714	4009.	145235	4089.	147923	4169.	150085
3690.	138393	3770.	139171	3850.	140894	3930.	142755	4010.	145253	4090.	147966	4170.	150111
3691.	138403	3771.	139231	3851.	140915	3931.	142759	4011.	145255	4091.	147992	4171.	150143
3692.	138408	3772.	139235	3852.	140975	3932.	142764	4012.	145275	4092.	148019	4172.	150159
3693.	138416	3773.	139248	3853.	141043	3933.	142777	4013.	145292	4093.	148029	4173.	150167
3694.	138428	3774.	139261	3854.	141074	3934.	142864	4014.	145319	4094.	148168	4174.	150177
3695.	138429	3775.	139276	3855.	141110	3935.	142887	4015.	145322	4095.	148177	4175.	150191
3696.	138431	3776.	139288	3856.	141153	3936.	142889	4016.	145368	4096.	148201	4176.	150194
3697.	138436	3777.	139293	3857.	141218	3937.	142897	4017.	145404	4097.	148256	4177.	150219
3698.	138465	3778.	139295	3858.	141253	3938.	142969	4018.	145438	4098.	148331	4178.	150247
3699.	138477	3779.	139305	3859.	141277	3939.	142970	4019.	145460	4099.	148408	4179.	150272
3700.	138482	3780.	139319	3860.	141288	3940.	142975	4020.	145523	4100.	148506	4180.	150302
3701.	138511	3781.	139323	3861.	141298	3941.	143010	4021.	145529	4101.	148564	4181.	150311
3702.	138513	3782.	139337	3862.	141308	3942.	143026	4022.	145593	4102.	148571	4182.	150326
3703.	138516	3783.	139353	3863.	141333	3943.	143062	4023.	145669	4103.	148574	4183.	150384
3704.	138518	3784.	139355	3864.	141352	3944.	143084	4024.	145686	4104.	148622	4184.	150499
3705.	138531	3785.	139358	3865.	141377	3945.	143103	4025.	145847	4105.	148629	4185.	150524
3706.	138544	3786.	139365	3866.	141386	3946.	143172	4026.	145893	4106.	148635	4186.	150544
3707.	138546	3787.	139383	3867.	141391	3947.	143248	4027.	145894	4107.	148641	4187.	150548
3708.	138584	3788.	139387	3868.	141413	3948.	143390	4028.	145917	4108.	148675	4188.	150572
3709.	138590	3789.	139394	3869.	141421	3949.	143392	4029.	145935	4109.	148677	4189.	150580
3710.	138593	3790.	139396	3870.	141463	3950.	143403	4030.	145945	4110.	148681	4190.	150640
3711.	138605	3791.	139407	3871.	141503	3951.	143420	4031.	145976	4111.	148691	4191.	150690
3712.	138608	3792.	139435	3872.	141519	3952.	143441	4032.	145986	4112.	148700	4192.	150706
3713.	138614	3793.	139442	3873.	141534	3953.	143503	4033.	146005	4113.	148705	4193.	150741
3714.	138623	3794.	139445	3874.	141582	3954.	143541	4034.	146043	4114.	148719	4194.	150774
3715.	138631	3795.	139452	3875.	141590	3955.	143553	4035.	146049	4115.	148729	4195.	150835
3716.	138652	3796.	139466	3876.	141594	3956.	143562	4036.	146062	4116.	148764	4196.	150915
3717.	138657	3797.	139467	3877.	141596	3957.	143613	4037.	146067	4117.	148829	4197.	150930
3718.	138667	3798.	139496	3878.	141599	3958.	143631	4038.	146070	4118.	148836	4198.	150969
3719.	138669	3799.	139522	3879.	141613	3959.	143673	4039.	146158	4119.	148843	4199.	150997
3720.	138672	3800.	139534	3880.	141659	3960.	143679	4040.	146160	4120.	148896	4200.	151035
3721.	138674	3801.	139542	3881.	141677	3961.	143701	4041.	146240	4121.	148910	4201.	151053
3722.	138677	3802.	139545	3882.	141686	3962.	143714	4042.	146244	4122.	148930	4202.	151062
3723.	138700	3803.	139564	3883.	141688	3963.	143735	4043.	146249	4123.	148955	4203.	151066
3724.	138722	3804.	139596	3884.	141702	3964.	143743	4044.	146269	4124.	149044	4204.	151120

S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.
4205.	151169	4285.	153587	4365.	156281	4445.	159810	4525.	163983	4605.	168484	4685.	172685
4206.	151187	4286.	153593	4366.	156333	4446.	159873	4526.	164014	4606.	168496	4686.	172745
4207.	151188	4287.	153603	4367.	156373	4447.	159883	4527.	164022	4607.	168520	4687.	172858
4208.	151212	4288.	153605	4368.	156386	4448.	159943	4528.	164083	4608.	168532	4688.	172887
4209.	151238	4289.	153608	4369.	156408	4449.	160019	4529.	164123	4609.	168576	4689.	172899
4210.	151258	4290.	153610	4370.	156424	4450.	160039	4530.	164135	4610.	168678	4690.	172905
4211.	151304	4291.	153614	4371.	156487	4451.	160089	4531.	164188	4611.	168682	4691.	172913
4212.	151333	4292.	153618	4372.	156506	4452.	160149	4532.	164286	4612.	168695	4692.	172923
4213.	151496	4293.	153685	4373.	156507	4453.	160166	4533.	164298	4613.	168753	4693.	172973
4214.	151527	4294.	153707	4374.	156572	4454.	160167	4534.	164363	4614.	168784	4694.	172980
4215.	151549	4295.	153722	4375.	156602	4455.	160178	4535.	164382	4615.	168809	4695.	172982
4216.	151573	4296.	153725	4376.	156637	4456.	160335	4536.	164401	4616.	168846	4696.	173035
4217.	151590	4297.	153793	4377.	156664	4457.	160396	4537.	164510	4617.	169004	4697.	173080
4218.	151606	4298.	153875	4378.	156671	4458.	160467	4538.	164638	4618.	169035	4698.	173116
4219.	151623	4299.	153960	4379.	156782	4459.	160475	4539.	164725	4619.	169059	4699.	173130
4220.	151628	4300.	153989	4380.	156796	4460.	160560	4540.	164772	4620.	169099	4700.	173164
4221.	151647	4301.	154034	4381.	156798	4461.	160564	4541.	164851	4621.	169113	4701.	173257
4222.	151665	4302.	154050	4382.	156930	4462.	160635	4542.	164874	4622.	169160	4702.	173328
4223.	151668	4303.	154064	4383.	156933	4463.	160669	4543.	164895	4623.	169201	4703.	173440
4224.	151677	4304.	154101	4384.	156954	4464.	160689	4544.	164915	4624.	169264	4704.	173507
4225.	151716	4305.	154120	4385.	156982	4465.	160706	4545.	164929	4625.	169292	4705.	173515
4226.	151734	4306.	154135	4386.	157010	4466.	160713	4546.	164950	4626.	169332	4706.	173529
4227.	151736	4307.	154151	4387.	157070	4467.	160714	4547.	165076	4627.	169350	4707.	173627
4228.	151743	4308.	154154	4388.	157143	4468.	160757	4548.	165237	4628.	169356	4708.	173639
4229.	151777	4309.	154261	4389.	157174	4469.	160766	4549.	165290	4629.	169392	4709.	173647
4230.	151790	4310.	154306	4390.	157204	4470.	160774	4550.	165292	4630.	169400	4710.	173683
4231.	151838	4311.	154378	4391.	157230	4471.	160816	4551.	165345	4631.	169510	4711.	173692
4232.	151855	4312.	154452	4392.	157243	4472.	160874	4552.	165399	4632.	169629	4712.	173713
4233.	151927	4313.	154479	4393.	157266	4473.	160942	4553.	165563	4633.	169666	4713.	173726
4234.	151936	4314.	154492	4394.	157306	4474.	161044	4554.	165616	4634.	169808	4714.	173742
4235.	151948	4315.	154501	4395.	157312	4475.	161232	4555.	165695	4635.	169812	4715.	173794
4236.	151953	4316.	154615	4396.	157350	4476.	161247	4556.	165715	4636.	169838	4716.	173956
4237.	151957	4317.	154644	4397.	157529	4477.	161473	4557.	165778	4637.	169860	4717.	173976
4238.	152043	4318.	154676	4398.	157546	4478.	161498	4558.	165789	4638.	169881	4718.	174002
4239.	152062	4319.	154727	4399.	157552	4479.	161533	4559.	165842	4639.	169969	4719.	174082
4240.	152164	4320.	154769	4400.	157680	4480.	161599	4560.	165859	4640.	170030	4720.	174099
4241.	152169	4321.	154801	4401.	157708	4481.	161601	4561.	165923	4641.	170042	4721.	174245
4242.	152218	4322.	154805	4402.	157834	4482.	161621	4562.	165952	4642.	170091	4722.	174267
4243.	152245	4323.	154820	4403.	157892	4483.	161686	4563.	166026	4643.	170113	4723.	174387
4244.	152303	4324.	154859	4404.	157912	4484.	161777	4564.	166034	4644.	170166	4724.	174424
4245.	152341	4325.	154871	4405.	157992	4485.	161785	4565.	166046	4645.	170182	4725.	174458
4246.	152390	4326.	154960	4406.	157994	4486.	161791	4566.	166110	4646.	170236	4726.	174504
4247.	152423	4327.	154980	4407.	158021	4487.	161825	4567.	166111	4647.	170371	4727.	174507
4248.	152483	4328.	154999	4408.	158032	4488.	161827	4568.	166119	4648.	170377	4728.	174511
4249.	152510	4329.	155032	4409.	158037	4489.	161858	4569.	166179	4649.	170428	4729.	174534
4250.	152518	4330.	155057	4410.	158039	4490.	161863	4570.	166214	4650.	170533	4730.	174546
4251.	152616	4331.	155159	4411.	158156	4491.	161888	4571.	166347	4651.	170637	4731.	174576
4252.	152622	4332.	155213	4412.	158234	4492.	161944	4572.	166387	4652.	170655	4732.	174639
4253.	152634	4333.	155256	4413.	158240	4493.	161948	4573.	166425	4653.	170678	4733.	174651
4254.	152684	4334.	155268	4414.	158266	4494.	161954	4574.	166454	4654.	170681	4734.	174774
4255.	152685	4335.	155304	4415.	158281	4495.	161964	4575.	166460	4655.	170729	4735.	174780
4256.	152690	4336.	155366	4416.	158283	4496.	162085	4576.	166504	4656.	170905	4736.	174808
4257.	152693	4337.	155435	4417.	158352	4497.	162106	4577.	166590	4657.	171122	4737.	174854
4258.	152714	4338.	155445	4418.	158361	4498.	162199	4578.	166591	4658.	171156	4738.	174905
4259.	152738	4339.	155446	4419.	158443	4499.	162254	4579.	166649	4659.	171182	4739.	175019
4260.	152775	4340.	155470	4420.	158535	4500.	162276	4580.	166692	4660.	171247	4740.	175084
4261.	152778	4341.	155527	4421.	158554	4501.	162280	4581.	166694	4661.	171283	4741.	175102
4262.	152790	4342.	155531	4422.	158574	4502.	162289	4582.	166857	4662.	171307	4742.	175111
4263.	152818	4343.	155568	4423.	158623	4503.	162340	4583.	167060	4663.	171396	4743.	175157
4264.	152943	4344.	155578	4424.	158655	4504.	162341	4584.	167067	4664.	171407	4744.	175193
4265.	152970	4345.	155599	4425.	158696	4505.	162381	4585.	167073	4665.	171458	4745.	175201
4266.	152996	4346.	155608	4426.	158733	4506.	162393	4586.	167174	4666.	171595	4746.	175248
4267.	153005	4347.	155628	4427.	158753	4507.	162466	4587.	167188	4667.	171631	4747.	175266
4268.	153028	4348.	155635	4428.	158774	4508.	162587	4588.	167204	4668.	171642	4748.	175284
4269.	153061	4349.	155645	4429.	158834	4509.	162648	4589.	167355	4669.	171780	4749.	175300
4270.	153062	4350.	155679	4430.	158841	4510.	163271	4590.	167369	4670.	171812	4750.	175339
4271.	153109	4351.	155852	4431.	158919	4511.	163466	4591.	167409	4671.	171832	4751.	175407
4272.	153136	4352.	155869	4432.	158925	4512.	163491	4592.	167432	4672.	171838	4752.	175421
4273.	153187	4353.	155893	4433.	158976	4513.	163547	4593.	167459	4673.	171930	4753.	175429
4274.	153189	4354.	155954	4434.	159061	4514.	163552	4594.	167490	4674.	171949	4754.	175436
4275.	153394	4355.	155971	4435.	159100	4515.	163566	4595.	167499	4675.	172040	4755.	175481
4276.	153438	4356.	155981	4436.	159231	4516.	163644	4596.	167587	4676.	172050	4756.	175511
4277.	153488	4357.	156010	4437.	159271	4517.	163697	4597.	167643	4677.	172065	4757.	175540
4278.	153526	4358.	156035	4438.	159314	4518.	163734	4598.	167687	4678.	172072	4758.	175603
4279.	153529	4359.	156062	4439.	159577	4519.	163815	4599.	167872	4679.	172074	4759.	175682
4280.	153545	4360.	156119	4440.	159596	4520.	163816	4600.	167939	4680.	172379	4760.	175749
4281.	153549	4361.	156124	4441.	159619	4521.	163822	4601.	168133	4681.	172417	4761.	175758
4282.	153556	4362.	156140	4442.	159624	4522.	163840	4602.	168224	4682.	172454	4762.	175822
4283.	153574	4363.	156156	4443.	159698	4523.	163854	4603.	168260	4683.	172597	4763.	175846
4284.	153583	4364.	156196	4444.	159809	4524.	163895	4604.	168375	4684.	172637	4764.	175955

S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.
4765.	176040	4845.	179723	4925.	181927	5005.	183286	5085.	185693	5165.	188283	5245.	191382
4766.	176121	4846.	179746	4926.	181946	5006.	183360	5086.	185721	5166.	188317	5246.	191433
4767.	176159	4847.	179784	4927.	181966	5007.	183406	5087.	185728	5167.	188323	5247.	191499
4768.	176257	4848.	179795	4928.	181988	5008.	183453	5088.	185734	5168.	188369	5248.	191592
4769.	176279	4849.	179841	4929.	182001	5009.	183461	5089.	185825	5169.	188410	5249.	191633
4770.	176307	4850.	179846	4930.	182021	5010.	183469	5090.	185863	5170.	188494	5250.	191709
4771.	176365	4851.	179878	4931.	182058	5011.	183477	5091.	185885	5171.	188546	5251.	191710
4772.	176417	4852.	179898	4932.	182098	5012.	183488	5092.	185931	5172.	188593	5252.	191764
4773.	176425	4853.	180051	4933.	182108	5013.	183496	5093.	185932	5173.	188613	5253.	191787
4774.	176461	4854.	180102	4934.	182142	5014.	183509	5094.	186004	5174.	188676	5254.	191887
4775.	176468	4855.	180120	4935.	182152	5015.	183532	5095.	186015	5175.	188763	5255.	191933
4776.	176486	4856.	180160	4936.	182173	5016.	183551	5096.	186028	5176.	188765	5256.	191936
4777.	176526	4857.	180168	4937.	182187	5017.	183572	5097.	186081	5177.	188844	5257.	191980
4778.	176673	4858.	180192	4938.	182201	5018.	183585	5098.	186127	5178.	188879	5258.	192007
4779.	176741	4859.	180279	4939.	182205	5019.	183586	5099.	186206	5179.	188987	5259.	192008
4780.	176763	4860.	180323	4940.	182208	5020.	183606	5100.	186228	5180.	188991	5260.	192102
4781.	176806	4861.	180342	4941.	182218	5021.	183647	5101.	186231	5181.	189019	5261.	192140
4782.	176807	4862.	180391	4942.	182219	5022.	183655	5102.	186238	5182.	189033	5262.	192175
4783.	176808	4863.	180393	4943.	182248	5023.	183689	5103.	186303	5183.	189037	5263.	192190
4784.	176860	4864.	180410	4944.	182302	5024.	183718	5104.	186337	5184.	189072	5264.	192203
4785.	176893	4865.	180427	4945.	182318	5025.	183723	5105.	186400	5185.	189078	5265.	192243
4786.	176899	4866.	180455	4946.	182351	5026.	183752	5106.	186436	5186.	189094	5266.	192294
4787.	176912	4867.	180467	4947.	182371	5027.	183767	5107.	186482	5187.	189124	5267.	192335
4788.	177010	4868.	180475	4948.	182404	5028.	183771	5108.	186502	5188.	189251	5268.	192358
4789.	177011	4869.	180508	4949.	182410	5029.	183792	5109.	186515	5189.	189272	5269.	192373
4790.	177016	4870.	180510	4950.	182416	5030.	183851	5110.	186569	5190.	189281	5270.	192411
4791.	177127	4871.	180537	4951.	182424	5031.	183917	5111.	186573	5191.	189304	5271.	192480
4792.	177129	4872.	180541	4952.	182432	5032.	183920	5112.	186592	5192.	189344	5272.	192484
4793.	177155	4873.	180555	4953.	182447	5033.	183974	5113.	186682	5193.	189374	5273.	192496
4794.	177183	4874.	180617	4954.	182469	5034.	183986	5114.	186720	5194.	189394	5274.	192587
4795.	177195	4875.	180653	4955.	182494	5035.	183992	5115.	186769	5195.	189422	5275.	192613
4796.	177219	4876.	180676	4956.	182495	5036.	184025	5116.	186796	5196.	189436	5276.	192644
4797.	177223	4877.	180680	4957.	182498	5037.	184091	5117.	186824	5197.	189445	5277.	192711
4798.	177241	4878.	180686	4958.	182521	5038.	184123	5118.	186881	5198.	189466	5278.	192787
4799.	177353	4879.	180713	4959.	182558	5039.	184142	5119.	186887	5199.	189528	5279.	192840
4800.	177411	4880.	180729	4960.	182632	5040.	184219	5120.	186893	5200.	189538	5280.	192995
4801.	177446	4881.	180821	4961.	182650	5041.	184264	5121.	186922	5201.	189700	5281.	193005
4802.	177556	4882.	180823	4962.	182663	5042.	184270	5122.	186947	5202.	189768	5282.	193027
4803.	177677	4883.	180855	4963.	182669	5043.	184293	5123.	187013	5203.	189797	5283.	193072
4804.	177708	4884.	180965	4964.	182675	5044.	184330	5124.	187069	5204.	189853	5284.	193108
4805.	177819	4885.	180999	4965.	182676	5045.	184346	5125.	187076	5205.	189877	5285.	193115
4806.	177870	4886.	181003	4966.	182685	5046.	184375	5126.	187084	5206.	189937	5286.	193230
4807.	177873	4887.	181033	4967.	182687	5047.	184515	5127.	187159	5207.	190040	5287.	193235
4808.	177892	4888.	181036	4968.	182694	5048.	184535	5128.	187178	5208.	190112	5288.	193246
4809.	177918	4889.	181078	4969.	182715	5049.	184558	5129.	187258	5209.	190121	5289.	193277
4810.	177932	4890.	181090	4970.	182741	5050.	184591	5130.	187281	5210.	190172	5290.	193399
4811.	177941	4891.	181109	4971.	182749	5051.	184598	5131.	187331	5211.	190191	5291.	193437
4812.	178065	4892.	181114	4972.	182765	5052.	184618	5132.	187338	5212.	190239	5292.	193478
4813.	178114	4893.	181171	4973.	182773	5053.	184640	5133.	187353	5213.	190246	5293.	193488
4814.	178146	4894.	181325	4974.	182778	5054.	184749	5134.	187388	5214.	190334	5294.	193521
4815.	178301	4895.	181327	4975.	182779	5055.	184791	5135.	187445	5215.	190495	5295.	193611
4816.	178315	4896.	181397	4976.	182808	5056.	184819	5136.	187486	5216.	190516	5296.	193634
4817.	178326	4897.	181400	4977.	182809	5057.	184836	5137.	187509	5217.	190532	5297.	193652
4818.	178332	4898.	181407	4978.	182818	5058.	184880	5138.	187564	5218.	190564	5298.	193674
4819.	178365	4899.	181434	4979.	182826	5059.	184885	5139.	187566	5219.	190726	5299.	193675
4820.	178371	4900.	181438	4980.	182862	5060.	184897	5140.	187567	5220.	190788	5300.	193826
4821.	178523	4901.	181439	4981.	182880	5061.	184921	5141.	187597	5221.	190793	5301.	193902
4822.	178567	4902.	181449	4982.	182881	5062.	184988	5142.	187609	5222.	190801	5302.	194002
4823.	178581	4903.	181485	4983.	182889	5063.	185038	5143.	187610	5223.	190849	5303.	194016
4824.	178587	4904.	181489	4984.	182963	5064.	185052	5144.	187620	5224.	190868	5304.	194033
4825.	178644	4905.	181501	4985.	182966	5065.	185058	5145.	187648	5225.	190917	5305.	194071
4826.	178666	4906.	181527	4986.	183002	5066.	185093	5146.	187690	5226.	190918	5306.	194113
4827.	178726	4907.	181540	4987.	183008	5067.	185135	5147.	187726	5227.	190933	5307.	194175
4828.	178742	4908.	181568	4988.	183076	5068.	185298	5148.	187747	5228.	190982	5308.	194329
4829.	178892	4909.	181642	4989.	183092	5069.	185299	5149.	187811	5229.	191001	5309.	194333
4830.	178936	4910.	181649	4990.	183105	5070.	185318	5150.	187828	5230.	191018	5310.	194436
4831.	178969	4911.	181672	4991.	183109	5071.	185349	5151.	187852	5231.	191043	5311.	194484
4832.	179042	4912.	181677	4992.	183114	5072.	185362	5152.	187913	5232.	191055	5312.	194487
4833.	179069	4913.	181697	4993.	183117	5073.	185434	5153.	187918	5233.	191065	5313.	194512
4834.	179098	4914.	181745	4994.	183120	5074.	185439	5154.	188001	5234.	191067	5314.	194548
4835.	179126	4915.	181757	4995.	183123	5075.	185444	5155.	188026	5235.	191103	5315.	194601
4836.	179146	4916.	181770	4996.	183134	5076.	185456	5156.	188044	5236.	191141	5316.	194645
4837.	179162	4917.	181772	4997.	183167	5077.	185468	5157.	188056	5237.	191168	5317.	194652
4838.	179286	4918.	181780	4998.	183191	5078.	185499	5158.	188079	5238.	191182	5318.	194693
4839.	179380	4919.	181783	4999.	183194	5079.	185566	5159.	188087	5239.	191186	5319.	194697
4840.	179440	4920.	181793	5000.	183211	5080.	185575	5160.	188189	5240.	191241	5320.	194716
4841.	179494	4921.	181796	5001.	183221	5081.	185580	5161.	188219	5241.	191279	5321.	194731
4842.	179553	4922.	181797	5002.	183234	5082.	185589	5162.	188222	5242.	191325	5322.	194838
4843.	179668	4923.	181812	5003.	183257	5083.	185630	5163.	188242	5243.	191332	5323.	194846
4844.	179681	4924.	181892	5004.	183283	5084.	185654	5164.	188275	5244.	191356	5324.	194851

S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.
5325.	194948	5405.	198062	5485.	201081	5565.	203900	5645.	207329	5725.	211142	5805.	214204
5326.	195050	5406.	198087	5486.	201154	5566.	203903	5646.	207345	5726.	211146	5806.	214205
5327.	195064	5407.	198227	5487.	201205	5567.	203936	5647.	207437	5727.	211173	5807.	214222
5328.	195136	5408.	198253	5488.	201219	5568.	203990	5648.	207591	5728.	211232	5808.	214229
5329.	195144	5409.	198326	5489.	201225	5569.	204035	5649.	207856	5729.	211241	5809.	214238
5330.	195172	5410.	198399	5490.	201231	5570.	204059	5650.	207901	5730.	211246	5810.	214308
5331.	195275	5411.	198527	5491.	201457	5571.	204090	5651.	207908	5731.	211260	5811.	214315
5332.	195291	5412.	198562	5492.	201480	5572.	204109	5652.	207917	5732.	211367	5812.	214367
5333.	195307	5413.	198576	5493.	201510	5573.	204177	5653.	208021	5733.	211377	5813.	214369
5334.	195353	5414.	198679	5494.	201521	5574.	204268	5654.	208023	5734.	211378	5814.	214378
5335.	195357	5415.	198723	5495.	201562	5575.	204295	5655.	208049	5735.	211448	5815.	214407
5336.	195496	5416.	198765	5496.	201589	5576.	204297	5656.	208052	5736.	211457	5816.	214423
5337.	195500	5417.	198795	5497.	201606	5577.	204331	5657.	208104	5737.	211494	5817.	214424
5338.	195554	5418.	198840	5498.	201610	5578.	204463	5658.	208111	5738.	211533	5818.	214473
5339.	195771	5419.	198855	5499.	201631	5579.	204496	5659.	208134	5739.	211549	5819.	214479
5340.	195901	5420.	198885	5500.	201675	5580.	204511	5660.	208153	5740.	211562	5820.	214536
5341.	195985	5421.	198908	5501.	201695	5581.	204581	5661.	208166	5741.	211600	5821.	214555
5342.	196061	5422.	198910	5502.	201722	5582.	204595	5662.	208218	5742.	211630	5822.	214596
5343.	196104	5423.	198925	5503.	201838	5583.	204667	5663.	208242	5743.	211663	5823.	214689
5344.	196110	5424.	198961	5504.	201880	5584.	204721	5664.	208249	5744.	211683	5824.	214721
5345.	196120	5425.	198969	5505.	201950	5585.	204743	5665.	208336	5745.	211692	5825.	214728
5346.	196121	5426.	198988	5506.	201978	5586.	204751	5666.	208372	5746.	211762	5826.	214748
5347.	196149	5427.	198991	5507.	202058	5587.	204789	5667.	208411	5747.	211769	5827.	214866
5348.	196205	5428.	199013	5508.	202130	5588.	204898	5668.	208412	5748.	211795	5828.	214935
5349.	196259	5429.	199109	5509.	202137	5589.	205026	5669.	208434	5749.	211810	5829.	214947
5350.	196285	5430.	199124	5510.	202140	5590.	205045	5670.	208442	5750.	211853	5830.	214990
5351.	196290	5431.	199142	5511.	202154	5591.	205060	5671.	208495	5751.	211977	5831.	215001
5352.	196339	5432.	199187	5512.	202192	5592.	205076	5672.	208511	5752.	212157	5832.	215023
5353.	196353	5433.	199361	5513.	202208	5593.	205106	5673.	208549	5753.	212172	5833.	215073
5354.	196387	5434.	199405	5514.	202237	5594.	205209	5674.	208613	5754.	212269	5834.	215074
5355.	196429	5435.	199470	5515.	202241	5595.	205238	5675.	208705	5755.	212357	5835.	215089
5356.	196504	5436.	199520	5516.	202287	5596.	205248	5676.	208712	5756.	212400	5836.	215094
5357.	196508	5437.	199620	5517.	202363	5597.	205273	5677.	208798	5757.	212407	5837.	215147
5358.	196523	5438.	199628	5518.	202434	5598.	205366	5678.	208829	5758.	212456	5838.	215153
5359.	196573	5439.	199639	5519.	202524	5599.	205371	5679.	208922	5759.	212513	5839.	215162
5360.	196590	5440.	199678	5520.	202555	5600.	205456	5680.	208982	5760.	212528	5840.	215204
5361.	196633	5441.	199743	5521.	202564	5601.	205495	5681.	209054	5761.	212578	5841.	215311
5362.	196654	5442.	199775	5522.	202604	5602.	205571	5682.	209107	5762.	212659	5842.	215342
5363.	196735	5443.	199790	5523.	202659	5603.	205680	5683.	209110	5763.	212737	5843.	215362
5364.	196738	5444.	199792	5524.	202743	5604.	205687	5684.	209152	5764.	212784	5844.	215381
5365.	196788	5445.	199803	5525.	202749	5605.	205722	5685.	209186	5765.	212806	5845.	215391
5366.	196817	5446.	199821	5526.	202764	5606.	205723	5686.	209323	5766.	212840	5846.	215428
5367.	196832	5447.	199822	5527.	202767	5607.	205752	5687.	209361	5767.	212850	5847.	215529
5368.	196836	5448.	199846	5528.	202785	5608.	205759	5688.	209435	5768.	212899	5848.	215530
5369.	196845	5449.	199860	5529.	202806	5609.	205769	5689.	209477	5769.	212900	5849.	215532
5370.	196881	5450.	199861	5530.	202814	5610.	205788	5690.	209560	5770.	212912	5850.	215597
5371.	196901	5451.	199862	5531.	202832	5611.	205842	5691.	209685	5771.	212956	5851.	215623
5372.	196964	5452.	199920	5532.	202906	5612.	205861	5692.	209686	5772.	212972	5852.	215648
5373.	196998	5453.	199930	5533.	202913	5613.	205920	5693.	209711	5773.	212991	5853.	215666
5374.	197001	5454.	199959	5534.	202999	5614.	205926	5694.	209774	5774.	213011	5854.	215674
5375.	197003	5455.	200049	5535.	203015	5615.	205969	5695.	209820	5775.	213013	5855.	215735
5376.	197083	5456.	200076	5536.	203026	5616.	205990	5696.	209895	5776.	213062	5856.	215762
5377.	197109	5457.	200194	5537.	203053	5617.	206041	5697.	210022	5777.	213120	5857.	215801
5378.	197112	5458.	200245	5538.	203069	5618.	206091	5698.	210070	5778.	213142	5858.	215833
5379.	197122	5459.	200320	5539.	203119	5619.	206092	5699.	210088	5779.	213154	5859.	215897
5380.	197182	5460.	200376	5540.	203150	5620.	206136	5700.	210101	5780.	213162	5860.	215923
5381.	197239	5461.	200420	5541.	203154	5621.	206191	5701.	210120	5781.	213169	5861.	216020
5382.	197260	5462.	200465	5542.	203167	5622.	206226	5702.	210225	5782.	213243	5862.	216034
5383.	197313	5463.	200496	5543.	203186	5623.	206283	5703.	210261	5783.	213277	5863.	216069
5384.	197321	5464.	200512	5544.	203207	5624.	206380	5704.	210334	5784.	213448	5864.	216072
5385.	197330	5465.	200529	5545.	203208	5625.	206425	5705.	210343	5785.	213453	5865.	216182
5386.	197340	5466.	200540	5546.	203305	5626.	206484	5706.	210361	5786.	213526	5866.	216206
5387.	197383	5467.	200546	5547.	203345	5627.	206512	5707.	210377	5787.	213584	5867.	216261
5388.	197455	5468.	200588	5548.	203367	5628.	206619	5708.	210389	5788.	213586	5868.	216265
5389.	197481	5469.	200633	5549.	203379	5629.	206629	5709.	210413	5789.	213733	5869.	216272
5390.	197491	5470.	200666	5550.	203386	5630.	206647	5710.	210444	5790.	213757	5870.	216302
5391.	197570	5471.	200725	5551.	203405	5631.	206798	5711.	210445	5791.	213832	5871.	216373
5392.	197591	5472.	200752	5552.	203426	5632.	206808	5712.	210464	5792.	213853	5872.	216410
5393.	197602	5473.	200760	5553.	203472	5633.	206833	5713.	210516	5793.	213934	5873.	216413
5394.	197650	5474.	200785	5554.	203474	5634.	206894	5714.	210594	5794.	213968	5874.	216549
5395.	197671	5475.	200809	5555.	203509	5635.	206912	5715.	210635	5795.	214035	5875.	216592
5396.	197674	5476.	200831	5556.	203532	5636.	206938	5716.	210663	5796.	214067	5876.	216594
5397.	197690	5477.	200850	5557.	203631	5637.	206970	5717.	210887	5797.	214075	5877.	216630
5398.	197768	5478.	200880	5558.	203638	5638.	206984	5718.	210898	5798.	214086	5878.	216645
5399.	197854	5479.	200890	5559.	203727	5639.	206988	5719.	210943	5799.	214087	5879.	216765
5400.	197885	5480.	200910	5560.	203728	5640.	207156	5720.	211016	5800.	214110	5880.	216856
5401.	197919	5481.	200912	5561.	203740	5641.	207215	5721.	211028	5801.	214119	5881.	216882
5402.	197925	5482.	200919	5562.	203806	5642.	207279	5722.	211042	5802.	214145	5882.	216920
5403.	198021	5483.	200934	5563.	203850	5643.	207287	5723.	211045	5803.	214148	5883.	216941
5404.	198050	5484.	201053	5564.	203851	5644.	207325	5724.	211077	5804.	214160	5884.	216962

S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.
5885.	216975	5965.	219209	6045.	221613	6125.	224125	6205.	226396	6285.	228674	6365.	231850
5886.	217023	5966.	219220	6046.	221625	6126.	224136	6206.	226414	6286.	228695	6366.	231919
5887.	217049	5967.	219227	6047.	221629	6127.	224153	6207.	226420	6287.	228706	6367.	231960
5888.	217065	5968.	219257	6048.	221639	6128.	224251	6208.	226437	6288.	228748	6368.	231995
5889.	217066	5969.	219270	6049.	221665	6129.	224294	6209.	226442	6289.	228776	6369.	232020
5890.	217091	5970.	219274	6050.	221703	6130.	224298	6210.	226491	6290.	228882	6370.	232032
5891.	217108	5971.	219367	6051.	221710	6131.	224308	6211.	226532	6291.	228920	6371.	232065
5892.	217122	5972.	219392	6052.	221729	6132.	224333	6212.	226638	6292.	228963	6372.	232105
5893.	217195	5973.	219419	6053.	221776	6133.	224417	6213.	226641	6293.	228982	6373.	232117
5894.	217197	5974.	219421	6054.	221790	6134.	224423	6214.	226671	6294.	229056	6374.	232125
5895.	217205	5975.	219471	6055.	221801	6135.	224429	6215.	226705	6295.	229196	6375.	232310
5896.	217212	5976.	219480	6056.	221852	6136.	224432	6216.	226709	6296.	229198	6376.	232378
5897.	217246	5977.	219555	6057.	221863	6137.	224449	6217.	226783	6297.	229328	6377.	232416
5898.	217282	5978.	219557	6058.	221874	6138.	224500	6218.	226790	6298.	229349	6378.	232423
5899.	217311	5979.	219576	6059.	221888	6139.	224505	6219.	226827	6299.	229357	6379.	232477
5900.	217313	5980.	219581	6060.	221902	6140.	224558	6220.	226836	6300.	229408	6380.	232488
5901.	217355	5981.	219632	6061.	221929	6141.	224561	6221.	226844	6301.	229428	6381.	232515
5902.	217398	5982.	219658	6062.	221944	6142.	224567	6222.	226902	6302.	229500	6382.	232525
5903.	217438	5983.	219767	6063.	222059	6143.	224573	6223.	226903	6303.	229524	6383.	232555
5904.	217495	5984.	219785	6064.	222138	6144.	224580	6224.	227027	6304.	229531	6384.	232577
5905.	217580	5985.	219839	6065.	222155	6145.	224630	6225.	227037	6305.	229532	6385.	232625
5906.	217617	5986.	219847	6066.	222213	6146.	224649	6226.	227069	6306.	229540	6386.	232663
5907.	217626	5987.	219852	6067.	222220	6147.	224650	6227.	227098	6307.	229585	6387.	232711
5908.	217632	5988.	219854	6068.	222247	6148.	224674	6228.	227107	6308.	229630	6388.	232747
5909.	217639	5989.	219857	6069.	222289	6149.	224679	6229.	227290	6309.	229646	6389.	232765
5910.	217689	5990.	219875	6070.	222331	6150.	224681	6230.	227306	6310.	229694	6390.	232813
5911.	217721	5991.	220006	6071.	222332	6151.	224683	6231.	227348	6311.	229711	6391.	232884
5912.	217725	5992.	220022	6072.	222367	6152.	224686	6232.	227362	6312.	229720	6392.	232942
5913.	217730	5993.	220053	6073.	222371	6153.	224703	6233.	227367	6313.	229833	6393.	232970
5914.	217734	5994.	220095	6074.	222463	6154.	224753	6234.	227394	6314.	229865	6394.	232989
5915.	217754	5995.	220114	6075.	222492	6155.	224772	6235.	227430	6315.	229940	6395.	233167
5916.	217783	5996.	220128	6076.	222516	6156.	224810	6236.	227565	6316.	229964	6396.	233171
5917.	217862	5997.	220156	6077.	222531	6157.	224836	6237.	227574	6317.	230053	6397.	233289
5918.	217901	5998.	220201	6078.	222574	6158.	224837	6238.	227594	6318.	230091	6398.	233359
5919.	217906	5999.	220224	6079.	222584	6159.	224861	6239.	227602	6319.	230144	6399.	233406
5920.	217934	6000.	220289	6080.	222599	6160.	224867	6240.	227622	6320.	230155	6400.	233428
5921.	217953	6001.	220318	6081.	222636	6161.	224892	6241.	227623	6321.	230165	6401.	233453
5922.	218011	6002.	220361	6082.	222688	6162.	224940	6242.	227644	6322.	230220	6402.	233495
5923.	218018	6003.	220368	6083.	222694	6163.	224981	6243.	227706	6323.	230242	6403.	233516
5924.	218034	6004.	220421	6084.	222748	6164.	224995	6244.	227747	6324.	230263	6404.	233531
5925.	218072	6005.	220450	6085.	222756	6165.	224997	6245.	227781	6325.	230266	6405.	233532
5926.	218132	6006.	220451	6086.	222796	6166.	225031	6246.	227807	6326.	230274	6406.	233550
5927.	218214	6007.	220473	6087.	222831	6167.	225098	6247.	227855	6327.	230333	6407.	233551
5928.	218216	6008.	220521	6088.	222846	6168.	225137	6248.	227880	6328.	230336	6408.	233585
5929.	218264	6009.	220530	6089.	222848	6169.	225141	6249.	227894	6329.	230425	6409.	233681
5930.	218324	6010.	220567	6090.	222888	6170.	225155	6250.	227937	6330.	230436	6410.	233717
5931.	218337	6011.	220581	6091.	222940	6171.	225177	6251.	227957	6331.	230494	6411.	233785
5932.	218346	6012.	220592	6092.	222984	6172.	225178	6252.	227971	6332.	230495	6412.	233793
5933.	218348	6013.	220664	6093.	223021	6173.	225182	6253.	228011	6333.	230498	6413.	233818
5934.	218358	6014.	220669	6094.	223054	6174.	225222	6254.	228041	6334.	230502	6414.	233843
5935.	218359	6015.	220693	6095.	223114	6175.	225268	6255.	228050	6335.	230541	6415.	233862
5936.	218360	6016.	220734	6096.	223212	6176.	225277	6256.	228055	6336.	230562	6416.	233865
5937.	218371	6017.	220780	6097.	223216	6177.	225339	6257.	228072	6337.	230570	6417.	233933
5938.	218452	6018.	220782	6098.	223264	6178.	225354	6258.	228106	6338.	230587	6418.	234081
5939.	218496	6019.	220806	6099.	223354	6179.	225364	6259.	228136	6339.	230724	6419.	234104
5940.	218556	6020.	220831	6100.	223360	6180.	225367	6260.	228139	6340.	230739	6420.	234207
5941.	218636	6021.	220840	6101.	223388	6181.	225368	6261.	228148	6341.	230753	6421.	234250
5942.	218643	6022.	220895	6102.	223415	6182.	225499	6262.	228152	6342.	230776	6422.	234265
5943.	218692	6023.	220916	6103.	223418	6183.	225537	6263.	228173	6343.	230808	6423.	234340
5944.	218778	6024.	220921	6104.	223434	6184.	225577	6264.	228188	6344.	230841	6424.	234406
5945.	218792	6025.	221009	6105.	223453	6185.	225665	6265.	228197	6345.	230846	6425.	234453
5946.	218834	6026.	221030	6106.	223483	6186.	225860	6266.	228238	6346.	230867	6426.	234468
5947.	218885	6027.	221065	6107.	223531	6187.	225890	6267.	228325	6347.	230998	6427.	234483
5948.	218911	6028.	221072	6108.	223567	6188.	225894	6268.	228334	6348.	231019	6428.	234493
5949.	218914	6029.	221135	6109.	223578	6189.	225908	6269.	228384	6349.	231032	6429.	234503
5950.	218915	6030.	221147	6110.	223634	6190.	225981	6270.	228391	6350.	231061	6430.	234508
5951.	218922	6031.	221239	6111.	223654	6191.	226006	6271.	228430	6351.	231079	6431.	234541
5952.	218933	6032.	221250	6112.	223691	6192.	226064	6272.	228459	6352.	231116	6432.	234553
5953.	218961	6033.	221287	6113.	223704	6193.	226079	6273.	228460	6353.	231159	6433.	234605
5954.	218995	6034.	221289	6114.	223784	6194.	226134	6274.	228464	6354.	231233	6434.	234619
5955.	218997	6035.	221292	6115.	223829	6195.	226145	6275.	228465	6355.	231275	6435.	234630
5956.	219034	6036.	221303	6116.	223846	6196.	226146	6276.	228470	6356.	231330	6436.	234679
5957.	219037	6037.	221312	6117.	223850	6197.	226153	6277.	228480	6357.	231354	6437.	234711
5958.	219050	6038.	221340	6118.	223922	6198.	226205	6278.	228484	6358.	231558	6438.	234769
5959.	219055	6039.	221349	6119.	223962	6199.	226214	6279.	228532	6359.	231561	6439.	234799
5960.	219061	6040.	221388	6120.	224019	6200.	226241	6280.	228553	6360.	231611	6440.	234828
5961.	219110	6041.	221453	6121.	224037	6201.	226247	6281.	228596	6361.	231654	6441.	234834
5962.	219129	6042.	221532	6122.	224070	6202.	226257	6282.	228628	6362.	231682	6442.	234848
5963.	219168	6043.	221570	6123.	224113	6203.	226356	6283.	228636	6363.	231733	6443.	234973
5964.	219176	6044.	221601	6124.	224116	6204.	226358	6284.	228640	6364.	231773	6444.	234976

S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.
6445.	234992	6525.	237511	6605.	240487	6685.	243316	6765.	245826	6845.	248451	6925.	250914
6446.	235071	6526.	237592	6606.	240501	6686.	243329	6766.	245835	6846.	248473	6926.	250935
6447.	235079	6527.	237643	6607.	240536	6687.	243399	6767.	245885	6847.	248486	6927.	250946
6448.	235088	6528.	237664	6608.	240558	6688.	243453	6768.	245915	6848.	248495	6928.	250955
6449.	235144	6529.	237677	6609.	240570	6689.	243467	6769.	245966	6849.	248501	6929.	250968
6450.	235146	6530.	237687	6610.	240631	6690.	243493	6770.	245986	6850.	248583	6930.	251071
6451.	235173	6531.	237705	6611.	240712	6691.	243521	6771.	245995	6851.	248622	6931.	251109
6452.	235215	6532.	237749	6612.	240737	6692.	243539	6772.	246034	6852.	248649	6932.	251114
6453.	235260	6533.	237763	6613.	240760	6693.	243540	6773.	246104	6853.	248690	6933.	251129
6454.	235310	6534.	237782	6614.	240774	6694.	243562	6774.	246109	6854.	248718	6934.	251153
6455.	235329	6535.	237830	6615.	240819	6695.	243570	6775.	246139	6855.	248741	6935.	251216
6456.	235464	6536.	237855	6616.	240829	6696.	243725	6776.	246195	6856.	248745	6936.	251226
6457.	235496	6537.	237882	6617.	240901	6697.	243762	6777.	246202	6857.	248772	6937.	251237
6458.	235509	6538.	237897	6618.	240920	6698.	243858	6778.	246208	6858.	248943	6938.	251251
6459.	235529	6539.	238007	6619.	240954	6699.	243898	6779.	246246	6859.	248960	6939.	251252
6460.	235549	6540.	238028	6620.	240995	6700.	243930	6780.	246286	6860.	249090	6940.	251284
6461.	235565	6541.	238069	6621.	241047	6701.	243935	6781.	246344	6861.	249102	6941.	251285
6462.	235576	6542.	238098	6622.	241055	6702.	243952	6782.	246369	6862.	249152	6942.	251315
6463.	235592	6543.	238106	6623.	241058	6703.	243961	6783.	246441	6863.	249157	6943.	251318
6464.	235615	6544.	238140	6624.	241099	6704.	243962	6784.	246445	6864.	249164	6944.	251320
6465.	235629	6545.	238143	6625.	241109	6705.	243985	6785.	246474	6865.	249168	6945.	251324
6466.	235632	6546.	238181	6626.	241110	6706.	244041	6786.	246531	6866.	249193	6946.	251374
6467.	235662	6547.	238251	6627.	241115	6707.	244081	6787.	246557	6867.	249260	6947.	251440
6468.	235663	6548.	238301	6628.	241133	6708.	244103	6788.	246563	6868.	249263	6948.	251454
6469.	235690	6549.	238305	6629.	241184	6709.	244181	6789.	246582	6869.	249413	6949.	251473
6470.	235691	6550.	238326	6630.	241199	6710.	244182	6790.	246625	6870.	249417	6950.	251531
6471.	235714	6551.	238369	6631.	241220	6711.	244197	6791.	246668	6871.	249451	6951.	251567
6472.	235717	6552.	238411	6632.	241293	6712.	244271	6792.	246726	6872.	249492	6952.	251570
6473.	235722	6553.	238476	6633.	241315	6713.	244296	6793.	246731	6873.	249520	6953.	251611
6474.	235764	6554.	238656	6634.	241336	6714.	244313	6794.	246738	6874.	249534	6954.	251645
6475.	235773	6555.	238706	6635.	241343	6715.	244330	6795.	246802	6875.	249541	6955.	251750
6476.	235776	6556.	238802	6636.	241357	6716.	244387	6796.	246803	6876.	249660	6956.	251776
6477.	235812	6557.	238843	6637.	241479	6717.	244474	6797.	246808	6877.	249680	6957.	251853
6478.	235847	6558.	238977	6638.	241491	6718.	244512	6798.	246884	6878.	249730	6958.	251879
6479.	235864	6559.	239016	6639.	241512	6719.	244519	6799.	246910	6879.	249734	6959.	251886
6480.	235901	6560.	239022	6640.	241566	6720.	244524	6800.	246940	6880.	249742	6960.	251924
6481.	235910	6561.	239028	6641.	241601	6721.	244553	6801.	246971	6881.	249799	6961.	251995
6482.	235930	6562.	239033	6642.	241658	6722.	244581	6802.	246987	6882.	249811	6962.	252019
6483.	235954	6563.	239068	6643.	241718	6723.	244624	6803.	246995	6883.	249816	6963.	252039
6484.	235955	6564.	239124	6644.	241789	6724.	244627	6804.	247026	6884.	249845	6964.	252056
6485.	235961	6565.	239138	6645.	241876	6725.	244652	6805.	247029	6885.	249856	6965.	252058
6486.	236067	6566.	239141	6646.	241888	6726.	244669	6806.	247062	6886.	249872	6966.	252120
6487.	236138	6567.	239178	6647.	241899	6727.	244684	6807.	247073	6887.	249928	6967.	252141
6488.	236201	6568.	239190	6648.	241992	6728.	244685	6808.	247141	6888.	249952	6968.	252174
6489.	236212	6569.	239226	6649.	242096	6729.	244703	6809.	247185	6889.	249956	6969.	252193
6490.	236233	6570.	239230	6650.	242116	6730.	244708	6810.	247222	6890.	249997	6970.	252203
6491.	236244	6571.	239241	6651.	242154	6731.	244764	6811.	247243	6891.	250037	6971.	252206
6492.	236285	6572.	239245	6652.	242200	6732.	244782	6812.	247327	6892.	250065	6972.	252244
6493.	236369	6573.	239255	6653.	242281	6733.	244795	6813.	247345	6893.	250133	6973.	252287
6494.	236373	6574.	239317	6654.	242288	6734.	244824	6814.	247366	6894.	250141	6974.	252324
6495.	236397	6575.	239334	6655.	242305	6735.	244836	6815.	247406	6895.	250143	6975.	252504
6496.	236477	6576.	239335	6656.	242317	6736.	244874	6816.	247425	6896.	250150	6976.	252601
6497.	236478	6577.	239401	6657.	242318	6737.	244914	6817.	247435	6897.	250152	6977.	252655
6498.	236490	6578.	239453	6658.	242331	6738.	245002	6818.	247448	6898.	250162	6978.	252664
6499.	236512	6579.	239492	6659.	242340	6739.	245010	6819.	247477	6899.	250192	6979.	252688
6500.	236616	6580.	239532	6660.	242386	6740.	245034	6820.	247515	6900.	250203	6980.	252701
6501.	236655	6581.	239553	6661.	242387	6741.	245037	6821.	247546	6901.	250233	6981.	252723
6502.	236682	6582.	239603	6662.	242391	6742.	245072	6822.	247556	6902.	250247	6982.	252753
6503.	236686	6583.	239647	6663.	242400	6743.	245094	6823.	247562	6903.	250330	6983.	252779
6504.	236758	6584.	239649	6664.	242406	6744.	245098	6824.	247812	6904.	250333	6984.	252788
6505.	236783	6585.	239652	6665.	242576	6745.	245108	6825.	247830	6905.	250389	6985.	252839
6506.	236811	6586.	239746	6666.	242581	6746.	245149	6826.	247866	6906.	250397	6986.	252881
6507.	236934	6587.	239895	6667.	242653	6747.	245152	6827.	247887	6907.	250439	6987.	252942
6508.	236955	6588.	239897	6668.	242752	6748.	245196	6828.	247918	6908.	250462	6988.	252944
6509.	236979	6589.	239909	6669.	242799	6749.	245233	6829.	247928	6909.	250509	6989.	252956
6510.	237084	6590.	239911	6670.	242801	6750.	245261	6830.	247934	6910.	250517	6990.	253165
6511.	237110	6591.	239925	6671.	242835	6751.	245308	6831.	247935	6911.	250525	6991.	253200
6512.	237112	6592.	239936	6672.	242887	6752.	245323	6832.	247966	6912.	250569	6992.	253324
6513.	237179	6593.	239951	6673.	242889	6753.	245324	6833.	248035	6913.	250588	6993.	253325
6514.	237242	6594.	240000	6674.	242896	6754.	245379	6834.	248122	6914.	250596	6994.	253402
6515.	237280	6595.	240005	6675.	242993	6755.	245387	6835.	248174	6915.	250639	6995.	253405
6516.	237323	6596.	240016	6676.	242997	6756.	245529	6836.	248193	6916.	250688	6996.	253417
6517.	237372	6597.	240074	6677.	243000	6757.	245540	6837.	248240	6917.	250704	6997.	253464
6518.	237384	6598.	240109	6678.	243018	6758.	245546	6838.	248243	6918.	250708	6998.	253492
6519.	237386	6599.	240128	6679.	243066	6759.	245552	6839.	248245	6919.	250722	6999.	253505
6520.	237400	6600.	240130	6680.	243068	6760.	245639	6840.	248268	6920.	250742	7000.	253509
6521.	237423	6601.	240146	6681.	243117	6761.	245752	6841.	248302	6921.	250748	7001.	253515
6522.	237463	6602.	240272	6682.	243269	6762.	245754	6842.	248341	6922.	250783	7002.	253560
6523.	237464	6603.	240315	6683.	243290	6763.	245756	6843.	248422	6923.	250789	7003.	253574
6524.	237468	6604.	240323	6684.	243314	6764.	245768	6844.	248423	6924.	250853	7004.	253575

S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.
7005.	253642	7085.	256949	7165.	259381	7245.	261644	7325.	263496	7405.	265814	7485.	268282
7006.	253680	7086.	256961	7166.	259389	7246.	261661	7326.	263629	7406.	265836	7486.	268326
7007.	253704	7087.	257003	7167.	259413	7247.	261700	7327.	263637	7407.	265861	7487.	268329
7008.	253716	7088.	257044	7168.	259432	7248.	261706	7328.	263669	7408.	265909	7488.	268347
7009.	253723	7089.	257103	7169.	259447	7249.	261717	7329.	263675	7409.	265910	7489.	268355
7010.	253784	7090.	257112	7170.	259463	7250.	261751	7330.	263723	7410.	265946	7490.	268377
7011.	253820	7091.	257125	7171.	259475	7251.	261780	7331.	263731	7411.	265958	7491.	268385
7012.	253901	7092.	257214	7172.	259512	7252.	261802	7332.	263743	7412.	265960	7492.	268406
7013.	253911	7093.	257218	7173.	259522	7253.	261829	7333.	263847	7413.	266054	7493.	268426
7014.	253913	7094.	257232	7174.	259566	7254.	261852	7334.	263848	7414.	266080	7494.	268452
7015.	253995	7095.	257253	7175.	259609	7255.	261869	7335.	263852	7415.	266094	7495.	268453
7016.	254010	7096.	257353	7176.	259617	7256.	261890	7336.	263887	7416.	266127	7496.	268472
7017.	254035	7097.	257402	7177.	259637	7257.	261902	7337.	263893	7417.	266147	7497.	268602
7018.	254040	7098.	257427	7178.	259673	7258.	261904	7338.	263898	7418.	266164	7498.	268616
7019.	254082	7099.	257439	7179.	259678	7259.	261959	7339.	263934	7419.	266216	7499.	268629
7020.	254153	7100.	257465	7180.	259686	7260.	262007	7340.	263957	7420.	266255	7500.	268636
7021.	254191	7101.	257536	7181.	259690	7261.	262087	7341.	263976	7421.	266262	7501.	268640
7022.	254196	7102.	257572	7182.	259694	7262.	262095	7342.	264001	7422.	266312	7502.	268692
7023.	254234	7103.	257624	7183.	259703	7263.	262104	7343.	264009	7423.	266370	7503.	268750
7024.	254293	7104.	257644	7184.	259706	7264.	262162	7344.	264062	7424.	266439	7504.	268815
7025.	254383	7105.	257670	7185.	259788	7265.	262210	7345.	264074	7425.	266495	7505.	268888
7026.	254416	7106.	257681	7186.	259841	7266.	262219	7346.	264085	7426.	266511	7506.	268941
7027.	254441	7107.	257682	7187.	259860	7267.	262223	7347.	264113	7427.	266514	7507.	268979
7028.	254460	7108.	257683	7188.	259869	7268.	262229	7348.	264151	7428.	266521	7508.	268988
7029.	254504	7109.	257773	7189.	259910	7269.	262245	7349.	264194	7429.	266623	7509.	269003
7030.	254521	7110.	257774	7190.	259913	7270.	262270	7350.	264216	7430.	266660	7510.	269051
7031.	254584	7111.	257801	7191.	259997	7271.	262278	7351.	264254	7431.	266686	7511.	269074
7032.	254597	7112.	257826	7192.	260092	7272.	262298	7352.	264264	7432.	266695	7512.	269131
7033.	254650	7113.	257834	7193.	260124	7273.	262299	7353.	264386	7433.	266724	7513.	269132
7034.	254661	7114.	257873	7194.	260147	7274.	262306	7354.	264406	7434.	266771	7514.	269193
7035.	254664	7115.	257945	7195.	260169	7275.	262311	7355.	264421	7435.	266782	7515.	269244
7036.	254665	7116.	257969	7196.	260210	7276.	262390	7356.	264454	7436.	266847	7516.	269264
7037.	254763	7117.	258043	7197.	260311	7277.	262405	7357.	264506	7437.	266876	7517.	269273
7038.	254769	7118.	258047	7198.	260330	7278.	262439	7358.	264539	7438.	266891	7518.	269298
7039.	254891	7119.	258073	7199.	260358	7279.	262484	7359.	264547	7439.	266893	7519.	269313
7040.	254892	7120.	258077	7200.	260373	7280.	262494	7360.	264576	7440.	266928	7520.	269341
7041.	254957	7121.	258090	7201.	260410	7281.	262548	7361.	264606	7441.	267011	7521.	269373
7042.	254959	7122.	258101	7202.	260468	7282.	262552	7362.	264612	7442.	267012	7522.	269375
7043.	254962	7123.	258105	7203.	260471	7283.	262557	7363.	264661	7443.	267028	7523.	269421
7044.	254975	7124.	258107	7204.	260477	7284.	262569	7364.	264665	7444.	267060	7524.	269442
7045.	255001	7125.	258117	7205.	260583	7285.	262574	7365.	264689	7445.	267091	7525.	269489
7046.	255071	7126.	258128	7206.	260645	7286.	262576	7366.	264743	7446.	267106	7526.	269506
7047.	255106	7127.	258154	7207.	260670	7287.	262579	7367.	264759	7447.	267112	7527.	269514
7048.	255116	7128.	258163	7208.	260679	7288.	262638	7368.	264781	7448.	267123	7528.	269519
7049.	255139	7129.	258248	7209.	260712	7289.	262642	7369.	264848	7449.	267137	7529.	269549
7050.	255153	7130.	258266	7210.	260735	7290.	262649	7370.	264894	7450.	267175	7530.	269619
7051.	255351	7131.	258284	7211.	260749	7291.	262658	7371.	264953	7451.	267183	7531.	269649
7052.	255369	7132.	258303	7212.	260789	7292.	262665	7372.	265006	7452.	267185	7532.	269740
7053.	255380	7133.	258310	7213.	260795	7293.	262677	7373.	265069	7453.	267192	7533.	269751
7054.	255450	7134.	258318	7214.	260830	7294.	262736	7374.	265090	7454.	267207	7534.	269768
7055.	255572	7135.	258393	7215.	260844	7295.	262752	7375.	265138	7455.	267252	7535.	269775
7056.	255575	7136.	258401	7216.	260868	7296.	262769	7376.	265167	7456.	267339	7536.	269815
7057.	255599	7137.	258425	7217.	260904	7297.	262813	7377.	265177	7457.	267352	7537.	269834
7058.	255657	7138.	258479	7218.	260975	7298.	262819	7378.	265225	7458.	267417	7538.	269838
7059.	255758	7139.	258491	7219.	261013	7299.	262823	7379.	265265	7459.	267433	7539.	269876
7060.	255768	7140.	258581	7220.	261021	7300.	262849	7380.	265271	7460.	267441	7540.	269887
7061.	255898	7141.	258616	7221.	261075	7301.	262859	7381.	265272	7461.	267458	7541.	269902
7062.	255999	7142.	258617	7222.	261102	7302.	262878	7382.	265304	7462.	267460	7542.	269918
7063.	256000	7143.	258631	7223.	261121	7303.	262881	7383.	265309	7463.	267467	7543.	270010
7064.	256024	7144.	258650	7224.	261148	7304.	262944	7384.	265313	7464.	267493	7544.	270040
7065.	256086	7145.	258666	7225.	261192	7305.	262982	7385.	265317	7465.	267515	7545.	270049
7066.	256173	7146.	258691	7226.	261207	7306.	262994	7386.	265375	7466.	267577	7546.	270082
7067.	256221	7147.	258705	7227.	261242	7307.	263008	7387.	265394	7467.	267578	7547.	270132
7068.	256236	7148.	258722	7228.	261255	7308.	263015	7388.	265450	7468.	267589	7548.	270166
7069.	256269	7149.	258772	7229.	261264	7309.	263020	7389.	265454	7469.	267608	7549.	270200
7070.	256288	7150.	258854	7230.	261271	7310.	263143	7390.	265510	7470.	267640	7550.	270210
7071.	256525	7151.	258908	7231.	261295	7311.	263152	7391.	265511	7471.	267767	7551.	270215
7072.	256528	7152.	258918	7232.	261358	7312.	263183	7392.	265543	7472.	267772	7552.	270260
7073.	256543	7153.	259018	7233.	261362	7313.	263202	7393.	265548	7473.	267814	7553.	270295
7074.	256544	7154.	259052	7234.	261364	7314.	263217	7394.	265555	7474.	267816	7554.	270321
7075.	256556	7155.	259079	7235.	261414	7315.	263230	7395.	265567	7475.	267845	7555.	270339
7076.	256598	7156.	259095	7236.	261436	7316.	263237	7396.	265590	7476.	267905	7556.	270405
7077.	256620	7157.	259124	7237.	261463	7317.	263243	7397.	265631	7477.	267924	7557.	270428
7078.	256662	7158.	259159	7238.	261513	7318.	263330	7398.	265632	7478.	267983	7558.	270445
7079.	256666	7159.	259170	7239.	261580	7319.	263340	7399.	265662	7479.	267985	7559.	270464
7080.	256710	7160.	259245	7240.	261591	7320.	263353	7400.	265671	7480.	268021	7560.	270546
7081.	256744	7161.	259280	7241.	261593	7321.	263359	7401.	265708	7481.	268027	7561.	270556
7082.	256771	7162.	259292	7242.	261615	7322.	263426	7402.	265762	7482.	268064	7562.	270595
7083.	256784	7163.	259318	7243.	261632	7323.	263489	7403.	265782	7483.	268129	7563.	270622
7084.	256869	7164.	259358	7244.	261641	7324.	263494	7404.	265806	7484.	268144	7564.	270666

S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.
7565.	270767	7645.	273227	7725.	275010	7805.	277562	7885.	279893	7965.	282115	8045.	284926
7566.	270805	7646.	273235	7726.	275051	7806.	277579	7886.	279894	7966.	282117	8046.	285060
7567.	270811	7647.	273261	7727.	275053	7807.	277609	7887.	279898	7967.	282129	8047.	285068
7568.	270898	7648.	273264	7728.	275084	7808.	277616	7888.	279904	7968.	282139	8048.	285075
7569.	270914	7649.	273287	7729.	275108	7809.	277673	7889.	279913	7969.	282151	8049.	285139
7570.	270956	7650.	273302	7730.	275166	7810.	277674	7890.	279917	7970.	282209	8050.	285167
7571.	270958	7651.	273345	7731.	275181	7811.	277676	7891.	279939	7971.	282235	8051.	285225
7572.	270966	7652.	273380	7732.	275182	7812.	277693	7892.	279944	7972.	282245	8052.	285234
7573.	271009	7653.	273382	7733.	275225	7813.	277731	7893.	279976	7973.	282255	8053.	285252
7574.	271020	7654.	273391	7734.	275235	7814.	277733	7894.	279991	7974.	282264	8054.	285265
7575.	271045	7655.	273393	7735.	275322	7815.	277753	7895.	279998	7975.	282294	8055.	285286
7576.	271052	7656.	273404	7736.	275353	7816.	277809	7896.	280047	7976.	282341	8056.	285315
7577.	271064	7657.	273420	7737.	275356	7817.	277850	7897.	280080	7977.	282346	8057.	285418
7578.	271072	7658.	273524	7738.	275484	7818.	277851	7898.	280115	7978.	282473	8058.	285453
7579.	271085	7659.	273532	7739.	275485	7819.	277854	7899.	280173	7979.	282767	8059.	285550
7580.	271131	7660.	273573	7740.	275496	7820.	277874	7900.	280194	7980.	282900	8060.	285555
7581.	271172	7661.	273595	7741.	275534	7821.	277884	7901.	280239	7981.	282975	8061.	285644
7582.	271292	7662.	273607	7742.	275628	7822.	277889	7902.	280242	7982.	282976	8062.	285679
7583.	271365	7663.	273625	7743.	275658	7823.	277904	7903.	280285	7983.	282984	8063.	285683
7584.	271429	7664.	273689	7744.	275673	7824.	277906	7904.	280303	7984.	283023	8064.	285689
7585.	271510	7665.	273725	7745.	275687	7825.	277928	7905.	280324	7985.	283082	8065.	285744
7586.	271530	7666.	273727	7746.	275777	7826.	277985	7906.	280353	7986.	283097	8066.	285835
7587.	271548	7667.	273728	7747.	275780	7827.	278019	7907.	280354	7987.	283108	8067.	285864
7588.	271572	7668.	273730	7748.	275792	7828.	278059	7908.	280377	7988.	283199	8068.	285869
7589.	271578	7669.	273733	7749.	275807	7829.	278083	7909.	280385	7989.	283255	8069.	285875
7590.	271587	7670.	273750	7750.	275848	7830.	278090	7910.	280444	7990.	283260	8070.	285897
7591.	271614	7671.	273769	7751.	275860	7831.	278170	7911.	280453	7991.	283272	8071.	285939
7592.	271624	7672.	273776	7752.	275879	7832.	278174	7912.	280584	7992.	283349	8072.	285944
7593.	271626	7673.	273785	7753.	275970	7833.	278328	7913.	280590	7993.	283416	8073.	285945
7594.	271635	7674.	273793	7754.	275994	7834.	278370	7914.	280649	7994.	283464	8074.	285973
7595.	271639	7675.	273796	7755.	276003	7835.	278372	7915.	280683	7995.	283483	8075.	286050
7596.	271660	7676.	273836	7756.	276024	7836.	278378	7916.	280699	7996.	283509	8076.	286056
7597.	271700	7677.	273868	7757.	276031	7837.	278383	7917.	280717	7997.	283545	8077.	286130
7598.	271754	7678.	273869	7758.	276057	7838.	278411	7918.	280782	7998.	283550	8078.	286217
7599.	271772	7679.	273889	7759.	276086	7839.	278487	7919.	280883	7999.	283567	8079.	286263
7600.	271775	7680.	273893	7760.	276089	7840.	278496	7920.	280890	8000.	283607	8080.	286266
7601.	271801	7681.	273894	7761.	276097	7841.	278525	7921.	280948	8001.	283756	8081.	286346
7602.	271819	7682.	273924	7762.	276137	7842.	278560	7922.	280993	8002.	283775	8082.	286408
7603.	271824	7683.	273953	7763.	276175	7843.	278588	7923.	281006	8003.	283777	8083.	286450
7604.	271863	7684.	273993	7764.	276221	7844.	278608	7924.	281053	8004.	283789	8084.	286471
7605.	271880	7685.	274008	7765.	276234	7845.	278652	7925.	281065	8005.	283794	8085.	286535
7606.	271932	7686.	274104	7766.	276241	7846.	278664	7926.	281080	8006.	283805	8086.	286585
7607.	271981	7687.	274135	7767.	276253	7847.	278676	7927.	281109	8007.	283845	8087.	286586
7608.	272026	7688.	274150	7768.	276297	7848.	278753	7928.	281202	8008.	283868	8088.	286598
7609.	272096	7689.	274154	7769.	276350	7849.	278816	7929.	281204	8009.	283879	8089.	286600
7610.	272295	7690.	274219	7770.	276351	7850.	278836	7930.	281234	8010.	283884	8090.	286648
7611.	272303	7691.	274231	7771.	276382	7851.	278909	7931.	281288	8011.	283971	8091.	286657
7612.	272309	7692.	274251	7772.	276427	7852.	278913	7932.	281294	8012.	284090	8092.	286735
7613.	272312	7693.	274283	7773.	276514	7853.	278989	7933.	281299	8013.	284108	8093.	286822
7614.	272317	7694.	274285	7774.	276517	7854.	279016	7934.	281306	8014.	284156	8094.	286852
7615.	272335	7695.	274321	7775.	276559	7855.	279059	7935.	281360	8015.	284190	8095.	286904
7616.	272404	7696.	274371	7776.	276610	7856.	279084	7936.	281371	8016.	284200	8096.	286920
7617.	272425	7697.	274380	7777.	276623	7857.	279096	7937.	281447	8017.	284213	8097.	286940
7618.	272430	7698.	274388	7778.	276632	7858.	279097	7938.	281479	8018.	284220	8098.	286948
7619.	272441	7699.	274391	7779.	276664	7859.	279103	7939.	281508	8019.	284254	8099.	286987
7620.	272468	7700.	274396	7780.	276727	7860.	279106	7940.	281539	8020.	284271	8100.	287042
7621.	272479	7701.	274416	7781.	276731	7861.	279125	7941.	281544	8021.	284306	8101.	287065
7622.	272500	7702.	274443	7782.	276732	7862.	279126	7942.	281612	8022.	284352	8102.	287102
7623.	272573	7703.	274455	7783.	276783	7863.	279168	7943.	281617	8023.	284363	8103.	287112
7624.	272584	7704.	274456	7784.	276786	7864.	279188	7944.	281629	8024.	284388	8104.	287145
7625.	272606	7705.	274465	7785.	276800	7865.	279237	7945.	281649	8025.	284390	8105.	287155
7626.	272619	7706.	274524	7786.	276811	7866.	279293	7946.	281650	8026.	284408	8106.	287188
7627.	272667	7707.	274534	7787.	276816	7867.	279319	7947.	281671	8027.	284435	8107.	287202
7628.	272719	7708.	274539	7788.	276896	7868.	279341	7948.	281678	8028.	284531	8108.	287239
7629.	272747	7709.	274573	7789.	277033	7869.	279361	7949.	281712	8029.	284571	8109.	287265
7630.	272764	7710.	274600	7790.	277059	7870.	279364	7950.	281718	8030.	284573	8110.	287306
7631.	272779	7711.	274605	7791.	277091	7871.	279399	7951.	281741	8031.	284626	8111.	287361
7632.	272796	7712.	274619	7792.	277104	7872.	279450	7952.	281787	8032.	284629	8112.	287388
7633.	272927	7713.	274666	7793.	277120	7873.	279497	7953.	281829	8033.	284638	8113.	287424
7634.	272964	7714.	274736	7794.	277158	7874.	279499	7954.	281839	8034.	284641	8114.	287433
7635.	272979	7715.	274752	7795.	277185	7875.	279541	7955.	281865	8035.	284655	8115.	287460
7636.	272990	7716.	274770	7796.	277224	7876.	279573	7956.	281895	8036.	284727	8116.	287528
7637.	273032	7717.	274820	7797.	277253	7877.	279575	7957.	281906	8037.	284765	8117.	287557
7638.	273043	7718.	274830	7798.	277307	7878.	279610	7958.	281928	8038.	284779	8118.	287567
7639.	273053	7719.	274867	7799.	277312	7879.	279681	7959.	281994	8039.	284786	8119.	287586
7640.	273055	7720.	274868	7800.	277323	7880.	279699	7960.	282020	8040.	284855	8120.	287730
7641.	273081	7721.	274885	7801.	277385	7881.	279783	7961.	282040	8041.	284864	8121.	287736
7642.	273126	7722.	274974	7802.	277386	7882.	279808	7962.	282053	8042.	284881	8122.	287750
7643.	273165	7723.	274977	7803.	277411	7883.	279850	7963.	282064	8043.	284888	8123.	287768
7644.	273171	7724.	274990	7804.	277472	7884.	279881	7964.	282098	8044.	284918	8124.	287791

S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.
8125.	287832	8205.	290277	8285.	292325	8365.	294176	8445.	296473	8525.	299252	8605.	301853
8126.	287852	8206.	290287	8286.	292349	8366.	294218	8446.	296592	8526.	299262	8606.	301892
8127.	287908	8207.	290339	8287.	292363	8367.	294236	8447.	296621	8527.	299302	8607.	301940
8128.	287979	8208.	290354	8288.	292381	8368.	294240	8448.	296628	8528.	299304	8608.	301955
8129.	288025	8209.	290445	8289.	292398	8369.	294246	8449.	296685	8529.	299306	8609.	301961
8130.	288146	8210.	290463	8290.	292413	8370.	294256	8450.	296689	8530.	299313	8610.	302017
8131.	288284	8211.	290477	8291.	292446	8371.	294288	8451.	296716	8531.	299402	8611.	302023
8132.	288313	8212.	290481	8292.	292590	8372.	294299	8452.	296735	8532.	299422	8612.	302081
8133.	288345	8213.	290482	8293.	292611	8373.	294335	8453.	296753	8533.	299426	8613.	302091
8134.	288362	8214.	290500	8294.	292619	8374.	294348	8454.	296807	8534.	299428	8614.	302112
8135.	288408	8215.	290551	8295.	292625	8375.	294363	8455.	296862	8535.	299456	8615.	302126
8136.	288424	8216.	290575	8296.	292632	8376.	294381	8456.	296906	8536.	299501	8616.	302191
8137.	288425	8217.	290584	8297.	292653	8377.	294446	8457.	296913	8537.	299562	8617.	302198
8138.	288442	8218.	290596	8298.	292671	8378.	294461	8458.	296914	8538.	299656	8618.	302207
8139.	288460	8219.	290598	8299.	292676	8379.	294493	8459.	296922	8539.	299670	8619.	302236
8140.	288479	8220.	290653	8300.	292693	8380.	294503	8460.	296952	8540.	299677	8620.	302248
8141.	288488	8221.	290686	8301.	292699	8381.	294522	8461.	297030	8541.	299678	8621.	302270
8142.	288528	8222.	290700	8302.	292793	8382.	294531	8462.	297056	8542.	299768	8622.	302318
8143.	288562	8223.	290711	8303.	292810	8383.	294554	8463.	297078	8543.	299818	8623.	302338
8144.	288579	8224.	290769	8304.	292845	8384.	294625	8464.	297087	8544.	299868	8624.	302356
8145.	288595	8225.	290790	8305.	292848	8385.	294634	8465.	297093	8545.	299898	8625.	302385
8146.	288638	8226.	290801	8306.	292850	8386.	294712	8466.	297109	8546.	299900	8626.	302396
8147.	288684	8227.	290812	8307.	292926	8387.	294739	8467.	297133	8547.	299906	8627.	302402
8148.	288700	8228.	290815	8308.	292967	8388.	294781	8468.	297146	8548.	299924	8628.	302439
8149.	288706	8229.	290828	8309.	293004	8389.	294782	8469.	297168	8549.	299952	8629.	302495
8150.	288710	8230.	290911	8310.	293020	8390.	294799	8470.	297186	8550.	299956	8630.	302513
8151.	288734	8231.	290956	8311.	293048	8391.	294844	8471.	297191	8551.	299981	8631.	302554
8152.	288747	8232.	290966	8312.	293055	8392.	294906	8472.	297223	8552.	299997	8632.	302556
8153.	288767	8233.	290997	8313.	293072	8393.	294939	8473.	297327	8553.	300077	8633.	302563
8154.	288831	8234.	291011	8314.	293095	8394.	294953	8474.	297358	8554.	300117	8634.	302572
8155.	288832	8235.	291040	8315.	293112	8395.	295034	8475.	297359	8555.	300196	8635.	302582
8156.	288871	8236.	291064	8316.	293127	8396.	295038	8476.	297374	8556.	300219	8636.	302600
8157.	288875	8237.	291066	8317.	293149	8397.	295060	8477.	297388	8557.	300241	8637.	302627
8158.	288890	8238.	291073	8318.	293169	8398.	295062	8478.	297411	8558.	300361	8638.	302684
8159.	288968	8239.	291076	8319.	293183	8399.	295122	8479.	297412	8559.	300389	8639.	302715
8160.	288996	8240.	291084	8320.	293191	8400.	295125	8480.	297414	8560.	300395	8640.	302744
8161.	289000	8241.	291131	8321.	293202	8401.	295148	8481.	297455	8561.	300416	8641.	302811
8162.	289046	8242.	291227	8322.	293204	8402.	295218	8482.	297464	8562.	300443	8642.	302853
8163.	289048	8243.	291288	8323.	293226	8403.	295249	8483.	297532	8563.	300475	8643.	302911
8164.	289049	8244.	291301	8324.	293282	8404.	295252	8484.	297545	8564.	300502	8644.	302961
8165.	289061	8245.	291412	8325.	293342	8405.	295260	8485.	297577	8565.	300519	8645.	302989
8166.	289159	8246.	291424	8326.	293369	8406.	295317	8486.	297594	8566.	300571	8646.	303025
8167.	289194	8247.	291450	8327.	293410	8407.	295334	8487.	297612	8567.	300588	8647.	303033
8168.	289234	8248.	291464	8328.	293419	8408.	295361	8488.	297657	8568.	300612	8648.	303061
8169.	289237	8249.	291470	8329.	293426	8409.	295371	8489.	297747	8569.	300637	8649.	303076
8170.	289251	8250.	291574	8330.	293443	8410.	295412	8490.	297808	8570.	300730	8650.	303089
8171.	289319	8251.	291580	8331.	293484	8411.	295451	8491.	297841	8571.	300751	8651.	303160
8172.	289328	8252.	291591	8332.	293496	8412.	295537	8492.	297901	8572.	300760	8652.	303203
8173.	289383	8253.	291668	8333.	293505	8413.	295558	8493.	297935	8573.	300781	8653.	303251
8174.	289417	8254.	291700	8334.	293509	8414.	295573	8494.	297987	8574.	300807	8654.	303255
8175.	289435	8255.	291722	8335.	293540	8415.	295590	8495.	298059	8575.	300833	8655.	303294
8176.	289492	8256.	291737	8336.	293621	8416.	295604	8496.	298137	8576.	300862	8656.	303309
8177.	289506	8257.	291777	8337.	293657	8417.	295633	8497.	298138	8577.	300879	8657.	303351
8178.	289517	8258.	291781	8338.	293677	8418.	295718	8498.	298195	8578.	300913	8658.	303377
8179.	289518	8259.	291798	8339.	293684	8419.	295760	8499.	298201	8579.	300924	8659.	303380
8180.	289519	8260.	291806	8340.	293739	8420.	295848	8500.	298206	8580.	301010	8660.	303390
8181.	289545	8261.	291814	8341.	293741	8421.	295868	8501.	298210	8581.	301030	8661.	303393
8182.	289588	8262.	291841	8342.	293744	8422.	295869	8502.	298295	8582.	301039	8662.	303439
8183.	289590	8263.	291858	8343.	293779	8423.	295877	8503.	298348	8583.	301041	8663.	303440
8184.	289650	8264.	291868	8344.	293816	8424.	295879	8504.	298353	8584.	301110	8664.	303464
8185.	289665	8265.	291875	8345.	293817	8425.	295892	8505.	298356	8585.	301164	8665.	303499
8186.	289671	8266.	291932	8346.	293841	8426.	295894	8506.	298362	8586.	301254	8666.	303516
8187.	289687	8267.	291946	8347.	293859	8427.	295909	8507.	298407	8587.	301258	8667.	303517
8188.	289750	8268.	292008	8348.	293867	8428.	295918	8508.	298450	8588.	301262	8668.	303531
8189.	289788	8269.	292055	8349.	293885	8429.	295925	8509.	298520	8589.	301296	8669.	303568
8190.	289795	8270.	292058	8350.	293897	8430.	295997	8510.	298598	8590.	301399	8670.	303569
8191.	289808	8271.	292066	8351.	293906	8431.	296047	8511.	298642	8591.	301405	8671.	303593
8192.	289859	8272.	292104	8352.	293910	8432.	296052	8512.	298654	8592.	301407	8672.	303609
8193.	289898	8273.	292121	8353.	293944	8433.	296061	8513.	298871	8593.	301419	8673.	303614
8194.	289902	8274.	292135	8354.	293952	8434.	296084	8514.	298893	8594.	301489	8674.	303659
8195.	289931	8275.	292214	8355.	293971	8435.	296088	8515.	298908	8595.	301495	8675.	303670
8196.	289945	8276.	292222	8356.	293987	8436.	296196	8516.	298926	8596.	301517	8676.	303677
8197.	289963	8277.	292227	8357.	294021	8437.	296232	8517.	298946	8597.	301527	8677.	303745
8198.	289999	8278.	292232	8358.	294036	8438.	296239	8518.	298974	8598.	301578	8678.	303823
8199.	290165	8279.	292240	8359.	294049	8439.	296248	8519.	298990	8599.	301606	8679.	303838
8200.	290182	8280.	292246	8360.	294051	8440.	296338	8520.	299003	8600.	301679	8680.	303878
8201.	290202	8281.	292282	8361.	294066	8441.	296362	8521.	299051	8601.	301688	8681.	303978
8202.	290228	8282.	292306	8362.	294120	8442.	296391	8522.	299088	8602.	301809	8682.	304060
8203.	290236	8283.	292310	8363.	294123	8443.	296438	8523.	299106	8603.	301817	8683.	304094
8204.	290267	8284.	292324	8364.	294166	8444.	296442	8524.	299113	8604.	301820	8684.	304117

S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.
8685.	304157	8765.	306536	8845.	309414	8925.	312314	9005.	314084	9085.	317201	9165.	319345
8686.	304169	8766.	306566	8846.	309488	8926.	312315	9006.	314136	9086.	317244	9166.	319350
8687.	304195	8767.	306607	8847.	309525	8927.	312319	9007.	314143	9087.	317247	9167.	319351
8688.	304249	8768.	306690	8848.	309559	8928.	312328	9008.	314161	9088.	317309	9168.	319381
8689.	304256	8769.	306729	8849.	309653	8929.	312336	9009.	314331	9089.	317351	9169.	319386
8690.	304273	8770.	306795	8850.	309702	8930.	312383	9010.	314375	9090.	317353	9170.	319558
8691.	304310	8771.	306798	8851.	309733	8931.	312433	9011.	314385	9091.	317379	9171.	319563
8692.	304341	8772.	306876	8852.	309801	8932.	312435	9012.	314404	9092.	317398	9172.	319567
8693.	304353	8773.	306901	8853.	309802	8933.	312468	9013.	314409	9093.	317411	9173.	319577
8694.	304359	8774.	306964	8854.	309812	8934.	312485	9014.	314434	9094.	317425	9174.	319579
8695.	304437	8775.	306982	8855.	309821	8935.	312547	9015.	314441	9095.	317454	9175.	319615
8696.	304447	8776.	306991	8856.	309864	8936.	312573	9016.	314456	9096.	317493	9176.	319675
8697.	304454	8777.	307083	8857.	309912	8937.	312615	9017.	314494	9097.	317498	9177.	319716
8698.	304476	8778.	307088	8858.	309930	8938.	312624	9018.	314502	9098.	317521	9178.	319727
8699.	304477	8779.	307146	8859.	309932	8939.	312663	9019.	314553	9099.	317535	9179.	319736
8700.	304482	8780.	307196	8860.	309982	8940.	312711	9020.	314587	9100.	317538	9180.	319737
8701.	304528	8781.	307219	8861.	310025	8941.	312751	9021.	314605	9101.	317557	9181.	319823
8702.	304536	8782.	307236	8862.	310063	8942.	312766	9022.	314665	9102.	317598	9182.	319863
8703.	304631	8783.	307313	8863.	310074	8943.	312768	9023.	314702	9103.	317609	9183.	319874
8704.	304634	8784.	307320	8864.	310075	8944.	312788	9024.	314717	9104.	317624	9184.	319904
8705.	304636	8785.	307330	8865.	310076	8945.	312804	9025.	314734	9105.	317645	9185.	319944
8706.	304644	8786.	307382	8866.	310118	8946.	312805	9026.	314777	9106.	317652	9186.	319954
8707.	304677	8787.	307413	8867.	310181	8947.	312817	9027.	314800	9107.	317683	9187.	320002
8708.	304698	8788.	307415	8868.	310235	8948.	312853	9028.	314869	9108.	317716	9188.	320058
8709.	304731	8789.	307522	8869.	310271	8949.	312859	9029.	314963	9109.	317733	9189.	320114
8710.	304762	8790.	307535	8870.	310287	8950.	312884	9030.	314989	9110.	317753	9190.	320147
8711.	304858	8791.	307575	8871.	310310	8951.	312924	9031.	315046	9111.	317785	9191.	320154
8712.	304890	8792.	307653	8872.	310320	8952.	312935	9032.	315186	9112.	317822	9192.	320228
8713.	305016	8793.	307658	8873.	310355	8953.	312951	9033.	315190	9113.	317846	9193.	320286
8714.	305066	8794.	307698	8874.	310388	8954.	312973	9034.	315237	9114.	317895	9194.	320293
8715.	305093	8795.	307704	8875.	310458	8955.	312995	9035.	315262	9115.	317918	9195.	320309
8716.	305099	8796.	307725	8876.	310653	8956.	313021	9036.	315369	9116.	317981	9196.	320340
8717.	305158	8797.	307743	8877.	310703	8957.	313025	9037.	315390	9117.	318008	9197.	320343
8718.	305186	8798.	307790	8878.	310739	8958.	313027	9038.	315418	9118.	318009	9198.	320352
8719.	305205	8799.	307793	8879.	310806	8959.	313058	9039.	315437	9119.	318031	9199.	320378
8720.	305294	8800.	307877	8880.	310852	8960.	313100	9040.	315521	9120.	318047	9200.	320414
8721.	305298	8801.	307886	8881.	310865	8961.	313123	9041.	315579	9121.	318073	9201.	320519
8722.	305302	8802.	307898	8882.	310867	8962.	313178	9042.	315708	9122.	318162	9202.	320540
8723.	305327	8803.	307911	8883.	310885	8963.	313197	9043.	315767	9123.	318222	9203.	320636
8724.	305329	8804.	307962	8884.	310920	8964.	313207	9044.	315770	9124.	318228	9204.	320671
8725.	305373	8805.	308053	8885.	310976	8965.	313211	9045.	315818	9125.	318229	9205.	320682
8726.	305399	8806.	308089	8886.	311061	8966.	313214	9046.	315901	9126.	318296	9206.	320706
8727.	305424	8807.	308150	8887.	311094	8967.	313241	9047.	315921	9127.	318308	9207.	320743
8728.	305446	8808.	308218	8888.	311160	8968.	313244	9048.	315949	9128.	318317	9208.	320745
8729.	305454	8809.	308243	8889.	311179	8969.	313263	9049.	316048	9129.	318359	9209.	320748
8730.	305550	8810.	308255	8890.	311181	8970.	313312	9050.	316057	9130.	318370	9210.	320753
8731.	305597	8811.	308286	8891.	311206	8971.	313330	9051.	316118	9131.	318388	9211.	320805
8732.	305625	8812.	308377	8892.	311290	8972.	313376	9052.	316158	9132.	318394	9212.	320908
8733.	305663	8813.	308496	8893.	311358	8973.	313406	9053.	316227	9133.	318420	9213.	320930
8734.	305694	8814.	308511	8894.	311422	8974.	313450	9054.	316228	9134.	318423	9214.	321016
8735.	305771	8815.	308516	8895.	311435	8975.	313460	9055.	316231	9135.	318512	9215.	321051
8736.	305788	8816.	308562	8896.	311482	8976.	313477	9056.	316285	9136.	318517	9216.	321078
8737.	305823	8817.	308578	8897.	311484	8977.	313512	9057.	316301	9137.	318522	9217.	321085
8738.	305863	8818.	308584	8898.	311512	8978.	313541	9058.	316334	9138.	318545	9218.	321111
8739.	305878	8819.	308649	8899.	311526	8979.	313573	9059.	316339	9139.	318559	9219.	321188
8740.	305906	8820.	308653	8900.	311563	8980.	313588	9060.	316355	9140.	318563	9220.	321236
8741.	305918	8821.	308698	8901.	311570	8981.	313608	9061.	316384	9141.	318609	9221.	321291
8742.	305930	8822.	308718	8902.	311605	8982.	313627	9062.	316411	9142.	318629	9222.	321308
8743.	305960	8823.	308738	8903.	311609	8983.	313646	9063.	316500	9143.	318663	9223.	321353
8744.	305967	8824.	308750	8904.	311647	8984.	313674	9064.	316516	9144.	318686	9224.	321367
8745.	305984	8825.	308758	8905.	311709	8985.	313696	9065.	316598	9145.	318692	9225.	321462
8746.	306079	8826.	308848	8906.	311710	8986.	313716	9066.	316605	9146.	318703	9226.	321484
8747.	306085	8827.	308989	8907.	311752	8987.	313721	9067.	316663	9147.	318704	9227.	321491
8748.	306092	8828.	309022	8908.	311756	8988.	313724	9068.	316719	9148.	318740	9228.	321520
8749.	306096	8829.	309033	8909.	311774	8989.	313755	9069.	316738	9149.	318803	9229.	321543
8750.	306144	8830.	309054	8910.	311775	8990.	313769	9070.	316861	9150.	318861	9230.	321550
8751.	306154	8831.	309070	8911.	311853	8991.	313771	9071.	316873	9151.	318867	9231.	321557
8752.	306168	8832.	309087	8912.	311859	8992.	313786	9072.	316876	9152.	318887	9232.	321579
8753.	306196	8833.	309096	8913.	311864	8993.	313814	9073.	316894	9153.	318914	9233.	321596
8754.	306261	8834.	309098	8914.	311878	8994.	313857	9074.	316911	9154.	318973	9234.	321635
8755.	306335	8835.	309120	8915.	311927	8995.	313881	9075.	316926	9155.	318982	9235.	321648
8756.	306358	8836.	309152	8916.	311931	8996.	313907	9076.	316980	9156.	319024	9236.	321693
8757.	306370	8837.	309189	8917.	311932	8997.	313937	9077.	317002	9157.	319042	9237.	321713
8758.	306379	8838.	309194	8918.	311957	8998.	313944	9078.	317056	9158.	319096	9238.	321728
8759.	306385	8839.	309207	8919.	311967	8999.	313970	9079.	317080	9159.	319160	9239.	321738
8760.	306393	8840.	309230	8920.	312017	9000.	313971	9080.	317101	9160.	319180	9240.	321746
8761.	306421	8841.	309278	8921.	312102	9001.	313975	9081.	317112	9161.	319228	9241.	321758
8762.	306504	8842.	309328	8922.	312111	9002.	313993	9082.	317119	9162.	319240	9242.	321765
8763.	306505	8843.	309335	8923.	312227	9003.	314037	9083.	317131	9163.	319266	9243.	321777
8764.	306522	8844.	309345	8924.	312292	9004.	314042	9084.	317200	9164.	319285	9244.	321852

S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.
9245.	321856	9324.	324570	9403.	327173	9482.	329340	9561.	332106	9640.	334787	9719.	337748
9246.	321879	9325.	324577	9404.	327210	9483.	329399	9562.	332120	9641.	334798	9720.	337766
9247.	321910	9326.	324636	9405.	327270	9484.	329521	9563.	332126	9642.	334860	9721.	337864
9248.	321927	9327.	324639	9406.	327307	9485.	329566	9564.	332191	9643.	334903	9722.	337872
9249.	322060	9328.	324682	9407.	327378	9486.	329576	9565.	332202	9644.	334918	9723.	337928
9250.	322061	9329.	324690	9408.	327414	9487.	329598	9566.	332220	9645.	334934	9724.	337975
9251.	322082	9330.	324772	9409.	327437	9488.	329610	9567.	332310	9646.	334983	9725.	337985
9252.	322102	9331.	324782	9410.	327439	9489.	329739	9568.	332335	9647.	334985	9726.	338038
9253.	322106	9332.	324785	9411.	327474	9490.	329746	9569.	332349	9648.	334990	9727.	338081
9254.	322121	9333.	324799	9412.	327570	9491.	329767	9570.	332352	9649.	335013	9728.	338087
9255.	322183	9334.	324801	9413.	327604	9492.	329768	9571.	332353	9650.	335041	9729.	338092
9256.	322205	9335.	324858	9414.	327607	9493.	329784	9572.	332358	9651.	335163	9730.	338148
9257.	322213	9336.	324879	9415.	327620	9494.	329834	9573.	332364	9652.	335170	9731.	338278
9258.	322225	9337.	324883	9416.	327636	9495.	329835	9574.	332385	9653.	335183	9732.	338366
9259.	322260	9338.	324894	9417.	327737	9496.	329853	9575.	332518	9654.	335199	9733.	338419
9260.	322264	9339.	324907	9418.	327820	9497.	329864	9576.	332622	9655.	335204	9734.	338432
9261.	322268	9340.	324964	9419.	327822	9498.	329910	9577.	332680	9656.	335268	9735.	338446
9262.	322285	9341.	324973	9420.	327835	9499.	329955	9578.	332698	9657.	335279	9736.	338453
9263.	322325	9342.	324980	9421.	327865	9500.	329971	9579.	332748	9658.	335298	9737.	338505
9264.	322348	9343.	324988	9422.	327882	9501.	329975	9580.	332778	9659.	335310	9738.	338559
9265.	322390	9344.	325131	9423.	327904	9502.	329978	9581.	332884	9660.	335418	9739.	338617
9266.	322409	9345.	325147	9424.	327905	9503.	329983	9582.	332913	9661.	335436	9740.	338633
9267.	322451	9346.	325185	9425.	327932	9504.	330036	9583.	332949	9662.	335493	9741.	338664
9268.	322459	9347.	325218	9426.	328013	9505.	330158	9584.	332963	9663.	335548	9742.	338687
9269.	322465	9348.	325313	9427.	328019	9506.	330171	9585.	332969	9664.	335557	9743.	338770
9270.	322470	9349.	325384	9428.	328021	9507.	330222	9586.	333041	9665.	335595	9744.	338783
9271.	322479	9350.	325396	9429.	328024	9508.	330260	9587.	333088	9666.	335710	9745.	338788
9272.	322495	9351.	325429	9430.	328035	9509.	330288	9588.	333134	9667.	335747	9746.	338897
9273.	322515	9352.	325437	9431.	328060	9510.	330356	9589.	333161	9668.	335767	9747.	338914
9274.	322559	9353.	325512	9432.	328078	9511.	330376	9590.	333185	9669.	335798	9748.	338936
9275.	322655	9354.	325522	9433.	328095	9512.	330402	9591.	333204	9670.	335800	9749.	338946
9276.	322678	9355.	325576	9434.	328109	9513.	330406	9592.	333292	9671.	335828	9750.	338968
9277.	322691	9356.	325601	9435.	328119	9514.	330426	9593.	333324	9672.	335880	9751.	339022
9278.	322726	9357.	325606	9436.	328120	9515.	330434	9594.	333425	9673.	335881	9752.	339056
9279.	322775	9358.	325678	9437.	328148	9516.	330495	9595.	333444	9674.	335924	9753.	339083
9280.	322787	9359.	325714	9438.	328161	9517.	330648	9596.	333488	9675.	335994	9754.	339106
9281.	322812	9360.	325722	9439.	328173	9518.	330681	9597.	333542	9676.	336007	9755.	339109
9282.	322823	9361.	325778	9440.	328182	9519.	330694	9598.	333580	9677.	336031	9756.	339141
9283.	322861	9362.	325798	9441.	328185	9520.	330771	9599.	333585	9678.	336080	9757.	339275
9284.	322927	9363.	325801	9442.	328198	9521.	330780	9600.	333602	9679.	336095	9758.	339321
9285.	322975	9364.	325837	9443.	328207	9522.	330832	9601.	333656	9680.	336115	9759.	339409
9286.	323095	9365.	325859	9444.	328225	9523.	330835	9602.	333662	9681.	336142	9760.	339526
9287.	323104	9366.	325902	9445.	328246	9524.	330844	9603.	333680	9682.	336197	9761.	339546
9288.	323134	9367.	325971	9446.	328256	9525.	330860	9604.	333731	9683.	336210	9762.	339641
9289.	323251	9368.	325995	9447.	328271	9526.	330879	9605.	333738	9684.	336279	9763.	339702
9290.	323256	9369.	326015	9448.	328279	9527.	330899	9606.	333758	9685.	336318	9764.	339741
9291.	323257	9370.	326036	9449.	328280	9528.	330908	9607.	333849	9686.	336342	9765.	339747
9292.	323262	9371.	326072	9450.	328325	9529.	330923	9608.	333860	9687.	336478	9766.	339762
9293.	323285	9372.	326135	9451.	328336	9530.	330932	9609.	333863	9688.	336481	9767.	339788
9294.	323316	9373.	326156	9452.	328364	9531.	330950	9610.	333881	9689.	336538	9768.	339934
9295.	323356	9374.	326174	9453.	328419	9532.	330951	9611.	333890	9690.	336613	9769.	339984
9296.	323358	9375.	326199	9454.	328472	9533.	331070	9612.	333900	9691.	336625	9770.	340041
9297.	323497	9376.	326217	9455.	328492	9534.	331128	9613.	333914	9692.	336634	9771.	340048
9298.	323521	9377.	326282	9456.	328518	9535.	331180	9614.	333922	9693.	336649	9772.	340093
9299.	323582	9378.	326298	9457.	328607	9536.	331181	9615.	333931	9694.	336723	9773.	340151
9300.	323589	9379.	326315	9458.	328611	9537.	331219	9616.	333982	9695.	336725	9774.	340210
9301.	323611	9380.	326316	9459.	328647	9538.	331239	9617.	334152	9696.	336798	9775.	340234
9302.	323621	9381.	326331	9460.	328768	9539.	331268	9618.	334230	9697.	336835	9776.	340246
9303.	323638	9382.	326373	9461.	328779	9540.	331323	9619.	334278	9698.	336864	9777.	340298
9304.	323648	9383.	326418	9462.	328811	9541.	331390	9620.	334279	9699.	336874	9778.	340301
9305.	323710	9384.	326473	9463.	328818	9542.	331443	9621.	334282	9700.	336920	9779.	340343
9306.	323868	9385.	326482	9464.	328820	9543.	331465	9622.	334310	9701.	336974	9780.	340413
9307.	323887	9386.	326519	9465.	328861	9544.	331484	9623.	334340	9702.	337023	9781.	340556
9308.	323974	9387.	326544	9466.	328872	9545.	331509	9624.	334358	9703.	337050	9782.	340593
9309.	324000	9388.	326606	9467.	328893	9546.	331595	9625.	334374	9704.	337071	9783.	340620
9310.	324114	9389.	326743	9468.	328948	9547.	331632	9626.	334392	9705.	337178	9784.	340663
9311.	324120	9390.	326813	9469.	328970	9548.	331667	9627.	334498	9706.	337282	9785.	340689
9312.	324142	9391.	326843	9470.	328995	9549.	331703	9628.	334521	9707.	337324	9786.	340718
9313.	324204	9392.	326862	9471.	329011	9550.	331772	9629.	334531	9708.	337336	9787.	340782
9314.	324233	9393.	326876	9472.	329106	9551.	331781	9630.	334533	9709.	337409	9788.	340812
9315.	324239	9394.	326910	9473.	329124	9552.	331857	9631.	334538	9710.	337477	9789.	340833
9316.	324286	9395.	326925	9474.	329132	9553.	331873	9632.	334554	9711.	337510	9790.	340892
9317.	324291	9396.	326961	9475.	329151	9554.	331920	9633.	334607	9712.	337520	9791.	340952
9318.	324327	9397.	326998	9476.	329165	9555.	331921	9634.	334693	9713.	337570	9792.	341013
9319.	324341	9398.	327069	9477.	329176	9556.	331975	9635.	334698	9714.	337578	9793.	341052
9320.	324433	9399.	327080	9478.	329181	9557.	332042	9636.	334699	9715.	337600	9794.	341082
9321.	324448	9400.	327101	9479.	329197	9558.	332050	9637.	334725	9716.	337609	9795.	341181
9322.	324530	9401.	327141	9480.	329215	9559.	332057	9638.	334745	9717.	337627	9796.	341210
9323.	324547	9402.	327159	9481.	329332	9560.	332074	9639.	334746	9718.	337727	9797.	341252

S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.
9798.	341294	9877.	344174	9956.	346884	10035.	350024	10114.	353646	10193.	356839	10272.	359862
9799.	341315	9878.	344196	9957.	346892	10036.	350035	10115.	353665	10194.	356900	10273.	359931
9800.	341370	9879.	344199	9958.	346901	10037.	350067	10116.	353788	10195.	356955	10274.	359954
9801.	341377	9880.	344221	9959.	346919	10038.	350134	10117.	353831	10196.	356966	10275.	360061
9802.	341464	9881.	344245	9960.	346981	10039.	350190	10118.	353836	10197.	356979	10276.	360092
9803.	341496	9882.	344264	9961.	346982	10040.	350242	10119.	354006	10198.	357002	10277.	360132
9804.	341528	9883.	344283	9962.	347007	10041.	350249	10120.	354075	10199.	357029	10278.	360142
9805.	341571	9884.	344302	9963.	347029	10042.	350276	10121.	354076	10200.	357033	10279.	360150
9806.	341586	9885.	344349	9964.	347076	10043.	350311	10122.	354163	10201.	357095	10280.	360204
9807.	341591	9886.	344389	9965.	347102	10044.	350323	10123.	354207	10202.	357137	10281.	360248
9808.	341664	9887.	344426	9966.	347113	10045.	350412	10124.	354208	10203.	357145	10282.	360315
9809.	341667	9888.	344457	9967.	347178	10046.	350468	10125.	354210	10204.	357199	10283.	360330
9810.	341671	9889.	344503	9968.	347212	10047.	350475	10126.	354233	10205.	357235	10284.	360379
9811.	341673	9890.	344537	9969.	347226	10048.	350525	10127.	354245	10206.	357300	10285.	360424
9812.	341688	9891.	344544	9970.	347278	10049.	350649	10128.	354264	10207.	357311	10286.	360484
9813.	341795	9892.	344558	9971.	347284	10050.	350786	10129.	354290	10208.	357318	10287.	360560
9814.	341960	9893.	344584	9972.	347294	10051.	350793	10130.	354303	10209.	357324	10288.	360576
9815.	342123	9894.	344619	9973.	347351	10052.	350795	10131.	354343	10210.	357406	10289.	360580
9816.	342143	9895.	344643	9974.	347426	10053.	350834	10132.	354391	10211.	357427	10290.	360620
9817.	342170	9896.	344742	9975.	347435	10054.	350842	10133.	354448	10212.	357446	10291.	360677
9818.	342171	9897.	344787	9976.	347437	10055.	350888	10134.	354511	10213.	357447	10292.	360729
9819.	342243	9898.	344791	9977.	347438	10056.	350892	10135.	354522	10214.	357515	10293.	360847
9820.	342244	9899.	344827	9978.	347460	10057.	350900	10136.	354556	10215.	357553	10294.	360882
9821.	342245	9900.	344835	9979.	347492	10058.	351000	10137.	354558	10216.	357600	10295.	360935
9822.	342260	9901.	344837	9980.	347518	10059.	351015	10138.	354573	10217.	357640	10296.	360985
9823.	342291	9902.	344908	9981.	347555	10060.	351044	10139.	354586	10218.	357801	10297.	361005
9824.	342295	9903.	344925	9982.	347571	10061.	351103	10140.	354650	10219.	357812	10298.	361034
9825.	342305	9904.	344968	9983.	347576	10062.	351152	10141.	354658	10220.	357819	10299.	361043
9826.	342531	9905.	345022	9984.	347581	10063.	351167	10142.	354710	10221.	357821	10300.	361072
9827.	342570	9906.	345024	9985.	347590	10064.	351198	10143.	354741	10222.	357952	10301.	361073
9828.	342592	9907.	345054	9986.	347611	10065.	351223	10144.	354760	10223.	358036	10302.	361095
9829.	342697	9908.	345074	9987.	347628	10066.	351238	10145.	354762	10224.	358041	10303.	361103
9830.	342707	9909.	345077	9988.	347676	10067.	351252	10146.	354829	10225.	358052	10304.	361115
9831.	342749	9910.	345127	9989.	347698	10068.	351281	10147.	354908	10226.	358059	10305.	361125
9832.	342767	9911.	345141	9990.	347846	10069.	351318	10148.	354934	10227.	358072	10306.	361144
9833.	342781	9912.	345161	9991.	347988	10070.	351351	10149.	354953	10228.	358135	10307.	361146
9834.	342878	9913.	345174	9992.	348090	10071.	351463	10150.	354963	10229.	358136	10308.	361188
9835.	342892	9914.	345241	9993.	348125	10072.	351548	10151.	354985	10230.	358188	10309.	361241
9836.	342896	9915.	345242	9994.	348136	10073.	351622	10152.	355001	10231.	358321	10310.	361250
9837.	342904	9916.	345272	9995.	348174	10074.	351700	10153.	355063	10232.	358356	10311.	361268
9838.	342913	9917.	345399	9996.	348227	10075.	351779	10154.	355074	10233.	358376	10312.	361269
9839.	342943	9918.	345429	9997.	348239	10076.	351780	10155.	355087	10234.	358432	10313.	361308
9840.	342989	9919.	345463	9998.	348240	10077.	351844	10156.	355095	10235.	358456	10314.	361311
9841.	343001	9920.	345482	9999.	348338	10078.	351861	10157.	355096	10236.	358457	10315.	361392
9842.	343020	9921.	345526	10000.	348370	10079.	351880	10158.	355110	10237.	358547	10316.	361450
9843.	343026	9922.	345543	10001.	348401	10080.	351885	10159.	355139	10238.	358614	10317.	361465
9844.	343037	9923.	345555	10002.	348410	10081.	351970	10160.	355164	10239.	358622	10318.	361505
9845.	343076	9924.	345579	10003.	348428	10082.	351973	10161.	355195	10240.	358626	10319.	361512
9846.	343096	9925.	345636	10004.	348486	10083.	352052	10162.	355299	10241.	358629	10320.	361515
9847.	343161	9926.	345668	10005.	348590	10084.	352089	10163.	355318	10242.	358686	10321.	361527
9848.	343172	9927.	345681	10006.	348626	10085.	352116	10164.	355342	10243.	358705	10322.	361600
9849.	343217	9928.	345724	10007.	348680	10086.	352171	10165.	355350	10244.	358760	10323.	361604
9850.	343224	9929.	345861	10008.	348690	10087.	352259	10166.	355390	10245.	358804	10324.	361607
9851.	343226	9930.	345876	10009.	348810	10088.	352288	10167.	355477	10246.	358815	10325.	361665
9852.	343258	9931.	345910	10010.	348844	10089.	352314	10168.	355488	10247.	358823	10326.	361730
9853.	343349	9932.	345947	10011.	348916	10090.	352319	10169.	355514	10248.	358868	10327.	361830
9854.	343400	9933.	345951	10012.	348959	10091.	352425	10170.	355542	10249.	358869	10328.	361831
9855.	343417	9934.	345989	10013.	349028	10092.	352473	10171.	355567	10250.	358887	10329.	361840
9856.	343452	9935.	346070	10014.	349144	10093.	352476	10172.	355574	10251.	358956	10330.	361844
9857.	343524	9936.	346139	10015.	349166	10094.	352479	10173.	355577	10252.	359026	10331.	361865
9858.	343546	9937.	346154	10016.	349188	10095.	352626	10174.	355586	10253.	359045	10332.	361878
9859.	343595	9938.	346180	10017.	349328	10096.	352673	10175.	355661	10254.	359126	10333.	361884
9860.	343650	9939.	346212	10018.	349381	10097.	352743	10176.	355781	10255.	359147	10334.	361890
9861.	343686	9940.	346232	10019.	349484	10098.	352912	10177.	355820	10256.	359183	10335.	361954
9862.	343696	9941.	346236	10020.	349499	10099.	352924	10178.	355839	10257.	359184	10336.	361961
9863.	343723	9942.	346262	10021.	349509	10100.	352934	10179.	355958	10258.	359309	10337.	361970
9864.	343749	9943.	346288	10022.	349510	10101.	352969	10180.	356047	10259.	359393	10338.	361994
9865.	343832	9944.	346311	10023.	349632	10102.	353009	10181.	356177	10260.	359418	10339.	362028
9866.	343839	9945.	346420	10024.	349667	10103.	353027	10182.	356553	10261.	359457	10340.	362039
9867.	343843	9946.	346476	10025.	349725	10104.	353032	10183.	356591	10262.	359501	10341.	362059
9868.	343890	9947.	346497	10026.	349744	10105.	353048	10184.	356597	10263.	359503	10342.	362063
9869.	343976	9948.	346570	10027.	349756	10106.	353197	10185.	356630	10264.	359522	10343.	362072
9870.	344040	9949.	346630	10028.	349757	10107.	353199	10186.	356635	10265.	359527	10344.	362136
9871.	344102	9950.	346645	10029.	349814	10108.	353232	10187.	356698	10266.	359531	10345.	362137
9872.	344108	9951.	346681	10030.	349840	10109.	353254	10188.	356719	10267.	359556	10346.	362223
9873.	344113	9952.	346704	10031.	349855	10110.	353261	10189.	356739	10268.	359592	10347.	362233
9874.	344118	9953.	346773	10032.	349867	10111.	353366	10190.	356774	10269.	359649	10348.	362235
9875.	344130	9954.	346858	10033.	349950	10112.	353396	10191.	356793	10270.	359678	10349.	362357
9876.	344131	9955.	346872	10034.	349982	10113.	353557	10192.	356825	10271.	359852	10350.	362372
												10351.	362379

प्रावधिक भाग-ब के लिए विज्ञापित पदों के 20 गुना+समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह **कुल-3250** अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
STATE SERVICE PRELIMINARY EXAMINATION 2022-PART B (PROVISIONAL)
ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES

S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.
1.	100086	77.	103691	153.	106612	229.	109496	305.	112003	381.	114680	457.	117440
2.	100120	78.	103696	154.	106660	230.	109521	306.	112018	382.	114694	458.	117518
3.	100140	79.	103825	155.	106664	231.	109559	307.	112066	383.	114695	459.	117526
4.	100147	80.	103903	156.	106684	232.	109577	308.	112070	384.	114745	460.	117532
5.	100236	81.	103920	157.	106776	233.	109617	309.	112103	385.	114777	461.	117537
6.	100330	82.	103951	158.	106805	234.	109660	310.	112105	386.	114785	462.	117564
7.	100356	83.	104098	159.	106939	235.	109689	311.	112113	387.	114794	463.	117584
8.	100452	84.	104111	160.	106973	236.	109786	312.	112156	388.	114844	464.	117617
9.	100486	85.	104168	161.	107081	237.	109820	313.	112204	389.	114848	465.	117787
10.	100491	86.	104217	162.	107091	238.	109837	314.	112232	390.	114888	466.	117810
11.	100498	87.	104309	163.	107150	239.	109839	315.	112247	391.	114917	467.	117826
12.	100716	88.	104318	164.	107191	240.	109886	316.	112253	392.	114950	468.	117828
13.	100752	89.	104346	165.	107274	241.	109937	317.	112307	393.	115094	469.	117900
14.	100886	90.	104406	166.	107280	242.	109953	318.	112318	394.	115129	470.	117944
15.	100893	91.	104442	167.	107305	243.	109955	319.	112326	395.	115143	471.	117989
16.	100975	92.	104475	168.	107377	244.	109964	320.	112354	396.	115255	472.	118021
17.	101002	93.	104521	169.	107522	245.	109978	321.	112398	397.	115293	473.	118033
18.	101048	94.	104581	170.	107584	246.	110030	322.	112445	398.	115305	474.	118068
19.	101054	95.	104583	171.	107597	247.	110054	323.	112451	399.	115314	475.	118072
20.	101110	96.	104630	172.	107650	248.	110087	324.	112483	400.	115325	476.	118080
21.	101115	97.	104647	173.	107651	249.	110150	325.	112521	401.	115354	477.	118099
22.	101250	98.	104653	174.	107731	250.	110170	326.	112528	402.	115392	478.	118122
23.	101375	99.	104680	175.	107846	251.	110176	327.	112551	403.	115395	479.	118155
24.	101422	100.	104683	176.	107847	252.	110200	328.	112565	404.	115439	480.	118206
25.	101423	101.	104710	177.	107918	253.	110202	329.	112596	405.	115445	481.	118244
26.	101612	102.	104835	178.	107920	254.	110215	330.	112708	406.	115494	482.	118274
27.	101674	103.	104846	179.	107939	255.	110263	331.	112780	407.	115524	483.	118279
28.	101799	104.	104875	180.	107950	256.	110350	332.	112789	408.	115538	484.	118288
29.	101805	105.	104893	181.	107976	257.	110364	333.	112839	409.	115541	485.	118292
30.	101904	106.	104943	182.	108047	258.	110367	334.	112859	410.	115570	486.	118307
31.	101908	107.	104956	183.	108090	259.	110449	335.	112861	411.	115589	487.	118333
32.	101979	108.	104957	184.	108136	260.	110465	336.	112959	412.	115642	488.	118389
33.	101981	109.	104967	185.	108139	261.	110474	337.	112972	413.	115670	489.	118450
34.	102066	110.	105184	186.	108140	262.	110503	338.	112976	414.	115696	490.	118540
35.	102069	111.	105199	187.	108143	263.	110546	339.	112990	415.	115700	491.	118563
36.	102101	112.	105215	188.	108160	264.	110561	340.	112993	416.	115791	492.	118614
37.	102102	113.	105257	189.	108166	265.	110562	341.	113037	417.	115794	493.	118647
38.	102188	114.	105273	190.	108194	266.	110584	342.	113177	418.	115988	494.	118704
39.	102204	115.	105274	191.	108202	267.	110622	343.	113188	419.	116019	495.	118707
40.	102274	116.	105333	192.	108295	268.	110651	344.	113222	420.	116090	496.	118748
41.	102317	117.	105348	193.	108302	269.	110696	345.	113233	421.	116161	497.	118809
42.	102337	118.	105391	194.	108381	270.	110777	346.	113264	422.	116201	498.	118824
43.	102366	119.	105428	195.	108400	271.	110819	347.	113294	423.	116303	499.	118878
44.	102435	120.	105482	196.	108428	272.	110846	348.	113361	424.	116352	500.	118886
45.	102623	121.	105524	197.	108435	273.	110870	349.	113411	425.	116370	501.	118903
46.	102666	122.	105531	198.	108446	274.	110884	350.	113424	426.	116383	502.	118964
47.	102698	123.	105563	199.	108457	275.	110989	351.	113468	427.	116411	503.	119031
48.	102720	124.	105566	200.	108467	276.	111085	352.	113508	428.	116419	504.	119050
49.	102736	125.	105589	201.	108484	277.	111116	353.	113510	429.	116426	505.	119099
50.	102754	126.	105645	202.	108580	278.	111136	354.	113566	430.	116434	506.	119180
51.	102798	127.	105673	203.	108614	279.	111143	355.	113635	431.	116464	507.	119192
52.	102817	128.	105807	204.	108625	280.	111183	356.	113647	432.	116470	508.	119246
53.	102832	129.	105810	205.	108626	281.	111199	357.	113696	433.	116522	509.	119252
54.	102844	130.	105855	206.	108627	282.	111212	358.	113749	434.	116527	510.	119273
55.	102848	131.	105856	207.	108640	283.	111218	359.	113773	435.	116530	511.	119306
56.	102861	132.	105865	208.	108669	284.	111286	360.	113909	436.	116548	512.	119317
57.	102908	133.	106013	209.	108673	285.	111400	361.	113918	437.	116622	513.	119367
58.	102914	134.	106025	210.	108688	286.	111440	362.	113926	438.	116635	514.	119433
59.	102941	135.	106058	211.	108712	287.	111458	363.	113932	439.	116638	515.	119467
60.	102981	136.	106071	212.	108830	288.	111470	364.	114047	440.	116640	516.	119500
61.	103009	137.	106072	213.	108909	289.	111480	365.	114054	441.	116683	517.	119524
62.	103020	138.	106083	214.	108959	290.	111484	366.	114087	442.	116713	518.	119548
63.	103023	139.	106113	215.	108970	291.	111485	367.	114121	443.	116785	519.	119565
64.	103024	140.	106133	216.	108998	292.	111486	368.	114127	444.	116845	520.	119592
65.	103034	141.	106302	217.	109015	293.	111573	369.	114319	445.	116869	521.	119615
66.	103071	142.	106315	218.	109080	294.	111603	370.	114352	446.	116874	522.	119715
67.	103167	143.	106318	219.	109092	295.	111637	371.	114381	447.	116888	523.	119750
68.	103185	144.	106399	220.	109105	296.	111641	372.	114432	448.	116992	524.	119782
69.	103194	145.	106401	221.	109113	297.	111703	373.	114497	449.	117002	525.	119809
70.	103256	146.	106425	222.	109136	298.	111740	374.	114500	450.	117081	526.	119826
71.	103387	147.	106432	223.	109146	299.	111759	375.	114510	451.	117199	527.	119837
72.	103511	148.	106452	224.	109173	300.	111791	376.	114561	452.	117229	528.	119839
73.	103594	149.	106503	225.	109198	301.	111831	377.	114569	453.	117265	529.	119899
74.	103609	150.	106525	226.	109376	302.	111836	378.	114573	454.	117374	530.	119940
75.	103622	151.	106544	227.	109457	303.	111887	379.	114611	455.	117389	531.	119962
76.	103673	152.	106600	228.	109470	304.	111917	380.	114652	456.	117394	532.	119996

S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.
533.	120000	614.	122474	695.	125392	776.	128045	857.	130465	938.	133612	1019.	136961
534.	120116	615.	122478	696.	125441	777.	128099	858.	130560	939.	133663	1020.	137017
535.	120200	616.	122482	697.	125452	778.	128127	859.	130629	940.	133679	1021.	137097
536.	120249	617.	122562	698.	125457	779.	128166	860.	130637	941.	133690	1022.	137159
537.	120257	618.	122585	699.	125502	780.	128214	861.	130681	942.	133691	1023.	137184
538.	120331	619.	122627	700.	125522	781.	128233	862.	130713	943.	133716	1024.	137187
539.	120347	620.	122637	701.	125535	782.	128281	863.	130755	944.	133846	1025.	137211
540.	120378	621.	122653	702.	125579	783.	128327	864.	130864	945.	133913	1026.	137216
541.	120388	622.	122678	703.	125587	784.	128330	865.	130917	946.	133949	1027.	137334
542.	120390	623.	122730	704.	125615	785.	128361	866.	130944	947.	133951	1028.	137348
543.	120485	624.	122744	705.	125684	786.	128420	867.	131094	948.	134008	1029.	137356
544.	120507	625.	122749	706.	125743	787.	128536	868.	131118	949.	134110	1030.	137441
545.	120523	626.	122754	707.	125774	788.	128579	869.	131161	950.	134132	1031.	137502
546.	120547	627.	122774	708.	125797	789.	128593	870.	131208	951.	134201	1032.	137517
547.	120606	628.	122939	709.	125874	790.	128617	871.	131239	952.	134204	1033.	137557
548.	120627	629.	122989	710.	125901	791.	128692	872.	131298	953.	134236	1034.	137582
549.	120633	630.	123011	711.	125925	792.	128840	873.	131306	954.	134292	1035.	137642
550.	120647	631.	123026	712.	125986	793.	128851	874.	131339	955.	134329	1036.	137676
551.	120679	632.	123136	713.	125990	794.	128869	875.	131346	956.	134344	1037.	137732
552.	120708	633.	123139	714.	126008	795.	128909	876.	131371	957.	134372	1038.	137781
553.	120743	634.	123185	715.	126016	796.	128934	877.	131375	958.	134397	1039.	137783
554.	120774	635.	123230	716.	126042	797.	128941	878.	131445	959.	134406	1040.	137856
555.	120775	636.	123303	717.	126045	798.	128943	879.	131506	960.	134427	1041.	137865
556.	120800	637.	123314	718.	126053	799.	128965	880.	131549	961.	134455	1042.	137887
557.	120802	638.	123348	719.	126087	800.	128972	881.	131559	962.	134498	1043.	137903
558.	120833	639.	123354	720.	126093	801.	129047	882.	131562	963.	134540	1044.	137974
559.	120919	640.	123408	721.	126130	802.	129049	883.	131672	964.	134651	1045.	138016
560.	120922	641.	123439	722.	126225	803.	129055	884.	131686	965.	134654	1046.	138018
561.	120926	642.	123469	723.	126234	804.	129096	885.	131694	966.	134847	1047.	138067
562.	120958	643.	123479	724.	126251	805.	129129	886.	131695	967.	134976	1048.	138070
563.	120967	644.	123545	725.	126264	806.	129148	887.	131731	968.	135028	1049.	138129
564.	121059	645.	123575	726.	126295	807.	129190	888.	131809	969.	135034	1050.	138159
565.	121060	646.	123588	727.	126309	808.	129191	889.	131815	970.	135041	1051.	138213
566.	121112	647.	123758	728.	126323	809.	129219	890.	131854	971.	135132	1052.	138242
567.	121191	648.	123821	729.	126334	810.	129221	891.	131894	972.	135179	1053.	138277
568.	121259	649.	123863	730.	126340	811.	129303	892.	131932	973.	135302	1054.	138313
569.	121270	650.	123900	731.	126354	812.	129314	893.	131947	974.	135306	1055.	138316
570.	121344	651.	123929	732.	126370	813.	129349	894.	131980	975.	135324	1056.	138340
571.	121430	652.	123968	733.	126409	814.	129370	895.	132035	976.	135410	1057.	138445
572.	121448	653.	124019	734.	126435	815.	129401	896.	132037	977.	135445	1058.	138448
573.	121451	654.	124035	735.	126559	816.	129403	897.	132058	978.	135489	1059.	138473
574.	121509	655.	124060	736.	126601	817.	129411	898.	132070	979.	135491	1060.	138515
575.	121514	656.	124142	737.	126645	818.	129438	899.	132078	980.	135495	1061.	138600
576.	121520	657.	124197	738.	126648	819.	129449	900.	132123	981.	135614	1062.	138607
577.	121586	658.	124231	739.	126653	820.	129508	901.	132183	982.	135619	1063.	138688
578.	121587	659.	124236	740.	126659	821.	129556	902.	132184	983.	135657	1064.	138698
579.	121610	660.	124264	741.	126662	822.	129601	903.	132208	984.	135723	1065.	138806
580.	121630	661.	124288	742.	126704	823.	129614	904.	132213	985.	135783	1066.	138830
581.	121649	662.	124297	743.	126729	824.	129644	905.	132263	986.	135791	1067.	138870
582.	121689	663.	124329	744.	126896	825.	129656	906.	132269	987.	135826	1068.	138913
583.	121708	664.	124358	745.	126971	826.	129660	907.	132284	988.	135877	1069.	138928
584.	121747	665.	124364	746.	126987	827.	129664	908.	132348	989.	135907	1070.	139018
585.	121756	666.	124380	747.	127023	828.	129683	909.	132476	990.	135928	1071.	139107
586.	121767	667.	124447	748.	127077	829.	129730	910.	132478	991.	135962	1072.	139159
587.	121782	668.	124461	749.	127082	830.	129752	911.	132479	992.	136036	1073.	139186
588.	121793	669.	124472	750.	127085	831.	129781	912.	132563	993.	136108	1074.	139273
589.	121795	670.	124531	751.	127100	832.	129801	913.	132574	994.	136123	1075.	139302
590.	121797	671.	124538	752.	127101	833.	129846	914.	132602	995.	136135	1076.	139316
591.	121882	672.	124559	753.	127122	834.	129884	915.	132617	996.	136160	1077.	139465
592.	121904	673.	124574	754.	127125	835.	129940	916.	132687	997.	136167	1078.	139505
593.	121907	674.	124602	755.	127136	836.	129949	917.	132699	998.	136217	1079.	139536
594.	121934	675.	124622	756.	127143	837.	129976	918.	132709	999.	136255	1080.	139582
595.	121963	676.	124648	757.	127299	838.	130020	919.	132722	1000.	136290	1081.	139601
596.	122076	677.	124727	758.	127335	839.	130030	920.	132794	1001.	136298	1082.	139617
597.	122100	678.	124796	759.	127350	840.	130056	921.	132863	1002.	136414	1083.	139630
598.	122125	679.	124814	760.	127360	841.	130059	922.	132867	1003.	136419	1084.	139638
599.	122164	680.	124844	761.	127378	842.	130120	923.	132907	1004.	136475	1085.	139655
600.	122223	681.	124848	762.	127394	843.	130126	924.	132918	1005.	136493	1086.	139708
601.	122256	682.	124882	763.	127470	844.	130143	925.	132945	1006.	136495	1087.	139715
602.	122290	683.	124900	764.	127514	845.	130149	926.	132992	1007.	136496	1088.	139722
603.	122302	684.	124903	765.	127535	846.	130154	927.	133072	1008.	136514	1089.	139743
604.	122315	685.	124923	766.	127610	847.	130182	928.	133089	1009.	136530	1090.	139754
605.	122331	686.	125023	767.	127648	848.	130185	929.	133159	1010.	136599	1091.	139757
606.	122341	687.	125039	768.	127754	849.	130203	930.	133183	1011.	136610	1092.	139782
607.	122342	688.	125112	769.	127779	850.	130244	931.	133254	1012.	136631	1093.	139814
608.	122355	689.	125127	770.	127866	851.	130274	932.	133275	1013.	136653	1094.	139887
609.	122393	690.	125172	771.	127952	852.	130297	933.	133289	1014.	136690	1095.	139916
610.	122398	691.	125269	772.	127961	853.	130309	934.	133412	1015.	136747	1096.	140069
611.	122424	692.	125270	773.	127984	854.	130376	935.	133452	1016.	136765	1097.	140149
612.	122428	693.	125285	774.	128022	855.	130379	936.	133497	1017.	136872	1098.	140153
613.	122445	694.	125315	775.	128037	856.	130421	937.	133545	1018.	136952	1099.	140273

S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.
1100.	140613	1181.	149246	1262.	161460	1343.	171801	1424.	181040	1505.	185877	1586.	197118
1101.	140624	1182.	149273	1263.	161489	1344.	172056	1425.	181108	1506.	186149	1587.	197140
1102.	140686	1183.	149905	1264.	161581	1345.	172101	1426.	181112	1507.	186188	1588.	197148
1103.	140759	1184.	149915	1265.	161841	1346.	172133	1427.	181162	1508.	186399	1589.	197247
1104.	140854	1185.	150146	1266.	161917	1347.	172243	1428.	181193	1509.	186441	1590.	197278
1105.	141190	1186.	150150	1267.	161937	1348.	172278	1429.	181263	1510.	186537	1591.	197654
1106.	141194	1187.	150217	1268.	162080	1349.	172347	1430.	181310	1511.	186546	1592.	197737
1107.	141227	1188.	150276	1269.	162119	1350.	172774	1431.	181504	1512.	186559	1593.	197806
1108.	141442	1189.	150287	1270.	162305	1351.	172881	1432.	181536	1513.	186619	1594.	197940
1109.	141512	1190.	150371	1271.	162491	1352.	173212	1433.	181570	1514.	186676	1595.	198219
1110.	141525	1191.	150675	1272.	162674	1353.	173410	1434.	181605	1515.	186739	1596.	198223
1111.	141679	1192.	150702	1273.	162737	1354.	173428	1435.	181847	1516.	186826	1597.	198289
1112.	141814	1193.	150725	1274.	162763	1355.	173473	1436.	181885	1517.	186896	1598.	198307
1113.	141826	1194.	150742	1275.	163040	1356.	173587	1437.	181919	1518.	186954	1599.	198586
1114.	142316	1195.	150981	1276.	163162	1357.	173836	1438.	181928	1519.	186979	1600.	198706
1115.	142343	1196.	151374	1277.	163319	1358.	173942	1439.	181955	1520.	187093	1601.	198748
1116.	142415	1197.	151560	1278.	163479	1359.	174290	1440.	181982	1521.	187142	1602.	198797
1117.	142508	1198.	151632	1279.	163646	1360.	174382	1441.	182003	1522.	187180	1603.	198818
1118.	142672	1199.	151669	1280.	163688	1361.	174608	1442.	182085	1523.	187323	1604.	198839
1119.	142686	1200.	151735	1281.	163848	1362.	174675	1443.	182165	1524.	187329	1605.	198869
1120.	142837	1201.	151944	1282.	163894	1363.	174678	1444.	182178	1525.	187448	1606.	198872
1121.	142943	1202.	152250	1283.	164023	1364.	174834	1445.	182236	1526.	187452	1607.	199028
1122.	143143	1203.	153260	1284.	164395	1365.	174850	1446.	182280	1527.	187487	1608.	199040
1123.	143212	1204.	153942	1285.	164479	1366.	175255	1447.	182395	1528.	187524	1609.	199784
1124.	143243	1205.	154455	1286.	164503	1367.	175278	1448.	182413	1529.	187559	1610.	199940
1125.	143276	1206.	154459	1287.	164794	1368.	175336	1449.	182490	1530.	187672	1611.	200135
1126.	143279	1207.	154994	1288.	164908	1369.	175437	1450.	182542	1531.	187714	1612.	200187
1127.	143360	1208.	155109	1289.	164940	1370.	175483	1451.	182575	1532.	187731	1613.	200209
1128.	143382	1209.	155144	1290.	164955	1371.	175857	1452.	182586	1533.	187932	1614.	200241
1129.	143443	1210.	155492	1291.	165000	1372.	175874	1453.	182689	1534.	187955	1615.	200308
1130.	143465	1211.	155528	1292.	165060	1373.	176377	1454.	182722	1535.	188016	1616.	200345
1131.	143480	1212.	155550	1293.	165121	1374.	176414	1455.	182759	1536.	188089	1617.	200462
1132.	143575	1213.	155818	1294.	165607	1375.	176477	1456.	182784	1537.	188092	1618.	200474
1133.	143647	1214.	155857	1295.	165781	1376.	176545	1457.	182788	1538.	188431	1619.	200477
1134.	143657	1215.	155875	1296.	165787	1377.	176671	1458.	182798	1539.	188450	1620.	200488
1135.	143693	1216.	156543	1297.	165817	1378.	176802	1459.	182828	1540.	188457	1621.	200573
1136.	143708	1217.	156728	1298.	165908	1379.	176966	1460.	182941	1541.	188564	1622.	200574
1137.	143771	1218.	156771	1299.	166020	1380.	177019	1461.	182986	1542.	188944	1623.	200587
1138.	143786	1219.	156785	1300.	166082	1381.	177363	1462.	183104	1543.	189414	1624.	200810
1139.	143821	1220.	156907	1301.	166143	1382.	177405	1463.	183225	1544.	189458	1625.	200898
1140.	144131	1221.	156991	1302.	166205	1383.	177524	1464.	183349	1545.	189459	1626.	200922
1141.	144151	1222.	157264	1303.	166253	1384.	178057	1465.	183536	1546.	189750	1627.	200983
1142.	144277	1223.	157446	1304.	166327	1385.	178230	1466.	183563	1547.	189832	1628.	201107
1143.	144457	1224.	157579	1305.	166562	1386.	178284	1467.	183575	1548.	190071	1629.	201168
1144.	144480	1225.	157619	1306.	166659	1387.	178398	1468.	183592	1549.	190607	1630.	201233
1145.	144486	1226.	157884	1307.	166671	1388.	178517	1469.	183599	1550.	190622	1631.	201306
1146.	144624	1227.	158025	1308.	166720	1389.	178603	1470.	183616	1551.	190675	1632.	201347
1147.	144735	1228.	158308	1309.	167083	1390.	178684	1471.	183621	1552.	190830	1633.	201383
1148.	144745	1229.	158350	1310.	167419	1391.	178708	1472.	183679	1553.	191087	1634.	201725
1149.	145169	1230.	158674	1311.	167439	1392.	178717	1473.	183744	1554.	191578	1635.	202240
1150.	145384	1231.	158684	1312.	167668	1393.	178849	1474.	183850	1555.	191932	1636.	202280
1151.	145424	1232.	158705	1313.	167773	1394.	178864	1475.	183946	1556.	192178	1637.	202298
1152.	145451	1233.	158716	1314.	167880	1395.	179175	1476.	183970	1557.	193119	1638.	202822
1153.	145486	1234.	158757	1315.	167926	1396.	179189	1477.	183975	1558.	193227	1639.	202865
1154.	145888	1235.	158840	1316.	168710	1397.	179684	1478.	183993	1559.	193285	1640.	203017
1155.	145966	1236.	159134	1317.	168864	1398.	179804	1479.	183997	1560.	193388	1641.	203103
1156.	145970	1237.	159170	1318.	168972	1399.	179844	1480.	183998	1561.	193444	1642.	203158
1157.	146079	1238.	159246	1319.	169174	1400.	179966	1481.	184016	1562.	193529	1643.	203444
1158.	146152	1239.	159332	1320.	169387	1401.	180205	1482.	184090	1563.	193754	1644.	203519
1159.	146164	1240.	159453	1321.	169399	1402.	180240	1483.	184099	1564.	193761	1645.	203676
1160.	146312	1241.	159792	1322.	169411	1403.	180258	1484.	184216	1565.	193923	1646.	203722
1161.	146547	1242.	160008	1323.	169450	1404.	180295	1485.	184514	1566.	194065	1647.	203759
1162.	146551	1243.	160016	1324.	169451	1405.	180299	1486.	184517	1567.	194151	1648.	203764
1163.	146609	1244.	160185	1325.	169471	1406.	180303	1487.	184683	1568.	194302	1649.	203811
1164.	146716	1245.	160415	1326.	169640	1407.	180306	1488.	184820	1569.	194352	1650.	203886
1165.	146785	1246.	160428	1327.	169670	1408.	180380	1489.	184833	1570.	195001	1651.	203901
1166.	146841	1247.	160439	1328.	169928	1409.	180402	1490.	184933	1571.	195095	1652.	203974
1167.	147003	1248.	160567	1329.	170065	1410.	180423	1491.	184940	1572.	195154	1653.	204011
1168.	147185	1249.	160656	1330.	170110	1411.	180438	1492.	184995	1573.	195253	1654.	204100
1169.	147497	1250.	160823	1331.	170156	1412.	180601	1493.	185108	1574.	195294	1655.	204260
1170.	148111	1251.	160857	1332.	170598	1413.	180604	1494.	185161	1575.	195375	1656.	204323
1171.	148290	1252.	160861	1333.	170732	1414.	180648	1495.	185227	1576.	195625	1657.	204362
1172.	148394	1253.	160870	1334.	170866	1415.	180715	1496.	185305	1577.	195635	1658.	204375
1173.	148397	1254.	160881	1335.	170949	1416.	180728	1497.	185424	1578.	195727	1659.	204436
1174.	148454	1255.	160923	1336.	171221	1417.	180736	1498.	185501	1579.	195747	1660.	204503
1175.	148532	1256.	160954	1337.	171355	1418.	180763	1499.	185507	1580.	196158	1661.	204932
1176.	148560	1257.	161050	1338.	171374	1419.	180796	1500.	185574	1581.	196700	1662.	205092
1177.	148666	1258.	161107	1339.	171415	1420.	180808	1501.	185583	1582.	196734	1663.	205330
1178.	149103	1259.	161162	1340.	171654	1421.	180868	1502.	185601	1583.	196772	1664.	205432
1179.	149111	1260.	161385	1341.	171691	1422.	180879	1503.	185656	1584.	196807	1665.	205628
1180.	149141	1261.	161411	1342.	171785	1423.	181025	1504.	185755	1585.	196831	1666.	205638

S.No.	Roll No.
1667.	205685
1668.	205968
1669.	205981
1670.	205992
1671.	205999
1672.	206051
1673.	206238
1674.	206301
1675.	206349
1676.	206446
1677.	206648
1678.	206840
1679.	206873
1680.	206935
1681.	207214
1682.	207304
1683.	207445
1684.	207552
1685.	207761
1686.	207808
1687.	208033
1688.	208064
1689.	208091
1690.	208095
1691.	208226
1692.	208391
1693.	208447
1694.	208546
1695.	208559
1696.	208645
1697.	208661
1698.	208717
1699.	208782
1700.	209102
1701.	209125
1702.	209281
1703.	209282
1704.	209759
1705.	209868
1706.	210042
1707.	210142
1708.	210156
1709.	210273
1710.	210359
1711.	210392
1712.	210408
1713.	210524
1714.	210571
1715.	210591
1716.	210679
1717.	210728
1718.	210776
1719.	210777
1720.	210863
1721.	210966
1722.	211113
1723.	211121
1724.	211338
1725.	211482
1726.	211637
1727.	211745
1728.	211821
1729.	211859
1730.	211916
1731.	212048
1732.	212063
1733.	212100
1734.	212160
1735.	212345
1736.	212435
1737.	212523
1738.	212524
1739.	212581
1740.	212596
1741.	212775
1742.	212864
1743.	212979
1744.	212994
1745.	213042
1746.	213447

S.No.	Roll No.
1747.	213550
1748.	213654
1749.	213675
1750.	213760
1751.	213762
1752.	213981
1753.	214225
1754.	214244
1755.	214249
1756.	214410
1757.	214502
1758.	214503
1759.	214541
1760.	214736
1761.	214737
1762.	214805
1763.	215062
1764.	217331
1765.	217797
1766.	217968
1767.	218310
1768.	218367
1769.	218417
1770.	218530
1771.	218565
1772.	218868
1773.	218994
1774.	219023
1775.	219275
1776.	219357
1777.	219376
1778.	219414
1779.	219426
1780.	219468
1781.	219496
1782.	219546
1783.	219627
1784.	219675
1785.	219773
1786.	219824
1787.	219978
1788.	220001
1789.	220005
1790.	220068
1791.	220119
1792.	220199
1793.	220305
1794.	220486
1795.	220691
1796.	220779
1797.	220883
1798.	221151
1799.	221209
1800.	221213
1801.	221268
1802.	221308
1803.	221316
1804.	221337
1805.	221438
1806.	221458
1807.	221464
1808.	221580
1809.	221627
1810.	221655
1811.	221796
1812.	221838
1813.	221986
1814.	222031
1815.	222169
1816.	222321
1817.	222370
1818.	222387
1819.	222430
1820.	222523
1821.	222570
1822.	222719
1823.	222821
1824.	222841
1825.	222910
1826.	222934

S.No.	Roll No.
1827.	223070
1828.	223196
1829.	223316
1830.	223344
1831.	223474
1832.	223715
1833.	223762
1834.	223832
1835.	223853
1836.	223860
1837.	223864
1838.	223971
1839.	224000
1840.	224032
1841.	224035
1842.	224065
1843.	224085
1844.	224144
1845.	224237
1846.	224321
1847.	224342
1848.	224396
1849.	224455
1850.	224492
1851.	224504
1852.	224597
1853.	224781
1854.	224823
1855.	224855
1856.	225244
1857.	225263
1858.	225310
1859.	225390
1860.	225424
1861.	225694
1862.	226053
1863.	226057
1864.	226161
1865.	226707
1866.	226835
1867.	227050
1868.	227163
1869.	227260
1870.	227287
1871.	227341
1872.	227539
1873.	227629
1874.	227961
1875.	227981
1876.	228052
1877.	228059
1878.	228369
1879.	228395
1880.	228469
1881.	228884
1882.	229726
1883.	229804
1884.	230361
1885.	230415
1886.	230442
1887.	230864
1888.	231080
1889.	231254
1890.	231361
1891.	231448
1892.	231632
1893.	231635
1894.	231951
1895.	232122
1896.	232213
1897.	232219
1898.	232865
1899.	233099
1900.	233346
1901.	233392
1902.	234087
1903.	234112
1904.	234505
1905.	234524
1906.	234691

S.No.	Roll No.
1907.	234850
1908.	235059
1909.	235095
1910.	235417
1911.	235518
1912.	235598
1913.	235761
1914.	235771
1915.	235855
1916.	235881
1917.	235949
1918.	236019
1919.	236077
1920.	236130
1921.	236235
1922.	236283
1923.	236523
1924.	236545
1925.	236569
1926.	236586
1927.	236785
1928.	236826
1929.	236861
1930.	236917
1931.	236926
1932.	237286
1933.	237315
1934.	237480
1935.	237529
1936.	237534
1937.	237646
1938.	237717
1939.	237742
1940.	237765
1941.	237790
1942.	237792
1943.	237917
1944.	237929
1945.	237998
1946.	238077
1947.	238083
1948.	238123
1949.	238161
1950.	238360
1951.	238367
1952.	238375
1953.	238415
1954.	238529
1955.	238727
1956.	238820
1957.	238840
1958.	238875
1959.	238973
1960.	238981
1961.	239143
1962.	239153
1963.	239162
1964.	239213
1965.	239366
1966.	239380
1967.	239460
1968.	239472
1969.	239567
1970.	239745
1971.	239747
1972.	239807
1973.	239941
1974.	240020
1975.	240119
1976.	240178
1977.	240248
1978.	240334
1979.	240707
1980.	241151
1981.	241412
1982.	242883
1983.	243153
1984.	243713
1985.	245925
1986.	245951

S.No.	Roll No.
1987.	246055
1988.	246059
1989.	246081
1990.	246083
1991.	246336
1992.	246359
1993.	246416
1994.	246466
1995.	246581
1996.	246592
1997.	246734
1998.	246879
1999.	246933
2000.	246950
2001.	246994
2002.	247068
2003.	247463
2004.	247525
2005.	247538
2006.	247746
2007.	247759
2008.	247923
2009.	247969
2010.	248037
2011.	248177
2012.	248194
2013.	248291
2014.	248391
2015.	248404
2016.	248472
2017.	248485
2018.	248573
2019.	248586
2020.	248938
2021.	249047
2022.	249147
2023.	249184
2024.	249354
2025.	249636
2026.	249804
2027.	249966
2028.	250125
2029.	250314
2030.	250385
2031.	250423
2032.	250520
2033.	250556
2034.	250907
2035.	250919
2036.	250934
2037.	251105
2038.	251106
2039.	251397
2040.	251430
2041.	251650
2042.	251890
2043.	252114
2044.	252335
2045.	252399
2046.	252519
2047.	252627
2048.	252780
2049.	253355
2050.	253682
2051.	254337
2052.	254667
2053.	255012
2054.	255033
2055.	255050
2056.	255221
2057.	255267
2058.	255641
2059.	255977
2060.	256244
2061.	256448
2062.	257093
2063.	257156
2064.	257164
2065.	257168
2066.	257169

S.No.	Roll No.
2067.	257605
2068.	257800
2069.	257896
2070.	257920
2071.	258080
2072.	258214
2073.	258236
2074.	258328
2075.	258354
2076.	258397
2077.	258443
2078.	258458
2079.	258501
2080.	258610
2081.	258665
2082.	258684
2083.	258711
2084.	258853
2085.	258901
2086.	259099
2087.	259137
2088.	259209
2089.	259232
2090.	259260
2091.	259417
2092.	259623
2093.	259826
2094.	259854
2095.	259857
2096.	259929
2097.	259962
2098.	260138
2099.	260286
2100.	260484
2101.	260602
2102.	260617
2103.	260842
2104.	261002
2105.	261137
2106.	261144
2107.	261173
2108.	261241
2109.	261251
2110.	261308
2111.	261309
2112.	261327
2113.	261432
2114.	261778
2115.	261812
2116.	261831
2117.	261951
2118.	262040
2119.	262068
2120.	262153
2121.	262295
2122.	262567
2123.	262601
2124.	262755
2125.	262771
2126.	262870
2127.	262908
2128.	262998
2129.	263118
2130.	263133
2131.	263156
2132.	263171
2133.	263414
2134.	263442
2135.	263488
2136.	263546
2137.	263582
2138.	263586
2139.	263757
2140.	263766
2141.	263864
2142.	263970
2143.	263971
2144.	264177
2145.	264218
2146.	264230

S.No.	Roll No.
2147.	264266
2148.	264274
2149.	264554
2150.	264651
2151.	264664
2152.	264715
2153.	264764
2154.	264865
2155.	265182
2156.	265385
2157.	265388
2158.	265617
2159.	265637
2160.	265679
2161.	265777
2162.	265818
2163.	265854
2164.	266086
2165.	266340
2166.	266367
2167.	266558
2168.	266659
2169.	266737
2170.	266800
2171.	266824
2172.	266877
2173.	266938
2174.	267040
2175.	267081
2176.	267122
2177.	267216
2178.	267235
2179.	267342
2180.	267394
2181.	267536
2182.	267560
2183.	267609
2184.	267662
2185.	267712
2186.	267822
2187.	267923
2188.	268113
2189.	268138
2190.	268189
2191.	268251
2192.	268317
2193.	268370
2194.	268404
2195.	268545
2196.	268567
2197.	268751
2198.	268999
2199.	269184
2200.	269283
2201.	269286
2202.	269299
2203.	269301
2204.	269447
2205.	269760
2206.	269818
2207.	269823
2208.	269859
2209.	269869
2210.	270090
2211.	270107
2212.	270116
2213.	270123
2214.	270182
2215.	270190
2216.	270382
2217.	270417
2218.	270513
2219.	270515
2220.	270633
2221.	270642
2222.	270643
2223.	270760
2224.	270771
2225.	270802
2226.	270915

S.No.	Roll No.
2227.	270916
2228.	270923
2229.	271022
2230.	271033
2231.	271108
2232.	271229
2233.	271246
2234.	271293
2235.	271667
2236.	271680
2237.	271707
2238.	271787
2239.	272017
2240.	272058
2241.	272190
2242.	272280
2243.	272328
2244.	272389
2245.	272483
2246.	272521
2247.	272587
2248.	272707
2249.	272709
2250.	272731
2251.	272786
2252.	272835
2253.	272865
2254.	272935
2255.	272960
2256.	273063
2257.	273200
2258.	273240
2259.	273314
2260.	273317
2261.	273361
2262.	273450
2263.	273467
2264.	273498
2265.	273586
2266.	273608
2267.	273846
2268.	273885
2269.	273994
2270.	274216
2271.	274300
2272.	274392
2273.	274429
2274.	274670
2275.	274711
2276.	275060
2277.	275170
2278.	275238
2279.	275313
2280.	275324
2281.	275360
2282.	275417
2283.	275505
2284.	275548
2285.	275607
2286.	275827
2287.	275863
2288.	275888
2289.	276009
2290.	276011
2291.	276078
2292.	276181
2293.	276190
2294.	276274
2295.	276308
2296.	276326
2297.	276363
2298.	276532
2299.	276626
2300.	276767
2301.	276779
2302.	276822
2303.	276866
2304.	276969
2305.	277137
2306.	277192
2307.	277221
2308.	277225
2309.	277314
2310.	277361
2311.	277404
2312.	277585
2313.	277650
2314.	277738
2315.	277741
2316.	277822
2317.	277867
2318.	277968
2319.	278001
2320.	278003
2321.	278149
2322.	278181
2323.	278425
2324.	278451
2325.	278528
2326.	278709
2327.	278853
2328.	278969
2329.	278990
2330.	279123
2331.	279137
2332.	279212
2333.	279285
2334.	279429
2335.	279501
2336.	279555
2337.	279617
2338.	279722
2339.	279747
2340.	279813
2341.	279912
2342.	279970
2343.	280058
2344.	280133
2345.	280247
2346.	280258
2347.	280259
2348.	280286
2349.	280298
2350.	280364
2351.	280387
2352.	280392
2353.	280431
2354.	280497
2355.	280558
2356.	280569
2357.	280629
2358.	280637
2359.	280671
2360.	280733
2361.	280764
2362.	280765
2363.	280768
2364.	280774
2365.	280808
2366.	280813
2367.	280878
2368.	280911
2369.	281052
2370.	281100
2371.	281253
2372.	281510
2373.	281514
2374.	281519
2375.	281560
2376.	281725
2377.	281729
2378.	281912
2379.	282010
2380.	282011
2381.	282068
2382.	282234
2383.	282249
2384.	282316
2385.	282518
2386.	282548
2387.	282693
2388.	282713
2389.	282759
2390.	282818
2391.	282961
2392.	283064
2393.	283083
2394.	283189
2395.	283265
2396.	283404
2397.	283472
2398.	283585
2399.	283763
2400.	283816
2401.	283828
2402.	283893
2403.	284196
2404.	284263
2405.	284285
2406.	284354
2407.	284454
2408.	284470
2409.	284527
2410.	284535
2411.	284593
2412.	284605
2413.	285017
2414.	285105
2415.	285316
2416.	285643
2417.	285923
2418.	285972
2419.	286155
2420.	286226
2421.	286460
2422.	286540
2423.	286745
2424.	286772
2425.	286840
2426.	286918
2427.	286960
2428.	286999
2429.	287043
2430.	287512
2431.	287688
2432.	288265
2433.	288491
2434.	288563
2435.	288574
2436.	288750
2437.	288782
2438.	288789
2439.	288824
2440.	288874
2441.	288889
2442.	289019
2443.	289275
2444.	289278
2445.	289279
2446.	289301
2447.	289346
2448.	289391
2449.	289522
2450.	289663
2451.	289704
2452.	289715
2453.	289743
2454.	290066
2455.	290093
2456.	290120
2457.	290321
2458.	290385
2459.	290496
2460.	290637
2461.	290652
2462.	290672
2463.	290705
2464.	290743
2465.	290777
2466.	290838
2467.	290890
2468.	290939
2469.	290962
2470.	290964
2471.	291051
2472.	291157
2473.	291245
2474.	291284
2475.	291321
2476.	291437
2477.	291579
2478.	291630
2479.	291763
2480.	291821
2481.	291827
2482.	292216
2483.	292292
2484.	292401
2485.	292405
2486.	292474
2487.	292483
2488.	292496
2489.	292548
2490.	292603
2491.	292629
2492.	292651
2493.	292674
2494.	292683
2495.	292716
2496.	292745
2497.	292990
2498.	293390
2499.	293494
2500.	293629
2501.	293678
2502.	293742
2503.	293760
2504.	293974
2505.	294111
2506.	294141
2507.	294391
2508.	294487
2509.	294619
2510.	294684
2511.	294748
2512.	294783
2513.	294969
2514.	295302
2515.	295306
2516.	295522
2517.	295606
2518.	295713
2519.	295794
2520.	295875
2521.	295936
2522.	295970
2523.	296277
2524.	296439
2525.	296548
2526.	296551
2527.	296821
2528.	296951
2529.	297154
2530.	297407
2531.	297826
2532.	297927
2533.	297965
2534.	298043
2535.	298339
2536.	298393
2537.	298440
2538.	298612
2539.	298646
2540.	298673
2541.	298823
2542.	298836
2543.	298841
2544.	299016
2545.	299156
2546.	299184
2547.	299267
2548.	299333
2549.	299346
2550.	299363
2551.	299386
2552.	299421
2553.	299447
2554.	299568
2555.	299573
2556.	299592
2557.	299675
2558.	300025
2559.	300081
2560.	300204
2561.	300318
2562.	300392
2563.	300414
2564.	300527
2565.	300548
2566.	300557
2567.	300653
2568.	300791
2569.	300816
2570.	300844
2571.	300873
2572.	300875
2573.	301099
2574.	301239
2575.	301242
2576.	301266
2577.	301400
2578.	301534
2579.	301609
2580.	301635
2581.	301670
2582.	301709
2583.	301864
2584.	301983
2585.	302000
2586.	302068
2587.	302092
2588.	302109
2589.	302158
2590.	302220
2591.	302306
2592.	302349
2593.	302372
2594.	302378
2595.	302435
2596.	302507
2597.	302522
2598.	302590
2599.	302669
2600.	302670
2601.	302679
2602.	302724
2603.	302754
2604.	302870
2605.	302934
2606.	303010
2607.	303058
2608.	303213
2609.	303283
2610.	303556
2611.	303565
2612.	303645
2613.	303782
2614.	303822
2615.	303853
2616.	303862
2617.	303988
2618.	304040
2619.	304131
2620.	304161
2621.	304193
2622.	304269
2623.	304274
2624.	304343
2625.	304365
2626.	304458
2627.	304676
2628.	304688
2629.	304689
2630.	304875
2631.	304986
2632.	305014
2633.	305094
2634.	305116
2635.	305150
2636.	305235
2637.	305277
2638.	305284
2639.	305307
2640.	305397
2641.	305472
2642.	305534
2643.	305655
2644.	305667
2645.	305723
2646.	306060
2647.	306082
2648.	306458
2649.	306470
2650.	306524
2651.	306528
2652.	306555
2653.	306578
2654.	306809
2655.	306889
2656.	307014
2657.	307023
2658.	307121
2659.	307218
2660.	307348
2661.	307362
2662.	307367
2663.	307391
2664.	307405
2665.	307447
2666.	307495
2667.	307572
2668.	307616
2669.	307707
2670.	307904
2671.	308068
2672.	308106
2673.	308157
2674.	308198
2675.	308291
2676.	308340
2677.	308773
2678.	308808
2679.	308915
2680.	308940
2681.	309010
2682.	309080
2683.	309092
2684.	309310
2685.	309395
2686.	309436
2687.	309437
2688.	309466
2689.	309663
2690.	309710
2691.	309765
2692.	309835
2693.	309836
2694.	309866
2695.	309890
2696.	309904
2697.	309913
2698.	310155
2699.	310252
2700.	310404
2701.	310472
2702.	310561
2703.	310573
2704.	310593
2705.	310661
2706.	310669
2707.	310879
2708.	310909
2709.	310958
2710.	311092
2711.	311310
2712.	311315
2713.	311349
2714.	311400
2715.	311412
2716.	311479
2717.	311741
2718.	311815
2719.	311900
2720.	312145
2721.	312303
2722.	312337
2723.	312362
2724.	312368
2725.	312513
2726.	312622
2727.	313085
2728.	313089
2729.	313183
2730.	313210
2731.	313319
2732.	313321
2733.	313346
2734.	313621
2735.	313743
2736.	313776
2737.	314192
2738.	314407
2739.	314523
2740.	314543
2741.	314554
2742.	314569
2743.	314759
2744.	314792
2745.	314832
2746.	314880
2747.	315006
2748.	315188
2749.	315214
2750.	315291
2751.	315301
2752.	315340
2753.	315346
2754.	315416
2755.	315533
2756.	315630
2757.	315726
2758.	315756
2759.	315915
2760.	315996
2761.	316237
2762.	316351
2763.	316466
2764.	316486
2765.	316536
2766.	316664
2767.	316693
2768.	316979
2769.	317025
2770.	317038
2771.	317219
2772.	317253
2773.	317279
2774.	317322
2775.	317591
2776.	317613
2777.	317628
2778.	317779
2779.	317809
2780.	317858
2781.	317868
2782.	317921
2783.	317925
2784.	317957
2785.	317965
2786.	318090
2787.	318196
2788.	318250
2789.	318252
2790.	318324
2791.	318335
2792.	318353
2793.	318442

S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.
2794.	318509	2875.	324164	2956.	330655	3037.	339336
2795.	318552	2876.	324201	2957.	331083	3038.	339527
2796.	318561	2877.	324235	2958.	331147	3039.	339675
2797.	318589	2878.	324281	2959.	331167	3040.	339783
2798.	318777	2879.	324438	2960.	331313	3041.	340202
2799.	318910	2880.	324463	2961.	331553	3042.	340204
2800.	318921	2881.	324517	2962.	331679	3043.	340208
2801.	318992	2882.	324529	2963.	331710	3044.	340218
2802.	319150	2883.	324533	2964.	331737	3045.	340264
2803.	319183	2884.	324589	2965.	331811	3046.	340316
2804.	319221	2885.	324686	2966.	331825	3047.	340328
2805.	319363	2886.	324693	2967.	331860	3048.	340334
2806.	319388	2887.	324695	2968.	331909	3049.	340426
2807.	319422	2888.	325080	2969.	331937	3050.	340427
2808.	319529	2889.	325116	2970.	331972	3051.	340505
2809.	319546	2890.	325299	2971.	331973	3052.	340607
2810.	319640	2891.	325351	2972.	332019	3053.	340728
2811.	319677	2892.	325359	2973.	332119	3054.	341135
2812.	319695	2893.	325412	2974.	332168	3055.	341187
2813.	319735	2894.	325443	2975.	332324	3056.	341304
2814.	319775	2895.	325530	2976.	332445	3057.	341624
2815.	319912	2896.	325536	2977.	332531	3058.	341746
2816.	319938	2897.	325640	2978.	332640	3059.	341776
2817.	319960	2898.	325654	2979.	332672	3060.	341951
2818.	319962	2899.	325661	2980.	332674	3061.	341977
2819.	319996	2900.	325721	2981.	332705	3062.	342155
2820.	320032	2901.	325799	2982.	332930	3063.	342402
2821.	320050	2902.	325846	2983.	333205	3064.	342417
2822.	320057	2903.	325892	2984.	333240	3065.	342424
2823.	320215	2904.	325966	2985.	333334	3066.	342485
2824.	320283	2905.	326069	2986.	333340	3067.	342509
2825.	320306	2906.	326108	2987.	333344	3068.	342523
2826.	320310	2907.	326129	2988.	333423	3069.	342664
2827.	320320	2908.	326372	2989.	333557	3070.	342678
2828.	320337	2909.	326409	2990.	333628	3071.	342746
2829.	320367	2910.	326429	2991.	333669	3072.	342847
2830.	320369	2911.	326658	2992.	333698	3073.	342891
2831.	320421	2912.	327003	2993.	333801	3074.	342981
2832.	320446	2913.	327034	2994.	333943	3075.	343045
2833.	320470	2914.	327145	2995.	334024	3076.	343199
2834.	320791	2915.	327291	2996.	334074	3077.	343255
2835.	320818	2916.	327389	2997.	334116	3078.	343472
2836.	320821	2917.	327390	2998.	334384	3079.	343694
2837.	320828	2918.	327456	2999.	334396	3080.	343713
2838.	320848	2919.	327483	3000.	334402	3081.	343731
2839.	320999	2920.	327495	3001.	334509	3082.	343776
2840.	321092	2921.	327705	3002.	334845	3083.	343799
2841.	321181	2922.	327755	3003.	334962	3084.	343903
2842.	321212	2923.	327758	3004.	334977	3085.	343950
2843.	321285	2924.	327786	3005.	335016	3086.	344035
2844.	321287	2925.	328188	3006.	335078	3087.	344081
2845.	321385	2926.	328190	3007.	335144	3088.	344091
2846.	321526	2927.	328234	3008.	335155	3089.	344143
2847.	321735	2928.	328275	3009.	335201	3090.	344209
2848.	321786	2929.	328543	3010.	335255	3091.	344241
2849.	321923	2930.	328545	3011.	335452	3092.	344387
2850.	322022	2931.	328579	3012.	335505	3093.	344417
2851.	322027	2932.	328682	3013.	335660	3094.	344421
2852.	322228	2933.	328702	3014.	336004	3095.	344443
2853.	322353	2934.	328737	3015.	336018	3096.	344449
2854.	322354	2935.	328785	3016.	336019	3097.	344478
2855.	322380	2936.	329204	3017.	336161	3098.	344482
2856.	322561	2937.	329243	3018.	336602	3099.	344486
2857.	322762	2938.	329425	3019.	336755	3100.	344500
2858.	322826	2939.	329428	3020.	336940	3101.	344542
2859.	323030	2940.	329487	3021.	337495	3102.	344586
2860.	323192	2941.	329522	3022.	337537	3103.	344630
2861.	323341	2942.	329547	3023.	337581	3104.	344646
2862.	323379	2943.	329623	3024.	337657	3105.	344667
2863.	323417	2944.	329657	3025.	337781	3106.	344694
2864.	323541	2945.	329676	3026.	337803	3107.	345116
2865.	323575	2946.	329809	3027.	337963	3108.	345149
2866.	323635	2947.	329854	3028.	337970	3109.	345283
2867.	323689	2948.	329865	3029.	338169	3110.	345329
2868.	323730	2949.	329942	3030.	338249	3111.	345338
2869.	323854	2950.	330079	3031.	339003	3112.	345346
2870.	323947	2951.	330166	3032.	339047	3113.	345357
2871.	324032	2952.	330304	3033.	339058	3114.	345369
2872.	324036	2953.	330340	3034.	339097	3115.	345544
2873.	324077	2954.	330357	3035.	339126	3116.	345611
2874.	324121	2955.	330449	3036.	339294	3117.	346060

S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.	S.No.	Roll No.
3118.	346090	3163.	351072	3207.	355227
3119.	346105	3164.	351112	3208.	355246
3120.	346225	3165.	351174	3209.	355334
3121.	346583	3166.	351237	3210.	355479
3122.	346587	3167.	351265	3211.	355563
3123.	346730	3168.	351284	3212.	355617
3124.	347141	3169.	351330	3213.	355920
3125.	347179	3170.	351346	3214.	355937
3126.	347184	3171.	351502	3215.	356093
3127.	347191	3172.	351537	3216.	356299
3128.	347238	3173.	351546	3217.	356573
3129.	347268	3174.	351617	3218.	356924
3130.	347275	3175.	351634	3219.	359164
3131.	347412	3176.	351647	3220.	359466
3132.	347446	3177.	351659	3221.	359830
3133.	347610	3178.	351661	3222.	359899
3134.	347622	3179.	351664	3223.	359929
3135.	347650	3180.	351682	3224.	359938
3136.	347736	3181.	351684	3225.	359975
3137.	347904	3182.	351778	3226.	360109
3138.	348274	3183.	351966	3227.	360205
3139.	348570	3184.	351998	3228.	360220
3140.	348861	3185.	352008	3229.	360263
3141.	349025	3186.	352041	3230.	360349
3142.	349043	3187.	352067	3231.	360450
3143.	349112	3188.	352152	3232.	360624
3144.	349289	3189.	352185	3233.	360673
3145.	349369	3190.	352235	3234.	360814
3146.	349456	3191.	352263	3235.	360830
3147.	349726	3192.	352312	3236.	360906
3148.	349850	3193.	352551	3237.	360910
3149.	349889	3194.	352682	3238.	361323
3150.	350213	3195.	353036	3239.	361341
3151.	350262	3196.	353093	3240.	361371
3152.	350292	3197.	353664	3241.	361480
3153.	350378	3198.	353712	3242.	361683
3154.	350431	3199.	354109	3243.	361779
3155.	350476	3200.	354320	3244.	361853
3156.	350548	3201.	354425	3245.	362109
3157.	350826	3202.	354434	3246.	362131
3158.	350863	3203.	354638	3247.	362216
3159.	350881	3204.	354706	3248.	362239
3160.	350971	3205.	354777	3249.	362287
3161.	351006	3206.	354916	3250.	362321
3162.	351060				

महत्वपूर्ण टीप :-

1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णत: प्रावधिक हैं। यदि अभ्यर्थी राज्य सेवा परीक्षा-2022 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वत: समाप्त हो जाएगी।
2. आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक अनारक्षित व केतु प्राप्तांकों के बराबर या अधिक हैं उन्हें नियमानुसार मुख्य तथा प्रावधिक दोनों ही भागों में अनारक्षित वर्ग में लघुसूचीकृत किया गया है।
3. महिला आरक्षण में आरक्षित वर्ग की वे महिला अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के प्राप्त के बराबर या अधिक है उन्हें नियमानुसार मुख्य तथा प्रावधिक दोनों ही भागों में अनारक्षित वर्ग में लघुसूचीकृत किया गया है।
4. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2022 की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
5. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
6. ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
7. मुख्य परीक्षा हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
8. उपरोक्तानुसार जारी प्रावधिक लिखित परीक्षा परिणाम का अंतिम चयन परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. - 5901/2019 एवं समान अन्य याचिकाओं एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक- एस.एल.पी. 12398/2023 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
9. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है. तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2022 की अंतिम उत्तरकुंजी अनुसार परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र में से कोई प्रश्न विलोपित नहीं किया गया है। अत: द्वितीय प्रश्न पत्र के कुल 100x2 = 200 अंकों के आधार न्यूनतम उत्तीर्णांक की गणना की गई है एवं प्रथम प्रश्न पत्र के कुल 100 प्रश्नों में से कुल 02 प्रश्न विलोपित करने के उपरांत शेष - 98 प्रश्नों के कुल 98x2 = 195 अंकों के आधार पर मेरिट गुणानुक्रम की गणना की गई है।

उप परीक्षा नियंत्रक

जी-16621/R-48810/2023

श्रीकंवरतारा साईंस एण्ड कॉमर्स महाविद्यालय मण्डलेश्वर जिला खरगोन

(श्रीकंवरतारा छाजेड़ पारमार्थिक न्यास बड़वाह द्वारा संचालित)
(उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. से मान्यता एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर से संबद्धता प्राप्त)

आवश्यकता है

प्राचार्य : 01 पद
योग्यता : पीएच.डी. (15 वर्ष का अनुभव)
प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक - गणित, वाणिज्य, अंग्रेजी, हिन्दी, कम्प्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र, बीज प्रौद्योगिकी, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, बायोटेक्नालॉजी, समाज कार्य।
पुस्तकालय : ग्रंथपाल।
आवश्यक योग्यता : यू.जी.सी./एआईसीटीई एवं उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन (कॉलेज कोड-28) के नियमानुसार नेट/पीएच.डी. अनिवार्य।
वेतनमान : यू.जी.सी. नियमानुसार।
पता : श्रीकंवरतारा महाविद्यालय श्रीनगर कॉलोनी मण्डलेश्वर
जिला : खरगोन - 451221 (मध्यप्रदेश), संपर्क : 9669696249
ई-मेल : shrikanwartaracollege060@gmail.com

आर - 48826/2023

कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (B. Arch.) एवं एम. आर्किटेक्चर (M. Arch.) पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु
(मध्यप्रदेश में स्थित अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय/निजी संस्थान)

ऑनलाइन काउंसलिंग समय सारणी, सत्र 2023-24 (C-15)

गतिविधियां	दिनांक/समय
प्रथम चरण	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निरस्त	**18.07.2023 से 26.07.2023 सायं 5:00 बजे तक**
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरान्त, ऑनलाइन सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, जो केवल एक बार के लिये ही रहेगी।	**27.07.2023 से 28.07.2023 सायं 5:00 बजे तक**
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना। प्राथमिकता क्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी।	**19.07.2023 से 31.07.2023 रात्रि 11:45 बजे तक**
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता सूची।	**01.08.2023**
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश।	**07.08.2023 से 11.08.2023 सायं 5:00 बजे तक**
द्वितीय चरण	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निरस्त	**08.08.2023 से 12.08.2023 सायं 5:00 बजे तक**
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरान्त, ऑनलाइन सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, जो केवल एक बार के लिये ही रहेगी।	**13.08.2023 से 14.08.2023 सायं 5:00 बजे तक**
इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना। प्राथमिकता क्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी।	**09.08.2023 से 16.08.2023 रात्रि 11:45 बजे तक**
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता सुची।	**17.08.2023**
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश।	**22.08.2023 से 26.08.2023 सायं 5:00 बजे तक**
उपरोक्त काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC)	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	**इच्छुक संस्था में प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिये उपस्थित होना।**
27.08.2023 से 31.08.2023 रात्रि 11:45 बजे तक	**29.08.2023 एवं 31.08.2023 प्रातः 10:30 बजे**

- बी.आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नाटा (NATA) एवं अर्हकारी परीक्षा (हायर सेकेण्डरी स्कूल 12वीं) के प्राप्तांकों की संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन जारी किये जायेंगे।
- एम.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा बी. आर्किटेक्चर की परीक्षा में प्राप्तांकों की मेरिट सूची के आधार पर आवंटन जारी किये जायेंगे।
- प्रवेश नियम, विस्तृत समय-सारणी, अभ्यर्थी के लिये महत्वपूर्ण निर्देश, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची आदि वेबसाइट **dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।
- संस्था स्तर की काउंसलिंग के लिये निर्धारित तिथि पर संस्था में **प्रातः 10:30 से दोपहर 1:00 बजे तक** उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार कर, तदुपरान्त मेरिट के अनुसार प्रवेश किये जायेंगे।
- काउंसलिंग के किसी भी चरण में प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करने की अंतिम दिनांक/समय से आंवटन जारी होने तक प्रवेश निरस्ती करण की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।

संपर्क : 0755-6720205, 2660441, ईमेल : dte.helpcenter@mp.gov.in

R-48830/2023 म.प्र. माध्यम/110880/2023

अध्यक्ष, काउंसलिंग समिति संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

टैगोर छात्रावास, क्रमांक टी-2, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002
Phone No. : 0755-2660441
E-mail : ctemp.bpl@mp.gov.in, dte4.academic@mp.gov.in
क्रमांक : 4/शैक्ष./बी/2023/काउं./ भोपाल, दिनांक : 18.07.2023

संशोधित सूचना

एम.आर्क. पाठ्यक्रम में ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश

अध्यक्ष, काउंसलिंग समिति संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा सूचना क्रमांक/4/शैक्ष./बी/2023/काउं./950, दिनांक 14.07.2023 के माध्यम से एम.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सूचना जारी की गई थी; साथ ही मध्यप्रदेश माध्यम के विज्ञापन क्रमांक म.प्र. माध्यम/110880/2023 के द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में एम.आर्क. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु समय-सारणी, सत्र 2023-24 (C-15) जारी की गई। जारी सूचना एवं समय-सारणी में एम.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रावधान को निम्नानुसार पढ़ा जावे :-
''एम.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रथमत: वैध गेट स्कोर तत्पश्चात् सीटें रिक्त रहने पर अर्हकारी परीक्षा (बी.आर्क.) के प्राप्तांकों की मेरिट सूची के आधार पर किये जावेंगे।''

म.प्र. माध्यम/110909/2023 R-48831/2023 **संयुक्त संचालक**

M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(Government of Madhya Pradesh Undertaking)
Regional Office : 101, First Floor, ATULYA IT Park, Near Crystal IT Park
Khandwa Road, INDORE-452001 (M.P.), Phone : (O) 2970611, 2971311, 2974363
Fax No. : 0731-2972629, E-mail : indoreakvn@gmail.com, www.invest.mp.gov.in
No. MPIDC/R.O.-INDORE/TECH/2023/6006 Date : 17.07.2023

NOTICE INVITING TENDER

MPIDC Regional office Indore (formerly known as MPAKVN(I) Ltd., Indore) invites online Percentage Rate tender from eligible contractors registered in MPPWD and having relevant experience individually through e-portal : **https://www.mptenders.gov.in** as mentioned below:

S. No.	Name of Work	PAC	Cost of Tender Form	EMD	Last Date of Submission
1.	Providing and Laying Street Light work i/c Operation and Maintenance for the period of 2 years at I/A No. 02, Distt. Dewas (M.P.)	Rs. 40.67 Lakhs+ GST	Rs. 5900/- i/c GST	Rs. 40670/-	07.08.2023

Detailed NIT along with other details can be viewed on above mentioned portals.
Note : The NIT will be uploaded on website of e-procurement system - **http://www.mptenders.gov.in** within 3 days from publication in newspaper.

M.P. Madhyam/110869/2023 R-48829/2023 **EXECUTIVE ENGINEER**

मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

MPMETRO

(भारत सरकार एवं म.प्र. शासन का संयुक्त उपक्रम)
द्वितिय तल, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफिस बिल्डिंग
कालीबाड़ी रोड, भेल, सेक्टर-ए, बरखेड़ा, भोपाल-462022

भर्ती के लिए विज्ञापन

मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MPMRCL), भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम, भोपाल मेट्रो रेल परियोजना और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को मध्यप्रदेश राज्य में क्रियान्वित कर रहा है।
तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु MPMRCL द्वारा विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित है :-

OPERATION & MAINTENANCE (O&M) OF BHOPAL & INDORE METRO RAIL PROJECT

नियुक्तियां MPMRCL के नियमों एवं शर्तों पर संविदा के आधार पर होगी। यह विज्ञापन केवल सांकेतिक है। रिक्त पदों का विस्तृत विवरण एमपीएमआरसीएल वेबसाइट **www.mpmetrorail.com** के कैरियर विकल्प में उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया विज्ञापन क्रमांक No. 1935/HRD/MPMRCL-035/2023 दिनांक 21.07.2023 देखें।
रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की **अंतिम तिथि 31 अगस्त 2023** है।

म.प्र. माध्यम/110944/2023 R-48833/2023 **प्रबंध संचालक**

MADHYA PRADESH BUILDING DEVELOPMENT CORPORATION

(An Agency of Govt. of M.P., Public Works Department)
16-A, CEDMAP Building, Arera Hills, Bhopal (M.P.)-462011
Telephone No. : 0755-4853297, 0755-4853295
Email : einc-mpbdc@mp.gov.in, ajay.nagaria@mp.gov.in
NIT No. : 1982/GM/BDC/CW/23/NIT-34 Bhopal, Dated : 21.07.2023

NOTICE INVITING TENDER

Madhya Pradesh Building Development Corporation invites online tender for the following works in various Districts of Madhya Pradesh :-

S. No.	Name of Work	Probable Amount of Contract (PAC) in Lacs	Completion Period in Months Including Rainy Season
1.	Construction of CM Rise H.S. School, Patan, District Jabalpur **Package No. : 070/2023/ CMRISE/BDC/Jabalpur**	2895.58	18

From bidders registered in M.P. PWD Department under appropriate category. Detailed NIT and tender documents can be viewed and purchased online only from **25.07.2023 (18:00 hrs.) to 16.08.2023 (15:30 hrs.)** from website **www.mptenders.gov.in**

M.P. Madhyam/110971/2023 R-48835/2023 **MANAGING DIRECTOR**

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड

भदभदा रोड, भोपाल (म.प्र.) 462003
क्रमांक- मप्रपुआ.एवं अविनि/580/2023, भोपाल, दिनांक : 20.07.23

प्रेस विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम में रिक्त कार्यालय अधीक्षक के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु, अधिवार्षिकीय आयु पर सेवानिवृत्त ऐसे अधिकारियों, जिन्होंने मुख्य लिपिक या समकक्ष पद सेवा के दायित्वों का निर्वहन किसी शासकीय विभाग, निगम/मण्डल में निष्ठापूर्वक सम्पादित किया हो, से **दिनांक 31.07.2023 तक** आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त संविदा पद की अर्हता, अनिवार्य एवं सामान्य शर्तें, आवेदन पत्र का प्रारूप कार्पोरेशन की वेबसाइट **www.policehousing.mp.gov.in** पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।

म.प्र. माध्यम/110953/2023 R-48834/2023 **प्रबंध संचालक**

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 5449/20/2022/चयन इन्दौर, दिनांक 14.07.2023

पदनाम-शल्य क्रिया विशेषज्ञ

चयन - सूची (मुख्य भाग - 87 प्रतिशत)

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 09/2022 दिनांक 17.08.2022 एवं समय-समय पर जारी शुद्धिपत्रादि, सूचनाओं आदि के संदर्भ में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विज्ञापित पद- **शल्य क्रिया विशेषज्ञ** के कुल 159 पद (अनारक्षित-43, अ.जा.-25, अ.ज.जा.-32, अ.पि.वर्ग-43 ई.डब्ल्यू.एस.-16) इनमें से महिलाओं हेतु आरक्षित पद - अनारक्षित-14, अ.जा.-08, अ.ज.जा.-11 अ.पि.वर्ग-14, ई.डब्ल्यू.एस.-05 (कुल विज्ञापित पदों में से दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद-अस्थिबाधित-03, दृष्टिबाधित-02, श्रवणबाधित-02 एवं बहु-दिव्यांग-03 पद आरक्षित) विज्ञापित किए गए हैं। उक्त पदों की पूर्ति के लिए अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार **दिनांक 04.07.2023 से 05.07.2023 तक** आयोजित किए गए।

2. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें के पत्र क्रमांक/1-जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/2022/1655 दिनांक 18.11.2022 में उल्लेखित रिक्ति विवरण के अनुसार आयोग द्वारा विज्ञापित शुद्धि पत्र क्रमांक 01/09/2022 दिनांक 24.11.2022 के माध्यम से उपरोक्त विज्ञापन क्रमांक 09/2022 दिनांक 17.08.2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का 87 प्रतिशत मुख्य भाग एवं 13 प्रतिशत प्रावधिक भाग की रिक्तियों का पद विभाजन विज्ञापित किया गया है जिसके अनुसार, चयन परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग के रूप में घोषित किया जाना प्रावधानित किया गया है। चयन परिणाम केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) का घोषित किए जाने के प्रावधान के तहत मुख्य भाग हेतु पुनरीक्षित रिक्तियों का विवरण निम्नांकित तालिका में अंकित है। प्रावधिक भाग-13 प्रतिशत में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या निरंक होने के परिणामस्वरूप पृथक से प्रावधिक भाग का चयन परिणाम जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. अतएव साक्षात्कार में प्राप्तांकों के गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) की चयन सूची घोषित की जाती है :-

1. शल्य क्रिया विशेषज्ञ (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

पद विवरण तालिका (मुख्य भाग - 87 प्रतिशत)

	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ई.डब्ल्यू.एस.	योग
कुल पदों की संख्या	43	25	32	22	16	**138**
इनमें से महिलाओं के लिए आरक्षित पद	14	8	11	7	5	

कुल पदों में से अस्थिबाधित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	3
कुल पदों में से दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	2
कुल पदों में से श्रवणबाधित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	2
कुल पदों में से बहु-दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	3

मुख्य सूची

स. क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग		Seat	श्रेणी
1	7797	SHUBHAM ASHOK LILHARE	M		UNR	UNR
2	7814	RAJEEV KANERIA	M		UNR	SC
3	7835	PRAVIN AGRAWAL	M	प्रावधिक	UNR	UNR
4	7755	SAKSHAM KUMAR	M	प्रावधिक	UNR	UNR
5	7773	SOUMYE RAGHUWANSHI	M	प्रावधिक	UNR	UNR
6	7822	LOKESH PUROHIT	M		UNR	UNR
7	7709	ANAMIKA SHUKLA	F	प्रावधिक	UNRF	UNR
8	7833	HARDIK NAYAK	M	प्रावधिक	UNR	UNR
9	7786	ABHISHEK KUMAR SINGH	M		UNR	UNR
10	7808	SARVESH MAHESHWARI	M		UNR	UNR
11	7815	AKRITI PATIDAR	F	प्रावधिक	UNRF	UNR
12	7722	RAHUL KUMAR	M		UNR	UNR
13	7829	PRANAY DIXIT	M	प्रावधिक	UNR	UNR
14	7813	PUSHPENDRA JATAV	M		UNR	SC
15	7807	PRABUDDH GODRE	M	प्रावधिक	UNR	UNR
16	7761	SANDEEP GAUTAM	M	प्रावधिक	UNR	UNR
17	7782	HARI OM SINGH	M	प्रावधिक	UNR	UNR
18	7832	MUDIT PATHAK	M	प्रावधिक	UNR	UNR
19	7735	SAURABH GAUTAM	M		UNR	SC
20	7746	NITESH CHAUKIKAR	M		UNR	SC
21	7792	SUDEEP NAGORI	M		UNR	UNR
22	7718	ROHIT DUBEY	M		UNR	UNR
23	7811	ANKIT JOSHI	M	प्रावधिक	UNR	UNR
24	7806	ANKIT JAIN	M		UNR	UNR
25	7817	VIJAY PATIDAR	M		UNR	OBC
26	7738	SATYAM SONI	M		UNR	OBC
27	7800	ANIKET SINGH	M	प्रावधिक	UNR	UNR
28	7812	PRATEEK BHARDWAJ	M	प्रावधिक	UNR	UNR
29	7762	PAWAN GAUTAM	M	प्रावधिक	UNR	SC
30	7801	AMIT TIWARI	M	प्रावधिक	UNR	UNR
31	7775	RISHABH JOSHI	M		UNR	UNR
32	7753	BADRI PRASAD PATEL	M		OBC	OBC
33	7809	ANMOL SAMBARE	M	प्रावधिक	OBC	OBC
34	7831	ANIL KUMAR SHARMA	M		EWS	EWS
35	7805	DEEPAK SINGH RAGHUWANSHI	M	प्रावधिक	EWS	EWS
36	7776	AASHISH RATHOD	M	प्रावधिक	OBC	OBC
37	7705	JITENDRA RAWAT	M		OBC	OBC
38	7825	NAMRATA MISHRA	F		UNRF	UNR
39	7754	SANTOSH ROSHAN	M		SC	SC
40	7788	GAURAV VERMA	M	प्रावधिक	OBC	OBC
41	7818	GAMBHIR PATEL	M	प्रावधिक	OBC	OBC
42	7759	VIRENDRA PACHOLE	M		SC	SC
43	7702	SANDEEP THAKUR	M	प्रावधिक	OBC	OBC
44	7794	MANOJ KUMAR CHAUDHARY	M		OBC	OBC
45	7820	VIKAS SINGH	M	प्रावधिक	OBC	OBC
46	7744	PARAS NATH SAHU	M		OBC	OBC
47	7731	RAKESH DAWAR	M		ST	ST
48	7712	DEEPAK RATHOR	M		ST	ST
49	7733	ANIL KUMAR YADAV	M	प्रावधिक	OBC	OBC
50	7717	PRATAPBHANU MANDLOI	M	प्रावधिक	ST	ST
51	7796	RAJESH KUMAR KOL	M	प्रावधिक	ST	ST
52	7799	NEELAM KUMAR SONI	M	प्रावधिक	OBC	OBC
53	7715	PRATIK CHAUDHARI	M	प्रावधिक	OBC	OBC
54	7752	PRIYESH ROKDE	M		ST	ST
55	7701	RAJKUMAR SINGH JAT	M		OBC	OBC
56	7778	PRATIK PATEL	M	प्रावधिक	OBC	OBC
57	7742	PRATEEK PRAJAPATI	M		SC	SC
58	7749	RAVINDRA SINGH GOUND	M	प्रावधिक	ST	ST
59	7827	CHETAN CHOUHAN	M	प्रावधिक	ST	ST
60	7708	SHAILENDRA SINGH NARGESH	M	प्रावधिक	ST	ST
61	7728	BHUPENDRA PARMAR	M		OBC	OBC
62	7766	NANDKISHOR JATAV	M	प्रावधिक	UNRHO अस्थिबाधित	SC
63	7730	CHANDRA SHEKHAR AMB	M	प्रावधिक	SC	SC
64	7772	GAURAWKANT GIRWAL	M	प्रावधिक	ST	ST
65	7741	ANJALI YADAV	F		UNRF	OBC
66	7802	GAURAV PATIDAR	M	प्रावधिक	OBC	OBC
67	7757	GAURAV YADAV	M		OBC	OBC
68	7780	HARSH SAHU	M		OBC	OBC
69	7790	ANIL CHOUHAN	M	प्रावधिक	ST	ST
70	7793	SAPNA PATIDAR	F	प्रावधिक	OBCF	OBC
71	7821	ABHISHEK SAGAR	M		SC	SC
72	7769	SIDDHARTHA SHINDE	M		SC	SC
73	7824	SHIVAM DIWAN	M	प्रावधिक	SC	SC
74	7745	RAHUL KUMAR ATODE	M		SC	SC
75	7739	JUHI BISEN	F		OBCF	OBC
76	7734	CHANDRA PRAKASH	M		SC	SC

अनुपूरक सूची

स. क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग		श्रेणी
1	7704	SHIVAM UPADHYAY	M	प्रावधिक	UNR
2	7810	JAYDIPSINH KANUBHAI KATHOTA	M	प्रावधिक	UNR
3	7743	DEVENDRA BHAYAL	M	प्रावधिक	UNR
4	7777	GAURAV BAJPAI	M	प्रावधिक	UNR
5	7747	APOORV CHAUHAN	M	प्रावधिक	UNR
6	7732	UPENDRA SINGH	M		UNR
7	7750	SANJAY ANIL RATHORE	M		UNR
8	7781	ABHAY SAINI	M	प्रावधिक	UNR
9	7736	SHEIKH BEHRAM	M		UNR
10	7703	SURAJ KASTWAR	M		UNR
11	7774	HEMANT THANNA	M	प्रावधिक	OBC
12	7803	RAVI PRATAP SINGH	M		OBC
13	7720	RAHUL SAKALLE	M		OBC
14	7721	SANJAY DEV VISHWAKARMA	M		OBC
15	7779	HARSH NAMDEO	M	प्रावधिक	OBC
16	7710	HIMANSHU CHOYAL	M		OBC
17	7765	DEEPANSHU SAHU	M		OBC

टीप :-

1. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2000 में दिए निर्देशों के तहत अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किए गए हैं जो कि हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किए हों। किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किए बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया जाना प्रावधानित है।
2. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-2/97/3/एक भोपाल, दिनांक 10.02.1997 की कंडिका 05 के परिपालन में घोषित की गई चयन सूची में पर्याप्त संख्या में महिला अभ्यर्थी अनुपलब्ध होने की दशा में महिलाओं हेतु आरक्षित पदों को संबंधित प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरे जाने का प्रावधान प्रावधानित है।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
4. कुल विज्ञापित पदों में से शुद्धिपत्र दिनांक 24.11.2022 में उल्लेखित मुख्य भाग - 87 प्रतिशत हेतु विज्ञापित कुल 138 पदों में से 52 पद (अ.जा.-16, अ.ज.जा.-22 एवं ई.डब्ल्यू.एस.-14) आवेदक उपलब्ध नहीं होने के कारण पद रिक्त रहे हैं। कुल विज्ञापित पदों में से दिव्यांग श्रेणी हेतु 10 पद (अ.बा.-03, श्र.बा.-02, दृ.बा.-02, बहु-दि.-03 पद) विज्ञापित हैं परन्तु दिव्यांग श्रेणी हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण (अ.बा.-02,

(शेष अगले पृष्ठ पर)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, भवन नियंत्रक विधानसभा
राजधानी संभाग क्र.-3, लोक निर्माण विभाग,
ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल, फोन : 0755-2463894

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदाएं, मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग में उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों (ठेकेदारों की श्रेणी कॉलम में उद्धृत अनुसार) से आमंत्रित की जाती हैं। कार्य की निविदाएं पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्राप्त की जा सकती हैं। विभाग किसी भी प्रकार के डाक विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा।

क्र. एवं कार्य का नाम : 1. वार्षिक मरम्मत के अन्तर्गत विधानसभा भवन सेक्टर 2, 3, 4 एवं अन्य क्षेत्र के कॉरीडोर लॉबी एवं चेम्बर में सॉटिन पेन्ट करने का कार्य।

एन.आई.टी. क्र.	1. कार्य की अनुमानित लागत 2. अमानत राशि	कोरे निविदा प्रपत्र विक्रय का समय एवं अंतिम दिनांक	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्राप्ति का दिनांक एवं कार्यालय	निविदा प्रपत्र खोलने का दिनांक एवं कार्यालय	(1) कार्य पूर्ण करने की अवधि (2) ठेकेदारों की श्रेणी (3) आमंत्रण क्र.
62/23-24 व.ले.लि. दि. 14.07.2023	1. रु. 9,90,974/- 2. रु. 19819/-	**24.7.2023** सायं 5.30 तक	रु. 2000/-	(1) 27.7.2023 अपराह्न 3.00 बजे तक (2) कार्यपालन यंत्री भवन नियंत्रक विधानसभा राजधानी संभाग क्र.-3 लो.नि.वि. भोपाल।	(1) 28.7.2023 समय 3.30 बजे। (2) कार्यपालन यंत्री भवन नियंत्रक विधानसभा राजधानी संभाग क्र.-3 लो.नि.वि. भोपाल।	(1) 03 माह (2) केन्द्रीयकृत एकल पंजीयन प्रणाली (3) प्रथम आमंत्रण।
2. वार्षिक मरम्मत के अन्तर्गत विधानसभा भवन गेट क्र.-2 एन्ट्रेंस प्लेटफार्म एवं एन्ट्रेंस पार्किंग के अन्य क्षेत्र का सुधार एवं नवीनीकरण कार्य।						
63/23-24 ब.ले.लि. दि. 14.07.2023	1. रु. 9,88,790/- 2. रु. 19786/-	तदैव	रु. 2000/-	तदैव	तदैव	(1) 03 माह (2) तदैव (3) तदैव
3. वार्षिक मरम्मत के अन्तर्गत विधानसभा भवन में माननीय मुख्यमंत्री प्रवेश के पोर्च का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण कार्य।						
64/23-24 व.ले.लि. दि. 14.07.2023	1. रु. 9,54,913/- 2. रु. 19098/-	तदैव	रु. 2000/-	तदैव	तदैव	(1) 03 माह (2) तदैव (3) तदैव
4. वार्षिक मरम्मत के अन्तर्गत विधानसभा भवन के ऑडीटोरियम का वी.वी.आई.पी. गेट के पोर्च का सुधान एवं नवीनीकरण कार्य।						
65/23-24 व.ले.लि. दि. 14.07.2023	1. रु. 9,82,660/- 2. रु. 19098.00	तदैव	रु. 2000/-	तदैव	तदैव	(1) 03 माह (2) तदैव (3) तदैव
5. वार्षिक मरम्मत के अन्तर्गत विधायक विश्राम गृह खण्ड क्र.-2 में कॉरीडोर एवं अन्य क्षेत्र में एस.एस. मासकिटो नेट का सुधार, प्रदाय एवं स्थापित किये जाने का कार्य।						
66/23-24 व.ले.लि. दि. 14.07.2023	1. रु. 9,86,6860/- 2. रु. 19734/-	तदैव	रु. 2000/-	तदैव	तदैव	(1) 03 माह (2) तदैव (3) तदैव

(1) कोरे निविदा प्रपत्र निर्धारित राशि का भुगतान कर कार्यालय कार्यपालन यंत्री भवन नियंत्रक विधानसभा राजधानी संभाग क्र.-3 लो.नि.वि. भोपाल से कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। उक्त राशि वापसी योग्य नहीं है। (2) निविदा की वैधता खोले जाने की दिनांक से 120 दिन तक होगी। (3) यदि निविदा प्राप्त होने/खोलने का दिवस शासकीय अवकाश होता है, तो अगले कार्य दिवस में कार्यवाही संपादित की जावेगी। (4) निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करते समय निर्धारित आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है, यदि निर्धारित दस्तावेज ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसकी निविदा खोली नहीं जावेगी। (i) म.प्र. लो.नि.वि. में उपयुक्त श्रेणी में वैध पंजीयन (ii) पेन कार्ड (iii) नो रिलेशन सर्टिफिकेट (iv) जी.एस.टी. पंजीयन (v) निविदा प्रपत्र अनुसार शपथ पत्र (vi) ई.पी.एफ. पंजीयन। (5) कार्य की अन्य शर्तों के बाबत् जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

कार्यपालन यंत्री
भवन नियंत्रक विधानसभा, राजधानी
संभाग क्र.-3 लोक निर्माण विभाग
ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल, 0755-2463894

जी-17050/48838/2023

ऑनलाइन आवेदन कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं - मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

भोपाल, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश श्री अनुपम राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए मतदाताओं को ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाना होगा। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, हटाने के लिए फॉर्म-7 और संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। इसके अलावा मतदाता अपने फॉर्म की स्थिति, मतदाता सूची में उसका नाम जुड़ा है या नहीं, उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र, पोलिंग स्टेशन और बूथ लेवल अधिकारी के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

वोटर हेल्पलाइन एप

भारत निर्वाचन आयोग के voters.eci.gov.in पोर्टल की तरह वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भी भारत निर्वाचन आयोग का ही एप है। इसे मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना होगा। वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी मतदाता को नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, हटाने के लिए फॉर्म-7 और संशोधन के लिए फॉर्म-8 ऑनलाइन भरना होगा।

ऑफलाइन के लिए बीएलओ से करें संपर्क

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने बताया कि मतदाता ऑफलाइन भी आवेदन देकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवेदन भरकर अपने मतदान केंद्र के बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) के पास जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि 2 अगस्त से शुरू हो रहे मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान सभी बीएलओ अपने अपने मतदान केंद्र पर कार्यालयीन समय पर सुबह से शाम तक बैठेंगे। मतदाता वहां पर जाकर आवेदन दे सकते हैं।

घर पहुंचेगा मतदाता परिचय पत्र

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं का परिचय पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से घर तक पहुँचाने की सुविधा प्रदान की है। मतदाता सूची में नाम जुड़ जाने के बाद संबंधित मतदाता का मतदाता परिचय पत्र स्पीड पोस्ट के माध्मय से उनके द्वारा दिए गए पते पर पहुँचेगा। वोटर आईडी कार्ड के लिए मतदाता को परेशान भी नहीं होना पड़ेगा।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, राजधानी संभाग क्रमांक-2
लोक निर्माण विभाग, भोपाल

क्रमांक 2379/व.ले.लि./सी.2/2023 **भोपाल, दिनांक 17.07.2023**

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु म.प्र. लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन निर्माण हेतु जारी एस.ओ.आर. जो कि दिनांक 15.09.2022 से लागू किया गया है की दर अनुसूची (तथा निविदा सूचना जारी होने तक उसमें किये गये संशोधनों सहित) पर मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यालय में निविदाएं पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की जावेंगी। विभाग पोस्टल विलंब के लिये जिम्मेदार नहीं होगा।

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. वल्लभ भवन भोपाल में ब्लॉक-2 के भूतल में पोस्ट कन्स्ट्रक्शन एन्टीटर्माइट ट्रीटमेन्ट का कार्य।

निविदा प्रपत्र की राशि (रु.)	(1) ठेके की अनु. राशि (रु.) (2) अमानत राशि (रु.)	कोरे निविदा प्रपत्र विक्रय का समय एवं दिनांक	(1) निविदा प्राप्ति का दिनांक (2) कार्यालय	(1) निविदा खोलने का दिनांक (2) कार्यालय	(1) कार्य पूर्ण करने की अवधि (2) आमंत्रण क्र.
2000/-	(1) 9.30 लाख (2) 18,600/-	26.07.23 को सायं 5.00 बजे तक	(1) 27.07.2023 को सायं 3.00 बजे तक (2) कार्या. कार्यपालन यंत्री, राजधानी संभाग क्र.-2, लोक निर्माण विभाग, भोपाल	(1) 27.07.2023 को सायं 3.30 बजे (2) कार्या. कार्यपालन यंत्री, राजधानी संभाग क्र.-2, लोक निर्माण विभाग, भोपाल	(1) 3 माह वर्षाकाल सहित (2) प्रथम आमंत्रण

टीप : 1. कोरे निविदा प्रपत्र निर्धारित राशि के भुगतान कर कार्यपालन यंत्री, राजधानी संभाग क्रमांक-2, लोक निर्माण विभाग, भोपाल कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। उक्त राशि वापसी योग्य नहीं है। 2. निविदा की वैधता खोले जाने की दिनांक से 120 दिन तक की होगी। 3. यदि निविदा प्राप्त होने/खोलने का दिवस शासकीय अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस में कार्यवाही संपादित की जावेगी। 4. निविदा प्रपत्र क्रय के लिये निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है, यदि निर्धारित दस्तावेज ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो निविदा प्रपत्र उन्हें नहीं दिया जावेगा। (i) लोक निर्माण विभाग में वैध पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति। फर्म होने की दशा में साझेदारी की डीड एवं पावर ऑफ एटार्नी की प्रति। (ii) आयकर चुकता प्रमाण पत्र की प्रति। (iii) जी.एस.टी.एन. पंजीयन प्रमाण पत्र। (iv) निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र।

कार्यपालन यंत्री
राजधानी संभाग क्रमांक-2
लोक निर्माण विभाग, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

जी-17037/48837/2023

देश-प्रदेश के तेज विकास में सरकार के साथ समाज का भी योगदान - मुख्यमंत्री

राजगढ़, देश-प्रदेश को तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में सरकार के साथ ही समाज का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने कहा कि समाज में पल रही कुरीतियों को समाप्त करने के लिए और प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सभी को आगे आना होगा। सबके सहयोग से ही प्रदेश का तेजी से विकास संभव है।

उन्होंने नागरिकों से समाज की गलत परंपराओं को समाप्त करने में सहयोग करने का आह्वान भी किया। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास पर्व के अवसर पर ब्यावरा में अखंड परमधाम आश्रम में क्षेत्र के प्रबुद्धजन से संवाद करते हुए कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब मध्यप्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 11 हजार रुपये हुआ करती थी। आज औसत प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 42 हजार रुपये हो गई हैं। मध्यप्रदेश में पहले साल भर का सकल घरेलू उत्पादन 71 हजार करोड़ रुपये होता था, जो आज बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। वर्ष 2004-2005 से पहले प्रदेश में सभी प्रकार के लगभग 100 मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन होता था, जो आज बढ़कर 700 करोड़ मीट्रिक टन हो गया है। पहले साढ़े 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था थी, आज 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था हो चुकी है। पहले बिजली का उत्पादन 28 मेगावॉट हुआ करता था, जो कि आज बढ़कर 28000 मेगावॉट तक हो गया है। प्रदेश में बनीं 4 लाख 11 हजार किलोमीटर की सड़कों का लाभ मध्यप्रदेश के लोगों को मिल रहा है।

श्री चौहान ने कहा कि कुंडलिया, मोहनपुरा जैसी अनेक सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से राजगढ़ जिले के गांव-गांव में सिंचाई के लिए पाइप लाइन से पानी पहुंचाया जा रहा हैं।

श्री चौहान ने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं। आज शाजापुर जिले के गुलाना में सीएम राइज स्कूल का लोकार्पण किया गया है। इन स्कूलों में बच्चों को निजी स्कूलों से भी बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इन स्कूलों में लायब्रेरी, लैब, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड के साथ ही बच्चों को गांव-गांव से स्कूल तक लेकर आने और स्कूल के बाद पुनः घर तक छोड़ने के लिए वाहन की सुविधा भी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले राज्य में पांच मेडिकल कॉलेज थे जो अब 25 हो गये हैं। पहले किसानों को 16 से 18 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाता था, जिसे धीरे-धीरे घटाकर शून्य तक लाकर और आज किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्रदान किया जा रहा है। किसान सम्मान निधि योजना में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 6-6 हजार रुपये की राशि किसानों को प्रदान की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में महिलाओं को भी प्रतिमाह 1000 रुपये की राशि दी जा रही है।

प्रदेश में जन्म लेने वाली लाड़ली लक्ष्मी बेटियों के जन्म से लेकर शादी तक के लिए प्रदेश सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रदेश में अनेक हितग्राहीमूलक योजनाएं बनाकर सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब वायुयान से भी तीर्थ-यात्रा कराई जा रही है।

श्री चौहान ने कहा कि अपने गांव से दूसरे गांव स्कूल जाने वाले कक्षा 6वीं एवं 9वीं के छात्र-छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए 4500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में युवाओं को पसंदीदा क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बदले उन्हें स्टायपेंड भी प्रदान किया जाएगा।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

श्र.बा.-02, दृ.बा.-02, बहु-दि.-03 पद) कुल 09 पद रिक्त रहे हैं। शासन निर्देश के परिपालन में दिव्यांगजनों के पद रिक्त रहने की स्थिति में अनारक्षित वर्ग के विज्ञापित पदों में से उतने ही पद रिक्त रखे जाने का प्रावधान है। अतः कुल 09 पद दिव्यांगजनों के रिक्त पद के विरुद्ध अनारक्षित वर्ग से रिक्त रखे गए हैं। इस प्रकार कुल 52 + 09 = 61 पद रिक्त रहे हैं।

5. घोषित चयन परिणाम मान. उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019 एवं डब्ल्यू.पी. 27744/2022 एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
6. न्यायालयीन प्रकरण वाले अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मान. न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रखे जाकर रोके गए हैं।

जी-17064/48839/2023 **सचिव**

क्रमांक 2715001/2014/ई.डी.पी./ई-टेंडरिंग/406/1434

कार्यालय प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल

ई-मेल - mpwrdetenders@gmail.com, edpcell.encwrd.bpl@mp.gov.in

फोन - 0755-2553402, फैक्स - 0755-2552406

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना क्रमांक - 549/2715001/ई.डी.पी./2021-22/प्र.अ./ई-टेंडरिंग **भोपाल, दिनांक : 18.07.2023**

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर दिनांक 04.08.2023 को 17.30 बजे तक क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स. क्र.	निविदा क्रमांक	कार्य का नाम	जिला	राशि रु. लाख में
1.	2023_WRD_258798	चैनपुरा तालाब पर 60 मीटर स्थित एक्वाडक्ट मरम्मत कार्य।	सीहोर	15.00
2.	2023_WRD_286720	सीप कोलार लिंक परियोजना हेतु कुशल अकुशल व अर्धकुशल श्रमिक का प्रदाय कार्य।	भोपाल	4.16
3.	2023_WRD_287485	हथकुरी तालाब योजना के अंतर्गत नहर का सुधार एवं मरम्मत कार्य।	पन्ना	4.38
4.	2023_WRD_288650	कोलार परियोजना की दांयी मुख्य नहर की कोटरा माईनर में लाईनिंग का पुनर्निर्माण कार्य। (द्वितीय आमंत्रण)	सीहोर	12.17
5.	2023_WRD_288724	भौहारी जलाशय का मरम्मत कार्य।	सागर	6.57
6.	2023_WRD_288726	बाछलोन जलाशय का मरम्मत कार्य।	सागर	6.15
7.	2023_WRD_288728	कंजेला जलाशय का मरम्मत कार्य।	सागर	6.50
8.	2023_WRD_288730	तिन्सीमारपानी जलाशय का मरम्मत कार्य।	सागर	5.86
9.	2023_WRD_289678	वि./यां. आर.डब्ल्यू.एस. उपसंभाग, बालाघाट हेतु उपयोगिता वाहन किराये पर लेना।	बालाघाट	3.03
10.	2023_WRD_289865	दोनिया बैराज का वार्षिक मरम्मत कार्य।	सीहोर	5.49
11.	2023_WRD_289967	हमीदगंज बैराज का मरम्मत कार्य।	सीहोर	9.91
12.	2023_WRD_289969	कोलार नदी पर निर्मित रमगढ़ घाट पर एल.बी. मरम्मत कार्य।	सीहोर	3.50
13.	2023_WRD_290392	दिदोनिया लघु तालाब के स्लूस एवं नहर स्ट्रक्चर का मरम्मत कार्य।	छतरपुर	7.94
14.	2023_WRD_290546	रेतम बैराज की मुख्य नहर एवं नहर के स्ट्रक्चर का मरम्मत कार्य।	मंदसौर	3.51
15.	2023_WRD_290547	काका साहब गाडगिल सागर की मुख्य नहर के स्ट्रक्चर का मरम्मत कार्य।	मंदसौर	6.49
16.	2023_WRD_290665	जल संसाधन संभाग, भोपाल के बाथरूम का रेनोवेशन का कार्य।	भोपाल	5.89
17.	2023_WRD_290690	तवा परियोजना की हंडिया शाखा नहर प्रणाली की हरदा उपनहर में स्थित सी.डी.आर.डी. 18500 मी. का विशेष मरम्मत कार्य।	हरदा	4.99
18.	2023_WRD_290709	डी.एम.एफ. मद में रतहरा तालाब के फीडर पाइप लाइन का निर्माण कार्य।	रीवा	11.21
19.	2023_WRD_291029	सुलतानपुर बैराज जल संसाधन संभाग खरगोन के 10 नग जलद्वार के एसएस फिटिंग प्रदाय फेब्रीकेशन एवं एंबडेड पार्ट्स का प्रदाय फेब्रीकेशन एवं इरेक्शन का कार्य।	भोपाल	10.64
20.	2023_WRD_291030	नवलपुरा बैराज जल संसाधन संभाग खरगोन के 10 नग जलद्वार के एसएस फिटिंग प्रदाय फेब्रीकेशन एवं एंबडेड पार्ट्स का प्रदाय फेब्रीकेशन एवं इरेक्शन का कार्य।	भोपाल	10.64
21.	2023_WRD_291031	दांगडिया बैराज जल संसाधन संभाग धार के 4 नग जलद्वार का प्रदाय फेब्रीकेशन एवं इरेक्शन का कार्य।	भोपाल	8.75
22.	2023_WRD_291032	चंदनखेड़ी बैराज जल संसाधन संभाग धार के 2 नग जलद्वार का प्रदाय फेब्रीकेशन एवं इरेक्शन का कार्य।	भोपाल	3.45
23.	2023_WRD_291033	शोभापूर बैराज जल संसाधन संभाग रायसेन के 8 नग जलद्वार का प्रदाय फेब्रीकेशन एवं इरेक्शन का कार्य।	भोपाल	7.02
24.	2023_WRD_291034	पीपलखेड़ी बैराज जल संसाधन संभाग रायसेन के 5 नग जलद्वार का प्रदाय फेब्रीकेशन एवं इरेक्शन का कार्य।	भोपाल	4.39
25.	2023_WRD_291035	भगतनढाना बैराज जल संसाधन संभग बैतूल के 2 नग जलद्वार का प्रदाय फेब्रीकेशन एवं इरेक्शन का कार्य।	भोपाल	4.13
26.	2023_WRD_291037	शिवसागर बैराज जल संसाधन संभाग बैतूल के 8 नग जलद्वार का प्रदाय फेब्रीकेशन एवं इरेक्शन का कार्य।	भोपाल	9.20
27.	2023_WRD_291039	धुरेरी बैराज जल संसाधन संभाग उज्जैन के 4 नग जलद्वार का प्रदाय फेब्रीकेशन एवं इरेक्शन का कार्य।	भोपाल	5.33
28.	2023_WRD_291041	सुखलाना बैराज जल संसाधन संभाग उज्जैन के 4 नग जलद्वार का प्रदाय फेब्रीकेशन एवं इरेक्शन का कार्य।	भोपाल	5.78
29.	2023_WRD_291042	बंजरटोला बैराज जल संसाधन संभाग शिवनी के 6 नग जलद्वार का प्रदाय फेब्रीकेशन एवं इरेक्शन का कार्य।	भोपाल	7.60
30.	2023_WRD_291156	विश्वेसरैया भवन, भोपाल में स्थापित ओटीआईएस लिफ्ट का वार्षिक रखरखाव कार्य।	भोपाल	1.32
31.	2023_WRD_291157	विश्वेसरैया भवन, भोपाल में स्थापित थर्मल एनर्जी स्टोरेज एयर कंडीशनर टैंक सिस्टम का वार्षिक रखरखाव कार्य।	भोपाल	12.27
32.	2023_WRD_291271	सिंहपुर बैराज के रेडियल गेटों सहित अन्य उपकरणों का मरम्मत, रखरखाव एवं अन्य कार्य।	सागर	2.98
33.	2023_WRD_291272	छतरपुर जिले के कुटनी पोषक बांध के रेडियल गेटों सहित अन्य उपकरणों का मरम्मत, रखरखाव एवं अन्य कार्य।	सागर	4.58
34.	2023_WRD_291274	कुटनी पोषक बांध के एलीवेटर का मरम्मत रखरखाव एवं अन्य कार्य।	सागर	4.43
35.	2023_WRD_291444	विभिन्न संभागों के जलद्वारों के लिए डब्ल्यू.डब्ल्यू. 90 हेड स्टॉक का प्रदाय, कास्टिंग, मशीनिंग एवं असेंबली का कार्य।	भोपाल	13.65
36.	2023_WRD_291446	विभिन्न जल संसाधन संभागों में जलद्वारों के फेब्रीकेशन हेतु ब्रोस प्लेट के प्रोक्योरमेंट का कार्य।	भोपाल	2.73
37.	2023_WRD_291449	आई टाइप एंकर बोलट का प्रदाय एवं फेब्रीकेशन मशीनिंग एवं असेम्बली का कार्य।	भोपाल	1.33
38.	2023_WRD_291455	विभिन्न संभागों के जलद्वारों के लिये एम. 75 हेड हेड स्टाक का प्रदाय, कास्टिंग, मशीनिंग एवं असेम्बली का कार्य।	भोपाल	3.19
39.	2023_WRD_291458	निरीक्षण वाहन किराये पर लेना।	भोपाल	3.72
40.	2023_WRD_291460	विभिन्न जल संसाधन परियोजनाओं के जलद्वारों, अवयवों अन्य सामग्रियों एवं स्टील सामग्रियों के परिवहन व लोडिंग अनलोडिंग का कार्य।	भोपाल	14.22
41.	2023_WRD_291461	विभिन्न जल संसाधन संभागों में जलद्वारों के फेब्रीकेशन हेतु कॉपर रिवेट के प्रोक्योरमेंट का कार्य।	भोपाल	1.02
42.	2023_WRD_291463	जलद्वारों के निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल स्टील का प्रदाय का कार्य।	भोपाल	0.99
43.	2023_WRD_291465	विभिन्न जल संसाधन संभागों के जलद्वार के निर्माण कार्य हेतु एम.एस. राउण्ड बार 63 मी.मी. व्यास का प्रदाय कार्य।	भोपाल	2.06
44.	2023_WRD_291466	विभिन्न जल संसाधन संभागों के जलद्वार के निर्माण कार्य हेतु स्टक्चर स्टील का प्रदाय कार्य।	भोपाल	4.96
		कुल योग -		273.12

जी-16983/48825/2023 **मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)**

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India

एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, इंदौर

(इण्डो-जर्मन टूल रूम, इन्दौर)

igtr

291-बी, 302-ए, सेक्टर-ई, इंडस्ट्रीयल एरिया, सांवेर रोड, इन्दौर (म.प्र.)-452015

ई-मेल: trg@igtr-indore.com, Ph.: 0731-4210700, 4210709, 4210743

एससी एसटी के उमीदवारों के लिए ट्यूशन फीस निःशुल्क

एससी एसटी के उमीदवारों के लिए आयु में 3 वर्ष की छूट

प्रवेश सूचना-2023-24

ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.व्ही.टी. स्वीकृत डिप्लोमा/आई.टी.आई पाठ्यक्रम

इंजीनियरिंग क्षेत्र में कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर

सभी कोर्सेस में SC/ST छात्रों को ट्यूशन फीस निःशुल्क एवं उम्र में 3 साल की छूट

इंडो जर्मन टूल रूम, इन्दौर में निम्न कोर्सेस संचालित किये जा रहे है, सभी कार्सेस AICTE अथवा NCVT से मान्यता प्राप्त है। इन सभी कोर्स की उद्योगों में बहुत मांग है तथा रोजगार की संभावना भी अत्यधिक है ।

क्र.	कोर्स का नाम	कोर्स की अवधि	न्यूनतम पात्रता	कोर्स की मान्यता	
1	एडवास डिप्लोमा इन टूल एण्ड हाई मेकिंग (ADTDM)	4 साल	गणित एवं विज्ञान विषय सहित 10वीं उत्तीर्ण (सामान्य 60%) (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिंछडा वर्ग 50%) दिनांक 01/08/2023 को आयु सीमा 15 से 19 वर्ष	AICTE	समूह 'A' के लिए स्कैन करें
2	डिप्लोमा इन मेकाट्रॉनिक्स (DIM)	3 साल			
3	डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस (DICS)	3 साल			
4	डिप्लोमा इन वोकेशन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी (D Voc)	3 साल	10वीं उत्तीर्ण दिनांक 01/08/2023 को आयु सीमा 15 से 23 वर्ष		
5	सर्टिफिकेट कोर्स इन मशीनिष्ट ट्रेड	2 साल	गणित एवं विज्ञान विषय सहित 10वीं उत्तीर्ण दिनांक 01/08/2023 को आयु सीमा 15 से 23 वर्ष	NCVT (ITI)	समूह 'B' के लिए स्कैन करें
6	सर्टिफिकेट कोर्स इन फिटर ट्रेड	2 साल			
7	सर्टिफिकेट कोर्स इन वेल्डर ट्रेड	1 साल			

- क्रमांक 1 से क्रमांक 7 के लिए आवेदन फॉर्म कॉलेज में आकर या क्यू आर कोड स्कैन करके जमा कर सकेगे।
- क्रमांक 1 से क्रमांक 7 के लिए प्रवेश कॉलेज लेवल काउंसिलिंग आधार पर 12/07/2023 से शुरु हो चुके हैं।
- क्रमांक 5 से क्रमांक 7 के कोर्सस में प्रवेश के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.igtr-indore.com देखे एवं कॉलेज में आकर जानकारी प्राप्त करें। कोर्स के फॉर्म वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
- प्रशासन एवं परिस्थिति के अनुसार किसी भी दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है।

deepak

सम्पर्क : सोमवार से शनिवार सुबह 9.30 से शाम 5:00 तक

291/बी-302/ए, सेक्टर-ई, इंडस्ट्रीयल एरिया, सांवेर रोड, इन्दौर- 452015

7415816011 अथवा 9977703559 पर Whatsapp द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर सकते है

R-48828/2023

कार्यालय संचालक पिछड़ा वर्ग, राज्यस्तरीय रोज़गार एवं प्रशिक्षण केन्द्र

पुलिस रेडियो मुख्यालय के सामने, भदभदा रोड, भोपाल

विज्ञप्ति

प्रदेश के पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान किन्तु आर्थिक रूप से कमजोर युवक-युवतियों को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 का 2 माह 15 दिवस की अवधि का निःशुल्क ऑफलाइन परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु पात्र एवं योग्य आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन हेतु विस्तृत विज्ञापन, प्रवेश हेतु नियम, शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट **www.bcwelfare.mp.nic.in** पर उपलब्ध है।

संचालक

राज्यस्तरीय रोज. एवं प्रशि. केंद्र

(पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.क.), भोपाल

जी-16896/48824/2023 **दूरभाष - (0755) 2763284**

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न

सामान्य ज्ञान

1. तुलसी म्यूजियम (संग्रहालय) मध्यप्रदेश के किस जिले में स्थित है ?
अ. भिंड ब. भोपाल
स. सतना द. अनुपपूर
उत्तर- स. सतना

2. सामाजिक न्याय व नि:शक्तजन कल्याण विभाग के परिसर में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण 2020 पर चलाए गये वृक्षारोपण अभियान का क्या नाम था?
अ. वन लगाओ ब. थैंक मॉम
स. प्लांट ट्री द. थैंक ट्री
उत्तर- ब. थैंक मॉम

3. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का प्रधान कार्यालय कहां स्थित है?
अ. ग्वालियर ब. जबलपुर
स. इन्दौर द. भोपाल
उत्तर- द. भोपाल

4. मध्यप्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी?
अ. 2010 ब. 2012
स. 2008 द. 2007
उत्तर- द. 2007

5. निम्न में से किस स्थान पर बहुती जलप्रपात स्थित है?
अ. कटनी ब. इन्दौर
स. रीवा द. होशंगाबाद
उत्तर- स. रीवा

6. निम्न में से मध्यप्रदेश के किस पर्यटन स्थल पर स्थित चंपक बंगलो को इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है?
अ. मांडू ब. सांची
स. पचमढ़ी द. खजुराहो
उत्तर- स. पचमढ़ी

7. मध्यप्रदेश में जैविक महोत्सव का आयोजन कहां किया गया?
अ. इंदौर ब. सीहोर
स. हरदा द. मुरैना
उत्तर- अ. इंदौर

8. मध्यप्रदेश पुलिस के ई-विवेचना एप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवॉर्ड में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ?
अ. पहला ब. दूसरा
स. तीसरा द. चौथा
उत्तर- अ. पहला

9. मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन कहां बनाया जा रहा है?
अ. ग्वालियर ब. भोपाल
स. इंदौर द. जबलपुर
उत्तर- ब. भोपाल

10. मध्यप्रदेश के किस जिले में जल मंदिर योजना की शुरुआत की गई?
अ. बालाघाट ब. नरसिंहपुर
स. बुरहानपुर द. जबलपुर
उत्तर- स. बुरहानपुर

11. मध्यप्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभारंभ कहां से किया गया है?
अ. इंदौर ब. भोपाल
स. उज्जैन द. सागर
उत्तर- ब. भोपाल

12. आयुष्मान कार्ड बनाने में शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने वाला मध्यप्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है?
अ. भोपाल ब. इंदौर
स. ग्वालियर द. बालाघाट
उत्तर- ब. इंदौर

13. देश का पहला जल स्तंभ मध्यप्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जायेगा?
अ. विदिशा ब. उज्जैन
स. मंदसौर द. भोपाल
उत्तर- ब. उज्जैन

14. जबलपुर जिले के पद्मश्री विजेता श्री मुनिश्वर चंद्र डावर निम्न में से किस कार्य क्षेत्र में संबंधित हैं?
अ. चिकित्सा
ब. शिक्षा
स. सामाजिक कार्य
द. कला
उत्तर- अ. चिकित्सा

15. राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया?
अ. जबलपुर ब. इंदौर
स. भोपाल द. ग्वालियर
उत्तर- स. भोपाल

16. मध्यप्रदेश के पहले गिर गोवंश प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां से की गई है?
अ. भोपाल ब. मंदसौर
स. रीवा द. इंदौर
उत्तर- ब. मंदसौर

17. मध्यप्रदेश के सांची गेट की प्रतिकृति का अनावरण किस देश में किया गया?
अ. रूस ब. फ्रांस
स. जापान द. जर्मनी
उत्तर- द. जर्मनी

18. मध्यप्रदेश के किस जिले के श्री रमेश परमार और शांति परमार को कला के क्षेत्र में पदमश्री सम्मान के लिये चयनित किया गया?
अ. उमरिया ब. झाबुआ
स. अलीराजपुर द. धार
उत्तर- ब. झाबुआ

19. गौवंश में लंपी वायरस के नियंत्रण हेतु शत-प्रतिशत टीकाकरण करने वाला मध्यप्रदेश का पहला जिला कौन सा है?
अ. खरगौन ब. उज्जैन
स. मंडला द. बुरहानपुर
उत्तर- द. बुरहानपुर

20. मध्यप्रदेश का पहला बोन बैंक किस शहर में स्थापित किया जा रहा है?
अ. इंदौर ब. जबलपुर
स. भोपाल द. ग्वालियर
उत्तर- अ. इंदौर

21. मध्यप्रदेश में पेसा एक्ट के तहत पेसा नियम को कब लागू किया गया?
अ. 1 नवंबर, 2022
ब. 15 नवंबर, 2022
स. 15 दिसंबर, 2022
द. 25 दिसंबर, 2022
उत्तर- ब. 15 नवंबर, 2022

22. देश का प्रथम साउंडप्रूफ हाइवे मध्यप्रदेश के किस जिले में बनाया गया है?
अ. इंदौर ब. सिंगरौली
स. सिवनी द. भोपाल
उत्तर- स. सिवनी

23. मध्यप्रदेश का पहला इंटरप्रिटेशन सेंटर कहां के संग्रहालय में बनाया जायेगा?
अ. इंदौर ब. ग्वालियर
स. भोपाल द. जबलपुर
उत्तर- अ. इंदौर

24. आदिवासी बाहुल्य जिला, जो देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला बना?
अ. डिंडोरी ब. अलीराजपुर
स. झाबुआ द. मण्डला
उत्तर- द. मण्डला

25. मध्यप्रदेश के किस जिले में देश का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र बनाया जायेगा?
अ. भोपाल ब. इंदौर
स. सागर द. विदिशा
उत्तर- अ. भोपाल

26. जनवरी 2023, में सम्पन्न प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कौन से क्रम का था?
अ. 10वां ब. 12वां
स. 17वां द. 19वां
उत्तर-स. 17वां

27. मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा वेटरनरी अस्पताल किस राष्ट्रीय उद्यान में खोला जा रहा है?
अ. कूनो राष्ट्रीय उद्यान
ब. कान्हा किसली नेशनल पार्क
स. पेंच राष्ट्रीय उद्यान
द. सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान
उत्तर- अ. कूनो राष्ट्रीय उद्यान

28. केमिकल रक्षा उत्पाद तकनीक की DRDE लैब, मध्यप्रदेश के किस शहर में स्थित है?
अ. जबलपुर ब. ग्वालियर
स. सागर द. इंदौर
उत्तर- ब. ग्वालियर

29. मुक्ता नामक महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी मध्यप्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है?
अ. मालवा ब. निमाड़
स. बुंदेलखंड द. बघेलखंड
उत्तर- स. बुंदेलखंड

30. 9वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहां किया गया?
अ. मुरैना ब. भोपाल
स. ग्वालियर द. सागर
उत्तर- ब. भोपाल

31. प्रतिवर्ष 'विश्व नारियल दिवस' कब मनाया जाता है?
अ. 2 सितम्बर ब. 4 सितम्बर
स. 1 सितम्बर द. 30 अगस्त
उत्तर- अ. 2 सितम्बर

32. भारत किस वर्ष G-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा?
अ. 2026 ब. 2024
स. 2023 द. 2025
उत्तर- स. 2023

33. प्रतिवर्ष ''राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस'' कब मनाया जाता है?
अ. 11 मई ब. 12 मई
स. 10 मई द. 14 मई
उत्तर- अ. 11 मई

34. हाल ही में कौन ''माउंट कंचनजंगा'' को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं?
अ. दीप्ती सिंहा
ब. गीता सामोता
स. प्रियंका मोहिते
द. कमला बिश्नोई
उत्तर- स. प्रियंका मोहिते

35. ''रिस्ट एश्योर्ड'' किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है?
अ. ईएएस प्रसन्ना
ब. दिलीप वेंगसरकार
स. जीआर विश्वनाथ
द. सुनील गावस्कर
उत्तर- स. जीआर विश्वनाथ

36. किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है?
अ. ग्वालियर ब. पुणे
स. इंदौर द. बीकानेर
उत्तर- अ. ग्वालियर

37. किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया?
अ. अंतराष्ट्रीय मुद्राकोष
ब. विश्व बैंक
स. UNDP
द. विश्व आर्थिक मंच
उत्तर- ब. विश्व बैंक

38. किसे प्रथम 'लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार' से सम्मानित किया गया?
अ. अभिताभ बच्चन
ब.अन्ना हजारे
स. सचिन तेंदुलकर
द. नरेन्द्र मोदी
उत्तर- द. नरेन्द्र मोदी

39. नीति आयोग के नये उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
अ. चंचल ठाकुर ब. वीरेंदर सिंह
स. पियूष शर्मा द. सुमन बेरी
उत्तर- द. सुमन बेरी

40. भारत ने किस देश से 'ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है?
अ. जापान ब. इटली
स. फ्रांस द. कनाडा
उत्तर- स. फ्रांस

41. बिरसा मुंडा की जयंती पर किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (पेसा) अधिनियम लागू किया?
अ. छत्तीसगढ़ ब. मध्यप्रदेश
स. झारखंड द. ओडिशा
उत्तर- ब. मध्यप्रदेश

42. भारतीय ओलिंपिक संघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया?
अ. पीवी सिंधु ब. सान्या नेहवाल
स. मीराबाई चानु द. मैरी कॉम
उत्तर- द. मैरी कॉम

43. न्यायमूर्ति 'डीवाई चंद्रचूड़' भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं?
अ. 45वें ब. 50वें
स. 52वें द. 55वें
उत्तर- ब. 50वें

44. किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की?
अ. तुर्किये ब. भारत
स. चीन द. वियतमान
उत्तर- ब. भारत

45. विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है?
अ. चीन ब. थाइलैंड
स. ब्राजील द. भारत
उत्तर- द. भारत

46. प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया?
अ. पन्ना राष्ट्रीय उद्यान
ब. कूनो राष्ट्रीय उद्यान
स. पेंच राष्ट्रीय उद्यान
द. सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान
उत्तर- ब. कूनो राष्ट्रीय उद्यान

47. इसरो किस वर्ष 'चंद्रयान-3' लॉन्च करने की योजना बना रहा है?
अ. 2023
ब. 2024
स. 2025
द. 2026
उत्तर- अ. 2023

- श्रद्धा सुमन
(लेखिका, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी विषयों पर लेखन करती हैं)

सभी जिले वेटलेण्ड संरक्षण समिति गठन शीघ्र करें - पर्यावरण मंत्री

भोपाल, पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने सभी जिला कलेक्टर्स से कहा है कि अपने जिले में वेटलेण्ड संरक्षण समिति का गठन शीघ्र पूर्ण करें। प्रदेश में अब तक 22 जिलों में जिला वेटलेण्ड संरक्षण समिति का गठन किया जा चुका है। समिति गठन का उद्देश्य प्रदेश के तालाबों और जल-स्रोतों को बचाने के साथ इनका संरक्षण करना है।

वेटलेण्ड्स में मैंग्रोव, बाढ़ के मैदान, नदी, तालाब, झील, पानी से भरे जंगल, धान के खेत और वे सारे स्थान शामिल हैं, जहां वर्ष के अधिकांश समय पानी भरा रहता है।

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति में जिले के वन मण्डल अधिकारी, भू-बंदोबस्त अधिकारी, अधीक्षण/कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, संयुक्त संचालक/उप संचालक नगर एवं ग्राम निवेश, कृषि, मत्स्य-पालन विभाग, क्षेत्रीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मध्यप्रदेश राज्य वेटलेण्ड प्राधिकरण एप्को के अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र) और आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद (नगरीय क्षेत्र) समिति के सदस्य सचिव हैं। अध्यक्ष द्वारा नदी-तालाब संरक्षण से संबंधित 2 विशेषज्ञों को नामांकित सदस्य के रूप में समिति में शामिल किया जायेगा। जिला वेटलेण्ड संरक्षण समिति राज्य वेटलेण्ड प्राधिकरण के प्रति उत्तरदायी होगी और सहयोगी इकाई के रूप में कार्य करेगी। तालाबों की सूची बनाने के साथ उनके पारिस्थितिकीय लाभ की निरंतरता, तालाबों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिये उपस्थित चुनौतियों का चिन्हांकन, तालाबों के समग्र संरक्षण और प्रबंधन के संबंध में समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। समिति, राज्य और केन्द्र सरकार के संयुक्त तत्वावधान में वेटलेण्ड संरक्षण से संबंधित योजनाओं और अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं निगरानी में राज्य वेटलेण्ड प्राधिकरण का सहयोग भी करेगी। यह जिले के किसी भी तालाब के संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित सुझाव और तकनीकी प्रस्ताव राज्य वेटलेण्ड प्राधिकरण को प्रेषित कर सकेगी।

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए

सामान्य ज्ञान और गणित

प्रश्न 1. 'वह बहुत मधुर गाता है' इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए।
(अ) वह (ब) बहुत
(स) मधुर (द) गाता
उत्तर - (ब) बहुत

प्रश्न 2. "जो क्रिया अभी हो रही है" उसे कहते हैं -
(अ) अपूर्ण वर्तमान
(ब) सामान्य वर्तमान
(स) संदिग्ध वर्तमान
(द) संदिग्ध भूत
उत्तर - (अ) अपूर्ण वर्तमान

प्रश्न 3. 'अथवा' व्याकरण की दृष्टि से है -
(अ) संधि (ब) उपसर्ग
(स) अन्वय (द) अव्यय
उत्तर - (द) अव्यय

प्रश्न 4. राम सो रहा है - इस वाक्य में से कौन सी क्रिया है?
(अ) अकर्मक (ब) सकर्मक
(स) प्रेरणार्थक (द) द्विकर्मक
उत्तर - (अ) अकर्मक

प्रश्न 5. निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है?
(अ) ठीक (ब) निकट
(स) इधर (द) कल
उत्तर - (अ) ठीक

प्रश्न 6. 'लेख लिखा गया' वाक्य की पहचान करें।
(अ) कर्तृवाच्य
(ब) कर्मवाच्य
(स) भाववाच्य
(द) इनमें से कोई नहीं
उत्तर - (ब) कर्मवाच्य

प्रश्न 7. 'व्याप्त' में संधि है -
(अ) गुण संधि (ब) दीर्घ संधि
(स) यण संधि (द) अयादि संधि
उत्तर - (स) यण संधि

प्रश्न 8. 'बारहसिंगा' शब्द में कौन सा समास है?
(अ) तत्पुरुष समास
(ब) अव्ययीभाव समास
(स) बहुव्रीहि समास
(द) दिगु समास
उत्तर - (स) बहुव्रीहि समास

प्रश्न 9. 'चिरन्तन' का सही विलोम शब्द है -
(अ) नश्वर (ब) अचिन्तन
(स) अचर (द) अचेतन
उत्तर - (अ) नश्वर

प्रश्न 10. निम्न में से 'मीन' का समानार्थी है -
(अ) झख (ब) शिलीमुख
(स) अलि (द) षट्पद
उत्तर - (अ) झख

प्रश्न 11. निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है?
(अ) अमिय (ब) उलूक
(स) अग्र (द) कुपुत्र
उत्तर - (अ) अमिय

प्रश्न 12. वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए -
(अ) टिप्पड़ी (ब) टिप्पणि
(स) टीप्पणी (द) टिप्पणी
उत्तर - (द) टिप्पणी

प्रश्न 13. किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है?
(अ) श्रृंगार (ब) वीर
(स) वात्सल्य (द) रौद्र
उत्तर - (ब) वीर

प्रश्न 14. 'मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया' पंक्तियों में अलंकार है?
(अ) श्र्लेष (ब) वक्रोक्ति
(स) उपमा (द) रूपक
उत्तर - (द) रूपक

प्रश्न 15. निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है?
(अ) दोहा (ब) सोरठा
(स) चौपाई (द) ये सभी
उत्तर - (स) चौपाई

प्रश्न 16. म.प्र. के किस राष्ट्रीय उद्यान में 'बैगा कल्चरल हब' बनाया जाएगा?
(अ) कान्हा किसली में
(ब) बांधवगढ़ में
(स) संजय डुबरी में
(द) पेंच राष्ट्रीय उद्यान में
उत्तर - (अ) कान्हा किसली में

प्रश्न 17. दिल्ली सल्तनत के निम्न में से किस शासक को स्वप्नशील तथा रक्तपिपासु की संज्ञा दी गई है?
(अ) अलाउद्दीन खिलजी को
(ब) बलबन को
(स) मुहम्मद शाह रंगीला को
(द) मुहम्मद बिन तुगलक को
उत्तर - (द) मुहम्मद बिन तुगलक को

प्रश्न 18. निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है?
(अ) वित्त आयोग के अध्यक्ष की
(ब) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की
(स) राज्यों के मुख्यमंत्रियों की
(द) भारत के महान्यायवादी की
उत्तर - (स) राज्यों के मुख्यमंत्रियों की

प्रश्न 19. पांडिचेरी निम्न में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है?
(अ) कलकत्ता उच्च न्यायालय
(ब) बम्बई उच्च न्यायालय
(स) मद्रास उच्च न्यायालय
(द) केरल उच्च न्यायालय
उत्तर - (स) मद्रास उच्च न्यायालय

प्रश्न 20. सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है?
(अ) कर्नाटक में
(ब) केरल में
(स) तमिलनाडु में
(द) तेलंगाना में
उत्तर - (स) तमिलनाडु में

प्रश्न 21. बादामी क्रांति का संबंध किससे है?
(अ) नदी जोड़ो परियोजना से
(ब) बायोडीजल उत्पादन से
(स) मसाला उत्पादन से
(द) उर्वरक उत्पादन से
उत्तर - (स) मसाला उत्पादन से

प्रश्न 22. निम्नलिखित में से कौन सी तुंगभद्रा की सहायक नदी नहीं है?
(अ) भवानी (ब) कुमुदवती
(स) मगारी (द) हिन्द
उत्तर - (अ) भवानी

प्रश्न 23. म.प्र. में होल्कर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई?
(अ) 1941 में (ब) 1952 में
(स) 2011 में (द) 1961 में
उत्तर - (अ) 1941 में

प्रश्न 24. म.प्र. का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र स्थित है -
(अ) सीधी में (ब) शहडोल में
(स) सतना में (द) उमरिया में
उत्तर - (द) उमरिया में

प्रश्न 25. कैलिफोर्निया स्थित 'मृत घाटी' किस प्रकार की घाटी है?
(अ) अपनति घाटी
(ब) अभिनति
(स) पूर्ववर्ती घाटी
(द) रिफ्ट घाटी
उत्तर - (द) रिफ्ट घाटी

प्रश्न 26. मध्यप्रदेश के किस विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा के जनक की संज्ञा दी जाती है?
(अ) यज्ञदत्त दुबे
(ब) कुंजीलाल दुबे
(स) काशीप्रसाद पांडे
(द) तेजलाल टेंभरे
उत्तर - (स) काशीप्रसाद पांडे

प्रश्न 27. निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है?
(अ) सांदीपनी आश्रम - उज्जैन
(ब) कंदारिया महादेव मंदिर - खजुराहो
(स) शारदा माता मंदिर - पन्ना
(द) माई की बगिया - अनूपपुर
उत्तर - (स) शारदा माता मंदिर - पन्ना

प्रश्न 28. वह लोक गायन जिसमें मोरध्वज एवं राजा कर्ण की कथाओं का गायन होता है -
(अ) बसदेवा गायन में
(ब) बिरहा गायन में
(स) बिदेशिया गायन में
(द) उपरोक्त सभी में
उत्तर - (अ) बसदेवा गायन में

प्रश्न 29. नाभिकों में संरचित धागे जैसी संरचनाएं क्या कहलाती हैं?
(अ) माइटोकॉन्ड्रिया
(ब) गुणसूत्र
(स) क्रोमेटिन
(द) डीएनए
उत्तर - (स) क्रोमेटिन

प्रश्न 30. निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है?
(अ) नल का पानी
(ब) समुद्र का पानी
(स) सिरका
(द) आसुत जल
उत्तर - (द) आसुत जल

प्रश्न 31. केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग का नाम बताइये -
(अ) माइटोकॉन्ड्रिया
(ब) तारकेन्द्र
(स) लवक
(द) लयनकाय
उत्तर - (स) लवक

प्रश्न 32. धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं?
(अ) 12 (ब) 10
(स) 5 (द) 8
उत्तर - (ब) 10
व्याख्या - धावनसोडा - रसायनिक सूत्र - $Na_2Co_3.10H_2O$

प्रश्न 33. पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है?
(अ) बड़ी आंत (ब) अमाशय
(स) छोटी आंत (द) मुख गुहा
उत्तर - (स) छोटी आंत

प्रश्न 34. एक व्यक्ति वस्तु A तथा B को कुल 1000 रु. में खरीदता है। यदि वस्तु A को 25% लाभ तथा B को 10% हानि पर बेचता है तथा यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो वस्तु A तथा B की कीमत क्या होगी?
(अ) रु. 400, रु. 600
(ब) रु. 418.6, रु. 581.4
(स) रु. 472.5, रु. 527.5
(द) रु. 450, रु. 550
उत्तर - (ब) रु. 418.6, रु. 581.4
व्याख्या - माना वस्तु A की कीमत
= x रुपये
तब वस्तु B की कीमत
= (1000-x)
प्रश्नानुसार
A का विक्रय मूल्य = B का विक्रय मूल्य

$$x \times \left(\frac{125}{100}\right) = (1000 - x) \times \frac{90}{100}$$

125x = 90,000 - 90x
215x = 90,000

$$x = \frac{90,000}{215} \Rightarrow 418.60 ₹$$

अत: B का मूल्य = 1000 - x
= 1000 - 418.6
= 581.4 रु.

प्रश्न 35. एक परिवार में 5 पुत्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। पुत्रों तथा माता-पिता की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता से 4 वर्ष अधिक है। तो माता-पिता की आयु बताओ -
(अ) माता=48 वर्ष, पिता=32 वर्ष
(ब) माता=49 वर्ष, पिता=42 वर्ष
(स) माता=38 वर्ष, पिता=45 वर्ष
(द) माता=38 वर्ष, पिता=42 वर्ष
उत्तर - (द) माता=38 वर्ष, पिता=42 वर्ष
व्याख्या - 5 पुत्रों की आयु का योग
= 12 x 5 = 60 वर्ष
5 पुत्रों तथा माता की आयु का योग = 20 x 7 = 140 वर्ष
माता-पिता की आयु
= 140 - 60 = 80 वर्ष
∵ पिता की आयु माता की आयु से 4 वर्ष अधिक है।
माना माता की आयु = x
तो पिता की आयु = x + 4
पिता + माता = x + 4 + x = 80
2x = 76 ⟹ x = 38
∴ माता = 38 वर्ष,
पिता = x+4 = 38+4 = 42 वर्ष

प्रश्न 36. यदि मैं 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता हूं और 10 पुस्तकें 110 रु. में बेच देता हूं तो मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत लाभ होगा?
(अ) 10% (ब) 11.5%
(स) 17.3% (द) 21%
उत्तर - (द) 21%
व्याख्या - यदि a वस्तु को x रुपये में खरीदकर b वस्तु को y रुपये में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ

$$= \left(\frac{ya - xb}{xb}\right) \times 100$$

$$= \left(\frac{11 \times 110 - 10 \times 100}{10 \times 100}\right) \times 100$$

$$= \frac{1210 - 1000}{1000} \times 100 \Rightarrow 21\%$$

प्रश्न 37. A और B मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। B और C मिलकर उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। A कार्य आरम्भ करता है तथा 5 दिनों तक कार्य करता है, तब B उस कार्य को ले लेता है और 15 दिनों तक कार्य करता है। अंत में C उसे 18 दिनों में पूरा करता है। C अलग से कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?
(अ) 120 दिन (ब) 24 दिन
(स) 60 दिन (द) 40 दिन
उत्तर - (ब) 24 दिन
व्याख्या - माना C अकेला उस काम को x दिनों में पूरा करता है।
इसलिए B का एक दिन का काम

$$= \frac{1}{20} - \frac{1}{x}$$

A का एक दिन का काम

$$= \frac{1}{30} - \frac{1}{20} + \frac{1}{x}$$

प्रश्नानुसार -

$$= \frac{2-3}{60} + \frac{1}{x} = \frac{1}{x} - \frac{1}{60}$$

$$= 5\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{60}\right) + 15\left(\frac{1}{20} - \frac{1}{x}\right) + \frac{18}{x} = 1$$

$$= \frac{5}{x} - \frac{1}{12} + \frac{15}{20} - \frac{15}{x} + \frac{18}{x} = 1$$

$$= \frac{5}{x} - \frac{15}{x} + \frac{18}{x} = 1 + \frac{1}{12} - \frac{3}{4}$$

$$= \left(\frac{5 - 15 + 18}{x}\right) = \frac{12 + 1 - 9}{12}$$

$$= \frac{8}{x} = \frac{1}{3} \Rightarrow x = 8 \times 3 = 24 \text{ दिन}$$

प्रश्न 38. एक 500 मी. लम्बी रेलगाड़ी 63 किमी./घंटा चाल से चल रही है, रेलगाड़ी की दिशा में 3 किमी./घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा?
(अ) 25 सेकण्ड
(ब) 30 सेकण्ड
(स) 40 सेकण्ड
(द) 45 सेकण्ड
उत्तर - (ब) 30 सेकण्ड
व्याख्या - रेलगाड़ी की लम्बाई (दूरी)
= 500 मी.
सापेक्ष चाल = 63-3
= 60 किमी./घंटा
(दोनों एक ही दिशा में है)

$$= 60 \times \frac{5}{18} = \frac{50}{3} \text{ मी./सेकण्ड}$$

समय = दूरी/चाल

$$= \frac{500}{\frac{50}{3}} \Rightarrow 30 \text{ सेकण्ड}$$

प्रश्न 39. एक थैली में 1 रुपये, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 25:9:5 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल धन 2460 रुपये है तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है -
(अ) 360 (ब) 720
(स) 1760 (द) 580
उत्तर - (ब) 720
व्याख्या -

	1Rs	50P	25P
सिक्के	25 :	9 :	5
रुपये	25 ₹	4.5 ₹	1.25 ₹

अत: कुल रुपयों का अनुपात
= 25+4.5+1.25 = 30.75
50 Paise के सिक्के

$$= \frac{2460}{30.75} \times 9 \Rightarrow 720$$

प्रश्न 40. यदि A:B:C = 2:3:4 है, तब $\frac{A}{B} : \frac{B}{C} : \frac{C}{A}$ होगा
(अ) 8:9:16 (ब) 8:9:12
(स) 4:9:16 (द) 8:9:24
उत्तर - (द) 8:9:24
व्याख्या - $= \frac{A}{B} : \frac{B}{C} : \frac{C}{A} \Rightarrow \frac{2}{3} : \frac{3}{4} : \frac{4}{2}$

$$= \frac{8:9:24}{12} \Rightarrow 8:9:24$$

- सुजय जैन
(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विषयों पर लेखन करते हैं।)

डिजिटल इंडिया

'डिजिटल क्रांति' से दूरस्थ क्षेत्रों तक अंत्योदय का सपना हो रहा साकार

डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भारत को समृध्द बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस प्रोग्राम का लक्ष्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत 1 जुलाई, 2015 को की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में सुधार करना है। बीते आठ वर्षों में इस पहल से भारत में विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति देखने को मिली है। डिजिटल प्रौद्योगिकी और वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है तो टेलीकॉम में स्वदेशी 5जी सेवा का कवरेज बढ़ाने के साथ 6जी के लिए इनोवेशन ग्रुप बना दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम हो या फिर सबसे बड़े डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजना, जीवन को आसान करने वाले ये कार्यक्रम और योजनाएं ही डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की 8 साल की सफलता के प्रमाण हैं।

डिजिटल इंडिया पहल से देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक अंत्योदय का सपना साकार हो रहा है। आज भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया पहल का प्रमुख उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान की अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए 'नए भारत' की तकनीक को बढ़ावा देना है।

डिजिटल इंडिया ने सरकार को आम लोगों तक पहुंचाया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 8 साल पहले शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल से केंद्र सरकार आज न केवल ग्रामीणों के द्वार तक पहुंची है बल्कि देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक अंत्योदय का सपना भी साकार हो रहा है। ऐसे में यह कहना उचित होगा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने सरकार को आम लोगों तक पहुंचाया है। आज भारत चौथी औद्योगिक क्रांति 'इंडस्ट्री 4.0' में दुनिया को दिशा दे रहा है। भारत के डिजिटल इंडिया अभियान ने यह सिद्ध किया है कि मानवता के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कितना क्रांतिकारी है। गांव में छोटी से छोटी सुविधा के लिए भी जहां पहले आपको ब्लॉक, तहसील या जिला हेडक्वार्टर के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब डिजिटल इंडिया ने ऐसी तमाम मुश्किलों को आसान बना दिया है। केवल इतना ही नहीं इस अभियान ने सरकार को नागरिक के द्वार पर उसके गांव, घर और उसकी हथेली में फोन पर लाकर खड़ा कर दिया है।

जन-जन तक पहुंच रही डिजिटल सुविधा

आज के समय में करीब 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर से जन-जन तक डिजिटल सुविधा पहुंच रही है। महज इतना ही नहीं देश के विभिन्न गांवों में करीब 4 लाख डिजिटल आंत्रप्रेन्योर तैयार हो चुके हैं। यह समस्त देशवासियों के लिए गर्व की बात है। आने वाले दिनों में भारत दुनिया में बड़ा टेक्नोलॉजी हब बनने जा रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान से अब शहरों की तरह ही गांवों के घरों की मैपिंग और डिजिटल लीगल डॉक्यूमेंट ग्रामीणों को देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नियोजित विकास हो रहा है। अब स्वामित्व योजना के तहत गांव की जमीनों की ड्रोन मैपिंग की जा रही है। डिजिटल माध्यम से ग्रामीणों को अपने घर की कानूनी सुरक्षा का दस्तावेज मिल रहा है।

केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या सेवाएं उपलब्ध कराने वाली अन्य एजेंसियां मोबाइल एप और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से सुविधाएं मुहैया करा रही है। सरकार का पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम भी मजबूत हुआ है। यह डिजिटल क्रांति सिर्फ फिनटेक तक सीमित नहीं है, जो आधुनिक व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं उससे ईज ऑफ लीविंग भी बढ़ा है। सरकार ने डिजीलॉकर की जो व्यवस्था शुरू की उसमें ड्राइविंग लाइसेंस, डिग्री और प्रॉपर्टी के कागज सहित सरकार जो भी जारी करती है, सब कुछ पहुंच जाता है। फिजिकल कॉपी रखने की जरूरत नहीं होती, बस एक पासवर्ड काफी है। डिजीलॉकर से 16 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं।

डिजिटल इंडिया और सस्ते डेटा ने देश के करोड़ों लोगों को उनके मोबाइल के माध्यम से अनेकों सुविधाएं उनकी हथेली पर रख दी हैं। यही भारत की वो ताकत हैं, जो विकसित भारत के सपने को साकार करेंगी। पिछले 8 वर्षों में करोड़ों भारतीयों के बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं। इसके साथ ही पब्लिक सर्विस डिलीवरी के पूरे इको सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सरकार ने जन धन बैंक खाता, मोबाइल फोन और आधार आईडी की एक जैम ट्रिनिटी बनाई है। इसकी वजह से महज एक क्लिक पर करोड़ों डीबीटी संभव हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों रुपये से भी ज्यादा की राशि सीधे जरूरतमंदों के बैंक खाते में भेजी गई है। कोरोना महामारी के समय इस सिस्टम ने जरूरतमंद का जीवन आसान किया क्योंकि सरकार जब चाह रही थी, पैसे एक क्लिक से पहुंच जा रहे थे। इसी तरह यूपीआई ने भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है।

इंटरनेट ने डिजिटल क्रांति में पंख लगाए

भारत उन देशों में शामिल है, जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट डेटा इस्तेमाल होता है। ग्रामीण इलाकों में भी इंटरनेट यूजर ज्यादा हैं। इसकी वजह से लोगों के सामने जानकारियों, संसाधनों और अवसरों की एक नई दुनिया खुल रही है। गांव में रहते हुए युवा डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर कमाई कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से मछुआरों को मौसम संबंधी सही जानकारी समय पर मिलती है। आज टेक्नोलॉजी की मदद से लघु उद्यमी, अपने उत्पाद हर जगह बेच पा रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस यानि GoM से भी उन्हें मदद मिल रही है। इसकी वजह से सरकारी खरीद में पारदर्शिता बढ़ी है।

फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ-साथ डिजिटल कनेक्टिविटी आज देश की प्राथमिकता है। बीते कुछ वर्षों में ही भारत ने जो डिजिटल व्यवस्थाएं विकसित की हैं, वो देखकर दुनिया के विकसित देश भी हैरान हैं। भारत ने 5G की टेक्नोलॉजी खुद विकसित की जिससे इस क्षेत्र में नई संभावनाओं का विस्तार हुआ है। डिजिटल इंडिया ने रेडियो को नए श्रोता देने के साथ नई सोच भी दी है तो वहीं डीटीएच प्लेटफार्म डीडी फ्री डिश सेवा 4.30 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंच रही है। समाज का जो वर्ग दशकों तक कमजोर और वंचित रहा, उसे भी फ्री डिश से शिक्षा और मनोरंजन की सुविधा मिल रही है।

शिक्षा में भी डिजिटलीकरण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रम अनिवार्य किया गया है। इसके लिए सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में शैक्षिक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने की आवश्यकता को चिन्हित किया गया है ताकि दूर दराज के छात्र सहित अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए एक्सेस सुलभ बनाया जा सके। समग्र शिक्षा के आईसीटी और डिजिटल पहल के तहत छठवीं से बारहवीं कक्षा तक के सरकारी स्कूलों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास रूम स्वीकृत किए गए हैं। देशभर के छात्रों को घर पर ही विश्वस्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ हो सके इसके लिए भारत सरकार डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। डिजिटल विश्वविद्यालय कई आईआईटी की साझेदारी से तैयार हब बिल्डिंग अत्याधुनिक आईटीसी विशेषज्ञता वाला एक हब - स्पोक मॉडल है। इस विश्वविद्यालय के संचालन के लिए सिफारिशों को अंतिम रूप देने वाली परामर्श बैठकें चल रही हैं।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

- अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत 10,000 अटल टिकरिंग लैब शुरू, 75 लाख से ज्यादा छात्र अटल टिकरिंग लैब का लाभ उठा रहे हैं। 12 लाख से ज्यादा इनोवेशन प्रोजेक्ट का निर्माण। 69 इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित, 2900 से ज्यादा स्टार्ट अप को सहायता।
- आधार दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम।
- 1 लाख 91 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल साक्षरता अभियानों में से एक है।

- रश्मि रंजन
(लेखिका, समसामयिक विषयों पर लेखन करती हैं।)

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न

सामान्य ज्ञान - खेल

1. वर्ष 2020 में किस क्लब ने फीफा क्लब वर्ल्डकप टूर्नामेंट जीता है।
(अ) रियल मैड्रिड
(ब) चेल्सी
(स) इंटर मिलान
(द) बायर्न म्युनिख

2. इंडोनेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग के चैम्पियन बने हैं।
(अ) विक्टर एक्सेलसन
(ब) केंटो मोमोटा
(स) एचएस प्रणय
(द) चेन लॉन्ग

3. इनमें से किस देश के नाम आईसीसी के सभी टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है।
(अ) इंग्लैंड (ब) ऑस्ट्रेलिया
(स) वेस्टइंडीज (द) भारत

4. वर्ष 2022 में विम्बलडन में महिला एकल वर्ग की चैम्पियन बनीं थीं।
(अ) ईगा स्वितेक
(ब) सिमोना हालेप
(स) इलिना रिबाकिना
(द) जेसिका पेगुला

5. यानके शोपमैन किस देश की महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं।
(अ) दक्षिण कोरिया
(ब) भारत
(स) पाकिस्तान
(द) मलेशिया

6. इस वर्ष किस खिलाड़ी ने विश्व शतरंज चैम्पियनशिप जीती है।
(अ) मैगनस कार्लसन
(ब) आर प्रागननंदा
(स) डिंग लिरेन
(द) इनमें से कोई नहीं

7. टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं।
(अ) रोहित शर्मा
(ब) सूर्यकुमार यादव
(स) केएल राहुल
(द) सुरेश रैना

8. वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं।
(अ) सचिन तेंदुलकर
(ब) रिकी पोंटिंग
(स) ब्रायन लारा
(द) इनमें से कोई नहीं

9. महिला मुक्केबाज निकहत जरीन ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कितनी बार स्वर्ण पदक जीते हैं।
(अ) एक बार
(ब) दो बार
(स) तीन बार
(द) इनमें से कोई नहीं

10. इनमें से किस फुटबॉलर को फ्रांस की फुटबॉल टीम का नया कप्तान बनाया गया है।
(अ) करीम बेंजेमा
(ब) किलियन एम्बाप्पे
(स) एंटोनिए ग्रिजमैन
(द) पॉल पोग्बा

11. ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप किस खेल से संबंधित एक प्रतियोगिता है।
(अ) फुटबॉल (ब) गोल्फ
(स) बैडमिंटन (द) टेनिस

12. इनमें से कौनसा देश इस वर्ष क्रिकेट एशिया कप में क्वालिफाई नहीं कर सका है।
(अ) पाकिस्तान
(ब) नेपाल
(स) श्रीलंका
(द) संयुक्त अरब अमीरात

13. वर्ष 2022 में किस देश ने सुल्तान जोहोर कप हॉकी प्रतियोगिता जीती थी।
(अ) भारत (ब) ब्रिटेन
(स) जापान (द) मलेशिया

14. वर्ष 2000 में किस शहर में ओलिंपिक खेल आयोजित किए गए थे।
(अ) अटलांटा (ब) सिडनी
(स) एथेंस (द) पेरिस

15. इस वर्ष किस टेनिस खिलाड़ी ने बार्सिलोना ओपन का खिताब जीता है।
(अ) कार्लोस अलकराज
(ब) एलेक्जेंडर ज्वेरेव
(स) कैस्पर रूड
(द) इनमें से कोई नहीं

16. वर्ष 2032 में किस देश में ओलिंपिक खेलों का आयोजन होगा।
(अ) ब्राजील
(ब) ऑस्ट्रेलिया
(स) जर्मनी
(द) दक्षिण कोरिया

17. महिला क्रिकेटर ग्रेस स्क्रीवंस किस देश की खिलाड़ी हैं।
(अ) ऑस्ट्रेलिया
(ब) आयरलैंड
(स) इंग्लैंड
(द) वेस्टइंडीज

18. मैराज अहमद खान किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
(अ) फुटबॉल (ब) हॉकी
(स) एथलेटिक्स (द) निशानेबाजी

19. इस वर्ष किस क्लब ने यूईएफए यूरोपा लीग का खिताब जीता है।
(अ) सेविला (ब) जुवेंट्स
(स) इंटर मिलान (द) लिवरपूल

20. इनमें से किस खिलाड़ी ने वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाया है।
(अ) वीरेंद्र सहवाग
(ब) शाहिद अफरीदी
(स) कोरी एंडरसन
(द) एबी डिविलियर्स

21. ओलिंपिक खेलों में मुक्केबाजी को किस वर्ष पहली बार शामिल किया गया था।
(अ) वर्ष 1904 (ब) वर्ष 1908
(स) वर्ष 1920 (द) वर्ष 1932

22. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स-2022 में कौनसा पदक जीता है।
(अ) स्वर्ण पदक
(ब) रजत पदक
(स) कांस्य पदक
(द) कोई पदक नहीं

23. वॉटर पोलो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं।
(अ) 5 (ब) 6
(स) 7 (द) 10

24. फॉर्मूला वन रेसर लांस स्ट्रॉल किस देश से संबंधित हैं।
(अ) नीदरलैंड (ब) कनाडा
(स) मैक्सिको (द) ऑस्ट्रेलिया

25. स्पेन ने किस वर्ष फीफा वर्ल्डकप जीता था।
(अ) वर्ष 2010 (ब) वर्ष 2014
(स) वर्ष 2018 (द) वर्ष 2022

उत्तर

1. (द), 2. (अ), 3. (ब), 4. (स), 5. (ब), 6. (स), 7. (द), 8. (अ), 9. (ब), 10. (ब), 11. (स), 12. (द), 13. (अ), 14. (ब), 15. (अ), 16. (ब), 17. (स), 18. (द), 19. (अ), 20. (द), 21. (अ), 22. (ब), 23. (स), 24. (ब), 25. (अ)

- पुष्पेंद्र कुमार सविता
(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाले विषयों पर लेखन करते हैं।)